भारतीय रेल सम्मेलन

INDIAN RAILWAY CONFERENCE ASSOCIATION

लाल टैरिफ संख्याO 20

(रेलवे के लाल टैरिफ नियम 1960 को समाविष्ट करते हुए)

RED TARIFF No.20

(Incorporating Railway Red Tariff Rules, 1960)

1989 का रेल अधिनियम (1989 का 24) की धारा 67 और 87 के द्वारा प्रदत्तS शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रc सरकार द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2000 को अधिसूचना संख्या 2000/टी.सी.I/307/3, सा. का. नि. 266 दिनांक 15 जुलाई 2000 (अनुवर्ती राजपत्रित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन) के अंतर्गत मुद्रित द्वारा अधिसूचित विस्फो टकों तथा अन्य वस्तुवओं को रेल द्वारा सवारी के लिए और 1989 का रेल अधिनियम 24 की धारा 30 एवं 31 के द्वारा प्रदत्तथ शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रा सरकार द्वारा निर्धारित वस्तुेओं और भार की शर्तों का वर्गीकरण

16 अगस्तव 2000 से लागू

For conveyance by Rail of Explosives and other Dangerous Goods notified by the Central Government in Notification No.2000/TC-I/307/3 dated 15th July 2000 published under GSR No.266, dated 15th July 2000 (and its amendment through subsequent gazette notifications) in exercise of powers conferred by Section 67 and 87 of the Railways Act, 24 of 1989 and also classification of goods and weight conditions prescribed by the Central Government in exercise of powers conferred by Section 30 and 31 of Indian Railways Act. 24 of 1989

In force from 16th August 2000

(इस पुस्तeक में लाल टैरिफ संख्या2 20 के जारी शुद्धि पत्र सं.1 से 4 तक सम्मिलित है)

(This book includes Correction Slips Nos.1 to 4 issued to Red Tariff No.20)

भारत की सरकारी रेलों पर स्था०नीय बुकिंग में तथा सम्मेsलन की सभी पार्टी रेलों पर सीधी बुकिंग में लागू।

Applicable in local booking over Indian Government Railways and in through booking over all Railways party to the Association

मूल्य/Price (ई-बुक/E-Book)

विषय सूची
CONTENTS

शुद्धि-पत्र के रजिस्टर Register of Correction Slip	i
वस्तुओं की अनुक्रमणिका Index to Commodities	ii
नियमों की अनुक्रमणिका Index to Rules	iii
प्राक्कथन Preface	iv
रेल अधिनियम 1989 से उद्धरण Extract of Section 67, 164 & 165 of Railways Act 1989	v
रेलवे लाल टैरिफ नियम, 2000 Railway Red Tariff Rules, 2000	vi
अध्याय I–विस्फोटक Chapter I– Explosives	01-46
अध्याय II–दबाव के अधीन संपीडित, द्रवित या विलयित गैसें Chapter II–Gases, Compressed, Liquefied or Dissolved under Pressure	47-86
अध्याय III–पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव Chapter III–Petroleum and other Inflammable Liquids	87-151
अध्याय IV–ज्वलनशील ठोस Chapter IV–Inflammable Solids	152-183
अध्याय V–आक्सीकारक पदार्थ Chapter V–Oxidizing Substances	184-202
अध्याय VI–विषैले (टॉक्सिक) पदार्थ Chapter VI–Poisonous (Toxic) Substance	203-241
अध्याय VII–रेडियोएक्टिव सामग्री Chapter VII–Radio Active Materials	242-311
अध्याय VIII–तेजाब तथा अन्य संक्षारक Chapter VIII–Acids and other Corrosives	312-348
उपाबंद क–अग्रेषण नोट Annexure A–Forwarding Note, form for	349
उपाबंद ख–प्रेषणों के पहुँचनें की सूचना Annexure B–Notice of Arrival, form for	350

(i)

शुद्धि-पत्रों का रजिस्टर

REGISTER OF CORRECTION SLIPS

शुद्धि-पत्र संख्या Correction slip No.	तारीख Date	नियम Rule	पृष्ठ Pages	प्रथमाक्षर Initials	शुद्धि-पत्र संख्या Correction slip No.	तारीख Date	नियम Rule	पृष्ठ Pages	प्रथमाक्षर Initials

(ii)

शुद्धि-पत्रों का रजिस्टर

REGISTER OF CORRECTION SLIPS

शुद्धि-पत्र संख्या Correction slip No.	तारीख Date	नियम Rule	पृष्ठ Pages	प्रथमाक्षर Initials	शुद्धि-पत्र संख्या Correction slip No.	तारीख Date	नियम Rule	पृष्ठ Pages	प्रथमाक्षर Initials

वस्तुओं की सूची

वस्तुएं	अध्याय	पृष्ठ सं.
पूर्ण एल्कोहल	III	112
ऐसिटिक एनहाइड्राइड	VIII	328
ऐसिटिक ईथर (देखिए ईथालएसिटेट)	III	109
ताम्र का ऐसीटो आरसेनाईट	VI	226
ऐसिटोन	III	130
ऐसिटाइल क्लोराइड	VIII	320
ऐसिटेलीन (छिद्रदार पदार्थो के रूप में संपीडित)	II	97
तेजाब, ऐसिटिक (जिसके अंतर्गत ग्लेशियल ऐसेटिक तेजाब भी है)	VIII	323
कारबोलिक तेजाब (फैनोल-कण या द्रवीकृत)	VI	224
क्लोरो सल्फोनिक तेजाब	VIII	323
क्रोमिक तेजाब	VIII	325
क्रेसीलिक तेजाब	VI	224
फॉर्मिक तेजाब	VIII	327
हाइड्रोब्रोमिक तेजाब, तरल	VIII	327
हाइड्रोक्लोरिक तेजाब (म्यूरिएटिक तेजाब या साल्ट स्प्रिट)	VIII	328
हाइड्रोपल्यूओरिक तेजाब (पल्यूओरिक तेजाब)	VIII	329
नाईट्रिक तेजाब (एक्वाफोरटिस)	VIII	329
ओक्जालिक तेजाब	VI	225
परक्लोरिक तेजाब के तनुकृत (आपेक्षित घनत्व 1.12 से अधिक नही होना चाहिए)	VIII	331
फासफोरिक तेजाब	VIII	331
प्रोपोइनिक तेजाब	VIII	331
तेजाब अवमल	VIII	339
सल्फेमिक तेजाब	VI	225
सल्फ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल)	VIII	331
सल्फ्यूरिक तेजाब तनुकृत जिसमें आयतन का कम से कम 60 प्रतिशत जल हो	VIII	336
सल्फ्यूरस तेजाब (मिश्रण)	VIII	334
ऐरोमेक्स तेल	III	149
एग्रोसन जी.एन.	VI	241
संपीडित वायु	II	97
एल्फानेपथिल थ्यूरिया	VI	226
एल्यूमीनियम / मैगनीशियम मिश्रधातु चूर्ण (मैगनीशियम /एल्यूमीनियम मिश्रधातु चूर्ण)	IV	181
एल्यूमीनियम चूर्ण	IV	181
एमोनल	I	24
अमानिया (एनहाईड्रस)	II	98

अमोनिया मिश्रण (1) आपेक्षित घनत्व 0.880 से 0.891	VI	229
(2) आपेक्षित घनत्व 0.892 से 0.958	VI	230
(3) आपेक्षित घनत्व 0.959 तथा उससे ऊपर	VI	231
अमोनियम बाईफलोराइड ठोस	VIII	335
अमोनियम सल्फेसाइनाइड	VIII	335
अमोनियम फलोराइड द्रव	VIII	335
अमोरसेज(खिलौना पिस्तौलों के लिए कागजी गोलियाँ)	I	35
एमिल एस्टेट	III	145
एमिल एल्कोहल	III	127
एनीलीन हाइड्रोक्लोराइड (देखिए एनीलीन लवण)	VI	231
एनीलीन तेल	VI	231
एनीलीन लवण (एनीलीन हाइड्रोक्लोराइड)	VI	231
गैस निवारण तान्तव	IV	281
एंटीमोनी-124 (एस बी 124)	VII	266
एंटीमोनी फ्लोराइड मोरडेंन्ट (एंटीमोनी लवण)	VI	232
एंटीमोनी लवण (देखिए एंटीमोनी फ्लोराइड मोरडेन्ट)	VI	232
एक्वाफोरटिस (देखिए नाईट्रिक तेजाब)	VIII	330
एरिटान	VI	240
ओरगोन	II	97
आरसेनिक -76 (ए एस 76)	VII	266
आरसेनिक बाईसल्फाइड	VI	232
आरसेनिक डाईसल्फाइड	VI	232
आरसेनिक (धातु)	VI	232
आरसेनिक मोनो सल्फाइड	VI	232
आरसेनिक पेंटासल्फाइड	VI	232
आरसेनिक सल्फाइड (रूबी)	VI	232
आरसेनिक टरसल्फाइड	VI	232
आरसेनिक ट्राईआक्साइड	VI	233
आरसेनिक ट्राई सल्फाइड	VI	232
विमान स्प्रिट	III	127
विमान टरबाइन ईधन	III	142
एक्सल स्नेहक तेल	III	143
अजेडिराक्टिन	III	143
बेरियम -133 (बी ए 133)	VII	266
बेरियम -140 (बी ए 140)	VII	266
बेरियम कारबोनेट	VI	233
बेरियम क्लोराइड	VI	233
बेरियम डाईआक्साइड (देखिए बेरियम पैरा आक्साइड)	V	207

बेरियम हाईड्रेट (बेरियम हाइड्रोआक्साइड)	VI	233
बेरियम पैरा आक्साइड (बेरियम मोनो आक्साइड, बेरियम डाई आक्साइड, बेरियम सुपर आक्साइड)	V	207
बेरियम सुपर आक्साइड (देखिए बेरियम पैरा आक्साइड)	V	207
आधारी सीसा सल्फेट	VI	242
बैंचिग तेल	III	152
बैटरी चार्ज करने का मिश्रण (तेजाब)	VIII	335
बैटरी चार्ज करने का गोल (अल्कली) (पोटाश तथा लिथियॉ का घोल)	VIII	335
बंगाल लाइट (देखे रंगीन दियासलाइयाँ)	IV	190
बैन्जीन	III	127
बैन्जीन डाई-हाईड्रोक्लोराइड	VI	233
बैन्जोलाइन	III	127
बैन्जाइल क्लोराइड	VI	234
बैन्जोल पैरा आक्साइड	IV	182
बैन्जोल पैरा आक्साइड पेस्ट	IV	246
बाई क्लोराइड का मरकरी (देखे परक्लोराइड का मरकरी)	VI	336
चूने के घोल का वाई सल्फाइड (देखे कैल्शियम वाई सल्फाइड का घोल)	VIII	145
बिटुमन घोल (पेंट)	III	207
ब्लैक पाउडर (देखे गोला बारूद)	I	23
ब्लास्टिंग पाउडर (देखे गोला बारूद)	I	23
ब्लीचिंग पाउडर (चूने का क्लोराइड)	V	131
बूट पोलिश जिसमें ज्वलनशील द्रव होगा जिसका ज्वलांक 23 सें. से कम हो	III	131
बूट पोलिश जिसमें ज्वलनशील द्रव होगा जिसका ज्वलांक 23 सें. और उससे ज्यादा होगा	III	149
ब्रोमाइन	VIII	341
बुटाइल एस्टेट	III	147
बुटाइल एल्कोहल	III	131
केडगियम -115 एम (सी बी 115 एम)	VII	266
केसियम -134 सी (सी एस 134)	VII	267
केसियम 137 एम (सी एस 137)	VII	267
कैल्शीयम -45 (सी ए 45)	VII	267
कैल्शीयम आरसेनट (ठोस)	VI	234
कैल्शीयम बाई सल्फाइट घोल (चूने के घोल का बाई सल्फाइट) जो सल्फर ड्राई आक्साइड के साथ संतुष्ट किया गया हो।	VIII	337
कैल्शीयम साइनामाइड	IV	183
कैल्शीयम हाइपोक्लोराइड	V	208
कैल्शीयम नाइट्रेट	IV	207
कैल्शीयम फासफाइड	IV	183

कैल्शीयम सिलिसाइड (कैल्शीयम का सिलिसाइड)	IV	184
कुचूचिन और पाईरिडीन	VI	234
अश्रुकारी कैप्सुल	VI	182
कारबाइड कैल्शीयम	IV	267
कार्बन 14 (सी 14)	VII	128
कार्बन डाई सल्फाइड (देखे कार्बन डाई सल्फाइड)	III	184
कार्बन ब्लैक	IV	143
कार्बन ब्लैक फीड स्टाक (सी बी एस एफ 72)	III	143
कार्बन ब्लैक फीड स्टाक (सी बी एस एफ 500)	III	99
कारबोनिक क्षार गैस (देखे कार्बन डाई आक्साइड)	II	128
कारबोनिक डाई सल्फाइड (कार्बन डाई सल्फाइड)	III	31
छोटे आयुधों के लिए सुरक्षा कारतूसों से भिन्न कारतूस वर्ग 6 डिवीजन 2	I	31
छोटे आयुधों के लिए सुरक्षा कारतूस जो सुरक्षा कारतूस नही है वर्ग 6 डिवीजन 3	I	32
कास्टिक पोटाश तरल	VIII	338
कास्टिक सोडा तरल	VIII	338
अविनिर्मित सेल्यूलोज (नाइट्रो आधार वाली प्रत्यक्ष रूप में पार भासी वस्तुएं, जिनके अन्तर्गत ब्लॉक, छड़े, रौल, शीटें और ट्यूबें भी हैं।	IV	186
सेल्यूलाइट के बर्तन एन ओ सी (नाइट्रो आधार वाले प्रत्यक्षत: पारभासी)	IV	186
सेल्यूलोज एस्टेंट डोप	III	137
सीमेंट संश्लिष्ट पदार्थ, पेंट पालिशें और अन्य वस्तुएं जो भागत: अत्यधिक ज्वलनशील द्रवों में मिलाकर तैयार किया गया हो जिनका ज्वलांक बिन्दु 23 सें. से कम हो	III	138
सीमेंट घोल (पेंट) पालिशें और अन्य पदार्थ जो भागत: ज्वलनशील द्रवों से संश्लिष्ट है।	III	146
सेरियम - 141 (सी ई 141)	III	267
रासायनिक अधनी क्षयको के लिए चार्ज और रिफिल	VIII	339
चीनी पटाखे	I	37
क्लोरेट मिश्रण	I	29
क्लोरेट का बेरियम	V	208
पोटाश का क्लोरेट	V	209
सोडा का क्लोरेट	V	209
चूने का क्लोराइड (देखे ब्लीचिंग पाउडर)	V	207
सल्फर का क्लोराइड (देखे गंधक क्लोराइड)	VIII	343
क्लोरीन -36 (सी एल 36)	VII	267
क्लोरीन	II	98
क्लोरोमिथेन (देखे मिथाइल क्लोराइड)	II	100
क्रिसमस या बॉन बॉन पटाखे	I	3636
क्रोमियम -51 (सी आर 51)	VII	267
चलचित्र फिल्में, अज्वंलनशील (नाइट्रो सेल्यलोज आधार वाली)	IV	185

सफाई तेल	III	142
सफाई और धुलाई धोल तेजाब	VIII	339
सफाई और धुलाई धोल, आलक्लीन	VIII	339
सफाई और धुलाई धोल ज्वलनशील	III	147
कोयला चूर्ण 100 माइक्रोन से ,अर्थात 1/10 मि. मी. से कम के बारीक कणो से युक्त	IV	185
कोयला गैस	II	98
कोबाल्ट -57 (सी ओ 57)	VII	267
कोबाल्ट- 58(सी ओ 58)	VII	267
कोबाल्ट 60 (सी ओ 60)	VII	267
शीत स्फोटक (कोल्ड स्टाटर)	IV	185
क्लोडियन (पैरारोक्सलीन) धोल	III	128
रंगीन दियासलाइयां (बंगाल लाइट)	IV	190
कोलजा (खनिज तेल)	III	142
वाणिजियक बुटेन (देखे पेट्रोलियम गैस)	II	99
वाणिजियक प्रोपेन (देख पेट्रोलियम गैस)	II	99
बायलर में पपडी पडने की रोकथाम के लिए मिश्रण जिसमे आरसेनिक नहीं है।	VIII	344
कनसनट्रेटिड़ इथायल धोल (टेटराइथायल सीसा द्रव)	VI	237
कापर 64(सी यू 64)	VII	267
कोरडीयू बिक फोर्ड	I	31
कोरडेक्स	I	31
देसी पाउडर (देखे गोला बारूद)	I	23
पटाखे (चीनी पटाखे से भिन्न)	I	37
कच्चा तेल	III	127
ताम्र का साइनाइड़, ठोस	VI	237
ताम्र और जस्ता (पीतल लवण) का साइनाड, ठोस	VI	237
चूना का साइनाइड या साइनो गैस	VI	237
पोटशियम का साइनाइड, ठोस	VI	237
सोडियम का साइनाइड, ठोस	VI	237
जस्ता का साइनाइड, ठोस	VI	237
साइनोगैस (देखो चूने का साइनाइड)	VI	237
साइक्लों प्रोपेन गैस	II	99
डिले डिटोनेटरस	I	35
डिनेचर्ड महुआ स्पिरिट (देखिये औद्योगिक एल्कोहल)	III	133
डिनेचर्ड स्पिरिट साधारण (देखिये औद्योगिक एल्कोहल)	III	133
डिनेचर्ड स्पिरिट विशेष (देखिये औद्योगिक एल्कोहल)	III	133
डैक्सैलाइट	VIII	340
डेटोनेटिंग फ्यूज	I	30
डेटोनेटिंग रिले	I	35

डेटोनेटरस	I	32
डाईऐसिटोन एल्कोहल	III	132
डाईजीनेन 20%	VI	241
डाईजीनोन 40%	VI	241
द्विक्षारकी सीसा स्टिऐरेट	VI	243
द्विक्षारकी सीसा पथालेट	VI	243
द्विक्षारकी सीसा फासफाइट	VI	243
डीजल तेल	III	141
डाईएथालमाइन	III	127
डाईथिल ईथर (देखिये ईथर)	III	128
डाई एंथाइल हैक्सोनोल या 2 -एथाइल या ओक्टानोल	III	151
डाई एंथाइल सल्फेट	VI	226
डाई मिथाईल एनिलीन	VI	238
डाई नाइट्रो क्लोरो बैन्जीन	VI	238
डाई नाइट्रो फिनोल	I	25
डाई नाइट्रो टोल्यून	VI	38
कष्ट संकेत राकेट	I	38
डाई विनायल ईथर (देखे विनायल ईथर)	III	152
सभी प्रकार के विघुत सेल जिनमें तेजाब या अल्क्लीन द्रव या जैली हो	VIII	340
विद्युत डेटोनेटर	I	35
विद्युत फ्यूज	I	29
ज्वंलाक डोरियो के लिए विधुत लाइटर	I	29
एनामिल और एनामिल रोगन जिसका ज्वलांक तापांक 65° सेंटोग्रेट से अधिक किन्तु 93° से. कम हो	III	152
एनामिल और एनामिल रोगन जिसका ज्वलांक तापांक 65° सेंटोग्रेट से अधिक किन्तु 93° से. कम हो	III	136
एनामिल नाइड्रो सेलयूलोज	III	150
एस्सो एसफालट विलायक	III	150
एस्सो कटबैक 80/100	III	150
एस्सो द्रव एस फाल्ट सं.2	III	150
एस्सो प्राइमर	III	150
एस्सो आर सी 3	III	150
ईथर (सल्फ्यूरिक अथवा डाइथिल ईथर, निश्चेतना ईथर)	III	128
निश्चेतना ईथर (देखे ईथर)	III	128
ईथर, ब्यूटरिक (इथिल ब्यूटिरेट)	III	127
ईथर, फोमिक (इथिल फोर्मेट)	III	127
ईथर, सल्फ्यरिक (देखिये ईथर)	III	128
एथोक्सी इथाइल मरकरी क्लोरइड	VI	239

इथाइल ऐसिटेट (एसिटिक ईथर)	III	127
इथाइल विमान स्प्रिट	III	126
इथाइल ब्यूटिरेट (देखिये ईथर ब्यूटरिक)	III	127
इथाइल क्लोराइड	III	100
इथलीन	III	100
इथाइल फोर्मिक(देखिये इर्थर फोर्मिक)	III	127
इथाइल मरकरी क्लोराइड	VI	239
इथाइल मरकरी फास्फेट	VI	239
यूरोपियम 152 एम (ईयू 152 एम)	VII	267
फेरिक क्लोराइड, ठोस (लोहे का परक्लोराइड,ठोस)	VIII	340
फेरिक क्लोराइड, मिश्रण (लोहे का मिश्रण, परक्लोराइड द्रव)	VIII	340
फैरोसिलिकोन (1) 15 प्रतिशत मे कम (2) 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक (3) 65 प्रतिशत और उससे ऊपर	VI	239
फैरोसिलिकोन 30 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच फैरोसिलिकोन 80 प्रतिशत और उससे ऊपर, मोटा चूर्ण	VI	240
गुलदस्ते या अनार	I	38
फ्लोरीक (देखें तेजाब, हाइड्रोफ्लोरीक)	VIII	333
फोलीडोल चूर्ण (1.2%)	VI	240
फोलीडोल द्रव	VI	240
फ्रेंच पोलिश	III	132
फ्रेआन,आर्कटान या जेनीट्रोन	II	99
रगड़ टयूबें	I	32
फूलमीनेट	I	29
भट्टी तेल	III	141
फरफ्यूरल	III	144
फरफ्यूरल डिहाइड	III	144
फ्यूज तेल	III	127
फ्यूज ज्वलांकडोरी	I	31
फ्यूज हेड	I	31
गोडोलिमियम-153(जी डी 153)	VII	267
गैस तेल	III	141
जिलेटिन	I	24
जिनेट्रान	II	99
ग्लेशियल एस्टिक तेजाब (देखें तेजाब, ऐसिटक)	VIII	320

गोल्ड-198 (ए.यू.198)	VII	268
ग्रेनोडाइन	VIII	340
ग्रनोड्रा	VIII	340
गुआनडाइन नाईट्रेट	V	212
गन कोटन (जो इस तरीके के पानी से भिगाई गई है कि वह पूर्ण रूप से अज्वलनशील थे)	I	26
गोला बारूद (ब्लैक पाउडर, देसी पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, प्रोपेलेन्ट)	I	23
हाफनीयम-181(एच एफ 181)	VII	268
भारी डीजल तेल	III	141
हेक्सेन	III	126
हाई फ्लैश लो सल्फर तेल (एच.एफ.एल,एस)	III	141
हाई स्पीड डीजल तेल	III	141
होलमीयन-166 (एच.ओ-166)	VII	268
हाइड्रोलीक बैक फलूईड़	III	145
हाइड्रोजीन हाइड्रेट	VII	268
हाइड्रोसाइनिक तेजाब	II	145
हाइड्रोजन-3 (एच-3)	II	340
हाइड्रोजीन पैराआक्साइड मिश्रण जो 40 वोल्यूम की शक्ति से अधिक किन्तु 132 वोल्यूम शक्ति से अनधिक हो (भार के अनुसार 35%)	V	99
सोडा का हाईड्रोसल्फाइड (देखे सोडियम हाइड्रोसल्फाइट)	IV	97
ज्वालांक डोरी संयोजक	I	29
इंडियम -113 एम (आई एन 113 एम)	VII	268
औधोगिक एल्कोहल, डिनेर्चड महुआ स्पिरिट, डिनेर्चड स्पिरिट, साधारण डिनेर्चड स्पिरिट, विशेष,मेथीलेटिड स्पिरिट।	III	133
कीटनाशी (घोल), ज्वनशील-वर्ग ए	III	147
कीटनाशी(घोल), ज्वनशील-वर्ग बी	III	147
कीटनाशी (घोल से भिन्न) जिनमे आरगनो मरक्युरियल लवण हो।	VI	241
आयोडिन-125 (आई 125)	VII	268
आयोडिन-131 (आई 131)	VII	268
आयोमेक्स	III	141
इरीडियम-192(आई आर 192)	VII	268
आयरन-55 (एफ.ई.55)	VII	268
आयरन-59 (एफ.ई.59)	VII	269
आइसोएमायल एस्टेट	III	147
आइसोप्रओपायल एल्कोहल	III	132
आइसोप्रओपायल नाईट्रेट	III	134
विमान टरबाईन ईधन	III	126
विमान पैट्रोलियम ईधन-4	III	126
विमान पैट्रोलियम ईधन-5	III	143

मिट्टी का तेल और पैराफिन तेल	III	137
नाइट्रो-सैल्यूलोज लैकर	III	184
लैम्प काला (ब्लैक)	IV	184
साम्प	I	38
लैनथनम- 140(एल. ए.140)	IV	269
लोरायल पैराआक्साइड	V	212
लैड 210(पी.बी.210)	VII	269
लीड की हुई विमान स्पिरिट	III	127
सीसा आक्साइड	VI	242
पोलीविनायल क्लोरइड के सीसा स्थाई कारी (स्टेबलाइजर)	VI	242
सीसा स्टीरिएट	VI	243
हल्का डीजल तेल	III	142
हल्की तेल	III	126
हल्का घोल	III	126
लीनियर एल्काइल बैन्जीन	III	144
तरल पैट्रोलियम गैस (वाणिज्यिक बुटेन या प्रोपेन)	III	100
द्रव वायु	II	100
द्रव ईधंन	III	99
द्रव हीलियम	II	100
द्रव नाइट्रोजन	II	100
द्रव आक्सीजन	II	100
निम्न गंधक हैवी स्टॉक	III	142
ल्यूटेटियम-177(एल यू 177)	VII	169
मैगनीज-54 (एम.एन.54)	VII	269
मैगनीज-56 (एम.एन.56)	VII	269
मैग्नीशीयम/एल्यूमीनियम धातु पाउडर (देखें एल्यूमीनियम/मैगनीशीयन धातु पाउडर)	IV	181
मैग्नीशीयम पाउडर	VI	182
मालाथीयोन डस्टिंग पाउडर	VI	244
मालाथीयोन डिसपेनसिबल पाउडर	VI	244
मालाथीयोन एमुलसीफाइबल कनसनट्रेट	VI	244
समुद्र डीजल तेल	III	142
आतिशाबाजी (मरुम)।	I	38
असुरक्षित दियासलाइयाँ (नोन सेफ्टी माचिस)	IV	190
सुरक्षित दियासलाइयाँ (माचिस सेफ्टी)	IV	187
चिकित्सिय मिश्रण (आक्सीजन और कार्बन डाईआक्साइड मिश्रण या आक्सीजन या हीलियम मिश्रण)	II	100
एम.ई. के . पैराआक्साइड	V	212
मरकरी-197 (एच.जी. 197)	VII	269
मरकरी-203 (एच.जी. 203)	VII	269

रुपांतरित ईधन (एल्डहाईडिंक ईधन-ठोस अवस्था में)	IV	186
मैटा-स्टेन -एस द्रव	III	133
मेथैन	II	97
मेथेनोल (मेथेनोल एल्कोइल काष्ठ एल्कोहल)	III	135
मेथाइल एसीटोन (देखे ईथाइल मेथाइल कीटोन)	III	135
मेथाइल एल्कोइल (देखें मेथेनोल)	III	135
मेथाइल ब्रोमाइड	II	100
मेथाइल क्लोराइड (क्लोरोमेथेन)	II	100
बेन्जीन सल्फोनिक तेजाब का मेथाइल ईस्टर	VI	243
मेथाइल ईथाल कीटोन (देखें मेथाइल ऐसीटोन)	III	135
मेथीलेटिड स्पिरिट (देखें औद्योगिक एल्कोहल)	III	132
खनिज तारपीन स्थानांपन	III	142
खनिज तारपीन	III	142
खान में काम करने के पटाखे	I	38
मोटर स्पिरिट	III	127
मिश्रित कच्चा नेपथा	III	127
मोनोक्लोरो बेंन्जीन	III	146
मोनो नाइट्रो टोल्यून	III	244
म्यूरियाटिक तेजाब (देखें तेजाब हाइड्रोक्लोरीक)	VIII	328
जस्ता का म्यूरिऐट ठोस (देखें जस्ता क्लोराइड)	VIII	342
जस्ता का म्यूरिऐट मिश्रण तेजाब न्यूट्राल (देखें जस्ता क्लोराइड)	VIII	342
खनिज, नेपथा	III	135
नेपथा,विलायक- वर्ग बी	III	127
नेओन	II	97
नेपटुनीयम-237 (यू.पी.237)	VII	269
निकिल-63 (एन. आई. 63)	VII	269
अमोनिया का नाइट्रेट	V	212
बेरियम का नाइट्रेट	V	212
लोहे का नाइट्रेट	V	212
सीसे का नाइट्रेट	V	212
नाइट्रेट मिश्रण	I	23
पोटाश का नाइट्रेट (देखें परिशोधित द्वारा)	V	212
सोडा का नाइट्रेट	V	212
स्ट्रोंनशीयम का नाइट्रेट	V	212
नाइट्रो (देखें शोरा परिशोधित)	V	212
नाइट्रो बैन्जीन (देख नाइट्रो बैन्जोल)	VI	244
नाइट्रो बैन्जोल (नाइट्रो बैन्जीन या मिरबेन का तेल)	V	212
नाइट्रो सल्यूलोज डोप	III	136
नाइट्रो कॉटन जिसमें 12.3% से अधिक नाइट्रोन नहीं हो और जो ऐसे भार के कम	IV	191

से कम 1/3 तक मिथाईल स्पिरिट या बुटोनाल (बुटाइल एल्कोहल से भीगी से भीगी हुई हो।		
नाइट्रो गुआनडाइन	I	26
नाइट्रोजन	II	97
नाइट्रो नेपथालीन	VI	245
नाइट्रोअस ऑक्साइड	II	100
एन. एल. गैस (73 ओक्टोन)	III	126
नोबल सुरक्षा विधुत फ्यूज	I	29
मिरबेन का तेल (देखे नाइट्रो बैन्जोल)	VI	244
विट्रोल का तेल (देखें तेजाब सल्फ्यूरिक)	VIII	333
तैलीय असवाव	IV	192
तैलीय कनवस	IV	192
तैलीय कवर	IV	192
तैलीय परतदार कपड़े	IV	192
तैलीय कागज	IV	192
तैलीय चिंचड़े	IV	192
तैलीय रददी, एन. ओ. सी	IV	192
ओरपीमेन्ट	VI	233
औरथोडइक्लोरोबेन्जीन	VI	245
औरथोजाइलीन	III	144
औरथो नाइट्रो टोल्यून	VI	245
ओसंमीयम-191 (ओ.एस.191)	VII	269
पोटाश का ऑक्जलेट	VI	229
ऑक्सीजन और कार्बन डाईक्सइड का मिश्रण (देखें चिकित्सय मिश्रण)	II	100
ऑक्सीजन और हेलीयम का मिश्रण (देखें चिकित्सय मिश्रण)	II	100
पल्लाडीयम-103 (पी.डी.- 103)	VII	270
रोगन तथा पेंट मिटाने वाले पदार्थ	III	138
रोगन तथा पेंट मिटाने वाले पदार्थ (संक्षारक, अज्वलनशील)	VIII	341
पेंट नाइट्रो सेल्यूलोज	III	137
पेंट तरलक-वर्ग ए	III	138
पेंट तरलक-वर्ग बी	III	138
खिलौना पिस्तौलों के लिए कागज गोलियाँ (देखे अमोरिसस)	I	36
पैराथीओन	VI	245
चयनीत पैट्रोलीयम तेलों में धुला हुआ पेंटाक्लोरोफिनोल	III	149
पेटा- ऐरीथ्यायेल ट्रैटानाइट्रेट (पी.ई.टी.एन)	I	26
अमोनिया का पेराक्लोरेट	V	213
कैल्शीयम का पैराक्लोरेट	V	213
पोटाश का पैराक्लोरेट	V	213
स्ट्रोंनशीयम का पैराक्लोरेट	V	213

लोहे का पैराक्लोरेट ठोस (देखे फेरिक क्लोराइड मिश्रण)	VIII	340
मरकारी का पैराक्लोराइड, बाई क्लोराइड का मरकारी (असंचारक पूर्वपातक)	VI	246
परक्शन प्राइमर	I	32
पी.ई.टी.एन.- टी.एन. टी. बूस्टर	I	27
पैट्रोल	III	127
पैट्रोलियम और अन्य हाइड्रोकार्बन तेल,एन.ओ. सी	III	127
पैट्रोलियम ईथर	III	127
फैरोसर्प या कोबरा अंडे	I	38
फिनाल कण या द्रवीकृत (देखे तेजाब कारबोलिक)	VI	227
फिनोल का सूत	III	143
फिनायल मरकरी ऐसीटेट	VI	239
फिनायल मरकरी क्लोराइड	VI	239
फिनायल मरकरी यूरिया	VI	239
फेनीलिन और टोल्यूलीन डाईमाईन	VI	234
फास्फोरस पेंटा क्लोराइड	VIII	346
फास्फोरस-32 (पी32)	VII	270
लाल फासफोरस (अमोरफोस)	IV	192
फासफोरस सल्फाइड़ (सेसक्वी-सल्फाइड)	IV	192
फासफोरस ट्राईक्लोराइड	VIII	346
फासफोरस,(पीला पानी मे)	IV	193
फासफोरस आक्सीक्लोराइड	VIII	346
पिकरिक तेजाब	I	26
पिकरिक पाउडर	I	26
पिस्तौल के लिए पिन फायर कारतूस	I	30
पाईन (चीड़) तेल	III	153
प्लास्टिक ज्वलाकं कार्ड	I	31
प्लास्टिक की ज्वलाकं बती	I	31
प्लास्टिक काष्ठ मिश्रण	III	140
प्लास्टिक कृत नाइट्रो सैल्यूलोस चिपैं	IV	194
प्लोओ बोण्ड	III	135
पालिश ड्रेसिंग,स्ट्रेन और सफाई के सम्मिश्रण,भागत: ज्वलनशील द्रवों से संश्लिष्ट पदार्थ	III	145
पलिशस नाइट्रो सैल्यूलोस	III	137
पोलोनियम-210 (पि ओ 210)	VII	270
पोटेशियम	IV	195
पोटेशियम -42 (के 42)	VII	270
पावर एल्कोहल	III	135
पावर एल्कोहल मिश्रण	III	135
पोवरीन	III	142

प्रोसयोडिमियम-142 (पी आर-142)	VII	270
प्रोमेथियम- 147 (पी एम 147)	VII	270
प्रोपेलन्ट (देखिए गोला बारुद)	I	23
पाईरीडीन बेस	VI	236
पाईरोकाक्सलीन घोल (देखें कलोडीयन घोल)	III	128
तुरंत जलने वाली दियासलाइयां	I	31
रेडियम-226 (आर. ए-226)	VII	270
रेलवे कोहरा संकेतक	I	29
आर.डी.एक्स (साइक्लो ट्राईमेथाइलेन ट्रिनीटरामाइन)	I	27
रीयलगर	VI	233
आर.डी.एक्स (टी.एन. टी)	I	27
परिष्कृत स्प्रिट (50% ओवर प्रूफ तक और उसके ऊपर)	III	136
लाल संखिया (आरसेनिक)	VI	233
लाल संखिया (आरसेनिक) ग्लास	VI	233
लाल संखिया (आरसेनिक) स्ल्फाइड	VI	233
पुनरुउत्पदक नेपथा (नेप्था स्पेशल कट)	III	128
परिष्कृत पाइन (चीड) तार	III	149
रेफिजरेटर बर्निंग तेल	III	142
तलचट ईधन तेल	III	142
रेसिन	IV	196
रेहेनियम-186 (आर.ई.186)	VII	270
रोडियम-105 (आर.एच.105)	VII	270
रोडियम-106 (आर.एच.106)	VII	271
मुख्य रूप से क्रसोट पेट्रलियम अवशिष्ट, पित्त, तार तेल से तैयार की गई सड़क की सतह के ड्रैसिंग करने का पदार्थ।	III	151
रॉकेट	I	38
रोमन मोमबती	I	38
रोसिन तेल	III	148
रोसिन स्प्रिट	III	141
रबड़ घोल जिसका ज्वलांक बिन्दु 23° से कम हो	III	150
रबड़ घोल जिसका ज्वलांक बिन्दु 23° से ज्यादा हो	III	150
रुबीडीयम-86 (आर. बी.86)	VII	271
सुरक्षा फ्यूज	I	29
शोरा कच्चा	V	213
शोरा, परिशोधित (नाइट्रो या नाईट्रेट का पोटाश)	V	212
समेरियम -153 (एस.एन .153)	VII	271
स्कन्डीयम -46 (एस.सी.46)	VII	271
भुकंप विधुत डिटोनेटर	I	35
सलेनीयम -75 (एस.ई.75)	VII	271

सेसक्वी सल्फाइड (देखें फासफोरस सल्फाइड)	IV	192
आकार वाले चार्ज	I	31
शैलमैक बी. एस.	III	151
शैलमैक आर.सी .3	III	151
घोलें	I	38
शैलसपरा बी.एस(शैलमैक बी. एस.)	III	151
कैल्शीयम का सिलीसाइड (देखें कैल्शीयम सिलीसाइड)	IV	185
चाँदी-110 एम (ए.जी 110 एम)	VII	190
साँकेट विपति संकेट	I	38
साँकेट प्रकाश संकेत	I	38
।साँकेट ध्वनि संकेत	I	38
सोडियम	IV	195
सोडियम -22(एन.ए.22)	VII	290
सोडियम हाड्रोसल्फाइट (हाड्रोसल्फाइट का सोडा)	IV	196
सोडियम पैराआक्साइड	V	213
सोडियम झानथनेट	VIII	347
सोल्डर करने के लिए तरल	VIII	347
रुपांतिरत ईधन (एनहाईड्रीक ईधन ठोस अवस्था में)	IV	187
विलायक तेल	III	128
स्नोसिल स्थायीकारी के घोल	III	148
खर्च किया गया ईधन	III	272
गैस शुद्धकारकों से प्राप्त प्रयुक्त लोह आक्साइड	IV	196
लवण या स्प्रिट (देखे तेजाब, हाड्रोक्लोरीन)	VIII	332
स्प्रिट वार्निश	III	135
स्प्रिट, पात्र मे रखे जाने योग्य आयातित	III	136
स्प्रिट, पात्र मे रखे जाने योग्य देशी	III	136
स्पोटंग पाउडर-वर्ग-III	I	28
पलीता	I	38
स्टेन नाइट्रो सेल्यूलोज	III	136
मानक ब्रेक फल्यूड	III	146
स्टेनिक क्लोराइड (टिन ट्रेटा क्लोराइड)	VIII	332
स्टार दियासलाइंया	IV	191
स्ट्रेट रन नेपथा	III	128
स्टोंनशीयम -85 (एस.आर.85)	VII	271
स्टोंनशीयम -89 (एस.आर.89)	VII	271
स्टोंनशीयम -90 (एस.आर.90)	VII	271
सल्फर-35 (एस.35)	VII	271
सल्फररस तेजाब गैस (देखें सल्फर डाईआक्साइड)	II	100
सल्फर क्लोराइड (सल्फर का क्लोराइड)	VIII	340

सल्फर डाईआक्साइड (सल्फयूरस तेजाब गैस)	II	100
सल्फर हेक्साफ्लोराइड	II	97
उत्कृष्ट मिटटी का तेल	III	144
सिनटम एन.बी	VIII	347
सिनटम एन.सी	VIII	347
सिनटम पी.सी	VIII	347
टेटालम-182 (टी.ए.182)	VII	291
टारटर एमेटिक	VI	247
चाय सुखाने का तेल	III	142
टरबीयन-160 (टी.बी.160)	VII	291
टेट्राइथायल सीसा तरल (देखे सान्द्र इथायल घोल)	VI	236
टेट्राइथायलपायरो फासफेट	VI	245
टेट्रानाइट्रो मेथाइलएमिटीन (सी.ई.)	I	27
थायालीयम -204 (टी.एल.-204)	VII	291
थियूलीयम -170 (टी.एम. 170)	VII	291
थायोडीन	VII	272
थोरीयम कमपाउंड	VII	290
टीन-113 (एस.एन 113)	VII	290
टिन टेट्रा क्लोराइड (देखे स्टेननिक क्लोराइड)	VIII	347
टिटेनीयम पोटाशीयम,आक्सलेट	VI	242
टोल्यून नाइट्रेशन ग्रेड	III	136
टोल्यूल	III	136
ट्रिएटिड हेवी वाटर	VII	272
ट्राईबेसिक सीसा सल्फर	VI	242
ट्राईनाइट्रो रिसोनोल (स्टेफिनेक तेजाब)	I	28
ट्राईनाइट्रो टोलुईन (टी.एन.टी)	I	28
विस्फोटकों को दागने के लिए टयूबे	I	31
विस्फोटकों को दागने के लिए टयूबे(डिटोनेटर को छोड़कर)	I	32
टंगस्टन-185 (डल्यू 185)	VII	291
टरपीन	III	148
टरपनटीन (सफेद स्प्रिट)	III	147
टरपनटीन तेल का स्पिरिट	III	147
यूरेनीयम काम्पाउंडस	VII	272
वाष्पीकरण तेल	III	144
वार्निश जिसका ज्वलांक बिन्दु 65° से .से कम किन्तु 23° से. से कम ना हो	III	152
वार्निश पेंट (पेंट जिस का ज्वलांक बिन्दु 65° से .से कम किन्तु 23° से. से कम ना हो)	III	152
वार्निश, एन.ओ.सी.	III	152
वार्निश पेंट (पेंट जिसका ज्वलांक बिन्दु 65° से .से अधिक किन्तु 93° से. से कम	III	152

ना हो)		
वार्निश नाइट्रो सेल्युलोज	III	152
वनस्पति काला (ब्लैक)	IV	186
पूर्ण संकेत कारतूस	I	38
विनिस्थीन (देखें विनायल ईथर)	III	130
विनायल ईथर (डार्ड- विनायल विनिस्थीन)	III	130
वाल्कनीकरन सीमेंट (देखे वाल्कनी घोल ज्वलनशील)	III	142
वाल्कनीकरन घोल ज्वलनशील (वाल्कनीकरण सीमेंट)	III	142
खरपतवारनाशी (द्रव आरसेनिक)	VI	247
खरपतवारनाशी (गैर आरसनीक क्लोरेट या डाईनाइट्रो ओर आर्थो क्रिसोल या उसके लवण ना हो)	VI	247
खरपतवारनाशी द्रव (निर्विश)	III	151
खरपतवारनाशी (गैर आरसनीय क्लोरेट रहित किन्तु जो निम्नलिखित से मुक्त न हो। (क) डाईनाइट्रो ओर्थो क्रिसोल, या उसका अमोनियम का अमीन लवण (ख) डाईनाइट्रो ओर्थो क्रिसोल सोडियम लवण और कम से कम 25% जल	VI	248
खरपतवारनाशी (पाऊडर) गैर आरसनिय जिसमे क्लोरेट रहित जिसमें जिसमें क्लोरेट या डाईनाट्रो ओर्थी क्रिसोल या उसके लवण ना हो।	VI	248
खरपतवारनाशी (चूर्ण सांखिया रहित,क्लोरेट युक्त जिसमें क्लोराइड, या बोरेक्स की मात्रा 40% से कम नहीं होगी।	V	213
चक्कर	I	38
सफेद सांखिया (आरसेनिक) आरसैनिक तेजाब ठोस	VI	234
सफेद स्प्रिट (देखें टरपनटाईन विकल्प)	III	149
काष्ठ एल्कोहल (देखें मेथेनोल)	III	136
काष्ठ नेपथा	III	136
काष्ठ स्प्रिट	III	136
जाइलीन	III	136
जाइलोल	III	136
सांखिया पीला	VII	291
यटेरबीयम-169 (वाई.बी.169)	VII	291
जिंक 65 (जेड एन 65)	VII	291
जस्ता क्लोराइड म्यूरियट का जस्ता (ठोस)	VIII	347
जस्ता क्लोराइड म्यूरियट का जस्ता (मिश्रण, तेजाब न्यूट्रल)	VIII	347
जिंक धूल या टूटी पाउडर	IV	190
जस्ता का फासफाइड	VI	252
जिरकोनीयम-95 (जेड आर-95)	VII	291

नियम का अनुक्रमणिका

नियम	अध्याय I		अध्याय II		अध्याय III		अध्याय IV		अध्याय V		अध्याय VI		अध्याय VII		अध्याय VIII	
	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ	संख्या	पृष्ठ
केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना	103.1		202.1		302.1		402.1		502.1		602.1		702.1		802.1	
प्राधिकृत रेल सेवकों द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना	109		206		306		406		506		606		710		806	
फुटकर का अधिसूचित दिनों में ग्रहण किए जाना	136.1		231.1		329.1		428.1		527.1		627.1		-	-	829.1	
फुटकर जो सप्ताह में सभी दिनों ग्रहण किया जा सकते हैं	136.2		231.2		329.2		428.2		527.2		627.2		-	-	829.3	
वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जाना	136.3		231.3		329.3		428.3		527.3		627.3		708.1			
अग्रिम सूचना	134.1		-		-		-		-		-		705.4		-	
अमोनिया (एनहाईड्रस) और क्लोरीन की बावत विशेष पूर्वावधानियां	-		212.5		-		-		-		-		-		-	
प्रेषण के पहुंचने की प्रेषिती को सूचना	134.2		229.1		326.1		426.1		525.1		625.1		721.1		827.1	
लम्बे मार्ग से बुकिंग का प्रतिषेध	108.2		-		-		-		-		-		707.2		-	
बूटो और जूतों का प्रतिषेध	117.10		-		-		-		-		-		-		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री को सामान के रूप में बुक करने और वहन करने का प्रतिषेध	-		-		-		-		-		-		707.1 (ख)		-	
कतिपय विशेष मामलों में ब्रेकयान से अलग रखा जाना	-		-		325.3		-		-		-		-		-	
तेजाबी और संक्षारकों से युक्त कारबाय	-		-		-		-		-		-		-		807.3	
कैल्शीयम कारबाइड के संबंध में कार्रवाई करने के बारें में विशेष पूर्वावधानियां	-		-		-		413.6		-		-		-		-	
सामान्य माल के साथ विस्फोटकों का वहन सामान्यत: अनुज्ञात न होना	123		-		-		-		-		-		-		-	
विस्फोटकों का परिवहन मालगाड़ी से साधारण माल के साथ वहन किया जाना	124		-		-		-		-		-		-		-	
सामान्य माल के साथ एक ही वैगन में खतरनाक माल का परिवहन किया जाना	-		217		319		418		518		617		-		818	
यात्री गाड़ियों या मिश्रित गाड़ियां के ब्रेकयानों में माल का	125		218		320		419		519		618		-		819	

परिवहन																
यात्री कंपार्टमेंटों में सुरक्षा कारतूसों का वहन	126		-		-		-		-		-		-		-	
विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थों के वहन का प्रतिषेध	-		-		-		-		-		620		-		822	
खतरनाक माल के साथ-साथ अन्य माल का वहन का प्रतिषेध	128		220		321		421		520		619		-		821	
रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाण पत्र, अग्रेषण पत्र आदि अभिप्राप्त करना	107.1		204		304		404		504		604		705.1		804	
तृतीय श्रेणी (नाइट्रो सम्मिश्रण) के विस्फोटकों की दशा में प्रेषक द्वारा प्रमाण (परिशिष्ट ।/2) का प्राप्त करना।	107.1(ख)		-		-		-		-		-		-		-	
बालकों और मत व्यक्तियों का प्रतिषेध	117.11				-		-		-		-		-		-	
संश्लिष्ट एथाइल घोल (टेट्रा एथाल और सीसे का द्रव) की उठाई और धराई करने के बारे में विशेष पूर्वावधानियां	-		-		-		-		-		613.7		-		-	
पार्सल के रूप में बुक की गई रेडियोएक्टिव सामग्री को जी.पी.एस. माल दर के दुगुने पर प्रभारित किये जायेगें	-		-		-		-		-		-		708.2		-	
विस्फोटकों को वर्गीकरण	102		-		-		-		-		-		-		-	
समक्ष व्यक्ति का संक्रियाओं का भार साधक होना	117.1		-		-		-		-		-		-		-	
वस्तुएं जिन्हें एक ही वर्ग में पृथक रखा जाना चाहिए	127		219		-		420				-		-		820	
सिलेण्डर या कंटेनरों की पहचान के रंग	-		208.1		-		-		-		-		-		-	
चित्रयुक्त रंग लेबल-रेडियो एक्टिव के विकिरण स्तर के पहचान के लिये	-		-		-		-		-		-		711.1		-	
क्षतिग्रस्त पैकेज	-		-		-		-		-		-		713.2		-	
भारतीय रेल अधिनियम के अधीन खतरनाक माल	101		201		301		401		501		601		701		801	
वैगनों पर विस्फोट का लेबल लगाना	130.1		222.1		323.1		423.1		522.1		622.1		719		824.1	
लम्बे मार्ग में विस्फोटकों और रेडियोएक्टिव सामग्री का बुकिंग का प्रतिषेध	108.2		-		-		-		-		-		707.2		-	
विस्फोटकों और रेडियो एक्टिव सामग्री का अभिवहन में विलंब	133		-		-		-		-		-		720		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री का परिधान लेने में प्रेषिती की ओर से विलंब	-		-		-		-		-		-		715		-	
परिदान	135.1		230.1		327.1		427.1		526.1		626.1		-	-	828.1	

विस्फोटकों के परिदान या विक्रय के बारे में निर्बन्धन	135.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना	134.3		229.2		326.2		426.2		525.2		625.2		721.2		827.2	
विभिन्न प्रकार के तेजाबों और अन्य संक्षारकों का पृथक-पृथक रखा जाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823.2	
परिदान तुरन्त न लेने की दशा में व्यसन	135.2		230.2		327.2		427.2		526.2		626.2		-	-	828.2	
अपेक्षित दस्तावेज	107.1		204.1		304.1		404		504		604		705		804	
वैगनों में भराई	-		-		322.1		-		-		-		-		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री की सप्लाई करते समय सुरक्षित दूरी रखी जानी चाहिए	-		-		-		-		-		-		714.2(ड.)		-	
खाली कंटेनरों पर लेबिल लगाना	-	-	208.1		308.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाली पात्रों को मजबूती से बंद करना	-	-	-	-	307.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खुले वैगन और छोरो पर खुलने वाले डिब्बों या वैगनों का अनुज्ञात न होना	121.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिवट करने या ई.पी. लोकिंग करने की अनुज्ञान होना	130.4		222.4		323.4		423.4		522.4		-	-	-	-	-	-
संश्लिष्ट एथाईल घोल (टेट्रा एथाईल और सीसे का द्रव) के बारे में विशेष पूर्वावधानियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613.1		-	-	-	-
उस स्थान, डिब्बे या वैगन की परीक्षा जिसमें कोई विस्फोटक रखा जाता है	117.3		-	-	313.5		413.5		513.5		613.6		-	-	813.6	
प्ररूप 16 पेश करने से छूट	105.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विस्फोटकों को सुरक्षित दूरी पर रखने से छूट	116. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	117.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	117.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विस्फोटकों की लदाई और उतराई के स्थानों पर लम्बी अवधि तक न रखा जाना	118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पैकेजों के विनिर्माण में अनावृत लोहे या इस्पात के प्रयोग की अनुमति न होना	110.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेटों में सिलेन्डर या कंटेनर	-	-	207.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गैस सिलेण्डर या कंटेनरों के परिवहन के दौरान किनारों या द्दोरो से बाहर को न निकले	-	-	221.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

गैस सिलेण्डरों के परिवहन के दौरान वाल्वों की दशा	-	-	207.2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
किलोग्राम या अधिक सकलभार के गैस सिलेण्डर या कंटेनरों का वहन	-	-	228.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
पैकेज की प्रत्येक किस्म की विशिष्टियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	परिशिष्ट		-	-
सुरक्षा या डमी वैगन के लिए प्रभार	138		223		331		430		529		-	-	708.3		-	-
सुरक्षा वैगन या डमी वैगन का मार्शलिंग	132.4		227.3		325.6		425.3		524.3		624.3		-	-	826.3	
उठाई-धराई का काम परेषकों और परेषितियां द्वारा किया जाना	115.1		210		311		411		511		611		-	-	811	
रेल कर्मचारियों द्वारा रेडियोएक्टिव पैकेज की सम्हलाई	-		-		-		-		-		-		714.1		-	-
विस्फोटकों और रेडियोएक्टिव सामग्री का उठाई-धराई की सक्रियाओं तत्परतापूर्वक और अनावश्यक विराम के बिना किया जाना	117.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.2(ग)		-	-
पैकेज, सिलेण्डरों और कंटेनरों की उठाई-धराई	117.6		212.2		313.2		413.2		513.2		613.2		-	-	813.2	
बाहरी (तथा भीतरी) पैकेजों का विस्फोटक	110.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रत्येक पैकेज के भीतरी भाग का रेत कंकड़ से मुक्त होना और हर प्रकार से साफ होना	110.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेडियोएक्टिव सामग्री के ऊपर लेबल पर सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711.3		-	-
बालकों और मत्त व्यक्तियों का प्रतिषेध	117.11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चित्रयुक्त लेबल	111.4		208.3		308.2		408.2		508.2		608.2		711.1		808.2	
संकेत लेबल	-	-	-	-	308.3		408.3		508.3		608.3		711.1		808.3	
लेबल पर सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711.3		-	-
लटकन लेबल और उन पर दी जाने वाली विशिष्टियां	-	-	208.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेषक द्वारा पैकेजों का चिह्नांकन और उन पर लेबल लगाना	111		208		308		408		508		608		711		808	
खाली कंटेनर पर लेबल लगाना	-	-	-	-	308.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेडियोएक्टिव मालडिब्बों पर लेबल लगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719		-	-
वैगनों पर लेबल लगाना, उन्हें सीलबंद करना और ताला बंद करना	130		222		323		423		522		622		-	-	824	
लेबल साइडों पर लगाए जाने हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711.2		-	-
मिश्रित धातु की सीलों का प्रयोग किया जाना	130.3		222.3		323.3		423.3		522.2		-	-	-	-	-	-
रेल द्वारा चिह्नांकन	114		209		309		409		509		609		712		809	

एक ही बाहरी पैकेज में एक से अधिक विस्फोटक होना	111.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विस्फोटक जिसमें अपने आप प्रज्वंलन हो जाता है	111.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विस्फोटकों के लिये चिह्नांकन नियमों का शिथिलीकरण	113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेषक द्वारा सिलेण्डर या कंटेनर के चारों ओर सफेद रंग और कपड़े का टुकड़ा या टाट का टुकड़ा चिह्न के प्रयोजनार्थ के लिए लगाया जाना	-	-	208.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मार्शलिंग के दौरान बरती जानी सावधानियां	132.1		227.1		325.1		425.1		524.1		624.1		724		826.1	
मार्शलिंग कुछ खंड़ों को छोड़कर	132.3		227.2		325.2		425.2		524.2		624.2				826.2	
मार्शलिंग एक ही गाड़ी में वहन करने का निर्बंधन	132.3		Table II		325.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कतिपय विशेष मामलों में ब्रेक यान से अलग रखा जाना	-		-		325.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिश्रित गाड़ियों में रेल वैगनों की स्थिति	-		-	-	325.4		-		-	-	-	-	-	-	-	-
दियासलाइयां, पलीते फ्यू, चाकू आदि रखने के बारे में प्रतिबंध	117.8		-				-		-	-	-	-	-	-	-	-
वैगनों में अनुज्ञात अधिकतम मात्रा	122.1		216.1		318		417		517		616		-	-	-	-
वैगनों में अनुज्ञात अधिकतम मात्रा	122.3		216.2		318		417		517		616		-	-	-	-
विस्फोटकों से युक्त पैकेज का अधिकतम भार	110.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेडियोएक्टिव सामग्री वाले पैकेजों को पार्सल के रूप में बुक किए जाने वाले पैकेज का अधिकतम भार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.4		-	-
मिश्रित प्रेषणों का प्रतिषेध।	108.1		205.1		305.1		405		505		605		707.1(क)		805.1	
मोटर यानों का वहन	-	-	-	-	328		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेषण की सूचना देने का प्रेषक का कर्तव्य	106.1		203.1		303.1		403.1		503.1		603.1		704.1 (क)		803.1	
सूचना में निम्नलिखित दी जाने वाली विशिष्टियां	106.2		203.2		303.2		403.2		503.2		603.1		704.2		803.2	
अग्रिम सूचना	134.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेषण के पहुंचने पर प्रेषिती को सूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721.1		-	-
अभिवहन में विलंब, पैकेज की चोरी या हानि के कारण गंतव्य स्टेशन पर प्रेषणों का प्राप्त न होना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720		-	-
विस्फोटकों के लिये बाहरी तथा भीतरी पैकेज	110.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पैकेजों को वैगनों में जमाकर लादा जाना	-	-	-	-	322.1		422.1		521.1		621.1		-		823.1	
पैकेजों की उठाई-धराई	117.6		212.2		313.2		413.2		513.2		613.2		714.1		813.2	
कतिपय दशाओं में अतिरिक्त पैकिंग की अनुमति	110.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

केसों की भीतरी पैकिंग में कोई ठोस वस्तु या कठोर पदार्थ नहीं रहेगा	-	-	-	-	307.3		407.3		507.3		607.3		-	-	807.4	
रेल कर्मचारिवृन्द का उत्तरदायित्व	112		-		310		410		510		610		-		810	
खतरनाक माल को केवल तभी वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक किए गए हो	110.1		207.1		307.1		407.1		507.1		607.1		709.2		807.1	
रेडियोएक्टिव सामग्री पैकजों में	-		-		-		-		-		-		709.1		-	
वैगनों को पेडलॉक करना	130.5		-		-		-		-		-		-		-	
विस्फोटकों के परिवहन के लिए अपेक्षित पास फार्म 16	105		-		-		-		-		-		-		-	
रेल प्रशासन के प्रवेश रोकने और निरीक्षण करने की शक्तियां	104.1		-		-		-		-		-		703		-	
रेल प्रशासन को प्रेषक को वापस आदि करने की शक्ति	104.2		-		-		-		-		-		-		-	
रेल प्रशासन को नष्ट करने की शक्तियां	104.3		-		-		-		-		-		-		-	
निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियां	142		-		-		-		-		-		-		-	
ब्रेकयानों में रेडियोएक्टिव सामग्री के परिवहन के लिये बरती जाने वाली सावधानियां	-		-		-		-		-		-		716		-	
शाटिंग संक्रियाओं के दौरान अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां	131		226.1		325.1		425.1		524.1		624.1		724		826.1	
भाड़े का पूर्व-संदाय	137		232		330		429		528		628		725		830	
पेट्रोल आदि के निकलने की रोकथाम	-		-		313.6		-		-		-		-		-	
प्राइवेट लेबल	130.2		222.2		323.2		423.2		522.2		622.2		-		824.2	
विस्फोटकों और रेडियोएक्टिव सामग्रियों को लम्बे मार्ग से बुकिंग का प्रतिषेध	108.2		-		-		-		-		-		707.2		-	
खतरनाक माल के आपस में वहन का प्रतिषेध	128		220		321		421		520		619		-		821	
खाद्य पदार्थों के साथ लदान करना प्रतिषेध	-		-		-		-		सारणी V		620		-		822	
बालकों और मत्त व्यक्तियों का प्रतिषेध	117.11		-		-		-		-		-		-		-	
धूमपान, अग्नि, बत्ती और खतरनाक पदार्थों का प्रतिषेध	117.9		212.3		313		413.3		513.3		-		-		-	
खतरनाक माल का आपस में भण्डारण और उठाई का प्रतिषेध	-		212.3(2)		313.3(2)		413.2(2)		513.3(2)		613.3		-		813.3	
अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रतिषेध	117.7		-		-		-		-		-		714.2(e)		-	
धूप, वर्षा और बर्फ से बचाव	117.12		-		-		-		-		-		714.2(f)		-	
लदाई और उठाई-धराई की अधिकतम मात्रा	122		216		318		417		517		616		-		817	

रेडियोएक्टिव सामग्री को केवल नामित स्टेशनों से नामित स्टेशनों तक ही बुक किया जा सकता है	-		-		-		-		-		-		702.2		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री को केवल प्राधिकृत व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा ही परिवहन किया जाना	-		-		-		-		-		-		702.3		-	
वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार	103.2		202.2		302.2		402.2		502.2		602.2		702.4		802.2	
पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के लिए पात्र	-		-		307.2		-		-		-		-		-	
विस्फोटकों के प्रेषणों के भार की गणना	122.2		-		-		-		-		-		-		-	
बीजक या मार्ग पत्रक पर टिप्पणियां	107.2		204.2		304.2		-		-		सारणी VI		706		-	
डिब्बों की मरम्मत	140		234		332		431		530		629		-		831	
दुर्घटनाओं की रिपोर्ट	141		235.2		333		432		531		630		-		832	
आपात स्थितियों का प्रबंध और दुर्घटनाओं की रिपोर्ट	-		-		-		-		-		-		726		-	
रेल कर्मचारियों का उत्तरदायित्व	-		-		-		-		-		-		713		-	
एक ही गाड़ी में परिवहन पर निर्बंधन	132.3		सारणी II		325.5		-		-		-		-		-	
विस्फोटकों के परिदान या विक्रय के बारे में निर्बन्धन	135.3		-		-		-		-		-		-		-	
रेलो पर निर्बन्धन	103.3		202.3		302.3		402.3		502.3		602.3		-		802.3	
रिवट करने या ई. पी. लोकिंग करने की अनुज्ञात होना	130.4		222.4		323.4		423.4		522.4		-		-		-	
गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की अभिवहन के दौरान लुढ़कने या स्थानान्तरण का निवारण	-		221.1		-		-		-		-		-		-	
विस्फोटकों के परिदान या विक्रय के बारे में निर्बन्धन	135.3		-		-		-		-		-		-		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री और विस्फोटकों का उठाई-धराई भण्डारण करते समय सुरक्षा दूरी बनाए रखना	116.1		-		-		-		-		-		714.2(b)		-	
	117.2		-		-		-		-		-		-		-	
	117.9		-		-		-		-		-		-		-	
व्यावृष्टि	143		236		334		433		532		631		727		833	
शंटिंग संक्रियाओं के दौरान अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियों प्रभारित किया जाना!	131.1		226.1		324.1		424		523		623		723		825	
खुले विस्फोटकों का नष्ट किया जाना	139		-		-		-		-		-		-		-	
भण्डारण	116		211		312		412		512		612		714.2		812	
प्रयोग में लाए जाने वाले भण्डारण संस्थान की किस्म	116.2		211		312		412		512		612		-		812	
वैगनों में भराई - ड्रम	-		-		322.2		422.2		521.2		621.2		-		823.3	

वैगनों में भराई खाली पात्र कंटेनर	-		-		322.4		-		-		621.4		-		823.5	
विभिन्न प्रकार के तेजाबों और अन्य संक्षारकों का पृथक रखा जाना।															823.2	
टैंक वैगनों का अनुमोदित डिजाइन का होना					317.1											
टैंक वैगनों की लदाई और उतराई के दौरान अनुपालन की जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां					317.2											
टैंक वैगनों में गैसों का जिनका लाइन परिवर्तन द्वारा स्थानान्तरण करना पड़े सामान्यता ग्रहण नहीं किया जाना			205.2		305.2										805.2	
खाली टैंक वैगन					317.3										816.3	
लदाई और उतराई का समय	117.4		221.1		313.1		413.1		513.1		613.1		710		813.1	
विस्फोटको का परिवहन सामान्यत: माल गाड़ियों से किया जाना	119		213		314		414		514		614		-		814	
यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी का प्रतिषेध	120		214		315.4		415		515		-		-		-	
रेडियोएक्टिव सामग्री के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले माल डिब्बे का प्रकार	-		-		-		-		-		-		717		-	
यानान्तरण या पुन: पैकिंग किए बिना गंतव्य तक बुक करना	-		-		-		-		-		-		707.3		-	
ट्रेमकार्ड - नमूना	-		-		-		-		-		-		App.VII/4		-	
अदाकृत / असंबद्ध पैकेज	-		-		-		-		-		-		722		-	
	122.2		-		-		-		-		-		-		-	
	110.6		-		-		-		-		-		707.4		-	
सूचना नजारी करने से स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना	134.3		229.2		326.2		426.2		525.2		625.2		721.2		827.2	
विस्फोटकों की लदाई के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा से लकड़ी के फर्श से ढके वैगन का प्रयोग करो	121.2		-		-		-		-		-		-		-	

प्राक्कथन

रेल जिन पर यह नियम लागू होंगे

1. इस टैरिफ के अन्तर्गत विस्फोटक और अन्य खतरनाक माल का नियम अधोलिखित रेलों पर लागू है :-

रेलवे	कूट
पश्चिम मध्य रेलवे	प म.रे.
उत्तर मध्य रेलवे	उ. म.रे
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	द. पू. म.रे.
पूर्व तटीय रेलवे	पू त..रे.
पूर्व मध्य रेलवे	पू म.रे.
दक्षिण पश्चिम रेलवे	द. प. रे.
उत्तर पश्चिम रेलवे	उ. प .रे.
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	का.पो.ट्र
मध्य	म. .रे.
चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट	सी.पो.ट्र.
पूर्व	पू.रे.
मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	मु.पो.ट्र.
उत्तर	उ.रे.
पूर्वोत्तर	पू.उ.
पूर्वोत्तर सीमांत	पू.सी.
दक्षिण	द.रे.
दक्षिण मध्य	द.म.रे.
दक्षिण पूर्व	द.पू.रे.
पश्चिम	प.रे.
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन नियम लि.[1]	के.अ.ज.प.लि.

मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे

2. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे, इन नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रभार वसूल करता है जैसाकि उसकी माल भाड़ा सूची में उल्लिखित है।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रेलवे

3. हावडा ब्रिज और कासीपुर के बीच पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के स्टेशनों का संचालन पूर्व रेलवे द्वारा किया जाता है। गोदियों तथा घाटों के संबंध में पोर्ट ट्रस्ट, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों के टर्मिनल एजेन्ट हैं और इनके नियम लागू होंगे।

चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे

[1] भारतीय रेल सम्मेलन का सदस्य नहीं है।

रेल द्वारा चैन्नई बन्दरगाह में आने या जाने वाले सभी माल के लिए नियम, दर तथा शर्तें, चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट के दर-माल के भाग-।।। में निर्धारित स्थानीय प्रभारों के अतिरिक्त वही होगी जो दक्षिण (ब.ला.खण्ड) रेलवे से/ को अथवा उसके रास्ते रायपुरम जाने-आने वाले माल के लिए हैं और दक्षिण (मी.ला.खण्ड) रेलवे से/ को अथवा उसके रास्ते चैन्नई (बीच) जाने-आने वाले माल के लिए।

रेल अधिनियम 1989 से धारा 67, 164 और 165 का उद्धरण

खतरनाक या घृणोत्पादक माल का वहन

67 (1) कोई भी व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में के सिवाय अपने साथ रेल में ऐसा खतरनाक या घृणोत्पादक माल नहीं ले जाएगा या रेल प्रशासन से वहन किए जाने की अपेक्षा नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी रेल में उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल, नहीं ले जाएगा जब तक कि वह उसकी प्रकृति की लिखित सूचना इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक को नहीं दे देता है।

(3) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल को वहन के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि वह माल वाले पैकेज के बाहर उसकी खतरनाक या घृणोत्पादक प्रकृति को सुभिन्नता से चिह्नित नहीं कर देता है, और उसकी खतरनाक या घृणोत्पादक प्रकृति की लिखित सूचना ऐसे रेल सेवक को नहीं दे देता है।

(4) यदि किसी रेल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पैकेज में अन्तर्विष्ट माल खतरनाक या घृणोत्पादक है और ऐसा माल की बावत, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है तो वह उसकी अन्तर्वस्तु अभिनिश्चित करने के प्रयोग के लिए ऐसे पैकेज को खुलवा सकेगा।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रेल सेवक किसी खतरनाक या घृणोत्पादक माल को वहन के लिए स्वीकार करने में इंकार कर सकेगा अथवा उसके अभिवहन में, यथास्थिति, रुकवा सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वहन के लिए नियमों के सभी या किन्ही उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(6) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का अल्पीकरण करती है और उपधारा (4) और उपधारा (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सरकार के किसी आदेश द्वारा या उसकी ओर से वहन के लिए किसी माल की या किसी ऐसे माल को लागू होती है, जिसे कोई सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या संघ के सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी या प्रादेशिक सेवा या राष्ट्रीय केडैट कोर का कोई सदस्य अपने नियोजक या इस प्रकार अपने कर्त्तव्य के अनुक्रम में किसी रेल में अपने साथ ले जाए।

खतरनाक माल को विधिविरुद्धतया रेल पर लाना

164. यदि कोई व्यक्ति धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई खतरनाक माल रेल पर ले जाएगा अथवा रेल पर वहन के लिए किसी ऐसा माल को रेल प्रशासन को सुपुर्द करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसा माल को रेल पर ले जाने के कारण रेल को जो हानि, क्षति या नुकसान कारित हो उसके लिए भी दायी होगा:

घृणोत्पादक माल को विधिविरुद्धतया रेल पर लाना

165. यदि कोई व्यक्ति धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल ले जाएगा या ऐसा माल रेल द्वारा वहन के लिए रेल प्रशासन को सुपुर्द करेगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण रेल को जो हानि, क्षति या नुकसान कारित हो उसके लिए भी दायी होगा।

रेल लाल टैरिफ नियम, 1999

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक ..... 1999 की अधिसूचना सं.....जैसा अधिसूचित

केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 की 67 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल लाल टैरिफ नियम, 1960 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया है, खतरनाक माल के रेल द्वारा परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल लाल टैरिफ नियम है।

2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3) ये नियम इनमें विनिर्दिष्ट खतरनाक माल के रेल से वहन जिसमें आधान में वहन भी है, को लागू होंगे किन्तु भारत सरकार की रक्षा सेवाओं के लिए विस्फोटक पदार्थों तथा कितपय अन्य खतरनाक माल के वहन को लागू नहीं होंगे जिनकी बाबत पृथक नियम सैनिक टैरिफ में उपबंधित हैं।

2. **परिभाषाएं** : उन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) 'प्राधिकृत रेल सेवक' से रेल सेवा के संबंध में रेल प्रशासन द्वारा विनियोजित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो रेल से संबंधित कार्य करने के लिए तत्समय प्राधिकृत है;

ख) ब.ला. से बड़ी लाइन अभिप्रेत है;

ग) 'डिब्बा' से परिवहन के लिए प्रयुक्त चार/आठ पहियों वाला डिब्बा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल भी है;

घ) 'व.क्ष.' से वहन क्षमता अभिप्रेत है और ये अक्षर इस ओर संकेत करते है कि प्रभारित किया जाने वाला भार की वहन क्षमता होगा;

ङ) 'माल गाड़ी' से केवल या मुख्यतया पशुओं अथवा माल के वहन के लिए आशयित गाड़ी (रोड़ी पत्थर गाड़ी से भिन्न) अभिप्रेत है;

च) 'सकल भार' से वस्तु का भार अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत पैकिंग का भार भी है।

छ) 'भा.रे.स.' से भारतीय रेल सम्मेलन अभिप्रेत है;

ज) 'मी.ला.' से मीटर लाइन अभिप्रेत है;

झ) 'मिश्रित गाड़ी' से ऐसी गाड़ी अभिप्रेत है जो यात्रियों ओर माल अथवा यात्रियों, पशुओं और माल के वहन के लिए आशयित है;

ञ) 'खुली बत्ती' से सामान्य प्रकार की विद्युत टार्च हाथ लालटेनें और उनसे भिन्न साधारण वहनीय विद्युत साधन अभिप्रेत है जो भारतीय मानक विनिर्देश 2206-1984 और भा. मा. 2148-1984 के अनुरूप है;

ट) 'छो. ला.' से छोटी लाइन अभिप्रेत है;

ठ) 'अ. अ.' से अन्यथा अवर्गीकृत अभिप्रेत है;

ढ) 'पार्सल गाड़ी' से वह गाड़ी अभिप्रेत है जो केवल या मुख्यतया यात्री यातायात से भिन्न, यान (कोचिंग) यातायात के वहन के लिए आशयित है;

ण) 'यात्री गाड़ी' से वह गाड़ी अभिप्रेत है जो केवल या मुख्यतया यात्रियों तथा अन्य यान (कोचिंग) यातायात के वहन के लिए आशयित है;

त) रेल अधिनियम से रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

थ) 'सैक्शन यान' से कोई ऐसा डिब्बा अभिप्रेत है जो किसी विशेष स्टेशन के लिए प्राधिकृत न्यूनतम मालडिब्बा भार को पूरा करने में अपर्याप्त वजन वाले मालों के प्रेषणों के संग्रह और वितरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसके अंतर्गत पार्सल यान भी है;

द) 'स्टेशन' से रेल लाइन पर स्थित कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिस पर यातायात संबंधी कार्य किया जाता है;

ध) 'यानान्तरण या सड़क यान गाड़ी' से वह गाड़ी अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट स्टेशन के लिए ऐसा माल के प्रेषणों का संग्रह और वितरण करती है जो प्राधिकृत न्यूनतम वैगन भार के लिए अपर्याप्त है;

न) 'भार' से चार पहिए वाले प्रत्येक वैगन का क्विन्टलों में वह न्यूनतम भार अभिप्रेत है जिस पर रेट लागू है;

य) 'वैगन' से मालवाही वैगन अभिप्रेत है चाहे वह मालगाड़ी से जोड़ी जाए अथवा यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से जोड़ा जाए;

3. **अध्यायों की व्यवस्था : -**

(1) रेल से वहन के दौरान संभावित परिसंकट को ध्यान में रख कर खतरनाक मालों को निम्लिखित आठ समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :

(i) विस्फोटक

(ii) दबाव के अधीन संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसें;

(iii) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव;

(iv) ज्वलनशील ठोस पदार्थ;

(v) आक्सीकारक वस्तुएं;

(vi) विषैले (टॉक्सिक) पदार्थ;

(vii) रेडियोएक्टिव सामग्री

(viii) तेजाब तथा अन्य संक्षारक।

(2) अध्याय 1 से 8 का संबंध क्रमश: उपनियम (1) के खण्ड (i) से (viii) में विनिर्दिष्ट खतरनाक माल से है ओर उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट है :

(क) उस वर्ग में सम्मिलित वस्तुओं को ग्रहण करने, उनकी उठाई-धराई तथा उनके वहन, भण्डारण, परिदान और तत्समान वस्तुओं को शासित करने वाले साधारण नियम;

(ख) सारणी जिसमें पूर्वोक्त वस्तुओं के नाम उनकी पैकिंग की दशाएं, चिह्नांकन और लेबल, भण्डारण और वहन उपवर्णित किए हो और जिस अध्याय से के संबंधित हो उसी अनुसार संख्यांकित किया गया हो। साधारण वर्गीकरण और 'भार' या 'व' क्षार दशा, जिसके अन्तर्गत वैगन भार दरें लाभ होगी, समय-समय पर प्रवृत भारतीय रेल सम्मेलन माल टैरिफ भाग 1 (वाल्यूम।।) में उपलब्ध होगी।

(ग) परिशिष्ट, जिन्हें उस अध्याय के अनुसार, जिससे वे संबंधित हैं, संख्यांकित किया गया है।

(3) अग्रेषण नोट और प्रेषणों के पहुंचने की सूचनाओं के प्ररूप जो खतरनाक मालों के सब वर्गों के लिए एक है, इन नियमों के उपाबंद 'क' ओर 'ख' में उपवर्णित है।

(4) ***नियमों का संख्याकन*** — प्रत्येक नियम में तीन अंक हैं जिनमें से सौवे स्थान का अंक अध्याय को उपदर्शित करते हैं तथा अन्य दो अंक नियम का संख्यांक उपदर्शित करते हैं। नियम के मुख्य भागों को दशमलव बिन्दु से उपदर्शित किया गया है और उपखण्डों को कोष्ठकों में, अंकों या अक्षरों से उपदर्शित किया गया है।

(5) ***लेबल और रंग*** —

(1) पैकजों, वैगनों या डिब्बों पर प्रयुक्त किए जाने के लिए विहित चित्रमय लेबल वे होंगे जो भारतीय मानक संस्था द्वारा खतरनाक माल पर लेबल लगाने के लिए भारतीय मानक संहिता में विनिर्दिष्ट किए गए है।

(2) गैस सिलैंडरों या आंधानों के लिए विहित पहचान रंग भा.मा.सं.4379 , भा. मा. मं. 3933 में अन्तर्विष्ट भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

(3) नई गैसों और मिश्रणों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे सिलेण्डरों पर जिनके लिए उप नियम (i) में पहचान रंग का उपबन्ध नहीं किया है, निम्न सारणी में उपदर्शित रंग पेंट किए जाएंगे।

सारणी

सिलिण्डर में अन्तर्विष्ट गैस का नाम	सिलिण्डर के खोल का रंग	सिलिण्डर और उसकी ग्रीवा पर की पट्टी का रंग
अज्वलनशील और अविषाक्त	श्वेत	-
अज्वलनशील और अविषाक्त	श्वेत	पीला (भा. मा. रंग सं. 336)
ज्वलनशील किन्तु अविषाक्त (द्रवित पैट्रोलियम गैस से भिन्न)	श्वेत	लाल (भा. मा. रंग सं. 537)
ज्वलनशील और विषाक्त	श्वेत	लाल और पीला (भा. मा. रंग क्रमश : सं. 537 और 356)

6. **परिसंकटमय प्रकृति के अन्य माल** —

(1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट से भिन्न परिसंकटमय प्रकृति के मालों की रेल से वहन करने के लिए तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि रेल प्रशासन उन्हें विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं कर देता।

(2) प्रेषिती उपनियम (1) के अधीन वहन के लिए प्रत्येक आवेदन उस रेल प्रशासन को करेगा जहां से उस माल का यातायात प्रारम्भ होता है तथा आवेदन में वस्तु के पूरे ब्यौरे, उसके परिवहन में होने वाले परिसंकट की प्रकृति तथा वह रीति जिसमें उसे पैक किया गया है, दिए जाएंगे।

(7) **ग्रहण किए जाने वाला न्यूनतम भार और प्रभारित किया जाने वाला न्यूनतम भार** —

(1) माल गाड़ी यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी से प्रेषित किया जाने वाला न्यूनतम भार 10 कि. ग्रा. है, कम भार के पैकेट भी प्रेषित किए जा सकते है यदि 10 कि. ग्रा. या अधिक के प्रेषण का भार है, किन्तु 10 कि.ग्रा. से कम की किसी ऐसी वस्तु के लिए इंकार करने का रेल का अधिकार आरक्षित है यदि ऐसी वस्तु का माल गाड़ी, यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी से ले जाना अनुपयुक्त समझा जाए।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मालगाड़ी से ले जाए जाने के लिए, प्रति प्रेषण प्रभारित किया जाने वाला न्यूनतम भार 100 कि.ग्रा. होगा तथा यात्री गाड़ी, पार्सल गाड़ी या मिश्रित गाड़ी द्वारा 10 कि.ग्रा. होगा।

(8) **व्यावृत्ति**— इस नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रेल से वहन की दरें और शर्तें, जो भारतीय रेल सम्मेलन ने माल और कोचिंग दरसूची में अंतर्विष्ट की हैं, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विस्फोटकों और अन्य खतरनाक माल को भी लागू होंगी।

(9) **शास्ति**— इन नियमों का उल्लंघन जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 150 रुपए तक हो सकता है।

अध्याय ।

विस्फोटक

अध्याय I
विस्फोटक

भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल

101.1 विस्फोटक, अर्थात, वे पदार्थ जिनका विस्फोट होने या जिनमें आग लगने या इन दोनों बातों के होने का जोखिम है, रेल अधिनियम के अधीन खतरनाक माल है।

(2) सारणी 1 में सूचीबद्ध प्राधिकृत विस्फोटकों को, उस अध्याय में अन्तर्विष्ट शर्तो के पूरी किए जाने और नियमों के पालन के अधीन रहते हुए रेल द्वारा वहन की अनुज्ञा की जाएगी।

विस्फोटकों का वर्गीकरण

102. इन नियमों के प्रयोजन के लिए विस्फोटक, सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में वर्गीकृत किए जाएंगे।

विस्फोटकों के वहन के बारे में साधारण निर्बन्धन

103.1 विस्फोटकों का केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी 1 में विनिर्दिष्ट विस्फोटकों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तो के अनुसार ग्रहण करेगा।

वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार

103.2 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी 1 में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट विस्फोटक को जनसाधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा और ऐसी सूचना जारी किए जाने के पश्चात् कोई भी ऐसा विस्फोटक उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सैक्शन या सैक्शनों पर, जिनकी बाबत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

रेलों और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि. पर निर्बन्धन

103.3 (1) मध्य रेल : छोटी लाइन सेक्शन - ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा जिनका वहन विशेष रूप से निर्मित पाउडर यान में करना अपेक्षित है, किन्तु अन्य सब विस्फोटकों का वहन किया जाएगा।

(2) पूर्व रेल :

(i)	कृष्ण नगर सिटी नवद्वीप घाट शान्तिपुर-नवद्वीप घाट बी. के. (छोटी लाइन) सेक्शन अहमदपुर - कटवा सेक्शन	किसी विस्फोटक का वहन नहीं किया जाएगा।
(ii)	**आरा-सासाराम लाइट** बांकुड़ा-दामोदर नदी फुटवा-इस्लामपुर लाइट देहरी रोहतास लाइट	ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा जिनका वहन विशेष रूप से निर्मित पाउडर यान में करना अपेक्षित है, किन्तु अन्य विस्फोटकों का वहन किया जाएगा।

(3)	**दक्षिण पूर्व रेल -**	
	(i) धमतरी शाखा लाइन नौपदा - गुणपुर (ii) रूपसा-तलबंद सेक्शन	ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा जिनका वहन विशेष रूप से निर्मित पाउडर यान में करना अपेक्षित है, किन्तु अन्य विस्फोटकों का वहन किया जाएगा।
(4)	**पश्चिम रेल -**	
	(i) भावनगर-महुआ जोरावर नगर-साइला मोरबी-अमरान रोड मोरबी-घंटीला मोरबी-टंकारा	किसी विस्फोटक का वहन नहीं किया जाएगा।
	(ii) छोटी लाइन सेक्शन	ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा जिनका वहन विशेष रूप से निर्मित पाउडर यान में करना अपेक्षित है, किन्तु अन्य सब विस्फोटकों का वहन किया जाएगा।
(5)	**दक्षिण मध्य रेल : मीटर लाइन सेक्शन–**	ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा जिनका वहन विशेष रूप से निर्मित पाउडर यान में करना अपेक्षित है, किन्तु अन्य सब विस्फोटकों का वहन किया जाएगा।

6. मुम्बई पत्तन न्यास रेल - पूरे वैगन भार के रूप में विस्फोटक के संबंध में कार्रवाई मु.प.न्या. रेल पर केवल विशेष व्यवस्था के अधीन की जाएगी।

7. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

(क) निम्नलिखित विस्फोटकों के सिवाय अन्य विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा:

(i) छोटे शस्त्रों के, जैसे, राइफलों, शाटगनों और पिस्तोलों के कारतूस;

(ii) अनुरक्षक के अधीन गोला-बारूद;

(iii)पटाखे तथा आतिश-बाजी, जैसे क्रिसमस या बॉन-बॉन पटाखे;

(iv) खिलौने (पिस्तौलो की पटाखेदार कागजी गोलियां);

(ख) विस्फोटकों को केवल स्वामी की जोखिम पर ग्रहण किया जाएगा।

104.1 प्रवेश रोकने व निरीक्षण करने की शक्तियां–जहां रेल प्रशासन को संदेह है कि कोई विस्फोटक या विस्फोटक युक्त वाहन या पैकेज इन नियमों में से किसी का अनुपालन नहीं करता है तो प्रशासन-

(1) ऐसे विस्फोटक, वाहन या पैकेज के अपने परिसर में प्रवेश को रोक सकता है या उसे ग्रहण करने या उसका परिवहन करने से इंकार कर सकता है, या

(2) किसी भी समय, तथ्यों का अभिनिश्चय करने के लिए ऐसे वाहन या पैकेज को खोल सकता है या खोलने की अपेक्षा कर सकता है।

104.2 प्रेषक को वापस आदि करने की शक्ति - यदि कोई विस्फोटक या विस्फोटक युक्त डिब्बा या पैकेज इन नियमों में से किसी नियम के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो रेल प्रशासन ऐसे विस्फोटक डिब्बे या पैकेज के प्रेषक को उसके जोखिम और खर्चे पर वापस कर सकता है।

104.3 नष्ट करने की शक्तियां - जहां रेल प्रशासन की राय में कोई ऐसा विस्फोटक या विस्फोटकों से युक्त वाहन या पैकेज इन नियमों का अनुपालन नहीं करता है और उसे बिना असम्यक जोखिम के प्रेषक को वापस करना सम्भव नहीं है वहां प्रशासन, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से परामर्श करके, और ऐसी रीति में जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, संबंधित विस्फोटक, या वाहन अथवा पैकेज की सामग्री को प्रेषक के जोखिम और खर्च पर नष्ट कर सकता है।

104.4 विस्फोटकों को रेल पुलों के आर-पार नहीं ले जाया जाएगा - किसी भी ऐसे विस्फोटक को, जिसके परिवहन के लिए रेल प्रशासन द्वारा उचित सुविधाएं दी जाती हैं, रेल-पुल के आर-पार, रेल से अन्यथा नहीं ले जाया जाएगा :

परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी -

(क) विस्फोटक के लिए सुरक्षा पलीते, चाहे किसी भी मात्रा में हो, या

(ख)5 कि.ग्रा. से अनधिक बारूद या नइट्रो-समिश्रण या वर्ग 6, प्रभाग 2 और 3 के बारूद की कितनी भी मात्रा।

विस्फोटकों के परिवहन के लिए अपेक्षित पास

105.1 प्रेषण के साथ पास होना – (1) वहन के लिए दिए गए विस्फोटकों के प्रत्येक प्रेषण के साथ विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन अपेक्षित प्रेषक द्वारा जारी किया गया, प्ररूप 16 में एक पास (दो प्रतियां में) होगा(परिशिष्ट I/1) देखिए)।

(2) ऐसे पास की एक प्रति यथास्थिति मार्गपत्रक या बीजक के साथ संलग्न की जाएगी और दूसरी मार्गपत्रक या बीजक की अभिलेख प्रति के पीछे अग्रेषक स्टेशन पर अभिलेख के लिए चिपकाई जाएगी।

(3) यथास्थिति मार्गपत्रक या बीजक गंतव्य स्थान को सीधा डाक से भेजा जाएगा।

(4) यदि विस्फोटक अपने नाम से बुक किए जाते हैं तो प्रेषक की घोषणा जिसमें नियम 107.1 (4) में निर्दिष्ट आशयित प्रेषिती को पूरा नाम और पता रहेगा, मार्गपत्रक या बीजक के साथ सीधी भेजी जाएगी।

105.2 प्ररूप 16 पेश करने से छूट - निम्नलिखित वस्तुओं के परिवहन के लिए प्ररूप 16 में पास अपेक्षित नहीं होगा।

(क) विस्फोटक नियम, 1983 के प्ररूप 27 में अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित कोई विस्फोटक, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट आयात पत्तन से गंतव्य स्थान तक;

(ख) विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 29 के अंतर्गत आने वाला कोई विस्फोटक;

(ग) कोई विस्फोटक जिसको कब्जे में रखने के लिए कोई अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है, विस्फोटक नियम 1983 का नियम 114 देखिए;

(घ) विस्फोटक नियम, 1983 के प्ररूप 23 में अनुज्ञप्ति के अंतर्गत सम्मिलित कोई विस्फोटक, उतनी मात्रा में जितनी अनुज्ञप्ति के धारक को निजी उपयोग के लिए अपेक्षित है;

(ड) सुरक्षा पलीते और आतिशबाजियां बशर्ते कि उनका परिवहन संक्षारीय या ज्वलनशील पदार्थ के साथ न किया जाए।

105.3 छूट प्रमाण पत्र - नियम 105 के अधीन छूट का दावा करने वाले परेषको को निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र दो प्रतियों में देना होगा :-

'मैं प्रमाणित करता हूं ..... प्रेषण जो मैंने ..... से ..... तक प्रेषित करने के दिया है .....

*(1) प्ररूप 27 में अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित है और अपेक्षित परिवहन अनुज्ञप्ति के अनुसरण में है।
*(2) विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 29 के अनुसरण में परिवहन के लिए अपेक्षित है;
*(3) ऐसा है जिसके परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है, विस्फोटक नियम, 1983 का नियम 114 देखिए;
*(4) मेरे द्वारा धारित प्ररूप 23 में अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत सम्मिलित है;
*(5) ऐसा है जिसमें क्रिसमस या बॉन-बॉन पटाखे हैं और उसमें कोई अन्य आतिशबाजी नहीं है: तथा इसका/इनका परिवहन प्ररूप 16 में पास के बिना किया जा सकता है;

स्टेशन
तारीख प्रेषक के हस्ताक्षर

*जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए

टिप्पण : (1) प्ररूप 23 और 27 जो इन नियम में निर्दिष्ट है तथा विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 29 और नियम 114 इस टैरिफ में नहीं दिए गए हैं।

(2) छूट प्रमाण पत्र की एक प्रति यथास्थिति मार्गपत्रक या बीजक के साथ संलग्न की जाएगी और दूसरी प्रति मार्गपत्रक या बीजक की अभिलेख प्रति के पीछे अग्रेषक स्टेशन के अभिलेख के लिए चिपकाई जाएगी।

प्रेषण की सूचना देने का प्रेषक का कर्त्तव्य

106.1 प्रेषण सूचना का अनिवार्य होना - रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए, विस्फोटकों का कोई प्रेषण तब तक प्रेषण के लिए किसी रेल को नहीं भेजा जाएगा या रेल से वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना, उप-नियम 106.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती है और जब तक उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिससे प्रेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचना नहीं दे देता कि प्रेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

106.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां - नियम 106.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को सम्बोधित होगी जिससे माल भेजा जाने वाला है और ऐसी सूचना प्रेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व भेजी जाएगी सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो।

सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होगा अर्थात -

(क) प्रेषण के विस्फोटक का सही नाम, विवरण और मात्रा।

(ख) प्रेषक का नाम और पता।

(ग) प्रेषिती का नाम और पता।

(घ) यह घोषणा कि विस्फोटकों को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों, अर्थात, नियम 110 - और नियम 111 के अनुसार पैक और चिह्नांकित किया गया है।

(ड) इस बात की घोषणा कि प्रेषण ने प्रेषिती से पुष्टि प्राप्त कर ली है कि वह विस्फोटक प्रेषण प्राप्त करने के लिए तैयार है।

टिप्पण - (1) हर दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र, जो प्रेषण की बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से अड़तालीस घण्टे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित सूचना माना जाएगा।

(2) जब रेल स्टेशन या शैड का भारसाधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को इन नियमों के अधीन संसूचना मानी जाएगी।

रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाणपत्र, अग्रेषण पत्र आदि अभिप्राप्त करना

107.1 अपेक्षित दस्तावेज - सारणी 1 में उल्लिखित विस्फोटकों के प्रत्येक प्रेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृन्द पर प्रेषक से निम्नलिखित दस्तावेज अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी :-

(क) विहित प्ररूप में सभी दृष्टियों से पूर्ण अग्रेषण पत्र (प्ररूप के लिए उपाबंध 'क' देखिए)।

(ख) तृतीय श्रेणी में (नाइट्रो सम्मिश्रण) के विस्फोटकों की दशा में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा मंजूर किया गया प्ररूप सं.1 में प्रमाण पत्र (परिशिष्ट I/2 देखिए), अथवा यदि प्रमाणपत्र उस समय मजूर किया जाता है जब विस्फोटक आयात किया जाता है तो परीक्षण अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, अथवा उस दशा जब मूल प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए पेश किया गया हो, ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति जो प्रेषक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित की गई हो।

(ग) खिलौना पिस्तौलों (छोटी कागजी गोलियों) की दशा में जो वर्ग 7, प्रभाग 2 का विस्फोटक है, संबंधित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा मंजूर किया गया नीचे किए गए प्ररूप में, मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र।

खिलौना पिस्तौलों (छोटी कागजी टोपियों) के लिए सुरक्षा
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खिलौना पिस्तौलों (छोटी कागजी टोपियों) का/के ..... केस जो ..... से ..... तक रेल से परिवहन के लिए श्री/सर्वश्री ..... द्वारा प्रस्तुत किया गया/किए गए है, प्राधिकृत प्रकार का है/के हैं और उसकी/उनकी पैकिंग संतोषजनक है।

स्टेशन
तारीख

.....
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
..... सर्किल

(घ) प्ररूप 16 में एक पास (तीन प्रतियों में) (प्ररूप 16 के लिए परिशिष्ट I/1) देखिए; या जहां प्ररूप 16 में पास पेश करना अपेक्षित नहीं है वहां छूट के लिए प्राधिकार दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में) (नियम 105) 3 (देखिये)।

(ड) अपने नाम में बुक किए गए प्रेषणों की दशा में परिवहन अनुज्ञप्ति के धारक से विहित प्ररूप में एक अतिरिक्त घोषणा (प्ररूप के लिए परिशिष्ट I/6 देखिए (जो प्ररूप 16 में दिए पास में निर्दिष्ट है, जिसमें यह उपदर्शित किया जाएगा कि प्ररूप 16 में दिखाया गया प्रेषण इस घोषणा में घोषित परेषितों के लिए आशयित है।

(च) प्रेषक के लिखित में प्राप्ति कि प्रेषिती वह विस्फोटक प्रेषण प्राप्त करने के लिए तैयार है। [(विस्फोटक नियम 1983 का नियम 37 (3)]।

107.2 बीजक या मार्गपत्रक पर टिप्पणियां - विस्फोटकों के प्रेषण के लिए जारी किए गए बीजकों मार्गपत्रक बीजकों या मार्गपत्रकों पर इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा कि नियम 107.1 में उल्लिखित दस्तावेजें, भेजने वाले से अभिप्राप्त की गई हैं।

ग्रहण करने के बारे में प्रतिषेध

108.1 मिश्रित परेषकों का प्रतिषेध - विस्फोटकों को अन्य माल के साथ प्रेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा अपितु वे एक पृथक अग्रेषण पत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिएं तथा पृथक प्रेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

108.2 लम्बे मार्ग से बुकिंग का प्रतिषेध - विस्फोटकों को लम्बे मार्ग से वहन के लिए निम्नलिखित दशाओं के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाएगा, अर्थात :-

(क) लम्बा मार्ग आमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण से बचने के लिए चुना गया है, अथवा

(ख) वहन के सामान्य मार्ग में बाधा है।

108.3 विस्फोटक युक्त पैकेट का अधिकतम भार रेल को प्रेषण के लिए दिया गया कोई भी पैकेट 50 कि.ग्रा. से अधिक भारी नहीं होगा।

विस्फोटकों का प्राधिकृत रेल सेवकों द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

109. रेल से वहन के लिए आशयित विस्फोटकों के प्रेषण केवल–

(क) सम्यक् रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा और

(ख) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

110.1 विस्फोटकों का केवल तब वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक किए गए हो - कोई विस्फोटक तब तक परिवहन के लिए नहीं सौपे जाएंगे या इनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सारणी I के स्तंभ 2 में अधिकथित रीति में पैक नहीं किए गए हो और इस शर्त के अपवाद केवल वे होंगे जो उक्त सारणी के स्तंभ 5 और 6 में दिए गए हैं।

110.2 'बाहरी' तथा "भीतरी" पैकेज - (1) सारणी I में प्रयुक्त "बाहरी" पैकेज पद से कोई बाक्स, बैरल, केस या लकड़ी, धातु या अन्य ठोस पदार्थ का सिलेण्डर अभिप्रेत है जो इतना मजबूत इस प्रकार विनिर्मित और ऐसे स्वरूप का है जो टूटे नहीं या अचानक खुले नहीं या त्रुटि-पूर्ण या असुरक्षित न हो जाए या जिसमें से विस्फोटक बाहर न निकल जाए।

"भीतरी पैकेज" पद से ऐसा मज़बूत केस, बोरा, कनस्तर या अन्य आधान अभिप्रेत है जो इस प्रकार से बनाया गया और बंद किया गया है कि विस्फोटक को उसमें से बाहर निकलने से रोका जा सके।

110.3 पैकेज के विनिर्माण में अनावृत लोहे या इस्पात के प्रयोग की अनुमति न होना - सारणी I के स्तंभ 2 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी पैकेज के विनिर्माण में लोहे या इस्पात का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे किसी ऐसी उपयुक्त सामग्री से ढका नहीं जाता जिससे कि ऐसे लोहे या इस्पात को अनावृत रहने से प्रभावपूर्ण ढंग से रोका जा सके।

110.4 प्रत्येक पैकेज के भीतरी भाग का रेत-कंकड़ से मुक्त होना और हर प्रकार से साफ होना - प्रत्येक पैकज का भीतरी भाग रेत-कंकड़ से मुक्त होगा और हर प्रकार से साफ होगा।

110.5 कतिपय दशाओं में अतिरिक्त पैकिंग की अनुमति - इन नियमों की कोई बात भीतरी या बाहरी ऐसे अतिरिकत पैकेज के जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध प्रकार का नही है, प्रयोग को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी; परन्तु यह तब जब कि सारणी I में स्तंभ 2, 5 और 6 में अधिकथित पैकिंग संबंधी अध्यपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

110.6 विस्फोटकों से युक्त पैकेज का अधिकतम भार - सुरक्षा पलीतों से भिन्न विस्फोटकों से युक्त किसी पैकेज का भार, तब जब वह रेल से वहन के लिए प्रस्तुत किया जाए 56 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

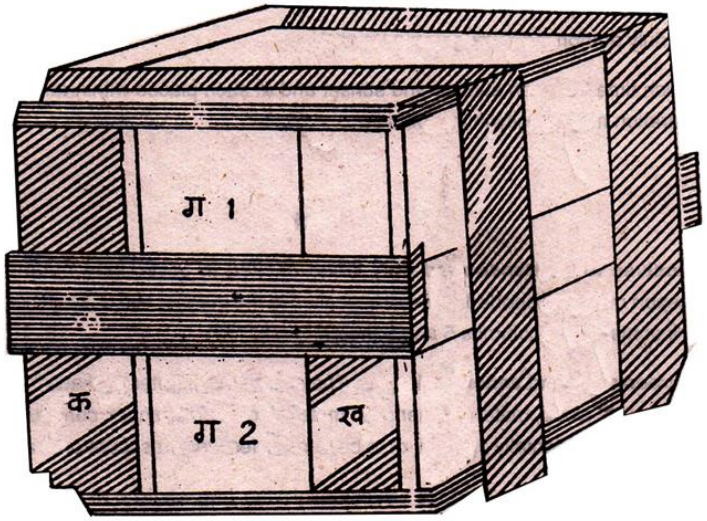
110.7 धातु-बंध आदि का प्रयोग - धातु-बंध/तार के पैकेटों पर प्रयोग का प्रतिषेध है जब तक कि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा किन्हीं विस्फोटकों की पैकिंग के संबंध में वह विनिर्दिष्टतया प्राधिकृत किया गया हो।

110.8 पैकेटों पर की सामग्री - सामग्री जिससे पैकेट और उनके परिवेष्टक (ढक्कन, स्टापर आदि) बने हुए हैं, पैकेज की अन्तर्वस्तु द्वारा आक्रमण किये जाने के लिए दायी नहीं होगी और हानिकारक या खतरनाक सम्मिश्रण नहीं बनाएगी।

110.9 पैकेट दृढ़ और मज़बूत होंगे - पैकेटों के सभी भाग पर्याप्त रूप से दृढ़ और मज़बूत होगे जिससे कि परिवहन के दौरान ढीले न पड़े और ऐसे परिवहन की सामान्य अपेक्षाओं को पूरा करें। ठोस पदार्थो को उनके पैकेटों में मजबूती से बांधा जाएगा और भीतरी पैकेटों का बाह्य, पैकेटों में मजबूती से बांधा जाएगा। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, भीतरी पैकेटों को बाह्य पैकटों, एकल रूप से या समूहों में परिवेष्टित किया जाएगा।

110.10 सामग्री यदि प्रयोग की जाए, तो वह पैकेटों की अन्तर्वस्तु की प्रवृति के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

110.11 35 किलोग्राम से अधिक भार वाले सब पैकेजों की साइडों पर मज़बूत स्लिंग या अन्य उपयुक्त पकड़ लगाई जाएगी जिससे कि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा उन्हें उठाया जा सके। बाहरी पैकेज की दोनों विपरीत साइडों पर क्रास बेटनों के रूप में उपयुक्त पकड़ लगाई जाएगी जैसी नीचे चित्र में दिखाई गई है :



टिप्पण - आमने-सामने की साइडों पर समतल बेटन की जो क ख अंकित किया गया है, मोटाई लगभग 1.9 सेन्टीमीटर होगी जिससे कि क्रास बेटन, जो ग के रूप में अंकित है, ग 1 और ग 2 के रूप में अंकित स्थानों पर एक सूविधापूर्ण पकड़ प्रदान करें।

प्रेषक द्वारा पैकेजों का चिह्नांकन और उन पर लेबल लगाना

111.1 (1) चिह्नांकन पैकेज पर स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या पैंट करके;

(क) 'विस्फोटक' शब्द;

(ख) प्राधिकृत विस्फोटक का नाम;

(ग) वह प्रभाग तथा वर्ग संख्यांक जिसका कि वह विस्फोटक है;

(घ) विस्फोटक का सुरक्षा दूरी प्रवर्ग;

(ड) विनिर्माता का नाम;

(च) प्रेषक और प्रेषिती का नाम;

(छ) विस्फोटक का शुद्ध भार, तथा;

सुस्पष्ट रूप से चिह्नांकित किया जाएगा।

परन्तु सुरक्षा पलीता या आतिशबाजी की दशा में, शब्द 'विस्फोटक' और वर्ग तथा प्रभाग की संख्या का लोप किया जाएगा।

(2) ऐसे विस्फोटकों की दशा में जो विस्फोटन के लिए स्फोटक के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं उदाहरणतया वर्ग 2 के विस्फोटक या वर्ग 3 प्रभाग ले वैसे अन्य विस्फोटक या वर्ग 4 के ऐसे अन्य विस्फोटक जिनमें द्रवित नाइट्रो सम्मिश्रण विस्फोटक अन्तर्विष्ट है, विनिर्माण की तारीख और बैच संख्या भी लिखी जाएगी।

(3) वर्ग 2 व वर्ग 3 के विस्फोटकों की दशा में प्रत्येक कारतूस जिसमें विस्फोटक अन्तर्विष्ट है, पर सुपाठ्य रूप से निम्नलिखित मुद्रित या एम्बोस किया जाएगा :-

(क) शब्द 'विस्फोटक';

(ख) विस्फोटकों का नाम;

(ग) विस्फोटक का भार;

(घ) कारतूसों का व्यास;

(ङ) विनिर्माता का नाम, और;

(च) अनुज्ञात विस्फोटक की दशा में अक्षर 'अ'।

(4) आतिशबाजी की दशा में, आतिशबाजी में प्रत्येक नग पर, ज्वंलन की पद्धति या पूर्वावधानी जो ली जानी चाहिए, उपदर्शित करने वाली सावधानी या चेतावनी मुद्रित की जाएगी और जहां आतिशबाजी पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, ऐसी सावधानी या चेतावनी, एक पृथक लेबल पर मुद्रित की जाएगी और डिब्बे को सबसे छोटे पैकेट में अन्तर्विष्ट की जाएगी।

टिप्पण – (1) इन नियमों में जब विस्फोटक के भार के प्रति निर्देश किया जाए तब उसमें उस पैकिंग, केस या बाक्स का भार सम्मिलित नहीं होगा जिसमें विस्फोटक पैक किया गया है।

(2) छड़े (गोलाबारूद) वर्ग या सातवें (आतिशबाजी) वर्ग के विस्फोटक की दशा में, भार से पूरी वस्तु का भार, जिसके अन्तर्गत उस केस या प्रयुक्ति का भार भी है जिसमें विस्फोटक रखा गया है, सम्मिलित समझा जाएगा।

111.2 एक ही बाहरी पैकेज में एक से अधिक विस्फोटक होना - जहां एक पैकेज में एक से अधिक विस्फोटक हो, वहां उसमें रखे गए प्रत्येक विस्फोटक की बाबत पृथक चिन्हांकन किया जाएगा।

111.3 विस्फोटक जिसमें अपने आप प्रज्वलन हो जाता है – जहां किसी पैकेज में ऐसे विस्फोटक है जिनका प्रज्वलन अपने आप हो उठता है, वहां ऐसे पैकेज पर इस आशय का टिप्पण सुभिन्न रूप से लगाया जाएगा।

111.4 चित्रयुक्त लेबल - ऊपर विनिर्दिष्ट चिह्नांकन के अतिरिक्त, और वहां के सिवाय जहां सारणी I के स्तंभ 3 में अन्यथा उपबंधित है, विस्फोटकों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर नीचे दिखाए गए रूप में एक चित्रयुक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अंतर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।



टिप्पण - (1) पृष्ठभूमि ..... सफेद प्रतीक और अक्षर ..... काले

(2) न्यूनतम विमाएं, 10.10 सेन्टीमीटर X 10.10 सेन्टीमीटर पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में), जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाएगा।

(4) लेबल दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

रेल कर्मचारीवृन्द का उत्तरदायित्व

112. विस्फोटकों के प्रेषण को ग्रहण करते समय रेल कर्मचारिवृन्द को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि –

(क) किसी एक पैकेट में विस्फोटकों का घोषित भार जैसा कि पैकेजों पर दिए गए चिह्नांकन से अभिनिश्चित किया गया है, सारणी I के स्तंभ 4 में अभिकथित सीमा से अधिक नहीं है;

(ख) सबसे बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है; और

(ग) रेल से भेजे जाने के लिए प्रस्तुत किए गए विस्फोटकों से युक्त किसी पैकेज का भार 50 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

113. पैकिंग और चिन्हांकन नियमों का शिथिलीकरण - यदि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि किसी विशेष मामले में नियम 110 और 111 की अध्यपेक्षाओं में से किसी को बिना जोखिम के शिथिल किया जा सकता है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसा शिथिलीकरण, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह ठीक समझता है, प्राधिकृत कर सकता है।

ऐसे मामलों में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भारतीय रेल सम्मेलन को ऐसे शिथिलीकरण, जो उसने अनुज्ञात किए हैं, लिखित में संसूचित करेगा।

114. रेल द्वारा चिह्नांकन - विस्फोटकों से युक्त प्रत्येक पैकेज ऐसे रेल चिह्नों से समुचित रूप से चिह्नांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक और गंतव्य स्टेशनों के संकेताक्षर बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा प्रेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शायी गई हो।

115.1 उठाई-धराई का काम परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाना - जब तक कि रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए, वैगन भार के रूप में विस्फोटकों की लदाई और उतराई परेषकों और परेषितियों को करनी होगी।

115.2 जब यातायात खुदरा में बुक किया जाए, और ऐसे सब मामलों में जिनमें मार्ग में लदाई और उतराई करनी हो, संबंधित रेल प्रशासन लदाई और उतराई करेगा।

भण्डारण

116.1 विस्फोटकों को स्टेशन भवन से दूरी पर भण्डारित किया जाना - प्रत्येक स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विस्फोटकों के ऐसे प्रत्येक पैकेज को, जिसका रेल से प्रेषण प्रस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, स्टेशन के भवन से उतनी दूरी पर भंडारित कराए, जितनी संभव हो।

टिप्पण :- यह उपनियम ऐसे विस्फोटकों पर लागू नहीं होगा जिनका वहन मालगाड़ी या अन्य गाडियों से अन्य मालों के साथ अनुज्ञात है (नियम 124 और नियम 125 देखिए) परन्तु यह तब जब एक बार में भण्डारित मात्रा उस सीमा से अधिक नहीं हो, जिस तक ऐसे विस्फोटकों का इस प्रकार से वहन अनुज्ञात है तथा वहन की अन्य विहित शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

116.2 प्रयोग में लाए जाने वाले भण्डारण स्थान की किस्म - विस्फोटकों को परिवेष्टित शेडों में भण्डारित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं हो, तो उन्हें किसी डिब्बे या बंद वैगन में भंडारित किया जा सकता है। ऐसा न होने पर ऐसे शेडों में, जो ऊपर से ढके हुए हों, यदि आवश्यक हो तो, तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से सुरक्षित करके भण्डारित किया जा सकता है।

यदि यह भी संभव नहीं है तो उन्हें खुले स्थान में, तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जा सकता है। यावत साध्य भण्डारण का स्थान स्टेशन भवन, आवासीय गृहों, सार्वजनिक स्थानों आदि से कम से कम 45 मीटर दूर होना चाहिए।

टिप्पण - ऐसे विस्फोटक, जिनका वहन पाउडर यान में अपेक्षित है, केवल पाउडर यान में या लकड़ी के फर्श वाले वैगन में वहन किए जाने चाहिए तथापि पी.ई.टी.एन. का भण्डारण पाउडर यान से भिन्न किसी वैगन में नहीं किया जाएगा।

116.3 तड़ित-झंझा के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां - यदि विस्फोटक भण्डारणों के आस-पास आसन्न तड़ित-झंझा का डर हो तो ऐसे भण्डारण स्थान में या उसके निकट नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, तड़ित-झंझा के समाप्त होने तक, सुरक्षित दूरी पर हटा दिया जाएगा।

विस्फोटकों की उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां

117.1 सक्षम व्यक्ति का संक्रियाओं का भारसाधक होना - जब भी विस्फोटकों की वैगन भारों में लदाई, उतराई या उठाई-धराई की जाए तब यथास्थिति प्रेषक या प्रेषिती, विस्फोटकों की उठाई-धराई में अनुभव प्राप्त सक्षम व्यक्ति को अग्रेषण और गंतव्य स्टेशनों पर लदाई और उतराई के समय हाजिर रहने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा।

यानान्तरण या पुनपैकिंग के स्थलों पर वैगन भारों की उठाई धराई का पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व रेल अधिकारी द्वारा, जो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो, किया जाएगा।

खुदरा पैकेजों के संबंध में अग्रेषण, ग्रहण, यानान्तरण और पुनपैकिंग स्टेशनों पर विस्फोटकों की उठाई-धराई उत्तरदायी रेल अधिकारी जैसे कि स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर, जो ड्यूटी पर हो या प्रधान मुख्य यानान्तरण पर्यवेक्षक या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त कोई अन्य व्यक्ति करेगा।

117.2 विस्फोटकों की उठाई-धराई के समय सुरक्षा दूरी बनाए रखना - विस्फोटकों की लदाई और उतराई जहां तक संभव है स्टेशन भवन, आवासीय घरों, कारखानों, लोक भवनों या अन्य भवनों, या ऐसे स्थानों से, जहां लोक एकत्रित होते हैं, यथासंभव दूरी पर की जाएगी।

टिप्पण :- यह उपनियम ऐसे विस्फोटकों को लागू नहीं ेहोगा जिनका वहन मालगाड़ी या अन्य गाडियों से अन्य मालों के साथ अनुज्ञात है (नियम 124 और नियम 125 देखिए) परन्तु यह तब जब एक बार में भण्डारित मात्रा उस सीमा से अधिक नहीं हो जिस तक ऐसे विस्फोटकों को इस प्रकार से वहन अनुज्ञात है, तथा वहन की अन्य विहित शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

117.3 उस स्थान, डिब्बे या वैगन की परीक्षा जिसमें कोई विस्फोटक रखा जाता है या उसकी उठाई-धराई की जाती है - उस स्थान या डिब्बे या वैगन के फर्श की जिसपर विस्फोटक रखा जाता है तथा उस भूमि या अन्य स्थान की जिस पर लदाई या उतराई के दौरान विस्फोटक का प्रवहन किया जाता है-

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जांच की जाएगी कि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन नियमों के उल्लघंन में है, तथा

(ख) उपयोग के पूर्व और पश्चात् पूरी तरह से सफाई की जाएगी और उसे बुहारा जाएगा।

(ग) यह देखने के लिए जांच की जाएगी कि वैगन के फर्श पर धुरी बाक्स के बिल्कुल ऊपर से रिसाव नहीं है।

117.4 लदाई और उतराई का समय - कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में विस्फोटकों का लदाई और उतराई न करेगा और न कराएगा;

परन्तु इस नियम की कोई बात अंधेरे में विस्फोटकों की उतराई धराई को लागू नहीं होगी यदि इस क्षेत्र में उचित प्रकाश की व्यवस्था है और वह स्थान रक्षित है;

परन्तु यह भी कि यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी की ब्रेकयान में और यानान्तरण या सड़क यान गाड़ियों में के प्रेषणों की उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है, किन्तु यह तब जबकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण प्रकाश सहित सम्यक् पूर्वावधानियां, बरती जाएं।

117.5 उठाई-धराई की संक्रियाओं का तत्परतापूर्ण और अनावश्यक विरामों के बिना किया जाना - विस्फोटकों की उठाई-धराई आरम्भ करने के पश्चात् संक्रियाएं सम्यक् तत्परता से और किसी अनावश्यक विराम के बिना की जाएगी।

117.6 पैकेजों की उठाई-धराई - (1) विस्फोटकों से युक्त पैकेज जमीन या फर्श पर फैंके, गिराए, लुढ़काए या घसीटे नहीं जाएंगे तथा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे किसी कठोर वस्तु से न टकराएं।

(2) भारी पैकेजों की उठाई-धराई दो या अधिक व्यक्तियों के दल द्वारा की जाएगी जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति पैकेज को ऐसे सुरक्षित स्थान, स्लिंग या उठाने के साधनों से उठाएगा जिनकी व्यवस्था पैकेज में की गई है।

(3) विस्फोटकों से युक्त पैकेजों का वहन ट्रॉलियां या ठेलों से नहीं किया जाएगा।

117.7 अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रतिषेध - किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर जहां विस्फोटकों को भण्डारित किया जाता है या उनकी उठाई-धराई की जाती है या उन डिब्बों या वैगन तक नहीं जाने दिया जाएगा, जिसमें उनका वहन किया जाता है।

117.8 दियासलाइयां, पलीतें (फ्यूज), चाकू आदि रखने के बारे में प्रतिबंध - कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान पर या उसके निकट है जहां विस्फोटकों की उठाई-धराई की जाती है या उनका भण्डारण किया जाता है, वहन या विस्फोटक के लिए दिया-सलाइयों, पलीते (फ्यूज) या अन्य साधित्र अथवा लोहे या इस्पात के बने हुए चाकू या अन्य वस्तुएं, अपने पास नहीं रखेगा।

117.9 धूम्रपान, अग्नि, बत्ती और खतरनाक पदार्थों का प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति -

(क) उस स्थान से जहां विस्फोटकों का भण्डारण किया गया है 15 मीटर के भीतर , या

(ख) किसी ऐसे स्थान पर जहां विस्फोटकों की उठाई-धराई की जाती है, ऐसी उठाई-धराई से एक घण्टे पहले से और उठाई-धराई के दौरान, धूम्रपान नहीं करेगा और अग्नि, बत्ती या ज्वलनशील प्रकृति की या स्वत: ज्वलित होने वाली कोई ऐसी अन्य वस्तु जैसे कि तेजाब, पेट्रोलियम, कैल्शियम का कार्बाइड, संपीडित गैस या अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जाएगा जो अग्नि या विस्फोट उत्पन्न करती है।

टिप्पण:-ऊपर खण्ड (क) में वर्णित 15 मीटर की दूरी की बाबत शर्त ऐसे विस्फोटकों को लागू नही होगी जो मालगाड़ियों या अन्य गाडियों से अन्य माल के साथ वहन किए जाने के लिए अनुज्ञात है (देखिए नियम 124 और नियम 125) परन्तु यह तब जब एक बार में भण्डारित या रखी या उठाई गई मात्रा उस परिसीमा से अधिक नही हो जिस तक ऐसे विस्फोटकों का इस प्रकार से वहन अनुज्ञात है तथा वहन करने की विहित शर्ते का अनुपालन किया जाता है। परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान के निकट जहां विस्फोट का भंण्डारण या उठाई-धराई की जाती है धूम्रपान नही करेंगा अथवा अग्नि या खुली बत्ती या ऐसी अन्य वस्तुएं जिनसे ताप या चिंगारी उत्पन्न होती है, नहीं हो जाएगा या नही रखेगा।

117.10 बूटों और जूतों का प्रतिषेध - कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर या उसके निकट जहां विस्फोटकों की उठाई-धराई की जाती है या भण्डारण किया जाता है, लोहे की कीलों या ठोकरों या लोहे से मजबूत किए गए बूट या अन्य पादुकाएं तब तक नहीं पहनेगा जब तक ऐसे बूटों या जूतों को चमड़े, रबड़ फैल्ट या अन्य सामग्री से जूतों के खोलों के रूप में या अन्य रूप में हो, ढक नहीं दिया जाता। जहां अपेक्षित प्रकार की पादुकाएं उपलब्ध न हों वहां संबंधित व्यक्ति नंगे पांव कार्य करेंगे।

117.11 बालकों और मत्त व्यक्तियों का प्रतिषेध - अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जो मत्तता की हालत में है या विकृत चित्त का है, विस्फोटकों की लदाई उतराई या परिवहन के लिए नियेाजित नहीं किया जाएगा, अथवा उसे उस स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जहां संक्रियाएं चल रही है।

117.12 धूप, वर्षा एवं बर्फ से बचाव - विस्फोटकों से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा या बर्फ में नहीं छोड़ा जाएगा और न सीली हुई जमीन पर रखा जाएगा। उनकी रक्षा जब भी अपेक्षित हो, तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से की जाएगी।

विस्फोटकों का लदाई और उतराई के स्थानों पर लम्बी अवधि तक न रखा जाना

118.1 विस्फोटकों को तब तक लदाई के स्थान पर नहीं लाया जाएगा जब तक कि वह वैगन या डिब्बे, जिनमें उनकी लदाई की जानी है, तैयार नहीं हों।

118.2 यानान्तरण पुन:पैकिंग या गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर, और यथास्थिति आगे के लिए उनका प्रेषण या सुपुर्दगी होने तक विस्फोटकों की उतराई के स्थान, पर असम्यक् रूप से लम्बी अवधि तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

118.3 जब भी विस्फोटकों की लदाई, अग्रेषण सुपुर्दगी में असम्यक् रूप से विलम्ब होने की संभावना हो, नियम 116 के उपबंधों के अनुसार उनका भण्डारण सुरक्षित स्थान पर किया जाना चाहिए।

विस्फोटकों का परिवहन सामान्यत: मालगाडियों से किया जाना

119. नियम 120, 125 और 126 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विस्फोटकों का परिवहन मालगाड़ियों से भिन्न किसी गाड़ी से नहीं किया जाएगा। मालगाडियों के न चलने की दशा में विस्फोटकों का मिश्रित या पार्सल गाडियों से वहन की अनुज्ञा

120.1 यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी का प्रतिषेध - किसी विस्फोटक का परिवहन यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी से नहीं किया जाएगा।

120.2 मिश्रित गाडियों से विस्फोटक यानों का प्रेषण - नियम 120.1 में किसी भी बात के होते हुए कोई विस्फोटक यानों में, किसी भी ऐसी मिश्रित गाड़ी द्वारा परिवहन किया जा सकेगा जो किसी लाइन या सैक्शन पर विशेष रूप से अनुमोदित की गई हो जिस पर मालगाड़ी न चल रही हो। किन्तु यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात :-

(i) विस्फोटक युक्त ऐसे तीन से अधिक यानों को किसी एक समय पर कर्षित नहीं किया जाएगा;

(ii) विस्फोटक युक्त यानों और इंजन तथा ऐसी यानों और यात्री डिब्बों के बीच, कम से कम डिब्बे होंगे;

(iii) विस्फोटक युक्त यानों को, पार्श्वास्थ डिब्बों से तथा एक दूसरे से , सटा कर युम्मित किया जाएगा;

(iv) ऐसे सैक्शन में प्रवेश पर जिस पर मालगाडियां चल रही हैं, विस्फोटक युक्त यानों को, तब मिश्रित गाड़ी से तुरन्त अलग किया जाएगा।

120.3 यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी से विस्फोटकों का वहन - पूर्वगामी नियमों में किसी भी बात के होते हुए, निम्नलिखित विस्फोटकों का यात्री गाड़ी या मिश्रित गाड़ी से परिवहन किया जा सकता है, अर्थात :-

(i) विस्फोटन के लिए सुरक्षा पलीते;

(ii) नोदकों से भिन्न तृतीय (नाइट्रो सम्मोश्रण वर्ग के विस्फोटक, कारतूसों के रूप में और समग्रतया 2.5 कि.ग्रा. से अनधिक परन्तु यह तब जबकि उसी डिब्बे में कोई अधिस्फोटक न ले जाया जाए;

(iii) 200 की संख्या तक अधिस्फोटक यदि अधिस्फोटक युक्त पैकेटों में विस्फोटकों की मात्रा समग्रत 225 ग्रा. से अनधिक हो, परन्तु यह तब जबकि–

(क) प्रेषक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाए; और

(ख) उस डिब्बे में और कई विस्फोटक न ले जाया जाए।

(iv) सारणी। में विहत दोहरे पैकटों में पैक किया आखेट पाउडर और नोदक, परन्तु यह तब जबकि–

(क) विस्फोटक टिन के कनस्टरों में हों और ऐसे प्रत्येक कनस्तर में पांच किलोग्राम से अधिक विस्फोटक न हो और लकड़ी मजबूत पेटी में जिसका बाहरी आवरण पूर्णत: स्फुलिंगसह टिन या जस्तें का हो, या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित पैटन के धातु की पेटी या सिलेण्डर में पैक हो;

(ख) किसी बाहरी पेटी में, 12.5 कि. ग्रा. से अधिक विस्फोटक न हो; ओर

(ग) किसी एक रेलगाड़ी पर कुल परेक्षण 37.5 कि.ग्रा. से अधिक न हो।

विस्फोटकों की लदाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

121.1 पाउडर यानों का प्रयोग– सारणी I के स्तंभ 5 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, सभी विस्फोटकों का वहन के लिए विशेष रूप से निर्मित मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार के पाउडर यान में किया जाएगा।

121.2 पूर्व अनुज्ञा से लकड़ी के फर्श से ढके वैगन का प्रयोग - यदि पाउडर यान उपलब्ध नहीं है तो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् लकड़ी के फर्श से ढके लोह के वैगनों का प्रयोग किया जा सकता है।

टिप्पण - पूर्वोत्तर सीमा रेल में लकड़ी के फर्श से ढके हुए वैगन के प्रयोग की अनुज्ञा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दे दी है।

121.3 खुले वैगन और छोरों पर खुलने वाले डिब्बों या वैगनों का अनुज्ञात न होना - खुले वैगन या छोरों पर खुलने वाले डिब्बे या वैगन किसी भी प्रकार के विस्फोटकों के वहन के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।

लदाई या उठाई-धराई के लिए विस्फोटकों की मात्रा

122.1 **वैगन में अनुज्ञात अधिकतम मात्रा -** सारणी I के स्तंभ 6 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय एक रेल में परिवहिनत विस्फोटकों की मात्रा वैगन की वहन क्षमता के आधे से या दस टन से, दोनों में से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

122.2 **विस्फोटकों के प्रेषणों के भार की गणना -** (1) एक प्रेषण या डिब्बे में रखे गए विस्फोटकों की मात्रा की गणना के प्रयोजन के लिए भार का अवधारण नियम 111.1 के टिप्पणी के अनुसार किया जायेगा।

(2) रेल भाड़े की गणना के प्रयोजन के लिए प्रभारित किए जाने वाला भार पूरी वस्तु का पैकिंग सहित भार होगा।

122.3 रेल द्वारा परिवहन किए जाने वाले विस्फोटकों की अधिकतम मात्रा - किसी रेल स्टेशन या घाट पर एक समय विस्फोटक युक्त पांच से अनधिक डिब्बों की लदाई-उतराई की जाएगी और किसी एक ट्रेन के साथ 10 से अनधिक विस्फोटक युक्त डिब्बे संलग्न किए जाएंगे या परिवहन किए जाएंगे।

परन्तु यह कि यह निर्बन्धन सैनिक दरसूची नियमों के अधीन बुक की गई विशेष बारूद ट्रेन को लागू नहीं होगा और इस दशा में सैनिक दर सूची नियम लागू होंगे।

सामान्य माल के साथ विस्फोटकों का वहन सामान्यत: अनुज्ञात न होना

123. नियम 124,125 और 126 में यथा उपबंधित के सिवाय, एक ही डिब्बे में विस्फोटकों और सामान्य माल का वहन नहीं किया जाएगा। कतिपय विस्फोटकों के सामान्य माल के साथ मालगाड़ी से वहन की अनुज्ञा।

124. नियम 127 व 128 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सारणी I में वर्णित विस्फोटकों का परिवहन मालगाड़ी से साधारण माल के साथ किन्तु ऐसे डिब्बों में जिनमें कोई दहनशील प्रकृति की वस्तुएं या पदार्थ न हों, ऐसी मात्राओं में और ऐसी शर्तो पर किया जा सकता है जैसी उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में अधिकथित है। परन्तु यह तब जब कि डिब्बे में विस्फोटकों को अन्य मालों से भली भांति पृथक रखा जाता है।

यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेक यानों में कतिपय विस्फोटकों के वहन की अनुज्ञा

125. नियम 127 और 128 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए सारणी I में वर्णित विस्फोटकों का परिवहन यात्री गाड़ियों या पार्सल गाडियों के ब्रेकयानों में ऐसी मात्राओं में और ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जैसी उस सारणी के स्तंभ 6 में अधिकथित है, परन्तु विस्फोटकों का वहन अन्य माल के साथ किया जाए तब उन्हें ब्रेक यान में अन्य माल से भलीभांति पृथक रखा जाएगा।

यात्री कंपार्टमेंटों में सुरक्षा कारतूसों का वहन

126. सुरक्षा कारतूसों का वहन ऐसे कंपार्टमेंटों या डिब्बों में, जिसमें यात्रियों का परिवहन किया जाता है, व्यक्तिगत सामान के भाग के रूप में किया जा सकता है।

विस्फोटक जिन्हें पृथक रखा जाना चाहिए

127. छठे (गोलाबारूद) वर्ग का विस्फोटक जिसके साथ उसके दहन का साधन भी हो, अथवा सातवें (अतिशबाजी) वर्ग के विस्फोटकों का वहन एक ही डिब्बे में नहीं किया जाएगा और किसी अन्य वर्ग और प्रभाग के विस्फोटक के साथ ऐसे विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाएगा या उठाई-धराई नहीं की जाएगी या भंडारण नहीं किया जाएगा।

अन्य खतरनाक माल के साथ विस्फोटकों के वहन का प्रतिषेध

128. विस्फोटकों का वहन उसी डिब्बे में किन्हीं दियासलाइयों या फ्यूजों या साधित्रों के साथ जो ज्वलन उत्पन्न कर सकते हैं या किन्हीं अन्य खतरनाक माल के साथ या खाली ऐसे आधानों के साथ जिनमें पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों नहीं किया जाएगा।

वैगनों में भराई

129. विस्फोटकों से युक्त सब पैकेजों की वैगन में केवल एक पंक्ति में भरा जाएगा और उन्हें इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा जिससे वैगन के चलने पर पैकेज न हिल सके :

परन्तु यदि पैकेज चौकोर आकार के हैं और समुचित प्रकार से सुरक्षित हैं जिससे कि अभिवहन के दौरान उन्हें हिलने से रोका जा सकता है तो उनकी भराई पांच से अनधिक कितनी भी पंक्तियों में की जा सकती है।

वैगनों पर लेबल लगाना, उन्हें सीलबंद करना और ताला बंद करना

130.1 वैगनों पर विस्फोट का लेबल लगाना - 'विस्फोटक' का एक लेबल, जैसा नीचे दिखाया गया है, प्रत्येक ऐसे वैगन या डिब्बे के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए जिसमें विस्फोटकों को प्रेषण के लिए या परिदत्त करने के लिए जमा किया गया है या जब वे अभिवहन में है।

चित्र



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि - - - - - - - - - सफेद प्रतीक तथा अक्षर - - - - - - - काले

(2) विमाएं - - - - - - - - - - - 0.3 मि. अर्ध व्यास

(3) लेबल को दो समान अर्धवृत्तों में बांटा जाना चाहिए जिसमें से ऊपर के भाग का प्रयोग "लूज शंटिग न करे" शब्दों और प्रतीक के लिए तथा नीचे के भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

टिप्पण - वैगन या डिब्बे में रखे गए विस्फोटक का वर्ग डिवीजन और (डेटोनेटरो की दशा में, भार के स्थान पर उनकी संख्या) वैगन के लेबल पर नितांत रूप से दिखाए जाने चाहिए।

यह जानकारी सील कार्डो और पोकिट लेबलों पर पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों या सड़क यान गाडियों के सिवाय, जिन पर लेबल वैगन या डिब्बे के दोनों ओर चिपकाए जा सकते हैं, ये लेबल दरवाजें पर इस प्रकार से चिपकाए जाने चाहिए कि जब दरवाजें खोले जाएं, लेबल स्वत: नष्ट हो जाएं। इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब विस्फोटकों का वहन सामान्य माल के साथ किया जाता है भले ही विस्फोटकों की वैगन या डिब्बे में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हो।

परंतु, जब विस्फोटकों का वहन यात्री गाडियों, मिश्रित गाडियों या पार्सल गाडियों के ब्रेक यानों में किया जाए तब लेबलों का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

130.2 प्राइवेट लेबल - रेल लेबलों के अतिरिक्त, यदि प्रेषक विस्फोटक की मात्रा और अन्तर्गस्त परिसंकट को दर्शाने वाले लेबल चिपकाता है तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजों पर चिपकाएं जाने चाहिए।

130.3 मिश्रित धातु की सीलों का प्रयोग किया जाना - विस्फोटकों से युक्त वैगन को सीलबंद करने के लिए केवल मिश्रित धातु की सीलों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

130.4 रिवेट करने या ई.पी. लौकिंग करने की अनुज्ञा न होना - विस्फोटकों से युक्त का प्रेषिती द्वारा रिवट किया जाना या ई. पी. लॉकिंग किया जाना प्रतिषिद्ध है।

130.5 वैगनों को पैडलौक करना - विस्फोटकों से युक्त वैगन को लोहे के गैल्वनीकृत पैडलौकों से जो टाइप 2.65 मि. मी. के सामान्य आकार के होगें और पैडलौकों का प्रबंध प्रेषक द्वारा किया जाएगा। पैडलौकों की एक चाबी गंतव्य स्टेशन को संबोधित करके अग्रेषण स्टेशन के स्टेशन मास्टर के माध्यम से भेजी जाएगी। पेडलौक की चाबी की पहुंच स्टेशन मास्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए खोले गए रजिस्टर में प्रविष्टि करके अभिस्वीकृत की जाएगी और वह स्टेशन मास्टर उस गाड़ी के गार्ड को चाबी सौपने के पश्चात् जिससे वैगन भेजा गया है, चाबी सौपने के सबूत के रूप में उस रजिस्टर में गार्ड के हस्ताक्षर लेगा। एक लेबल जिसमें फर्म का नाम वैगन संख्या, गंतव्य स्थान लिखे होंगे चाबी के साथ लगाया जाएगा जो गंतव्य स्टेशन को जाने वाले वैगन के साथ भेजा जाएगा। गंतव्य स्टेशन का स्टेशन मास्टर पैडलौक और चाबिओं को प्रेषिती की सौप देगा।

शंटिंग

131. शंटिंग संक्रियाओं के दौरान अनुपालन की जाने वाली पूर्वाधावनियां विस्फोटक से युक्त डिब्बों की शंटिंग सम्यक् रूप से, प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा की शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान :-

(क) विस्फोटकों से युक्त डिब्बों और रेल इंजन के बीच ऐसे कम से कम तीन डिब्बे है जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशीन प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं, परन्तु यह कि जब विद्युत कर्षण या डीजल विद्युत रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है, तब विस्फोटकों से युक्त डिब्बों और रेल इंजन के बीच केवल एक ऐसे डिब्बे का होना आवश्यक है।

(ख) संचालकों की गति आठ किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक नहीं हो; और

(ग) रफ, हम्प, फ्लाई या लूज़-शंटिंग नहीं हो।

मार्शलिंग

132.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां

(1) विस्फोटकों से युक्त अधिकतम डिब्बे, जो किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकेंगे या कर्षित किए जा सकेंगे–

(क) मालगाड़ी की दशा में दस; और

(ख) मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी की दशा में तीन होंगे।

परन्तु उपर्युक्त उपबंध विशेष सैनिक गोला-बारूद ट्रेन को लागू नहीं होंगे और उस दशा में सैनिक दर सूची नियम लागू होगें।

(2) विस्फोटकों से युक्त डिब्बों या वैगनों को गाड़ी के इंजन से उतनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए जितना संभव हो। ऐसे सवारी डिब्बों या वैगनों को, वहां जहां ऐसा करना अनुज्ञात है, एक साथ लगाया जाना चाहिए।

(3) विस्फोटकों से युक्त कैरिजों और निम्नलिखित के बीच में ऐसे/कम से कम तीन डिब्बे होने चाहिए जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हो, अर्थात -

(क) गाड़ी का इंजन, परन्तु वहां जहां विद्युत (कर्षण) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाए, विस्फोटकों से युक्त डिब्बों और इंजन के बीच केवल ऐसा एक डिब्बा रहना आवश्यक है;

(ख) यात्री डिब्बे या ब्रेकयान;

(ग) अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं से युक्त कोई अन्य कैरिजे।

(4) विस्फोटकों से युक्त डिब्बों को पार्श्वस्थ अन्य डिब्बों के साथ और एक-दूसरे से सटाकर युग्मित किया जाएगा।

132.2 रेल डिब्बों की स्थिति-विस्फोटक युक्त, प्रत्येक रेल डिब्बा इंजन से यावत-साध्य दूर रखा जाएगा और पार्श्वस्थ ऐसे डिब्बे से, जिसमें विस्फोटक या ज्वलनशील अथवा खतरनाक प्रकृति की अन्य वस्तुएं या पदार्थ लदा न हो, सटाकर युग्मित किया जाएगा।

परंतु यह कि–

(क) दार्जिलिंग हिमालय रेल पर विस्फोटक युक्त डिब्बों को सटाकर युग्मित करना आवश्यक नहीं है;

(ख) रेल के विधुन्मय सैक्शन पर, जब ट्रेनों के विद्युत इंजनों से कर्षित किया जाता है तो इंजन और विस्फोटक युक्त डिब्बे के मध्य किसी डिब्बे का होना आवश्यक नहीं है।

132.3 द्रव वायु या द्रव आक्सीजन का वहन करने वाली गाडियों से विस्फोटकों के प्रवहण पर निबंधन– 907.18 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का, प्रवहन उस गाड़ी से नहीं किया जाएगा जिससे द्रव वायु या द्रव आक्सीजन के प्रेषणों का प्रवहन किया जा रहा है।

132.4 रक्षा वैगन या डमी वैगन – अब भी ऐसे वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तब खाली वैगनों का प्रयोग, रक्षा या डमी वैगनों के रूप में, जैसा अपेक्षित है, विस्फोटकों से युक्त डिब्बों को रेल इंजन, यात्री डिब्बों, ब्रेक यान या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति के माल से युक्त अन्य डिब्बों से अलग करने के लिए किया जाएगा।

अभिवहन में विलंब के कारण गंतव्य स्टेशन पर प्रेषणों का प्राप्त न होना

133. ऐसे प्रत्येक मामले में जब विस्फोटकों का प्रेषण बुक किए जाने की, तारीख, से जो मार्ग पत्रक या बीजक पर दिखाई गई हो, उचित समय के भीतर गंतव्य स्टेशन पर नहीं पहुंचे तब उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा जिसके लिए ऐसा विस्फोटक बुक किया गया है, बुक करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर, संबंधित जंक्शनों तथा मंडल रेल प्रबन्धक को और उस रेल पुलिस के अधीक्षक को जिसकी अधिकारिता में प्रेषण को बुक करने वाले यानातंरित करने वाले और गंतव्य स्टेशन अवस्थित है, दूरभाष, ई-मेल एवं अन्य साधनों द्वारा तथ्यों की रिपोर्ट दी जाएगी।

पहुंच की सूचना

134.1 अग्रिम सूचना – (1) प्रेषण स्टेशन मास्टर विस्फोटकों के प्रेषण तक बुक की जाने और प्रेषित किए जाने पर गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को डाक से प्ररूप 16 में पास की एक प्रति और प्रेषक की घोषणा यदि अभिप्राप्त की गई है तो, एक अग्रेषण पत्र के साथ प्ररूप के लिए (परिशिष्ट I /4 देखिए) भेजेगा।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर गंतव्य स्टेशन का स्टेशन मास्टर प्रेषिती या आशयित प्रेषिती को तुरन्त एक सूचना प्ररूप के लिए (परिशिष्ट।/5 देखिए)। प्रेषण के पहुंचने पर उसकी सुपुर्दगी तुरन्त लेने के लिए तैयार रहने हेतु भेजेगा।

(3) जहां भी गेज परिवर्तन न हो वहां यानान्तरण के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया जाएगा।

134.2 प्रेषण के पहुंचने की प्रेषिती को अतिरिक्त सूचना – गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्फोटकों के प्रेषणों के पहुंचने की सूचना प्रेषिती या, यथास्थिति , आशयित प्रेषिती को विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए परिशिष्ट ख देखिए) उन सब प्रेषण की बाबत दी जानी है, जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते है तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते है।
प्ररूप 16 में पास या प्रेषक की घोषणा को, जहां भी आवश्यक हो यथास्थित प्रेषिती या आशयित प्रेषिती का नाम और पता जानने के लिए देखा जाएगा।

134.3 सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना– यदि माल का परिदान छूट समय के भीतर नहीं लिया जाता तो, अग्रिम सूचना या पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान भाडे और डेमरेज प्रभार से छूट का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

135.1 परिदान – विस्फोटकों से युक्त पैकेजों को प्रेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपों से, जहां के लिए उनका प्रवहन किया गया है, जैसे ही वह परिदत्त करने के लिए उपलब्ध हो, हटाए जाएगें।

135.2 परिदान तुरन्त न लेने की दशा में व्ययन – (1) यदि विस्फोटकों के प्रेषण उन्हें हटाने के लिए, अनुज्ञात छूट-समय की समाप्ति के पश्चात् भी रखे रहते है तो, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 84 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी। अपने नाम से बुक किए गए प्रेषणों के संबंध में इसके अतिरिक्त कि बुकिंग करने वाले स्टेशन की एक वैसी ही सूचना प्रेषक पर तामील की करने के लिए लिखा जाए, एक सूचना उस आशयित प्रेषिती पर भी तामील की जाएगी जो नियम 105.1 (2) और 107.1 (4) में निर्दिष्ट "प्रेषिती की घोषणा" में अधिकथित है।
(2) निर्दिष्ट सूचना विहित प्ररूप में होगी (परिशिष्ट I/7)
(3) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो पैकेज, अदावाकृत रहते है, उन्हें रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के उपबंधों के अनुसार लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।

135.3 विस्फोटकों के परिदान या विक्रय के बारे में निर्बन्धन – विस्फोटकों से युक्त पैकजों को केवल उस व्यक्ति को परिदत्त किया जाएगा या विक्रय किया जाएगा जिसके पास विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति है अथवा जो ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक का प्राधिकृत अभिकर्ता है अथवा अनुज्ञप्ति के बिना ही विस्फोटक रखने के लिए अन्यथा हकदार है।

प्रभारित किया जाने वाला भार और ग्रहण करने के दिन

136.1 वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जना : वैगन **भार के रूप में यातायात सब दिन इस बात के अधीन रहते हुए ग्रहण किया जाएगा कि चार पहिये वाले प्रति वैगन के लिए प्रभावित किया जाने वाला न्यूनतम भार बड़ी लाइन पर 60 क्विंटल, मीटर लाइन पर 45 क्विंटल तथा छोटी लाइन पर 35 क्विंटल हो।**

भाड़े का पूर्व संदाय

137. अधिसूचित अपवाद विस्फोटकों के सब प्रेषणों का भाड़ा पूर्व संदत्त होगा।

सुरक्षा या डमी वैगन के लिए प्रभार

138. जब भी विस्फोटकों का वहन करने वाली गाड़ी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा वैगन या डमी वैगन के रूप में खाली वैगन जोड़ना आवश्यक हो तब ऐसे वैगन के लिए नियमों के अनुसार समय-समय पर माल दर सूची में अधिसूचित दर पर प्रभार लिया जाएगा।

खुले विस्फोटकों का नष्ट किया जाना

139. यदि कोई विस्फोटक उस पैकेज में से, जिसमें वह रखा गया था, निकल जाता है या खुल जाता है तो ऐसे विस्फोटक को सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा तथा विस्फोटक नियत्रंक को तुरन्त सूचित किया जाएगा जो ऐसे विस्फोटक को नष्ट करने की व्यवस्था करेगा।

डिब्बों की मरम्मत

140. ऐसे डिब्बों के जिनमें विस्फोटकों का परिवहन किया जा रहा है या किया गया है, किसी भाग में कोई मरम्मत या फेरफार करने से पूर्व ऐसे सब विस्फोटकों या उनके अवशेषों को डिब्बे से हटाने के लिए सब सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी डिब्बे का वह स्थान जिसमें विस्फोटकों का वहन किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटकों का कोई अवशिष्ट रह न जाए, धोया जाएगा।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

141. (1) विस्फोटकों के किसी प्रेषण के संबंध में जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या व्यक्तियों को कोई गंभीर क्षति या संपत्ति को गंभीर नुकसान होता है अथवा ऐसी कोई घटना घटती है। जिसमें प्राय: ऐसी हानि/क्षति या नुकसान होता है तो प्रेषण का तत्समय प्रभारी व्यक्ति निम्नलिखित पते पर 107

(2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किए जाने तक अथवा इससे या उसके प्रतिनिधि से अनुदेश प्राप्त होने तक कि वह और कोई अन्वेषण या जांच नहीं करना चाहता। सभी ध्वंसावशेण और मलबा अनछुआ रखा जाएगा सिवाय उतने के जितना घायल व्यक्तियों के बचाव के लिए और दुर्घटना में मारे गए

किन्हीं व्यक्तियों के शरीर निकालने के लिए या वहां से गुजरने वाले संचार को पुन: स्थापित करने के लिए हटाना आवश्यक हो।

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियां

142. नीचे की सारणी के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी उस सारणी की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर–

(क) ऐसे स्थान या डिब्बे में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण या परीक्षण कर सकेगा जिसमें विस्फोटक है या वहन किया जा रहा है, अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें भारती या विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) या विस्फोटक नियम 1983 के उल्लघंन में कोई विस्फोटक रखा गया है या वहन किया जा रहा है।

(ख) उसमें विस्फोटकों की तलाशी कर सकेगा

(ग) उसमें पाए गए किन्हीं विस्फोटकों या उनके संघटकों के नमूने निशूल्क ले सकेगा, और

(घ) उसमें पाए गए किसी विस्फोटक का, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) या विस्फोटक नियम 1983 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगा, उसे निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा।

सारणी

	अधिकारी	क्षेत्र
(क)	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक	भारत के सभी भाग
(ख)	सब जिला मजिस्ट्रेट	उनसे संबंधित अधिकारिता का क्षेत्र
(ग)	सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट	उनसे संबंधित अधिकारिता का क्षेत्र
(घ)	सभी पुलिस आयुक्त तथा उपनिरीक्षक से अन्यून रेंक के सभी पुलिस अधिकारी	वे क्षेत्र जिन पर उनका प्राधिकार है
(ड)	खान सुरक्षा महानिदेशक और उसके अधीनस्थ अधिकारी	वे क्षेत्र जिन पर तथा प्रधिकार है (विस्फोटक नियम, 1983 का प्रधिकार नियम सं.179

व्यावृति

इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित अधिनियमों या नियमों के प्रवर्तन को न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी

(क) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4)

(ख) विस्फोटक नियम 1983

(ग) भारतीय आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54)

(घ) भारतीय आयुधनियम, 1962 जो भी लागू हो।

<u>विस्फोटक (नियम 101 देखिए)</u>

सारणी ।

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 1 गोलाबारूद (ब्लैक पाउडर, देशी पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर, प्रोपेलेन्ट)	यदि एक प्रेषण में 2.5 कि.ग्रा. से अनधिक मात्रा हो, एकल बाहरी पैकेज। यदि मात्रा 2.5 कि.ग्रा. से अधिक हो तो दोहरा पैकेज अर्थात भीतरी और बाहरी पैकेज यदि धातु का हो तो उसे गद्दीदार सामग्री से सुरक्षित किया जाएगा (प्राधिकरण : इ.आर 1983 का अनुसूची II)		50 कि.ग्रा.2.5 कि.ग्रा. परन्तु जहां के *गोलाबारूद* के साथ पैक किया जाए वहां मात्रा निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी। 25 कि.ग्रा. 2.5 कि.ग्रा. (प्राधिकृत : इ.आर. 1983 का अनुसूची।।)		विनिर्दिष्ट मामलों में सामान्य माल के साथ गोलाबारूद के वहन की अनुज्ञा दी गई है, परन्तु यह तब जब– (1) उसे अनुमोदित धातु केसों या सिलेण्डरों में पैक किया जाता है। (2) किसी एक पैक में और एक गाड़ी में 25 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा नहीं है।	किसी एक गाड़ी के पिछले ब्रेकयान में कुल 37.5 कि.ग्रा. तक परन्तु यह तब जब (1) बाहरी केस या सिलेण्डर में 12.5 कि.ग्रा. से अधिक नहीं हो, और (2) गोलाबारूद को टिन के कनस्तरों में रखा गया हो और प्रत्येक कनस्तर में 2.5 कि.ग्रा. से अधिक गोला-बारूद नहीं रखा जाता, ये टिन के कनस्तर मजबूत लकड़ी के केस में, जिनका बाहरी कवर टिन या जस्ते का हो और पूरी तरह ज्वालासह हो, या धातु के केस या सिलण्डर में, जो सभी प्रकार से परिशिष्ट।/3 में दिए गए साधारण विनिर्देशों के अनुरूप हो पैक किए गए हो। (प्राधिकरण : विस्फोटक नियम, 1983 का नियम 69)	
वर्ग 2 **नाइट्रेट मिश्रण**	सामग्री को उपयुक्त कारतूसों में, उपयुक्त प्लास्टिक या कागजों के आवरणों में रखा जाएगा जिससे कि वे आद्रता के लिए अपार गम्य हो ओर सुरक्षित रहें और पैकिंग वर्ग 1 की गारंटी						

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
डिवीजन-1 (विस्फोटक जिनमें पूर्णत: या अंशत: नाइट्रोग्लीसरीन या अन्य द्रव नाइट्रो मिश्रण हों)							
स्पोर्टिंग पाउडर प्रोपेलेण्ट, जेलेटीन	(1)सामग्री के उपयुक्त कारतूसों को कागज या पोलीथीन के आवरणों में रखा जाएगा जो अपारगम्य हो आवरण ऐसे होने चाहिए जो सामग्री को आद्रता से सुरक्षित रखें (2) और पैकिंग वर्ग (1) की भांति या तो भीतरी पैकेज या बाहरी पैकेज पूरी तरह जलसह होगा तथा पैकेज के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाएगा सिवाय (1) पीतल या जस्ता या अन्य नर्म (साफ्ट धातु के बने हुए या उससे कोट की हुई कीलों के जिनका प्रयोग बाहरी पैकेज को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है तथा (2) भीतरी पैकजों को सुरक्षित रखने के लिए तार की सिलाई की	विनिर्माण की या कारखाने से निकलने की तारीख या ऐसा चिह्न जो उस तारीख को उपदर्शित करे जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की गई है, बाहरी पैकेज पर अंकित की जानी चाहिए।	नोदकों से भिन्न के लिए 25 कि.ग्रा. 2.5 कि.ग्रा. नोदकों के लिए 25 कि.ग्रा. 2.5 कि.ग्रा.		विनिर्दिष्ट मामलों सामान्य माल के साथ नाइट्रो सम्मिश्रण के वहन की अनुज्ञा दी गई है, परंतु यह तब जब – (1) उन्हें अनुमोदित धातु केसों या सिलेण्डर में पैक किया गया हो और (2) किसी एक पैकेज में पैकेज और एक गाड़ी में उनकी मात्रा स्पोर्टिंग पाउडर या प्रोपेलेण्ट की दशा में 25 कि.ग्रा. तथा स्पोर्टिंग पाउडर या प्रोपेलेण्ट से भिन्न विस्फोटकों की दशा में 25 कि.ग्रा. से अधिक नहीं हों।	(क) स्तम्भ (1) में स्पोर्टिंग पाउडर या प्रोपेलेण्ट गाड़ी के पिछले ब्रेकयान में 37.5 कि.ग्रा. परंतु यह तब जब – (1) बाहरी केस या सिलेण्डर में 12.5 कि.ग्रा. से अधिक पाउडर या प्रोपेलेण्ट नहीं हो और (2) पाउडर या प्रोपेलेण्ड को टिन के कनस्तरों में रखा गया हों और प्रत्येक कनस्तर में 2.5 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा नहीं हो। ये टिन के कनस्तर मजबूत लकड़ी के केस में जिनका बाहरी कवर टिन या जस्ते का और पूरी तरह ज्वालासह हो या धातु के केस या सिलेण्डर में जो सभी प्रकार से परिशिष्ट।/3 में दिए गए साधारण विनिर्देशों के अनुसार ही पैक किए जाने चाहिए। (ख) स्पोर्टिंग पाउडर या प्रोपेलेण्ट से भिन्न किसी एक गाड़ी के पिछले ब्रेकयान में कुल 2.5 कि.ग्रा. तक परन्तु यह तब जब –	

स्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग - 3 (डिवीजन-1 समाप्त)	जा सकती है है यदि तार भली भांति ऐसा लगाया जाता है कि वह विस्फोटक को स्पर्श न कर सके और यह कार्य गत्ते के मजबूत शीट लगाकर या अन्यथा किया जा सकता है।					(1) विस्फोटक कारतूसों के रूप में हो, और (2) उसी डिब्बे में विस्फोटकों का वहन नहीं किया जाए।	
वर्ग - 3 डिवीजन-2 (डिवीजन-1 में विस्फोटकों से भिन्न नाइट्रो सम्मिश्रण) एमोनल डाई नाइट्रो फिनोल	जैसा वर्ग 1 में है	जैसा डिवीजन 1 में है	25 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	विनिर्दिष्ट मामलों में सामान्य माल के साथ नाइट्रो सम्मिश्रणों के वहन की अनुज्ञा दी गई है परन्तु यह तब जब (1) उनहें अनुमोदित धातुकेसों में या सिलेण्डरों में पैक किया गया हो और (2) किसी एक पैकेज में और एक गाड़ी में, 25 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा नहीं होगी।	जैसा डिवीजन 1 में है।	...

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग - 3 डिवीजन-2 (जारी)							
गन कॉटन जो इस तरीके से पानी से भिगोई गई कि वह पूर्ण रूप से अज्वलनशील हो)	जैसा है, पन्तु यह तब जबकि भीतरी या बाहरी पैकेज या दोनों इस तरह के होंगे और इस तरह से बंद किए जाएगे नमी में कमी न आ सके।	-यथोक्त -	असीमित । असीमित इस बात के अधीन रहते हुए कि पैकेज और उसकी अर्न्तवस्तु का सकल भार 55 कि.ग्रा. से अधिक ना हो।		...	किसी एक गाड़ी के पिछले ब्रेकयान में कुल 2.5 कि.ग्रा. तक परन्तु यह तब जब उसी डिब्बों में डिटोनेटरों वहन नही किया जाए।	...
वर्ग -3 (डिवीजन -2जारी)							
नाइट्रो ग्वानिडाइन पिकरिक क्षार (पिकरिक क्षार जिसमें भीगी सामग्री पर परिकलित पानी की मात्रा 33 1/3 प्रतिशत है और जो अविस्फोटक है) पिकरिक पाउडर	जैसा वर्ग एक में है	जैसा डिवीजन 1 में है।	25 कि. ग्रा. 25 कि. ग्रा. गन कॉटन के लिए		...	किसी एक गाड़ी के पिछले ब्रेक यान में कुल 2.5 कि. ग्रा. तक परन्तु यह तब जब उसी डिब्बों में डिटोनेटरों का वहन नहीं किया जाए।	
पेंटां एरीथरीयेल टैट्रा नाइट्रेट (पी.ई.टी.एन.) जिसमें 25 प्रतिशत जल की मात्रा हो।	इसे भीगी दशा में परिवहनित किया जाना चाहिए और भीगे भार पर गणना किए जाने पर जल की मात्रा 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए (अथवा पी.ई.टी.एन. के	-यथोक्त-	22.5 कि.ग्रा. 25 कि. ग्रा. (शुष्क आधार पर)	11.25 कि.ग्रा. (शुष्क आधार पर)	(1) एक रेल मालडिब्बे में वहन की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा 600 कि.ग्रा. (2) केवल पाउडर यानों वहन किया जाना चाहिए।	-यथोक्त-	

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग - 3 डिवीजन-2 (जारी)							
	शुष्क भार का 50 प्रतिशत) दोहरा पैकेज, भीतरी पैकेज पालीथीन के थैले का होगा जो ऊपर से सुतली के धागे से बंद होगा और चमकदार टिन के पात्र में रखा जाएगा। थैले और टिन के पात्र को इस तरह से बंद किए जाएंगे कि नमी में कोई महत्व पूर्ण कमी न आए। बाहरी पैकेज, नियम 110.2 में यथा परिभाषित होगा और इस प्रकार से बंद किया जाएगा कि नमी में कोई महत्वपूर्ण कमी न आए।						
वर्ग-3 समाप्त							
डिविजन-2 समाप्त							
पी.ई.टी.एन.- टी.एन.टी. वर्धक	जैसा वर्ग 1 के लिए	जैसा डिवीजन 1 में है	25 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	...	...	...
आर.डी.एक्स. (साइक्लोट्रिमैथी- लिन ट्रिनीट्रैमाइन)	जैसा पी.ई.टी.एन. के लिए	-यथोक्त-	22.5 कि.ग्रा. (शुष्क आधार पर)	11.25 कि.ग्रा. (शुष्क आधार पर)	...	...	...
आर.डी.एक्स.- टी एन टी	जैसा वर्ग 1 के लिए	-यथोक्त-	25 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	...	...	...
टैट्रानाइट्रोमैथील एमिनिटिन (सी ई)	जैसा वर्ग 1 के लिए	-यथोक्त-	25 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	...	...	...

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
ट्राईनाट्रो रीसोसिनाल (स्टाइफनिक एसिड)	जैसा वर्ग 1 के लिए परन्तु यह कि ट्राईनाइट्रो रिसोसिसिनाल (स्टाइफनिक एसिड) को भीगे विस्फोटकों के आधार पर परिकलित के 20 प्रतिशत से अनधिक जल से भिगोया जाएगा और भीतरी पैकेज मजबूत थैले, पेटी या कनस्तर का होगा जो इस प्रकार से बनाया और बन्द किया जाएगा कि नमी में कमी न आए या विस्फोटक बाहर न निकले।	-यथोक्त-	25 कि.ग्रा. (भीगे विस्फोटक)	25 कि.ग्रा. (भीगे विस्फोटक)	...	...	...
ट्राइनाइट्रो टालूइन (टी एन टी)							
स्पोटिंग पाउडर	जैसा वर्ग 1 के लिए	-यथोक्त-	25 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	...	...	...

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 4 **क्लोरेट मिश्रण** **डिवीजन 1** **(परिवहन के लिए प्राधिकृत नहीं है)** **डिवीजन 2** **(परिवहन के लिए प्राधिकृत नहीं है)** **वर्ग 5** **फल्मीनेट** डिवीजन 1 (परिवहन के लिए प्राधिकृत नहीं है) डिवीजन 2 (परिवहन के लिए प्राधिकृत नहीं है) वर्ग 6 गोलाबारूद डिवीजन 1							
पिस्तोलों के लिए पिन फायर कारतूसों से भिन्न ज्वांलक डोरिया के लिए विद्युत लाइटर ज्वांलक डोरी संयोजक, नोबिल सुरक्षा विद्युत फ्यूज रेल कुहरा संकेतक सुरक्षा फ्यूज	(1) एक ही बाहरी पैकेज परन्तु 1.27 से.मी. से अधिक क्षमता के बुलेट कारतूस ऐसी रीति से पैक किए जाएंगे कि किसी बुलैट के प्वाइंट दूसरे कारतूस की कैप से न छू लें। (2) नियम 110 का उप नियम (3) लागू नहीं होता।	नियम 111 उपनियम का 1 (1), (3), (4) और 4 सुरक्षा फ्यूजों को लागू नहीं होते	असीमित : सुरक्षा फ्यूजों से भिन्न पैकेज का सकल भार 55 कि.ग्रा. से अधिक है, नहीं होगा। संख्या में 50	...	(1) ढके हुए लोहे के वैगनों में लदाई और (2) किसी यान में वहन की जाने वाली अधिकतम मात्रा पर कोई निर्बन्धन नहीं है।	मात्रा पर किसी निर्बंधन के बिना पिछले या अगले ब्रेक में वहन किया जा सकता है।	(1) नियम 131.(1) और 132.1 (1) और (3) लागू नहीं होती (2) सुरक्षा कारतूसों के संबंध में नियम 126 भी देखें।

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6 (जारी) डिवीजन 1 (समाप्त) पिस्तोलों के लिए पिनफायर कारतूस	(क) एक प्रेषण में 50 से अधिक होगें एक ही पैकेज में इस प्रकार पैक किए जाएंगे कि उनके पैंदे, अनुकल्पी रूप से विरोधी दिशा में हो। पैंदे, और पिन, मिलबोर्ड या अन्य उपयुक्त सामग्री में के छिद्रों में इस प्रकार फिट किए जाएं कि उक्त कारतूसों में किसी एक के विस्फोट से उक्त कारतूसों में से कोई न जले।	...	संख्या में 50	...	...	...	...
	(ख) 50 से अधिक एक भीतरी और बाहरी पैकेज में, कारतूसों को भीतरी पैकेज में तथा उपर्युक्त अपेक्षित मिलबोर्ड के साथ पैक किया जाएगा।	...	संख्या में 2500	संख्या में 50	...	...	...

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6 - (जारी) डिविजन 2 *छोटे आयुधों के लिए सुरक्षा कारतूसों से भिन्न कारतूस, कोरडियू बिकफोर्ड कोरडेक्स, डेटोनेटिंग फ्यूज फ्यूज हैड, फ्यूज ज्वांलक, आकार वाले चार्ज प्लास्टिक ज्वांलक कोर्ड प्लास्टिक ज्वांलक बत्ती तुरंत जलने वाली दियासलाई विस्फोटकों को दागने के लिए ट्यूबें	(क) *तोप गोलों, तारपिडों, माईन, ब्लास्ट करने या अन्य समान प्रयोजनों के लिए कारतूसों या चार्ज के रूप में बनाए गए विस्फोटक* ऐसी रीति में और इतनी मात्रा में पैक किए जाएंगे जैसी उस विस्फोटक के लिए तब अपेक्षित है यदि वे उस रूप में तैयार न किए गए हो: परन्तु जहा दोहरी पैकिंग की अपेक्षा है वहां से ऐसे कारतूसों या चार्जों बाहरी केस यदि भीतरी का पैकेज की अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है तो भीतरी पैक समझा जाएगा। (ख) इस डिवीजन के अन्य गोला बारूद एक ही बाहरी पैकेज।		(क) उसी विस्फोटक के लिए अनुज्ञात अधिकतम मात्रा तब जब वे इस रूप में तैयार न किए गए है। (ख) 50 कि.ग्रा. (प्रामाणिकता :- विस्फोटक नियम, 1983 का अनुसूची 2)		विनिर्दष्ट मामलों में डिटोनेटिंग फ्यूज को सामान्य माल के साथ वहन करने की अनुज्ञा दी गई है परन्तु यह तब जब -- (1) उन्हे अनुमोदित धातु कैसों या सिलेण्डरों में पैक किया गया हो , और (2)किसी एक पैकेज में और एक गाड़ी में उनकी 22.5 कि.ग्रा. से अधिक नही हो।	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यात्री गाडी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के पिछले ब्रेकयान में वहन करने की अनुज्ञा दी जा सकती है – (क) 305 मीटर डिटोनेटिंग फ्यूज या 500 मीटर डिटेनोटिंग फ्यूज (ज्वालंक डोरी) की एक रील नालीदार गत्ता लगाकर लकडी के केस में पैक की जाती है। (ख) डिटोनेटिंग फ्यूज (ज्वांलक डोरी) के एक से अधिक पैकेज जो ऊपर बताए गए हैं किसी एक गाड़ी में पैक किए जाते है, और (ग) उसी डिब्बे में डिटोनेटरों का वहन नहीं किया जाता।	

*ये वस्तुएं भारतीय आयुध अधिनियम के क्षेत्र में भी आते है। लागू अतिरिक्त नियमों के लिए भारतीय रेल सम्मेलन माल भाडा सूची सं. 41 भाग-(I) जिल्द-(I) का नियम 154 और भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची जिल्द III अध्याय 10 देखें

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6- (जारी) डिविजन 3 छोटे आयुधों के लिए कारतूस जो सुरक्षा कारतूस नहीं है रगड़ ट्यूबें परकुशन प्राइमर्स विस्फोटकों को दागने के लिए ट्यूबे (डिटोनेटरों से भिन्न)	(1) जैसा वर्ग 1 के लिए है (2) 1.27 से.मी. से अधिक क्षमता के बुलेट कारतूस ऐसी रीति से पैक किए जाएंगे कि किसी बुलेट का पाईन्ट दूसरे कारतूस की कैप को न छुए।	...	25 कि.ग्रा.	संख्या में 10 तक किन्तु अधिक से अधिक 1 कि.ग्रा. तक (प्राधिकरण विस्फोटक नियम 1983 का अनुसूची 2)	...	...	इस डिवीजन का कोई भी विस्फोटक किसी अन्य वर्ग या डिवीजन के किसी अन्य विस्फोटक के साथ उसी गाडी में तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके बीच में कम से कम ऐसे तीन डिब्बे न हो जिनमें ज्वलनशील प्रवृति की अन्य खतरनाक माल या वस्तुए या पदार्थ नहीं है, जिससे कि ऐसे किसी विस्फोटक में लगने वाली आग या विस्फोटक को अन्य विस्फोटकों तक पहुंचने से रोका जा सके।
साधारण डिटोनेटर	(क) किसी एक पैकेज में 1000 से अनाधिक डिटोनेटरों की दशा में :- (1) जैसा वर्ग 1 के लिए है। (2) डिटोनेटरो और उनके खाली भागों में और उनके भीतरी पैकेज के किनारों के बीच के खाली भाग में बारीक बुरादा या अन्य वैसी ही सामग्री भरी	नियम 111 के उप नियम 1 (4) में उपबंधित के अनुसार भार दर्शनें के स्थान पर प्रत्येक केस	(क) 1000 संख्या में	100 संख्या में	जब सामान्य गाड़ी में कुल माल के साथ उसी यान में लादा जाए तो किसी एक गाड़ी में कुल संख्या 20,000 तब तक परन्तु यह तब जब ।	किसी एक गाड़ी केपिछले ब्रेकयान में कुल संख्या 200 तक, परन्तु यह तब जब - (1) किसी एक पैकेज या कुल पैकेजों में विस्फोटकों की संख्या 226.79 कि.ग्रा. से अधिक नहीं हो।	-यथोक्त-

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6- (जारी) डिविजन 3 साधारण डिटोनेटर (जारी)	जाएगी। सभी डिंटोनेटरों के दोनों छोरों तथा भीतरी पैकेज के, जिसमें उन्हें रखा जाता है, भीतरी भाग में ऐसी रीति में फैल्ट, रूई,ऊन या अन्य मुलायम गद्देदार सामग्री लगाई जाएगी और ऐसी मजबूती से रखी जाएगी कि डिटोनेंटरों के दोनों छोर उक्त फेल्ट या रूई या ऊन अन्य सामग्री पर टिके रहें। यदि भीतरी पैकेज धातु का है तो प्रत्येक पैकेज में कागज या अन्य मुलायम सामग्री की परत पूरे भीतरी भाग में लगाई जाएगी। (ख) किसी एक पैकेज में 1000 से अधिक डिटोनेटरों की दशा में - (1) डिटोनेटरों को भीतरी पैकेज में ऊपर मद (क) (2) में वर्णित रूप में बुरादे और रूई, ऊन या अन्य वैसी ही सामग्री लगाकर पैक किया जाएगा। ऐसे भीतरी पैकेजों को मजबूत लकड़ी या धातु के केस के भीतर रखा जाएगा। यह केस इस प्रकार से बनाया या बंद किया जाएगा ताकि भीतरी पैकेज को बाहर	में डिटोनेटरों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए। तथापि जब डिटोनेटरों का ब्रेक यान में वहन अपेक्षित हो तब विस्फोटक का भार भी अकिंत किया जाना चाहिए।	(ख) 1000 संख्या में 10,000 संख्या में		- (1) वे धातु के ऐसे केसों या सिलेण्डरों में पैक किए गए हो या सब प्रकार से परिशिष्ट 1/3 में दिए गए साधारण विनिर्देशों के अनुरूप हो और (2) धातु के किसी केस या सिलेण्डर में सं. 6 वाणिज्यक डिटोनेटरों की संख्या 10,000 से अधिक नहीं हो	(2) प्रेषक द्वारा अग्रेषण टिप्पण पर प्रत्येक पैकेज में विस्फोटक का भार स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कए घोषणा की जाए, और (3) किसी अन्य विस्फोटक का वहन उसी डिब्बे में नहीं किया जाए।	

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6- (जारी) डिविजन 3 साधारण डिटोनेटर (जारी)	निकलने से रोका जा सके। ऐसे केस को एक बाहरी पैकेज के अंदर ऐसी रीति में और ऐसी मजबूती के साथ रखा जाएगा ताकि केस और उक्त बाहरी पैकेज के भीतरी प्रत्येक भाग के बीच कम से कम 7.5 से.मी. का रिक्त फासला रहे। यह इस बात के होते हुए भी किया जाएगा कि ऐसा रिक्त फासला रखने के स्थान में, यदि यह अच्छा समझा जाए तो बुरादा, भूसा या अन्य वैसी ही सामग्री भरी जा सकती है या हल्का फ्रेम या लकड़ी के टुकडें रखे जा सकते है। जिससे कि उपरोक्त केस को बाहरी पैकेज में ठीक स्थान पर रखा जा सके। (2)जहां डिटोनेटरों की संख्या 5000 से अधिक हो वहां सबसे बाहरी पैकेज में है हैंडल या कोई ऐसा अन्य साधन लगाया जाएगा जिससे उसका वहन सुरक्षापूर्वक और सुविधापूर्वक किया जा सके।						

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 6 (समाप्त) डिवीजन 3 (समाप्त) विद्युत डिटोनेटर भूकंप विद्युत डिटोनेटर डिले डिटोनेटर डिटोनेटिंग रिले	(1) जैसा वर्ग 1 के लिए है (2) जहां किसी बाहरी पैकेज में संख्या 3,000 से अधिक हो वहां ऐसे बाहरी पैकेज में हैण्डल या ऐसा अन्य साधन लगाया जाएगा जिससे उसका वहन सुरक्षापूर्वक और सुविधापूर्वक किया जा सके।	नियम 111 के उप नियम 1 (4) में उपबंधित के अनुसार भार दर्शाने के स्थान पर प्रत्येक केस में डिटोनेटरों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए तथापि डिटोनेटरों का ब्रेकयान में वहन अपेक्षित हो तब विस्फोटक का भार भी अंकित किया जाना चाहिए।	संख्या में 5,000	संख्या में 100	जब सामान्य माल के साथ उसी यान में लादा जाए तो किसी एक गाड़ी में कुल संख्या 2000 तक परंतु यह तब जब - (1) वे धातु के ऐसे केसों या सिलेण्डरों में किए गए हो जो सब प्रकार से उपबंध।/3 में दिए गए साधारण विनिर्दिशों के अनुरूप भार स्पष्ट रूप हो और (2) धातु के किसी केस या सिलेण्डर में सं. 6 वाणिज्यिक डिटोनेटरों की संख्या 10,000 से अधिक नहीं हो।	किसी एक गाड़ी के पिछले ब्रेक वैन में कुल संख्या 200 तक, परन्तु यह तब जब (1) किसी एक पैकेज या कुल पैकेज विस्फोटकों की मात्रा 226.79 कि.ग्रा. से अधिक नहीं हो और (2) प्रेषक द्वारा अग्रेषण टिप्पण पर प्रत्येक पैकेज में विस्फोटक का भार स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक घोषणा की जाए और (3) किसी अन्य विस्फोटक का वहन उसी डिब्बा में नहीं किया जाए।	इस डिवीजन का कोई भी विस्फोटक किसी अन्य विस्फोटक के साथ उसे गाड़ी में तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके बीच में कम से कम तीन ऐसे डिब्बे खतरनाक माल या वस्तुएं ज्वलनशील प्रवृति के पदार्थ नहीं हो, जिससे कि ऐसे किसी विस्फोटक में लगने वाली आग या विस्फोटकों अन्य विस्फोटकों तक पहुंचने से रोका जा सके।

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 7 **अतिशबाजी** डिवीजन 1 परिवहन के लिए प्राधिकृत नहीं है। डिवीजन 2 अमोरसेज खिलौना पिस्तौलों के लिए कागजी गोलियां)	(1) अमोरसेज को कम से कम 0.35 मिलीमीटर मोटाई के गत्ते के अनुमोदित बंद डिब्बों में पैक किया जाएगा डिब्बे गोलाकार होंगे और उनका व्यास 2.5 सेन्टीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा तथा प्रत्येक डिब्बे में 50 से अधिक अमोरसेज पैक करने से पूर्व नालीदार गत्ते की गोलाकार शीट लगाई जाएगी। तथापि यदि 30 से अनधिक अमारेसज एक गत्ते के बक्से में पैक किए जाते है तो नालीदार गत्ते की गोलाकार शीट को ऐसे बक्स में रखने की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा बाक्स की ऊंचाई 1 सेन्टीमीटर तक घटाई जा सकेगी।		संख्या में 50 तक किन्तु अधिक से अधिक 10 कि.ग्रा.	संख्या में 25 तक किन्तु अधिक से अधिक 5 कि.ग्रा.	(1) ढके हुए डिब्बों में, जिसके अन्तर्गत डिब्बा भी है, लदाई करने पर कोई निर्बंधन नहीं है। (2) जब अमोरसेज को सामान्य माल के साथ उसी यान में लादा जाए तब किसी एक गाड़ी में कुल एक केस, जो स्तम्भ 2 में मद, में विहित मध्य पैक किया गया हो और जिसका सकल भार 30 कि.ग्रा. से अधिक नहीं।	किसी एक गाड़ी से उसके पीछे या आगे के ब्रेकयान में कुल 0.45 कि.ग्रा. परन्तु यह तब जब उसे डबल ओशन क्राफट पेपर में मजबूत लकड़ी के केसों में पैक किया जाता है। ओशान क्राफट पेपर की परत इस प्रकार से लगाई जानी चाहिए कि ऊपर के फोल्ड एक दूसरे के ऊपर पड़े तथा जहां सिरे मिलें वहां उन्हें चिपकने वाले टेप से सुरक्षित किया जाना चाहिए।	इस डिवीजन का कोई भी विस्फोटक किसी अन्य विस्फोटक के साथ उसी गाड़ी में में तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके बीच कम से कम तीन ऐसे डिब्बे न हो जिनमें खतरनाक माल या वस्तुएं या ज्वलनशील प्रकृति के पदार्थ नहीं है जिससे कि ऐसे किसी विस्फोटक में लगी आग या विस्फोटक को अन्य विस्फोटकों तक पहुंचने से रोका जा सके।

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 7 (जारी) डिवीजन 2 (जारी)							
	(i) प्रत्येक अमोरसेज के टेप में 100 बिन्दुओं से ज्यादा नहीं होगा। (ii) छह अमोरसेज टेप, बेलनाकार प्लास्टिक के पात्र में पैक किए जाएंगे और इस प्रकार रखे गए दो पात्रों को कागज में एक सेल की भांति लपेटा जाएगा ऐसे बारह सेल को मोटे गत्ते के बाक्स में पेक किया जाएगा। ऐसे 50 गत्ते के बाक्स बाहरी काष्ठ बाक्स में पैक किए जाएगा जिसके अंदर दोहरे औशन क्राफ्ट कागज की लाईनिंग होगी। (2) अमोरसेज को किसी अन्य आतिशबाजी के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए। (3) नियम 110 का उपनियम 3 लागू नहीं होता।						
चीनी पटाखें क्रिसमस या बान-बान पटाखें (चीनी पटाखें से भिन्न)	1. एकल बाहरी पैकेज 2. नियम 110 का उपनियम 3 लागू नहीं होता।		50 कि.ग्रा.		(1) ढके हुए लोहे के वैगनों में लदाई के बारे में या किसी एक यान में वहन की जाने वाली अधिकतम मात्रा के निबर्धन नहीं है।	किसी एक गाड़ी में कुल मिलाकर 10 कि.ग्रा. तक जो मात्रा पिछले या अगले ब्रेकवेन में रखी जाएगी परन्तु यह तब जब वह	इस डिविजन का कोई भी विस्फोटक किसी अन्य वर्ग या डिवीजन के अन्य विस्फोटक के साथ उसी गाड़ी में तब तक

विस्फोटक का वर्ग व नाम	पैकिंग नियम 110 भी देखिए	चिह्नांकन और लेबल की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 111, 114 और 130.1 भी देखिए	वह मात्रा जो पैकेज में रखी जा सकती है		मालगाड़ी से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 119, 120, 121, 122 और 124 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम 125 भी देखिए	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम 127, 128, 129, 131 और 132 भी देखिए
			बाहरी पैकेज	भीतरी पैकेज			
1	2	3	4		5	6	7
वर्ग 7 (समाप्त) डिवीजन 2 (समाप्त) कष्ट संकेत राकेट गुलदस्ते या अनार सांप आतिशबाजी (मरूम) खान में काम करने वालें के पटाखें फेरों सर्प या कोबरा अण्डे राकेट, जो आकार में 76 मि.मि. लम्बाई और 25.4 मि.मि. के विमा से अधिक न हों परन्तु यह तब जब वे धातु केसों में न हों रोमन कैडिंल घोले सॉकेट कष्ट संकेत सॉकेट प्रकाश संकेत सॉकेट ध्वनि संकेत पलीता पूर्ण संकेत कारतूस चक्कर					(2) एक ही यान में सामान्य माल यातायात के साथ लदाई की दशा में किसी एक गाड़ी से कुल भार 1 क्विंटल तक परन्तु यह तब जब वह टिन, जस्ते अथवा एल्युमीनियम के केसों में वायुरूद्ध रूप से सीलबंध करके पैक की गई हो अथवा मजबूत लकड़ी बाहरी केसो में भलीभांति सोल्डर करके लगाई गई लाईनिंग के साथ पैक की गई हो। किसी भी बाहरी केस में 45 कि.ग्रा. से अधिक अतिशबाजी नहीं होगी।	टिन, जस्ता या एल्यूमीनियम के केसों सिलबंध करके पैक की गई हो अथवा मजबूत लकड़ी के बाहरी केसो में भलीभांति सोल्डर करके लगाई गई लाइनिंग में पैक की गई हो।	वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके बीच कम से कम तीन ऐसे डिब्बे न हो जिनमें अन्य खतरनाक माल या वस्तुएं या ज्वंलनशील प्रकृति पदार्थ नहीं हैं जिससे कि ऐसे किसी विस्फोटक में लगने वाली आग या विस्फोटकों अन्य विस्फोटक को तक पहुंचने से रोका जा सके।

परिशिष्ट I/1

नियम 105.1(1) देखे

परिशिष्ट I /1

प्ररूप 16

पास का प्ररूप

(विस्फोटक नियम, 1983 का नियम 32 (2) देखिए)

विस्फोटकों के प्रेषण के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञप्ति

(विस्फोटक) ..... के धारक द्वारा दिया गया पास।

1. संख्यंक .....
2. यह पास पैकेजों के, ...से .....तक परिवहन के लिए है, जिनमें निम्नलिखित विस्फोटक है :

नाम और विवरण	वर्ग	डिवीजन यदि कोई हो	मात्रा	पैकेजों की संख्या	बैच संख्या और तारीख
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					

3. विस्फोटकों का रेल/सड़क यान सं. ..... जिसकी अनुज्ञप्ति सं. ..... है द्वारा ..... तक/लारी सं. .....

अन्य अयांत्रिकृत: नोदित यान द्वारा परिवहनित किया जा रहा है।

4. प्रेषिती का नाम .....
5. प्रेषिती की अनुज्ञप्ति सं. और प्ररूप सं. .....
6. प्रेषिती की आर्डर संख्या और तारीख और आर्डर किए गए प्रत्येक विस्फोटक की मात्रा .....
7. विस्फोटकों को प्राप्त करने की तत्परता सूचित करने प्रेषिती के पत्र की संख्या और तारीख .....
8. प्रेषण सौंपे जाने की तारीख .....
9. वह अनुमानित तारीख जिसको प्रेषण गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहिए। .....

(हस्ताक्षर)

परिवहन अनुज्ञप्ति सं. का धारक.

परिशिष्ट I/2
नियम 107(ख) देखे

परिशिष्ट I/2

प्ररूप 1

विस्फोटक परीक्षण प्रमाणपत्र

(विस्फोटक नियम, 1983 का नियम 28 और 34 में विहित के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के विस्फोटकों के नमूनों की परीक्षा की गई है और वे ऐसे विस्फोटकों को लागू अनुसूची 3 में उपवर्णित परिक्षणों में पूरे उत्तर है. तीसरी श्रेणी (नाइट्रो कम्पाउण्ड) या चौथी श्रेणी (क्लोरेट मिश्रण) के डिवीजन के विस्फोटकों की दशा में, नमूनों में द्रवण का अथवा नि:सृत्व नाइट्रो-ग्लेसरीन का कोई चिन्ह नहीं है।

***आयातकर्ता/ प्रेषक का नाम और पता**	**विस्फोटक का विवरण**	**पैकेजों की संख्या और बैच संख्या**	**सारणी के स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट विनिर्माण की तारीख और बैच संख्या**	**आभा प्रकट होने के लिए ताप परीक्षण में लगा वास्तविक समय**	**टिप्पण**

यह प्रमाणपत्र केवल 12 महीने अर्थात तारीख ..... तक विधिमान्य है। परन्तु नाइट्रो-ग्लीसरीन सम्मिश्रणों जो नोंदको के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते यह पश्चातवर्ती 31 जुलाई का समाप्त हो जाएगा।

तारीख :
स्थान :

परिक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
जारी करने वाले कार्यालय की मुद्रा

*आयात की दशा में आयातकर्ता का नाम और परिवहन की दशा में प्रेषक का नाम।

<u>परिशिष्ट I/3</u>
सारणी I देखे

परिशिष्ट I/3

विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुमोदित

धातु केसें या सिलेण्डरों के लिए साधारण विनिर्देश

विनिर्देश 3

विस्फोटक नहीं नियम, 1983 में अन्तर्विष्ट के लिए धातु केसों के लिए विनिर्देश

साधारण :

मुख्य भाग कच्चे लोहे, मृदु इस्पात, कठोर रोल की हुई पीतल, मुंज धातु या जस्ते का होगा जिसके दोनों छोर रिबेट होंगे या वेल्डिंग द्वारा फिट किए गए होगें और ढक्कन और तले को जोड़ने के लिए उसी धातु की या गन-मैटल की फ्लैंज होगी : यदि वह लोहे या इस्पात की है तो बनाए जाने के पश्चात् वह पूरी तरह गैल्वनीकृत होगी या अच्छी प्रकार से रंगी हुए होगी। मोटाई 18 बिरमंघम गैज से कम नहीं - 1.257 मि.मी. या यदि जस्ते की है तो 9.5 मि.मी. से कम नहीं।

नीचे का भाग उसी धातु का या गन-मैटल का होगा : यदि लोहे या इस्पात का है तो पूरी तरह गैल्वनीकृत होगा तथा मुख्य भाग की फ्लैज के साथ मजबूती सा रिवेट किया हुआ या ऐसी फ्लैंज के भाग के रूप में होगा।

मोटाई 3.2 मि.मी. से कम नहीं अथवा यदि जस्ते का है तो 9.5 मि.मी. से कम नहीं।

आनुकल्पिक रूप से तल 4.8 मि.मी. मोटा मृदु इस्पात का, पूर्णतया गैल्वनीकृत और नतोदरित होगा जिससे कि वह मृदु इस्पात से बने मुख्य भाग पर यथापूर्वोक्त कस कर फिट हो जाए किन्तु नीचे के फ्लैंज के बिना, उसका मुख्य भाग, नतोदरित तल में कम से कम 25.4 मि.मी. प्रक्षेपित होगा तथा नतोदरित छोर तथा मुख्य भाग के किनारे निरन्तर क्रमश: मुख्य भाग तथा नतोदरित तल से वैल्ड होंगे।

ढक्कन उसी धातु का या गन-मैटल का होगा; यदि लोहे या इस्पात का है तो पूरी तरह गैल्वनीकृत होगा। मोटाई केन्द्र में 1.6 मि.मी. से कम नहीं और रिम पर 3.2 मि.मी. से कम नहीं अथवा यदि जस्ते का है तो हर भाग में 9.5 मि.मी. से कम नहीं होगी।

ढक्कन को कम से कम 4 अच्छे पेचों, बोल्टों या स्विंग बोल्टों से मजबूत छपके सहित या उसके बिना, लगाया जाएगा कब्जा चारों पेचों, बोल्टों या स्विंग बोल्टों में से एक के स्थान पर लगाया जा सकता है।

ढक्कन और फ्लैंज के बीच चमड़े, भारतीय रबड़ या अन्य उपयुक्त सामग्री का वाशर लगाया जाएगा किन्तु यह तब जब ढक्कन में बाहर को निकलती ऐसी रिंग फिट नहीं की गई हो जो फ्लैंज की किसी गहराई में बैठ जाए।

सभी रिबेट शीर्ष अच्छी तरह तैयार किए जाएगे पैकेज के भीतरी भाग में खुरदरे किनारे या उठान नहीं होने चाहिए। पूरा केस या सिलेण्डर अच्छी सामग्री का या अच्छी कारीगरी का होना चाहिए और उसे अच्छी दशा में रखा जाना चाहिए।

विनिर्देश 4

विस्फोटक नियम, 1983 में यथाअन्तर्विष्ट विस्फोटकों के परिवहन हेतु धातु के केसों के लिए विनिर्देश

डयूराल्यूमिन पात्र :

भीतरी मात्र की विमाएं 902 मि.मी. गहरी X 308 मि.मी. चौड़ी X 267 मि.मी. लंबी होगी।

मात्र 1.626 मि.मी. (सं.16 एस. डब्ल्यू. जी.) शीट का एक पीस में होगा और 3.00 मि.मी. (5/6 इंच) व्यास के तथा जोड़ पर 25.4 मि.मी. पिच के रिबेट से जुड़े होंगे, अन्य तीन कोनो में पिन 50.8 मि.मी. और कोण 31.8 मि.मी. X 31.8 मि.मी. X 4.8 मि.मी. पर ऊपर रिबेट किया हुआ ओर गोल तल्ले में 25.4 पिच के 8 मि.मी. व्यास के रिबेट होंगे।

पात्रो के तल 3.25 मि.मी. (संख्यांक 10 एस.डब्ल्यू.जी.) शीट के होंगें, जिसमें चारो ओर 31.8 मि.मी. X 31.8 मि.मी. 4.8 के ऐंगल होंगे और वे 8 मि.मी. व्यास के रिवेटों से कीलित होंगे। किनारों की 2.642 मि.मी.(सं. 12एस.डब्ल्यू.जी.) शीट, ऐंगल और तल की प्लेट से 8 मि.मी. व्यास की रिवेटों से कीलित होंगी।

पात्र का ढक्कन 2.032 मि.मी. (सं. 14 एस.डब्ल्यू.जी.) शीट का होगा जिसमें चारों ओर 37.6 मि.मी. 25.4 मि.मी.4.8 मि.मी. के ऐंगल, 8.00 मि.मी. व्यास के रिवेटों से कीलित होगा। कोनें की 2.042 मि.मी. (सं.12 एस.डब्ल्यू.जी.) शीट, ऐंगल और कवर प्लेट से 8.00 मि.मी. व्यास के रिवेटों से कीलित होंगी।

ढक्कन, पात्र के साथ, 12.7 मि.मी. के वाशर वाले चार व्हिस्वर्थ सेट पिनों से जोड़ा जाएगा।

31.8 मि.मी. 3.2 मि.मी. मोटा रबड़ का जोड़, कवर प्लेट के नीचे की ओर, 6.3 मि.मी. व्यास के बारह रिवेटों से कीलित होगा, ढक्कन और जोड़ में 15.9 मि.मी. व्यास के छिद्र जो 12.7 मि.मी. सेट पिनों के लिए उपयुक्त होंगे, छिद्रित किए जाएगे।

दो डयूराल्यूमिन डाउन हैण्डल, पात्र से कीलित किए जाएगे।

विनिर्देश 5

विस्फोटक नियम 1983 में अन्तर्विष्ट विस्फोटकों के परिवहन के लिए धातु केसो के विनिर्देश

मुख्य भाग कच्चे लोहे या मृदु इस्पात पूरी तरह गैल्वनीकृत होगा. मोटाई 18 बिरमिंघम गेज (.0495 इंच) होगी। ऊपरी छोर पर एल्यूमीनियम अयस्क (125 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत जस्ता : 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तांबा : शेष एल्यूमीनियम) का बना हुआ 12.7 मि.मी. मोटा फ्लैंज लगा होगा।

नीचे का भाग एल्यूमीनियम अयस्क का होगा जो किनारों पर 12.7 मि.मी. से अनधिक मोटा और केन्द्र में 4.8 से अनधिक मोटा होगा, जिसे 25.4 मि.मी. ऊंची और कम से कम 6.3 मि.मी. से सुरक्षित होगा जो इस प्रकार बनाया जाएगा जो मुख्य भाग के भीतर पूरी तरह फिट होगा और 6.3 मि.मी. ब्यास की रिबेटो से कीलित होगा।

ढक्कन एल्यूमिनियम अयस्क का होगा जो किनारों पर 12.7 मि.मी. से अनधिक मोटा और केन्द्र में 6.3 से अनधिक मोटा होगा और वह फ्लैंज से आठ पेंचदार स्टडों से कैसा जाएगा।

ढक्कन और फ्लैंज के बीच चमड़े, भारतीय रबड़ या अन्य उपयुक्त सामग्री का वाशर लगाया जाएगा किन्तु यह तब जब ढक्कन में बाहर को निकलती ऐसी रिंग फिट नहीं की गई हो जो फ्लैंज की किसी गहराई में बैठ जाए।

सभी रिवेट शीर्ष अच्छी तरह तैयार किए जाएंगे तथा पैकेज के भीतरी भाग में खुरदरे किनारे या उठान नहीं होने चाहिए।

परिशिष्ट I/4
(नियम 134.1)

परिशिष्ट I/4

क्रम संख्यांक :
स्टेशन :
डिवीजन :
रेल :
तारीख :

वाणिज्य विभाग

विस्फोटकों के प्रेषण के भेजे जाने की सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

*.....

जो रेल रसीद/लोक यात्रा पत्रक सं. ..... तारीख .....

के ..... अन्तर्गत ..... द्वारा .....को,

.....स्टेशन ..... होते हुए बुक किया गया था यहां से ..... तारीख ..... को सीलबंद वैगन सं. ..... में ..... को सं. ..... भेजा दिया गया है।

इस प्रेषण की बाबत सीधा बीजक/यात्रा पत्रक (प्रेषक की घोषणा के साथ जिसमें आशयित प्रेषिती का पूरा नाम और पता दिया गया है) संलग्न है।

2. कृपया प्रेषिती/आशयित प्रेषिती†† को सूचित कर दे कि वह प्रेषण के पहुंचने पर उसकी सुपुर्दगी तुरन्त लेने के लिए तैयार रहे।

3. बीजक का भाड़ा .....रुपये ₹.....पैसे..... संदत्त कर दिया गया है/संदत्त किया जाना है††

.....
माल लिपिक/स्टेशन मास्टर
..... स्टेशन

---

* यहां माल का विवरण दीजिए।

††जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

टिप्पण - कोष्ठकों में दिया गया भाग केवल तब लिखा जाए जब परेषण अपने नाम से बुक किया हो।

परिशिष्ट I/5
(नियम 134.1)

परिशिष्ट I/5

क्रम संख्यांक :
स्टेशन :
डिवीजन :
रेल :
तारीख :

वाणिज्य विभाग

विस्फोटकों के प्रेषण के पहुंचने की अग्रिम सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

*..... आपको ..... स्टेशन से ..... द्वारा ..... रेल रसीद सं. ....तारीख ..... के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

2. कृपया प्रेषण के पहुंचने पर उसकी सुपुर्दगी रेल रसीद प्रस्तुत कर के तुरन्त लेने की व्यवस्था करे।

3. बीजक का भाड़ा ..... ₹रुपये .....पैसे..... संदत्त कर दिया गया है/संदत्त किया जाना है†

.....
माल लिपिक/स्टेशन मास्टर

---

* यहां माल का विवरण दीजिए

†जो लागू नहीं होता उसे काट गया दीजिए।

परिशिष्ट I/6
(नियम 107.1 5)

परिशिष्ट I/6

अपने नाम से बुक किए गए विस्फोटकों की दशा में प्रेषक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं/हम घोषित करता हूं/करते है कि †..... जो ..... मैंने/हमने ..... स्टेशन से ..... स्टेशन के लिए भेजे जाने के लिए सुपुर्द किए है, मैसर्स/श्री*.....
द्वारा छुड़ाया जाएगा/छुड़ाए जाने की आशा है, जो कि विस्फोटक नियम के अधीन प्रेषण को प्राप्त करने का हकदार है/हैं।

स्टेशन ..... प्रेषक के हस्ताक्षर.....

तारीख ..... पता .....

बुक करने वाले स्टेशन द्वारा भरा जाए

यह घोषणा बीजक/लोक मार्ग पत्रक सं. ..... तारीख ..... 19..... के अन्तर्गत बुक किए गए प्रेषण की बाबत है।

तारीख ..... बुक करने वाले लिपिक के हस्ताक्षर

टिप्पण :- यह घोषणा सीधे बीजक/मार्ग पत्रक के साथ, बुक करने वाले स्टेशन द्वारा गन्तव्य स्टेशन को डाक से भेजी जानी गया चाहिए।

†यहां माल का विवरण दीजिए
*यहां नाम और पूरा पता दीजिए।

परिशिष्ट I/7
(नियम 135.2)

परिशिष्ट I/7

प्रेषक/प्रेषिती आशयित प्रेषिती पर तामील की जाने सूचना

क्रम संख्यांक :
स्टेशन :
डिवीजन :
रेल :
तारीख :

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

विषय .....से ..... तक के लिए बीजक/लोक मार्ग पत्रक सं. ....तारीख .....

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर वर्णित प्रेषण/पार्सल जिसके कि आप प्रेषक/प्रेषिती हैं, गन्तव्य स्टेशन पर पड़ा है और छुडाया नहीं गया है। कृपया ध्यान दे कि यदि वह इस पत्र को प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके, नहीं छुडाया जाता तो भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के द्वारा 83 और 84 के अधीन उसे, आपको कोई और सूचना दिए बिना, व्ययनित करने की व्यवस्था की जाएगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े, डैमरेज, स्थान भाड़े आदि मध्य रेल को देय रकम विक्रय आगमों से पूरी नहीं होती तो मैं आपसे बकाया राशि चुकाने के लिए आग्रह करूंगा।

देय प्रभारों के ब्यौरे

1. भाड़ा ₹ .....
2. डेमरेज ₹ .....
3. उतराई प्रभार ₹.....
4. स्थान भाड़ा ₹ .....

प्रति 50 कि.ग्रा. प्रति दिन की दर से
तारीख से प्रेषण को हटाने की तारीख तक

भवदीय

.

अध्याय ।।
दबाव के अधीन संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसे

अध्याय ।।

दबाव के अधीन संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसे
भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल

201. सारणी।। में विनिर्दिष्ट दबाव के अधीन संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसे खतरनाक माल समझी जाएंगी।

संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों के वहन के बारे में साधारण निर्बन्धन

202.1 संपीडित, द्रवित या विलीयत गैसों का केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी ।। में विनिर्दिष्ट संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

202.2 वहन करने से इन्कार करने का रेल का अधिकार- इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी ।। मे विर्निदष्ट किसी विशिष्ट संपीडित द्रवित या विलयित गैस को जनसाधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा।

ऐसी सूचना जारी करने के पश्चात कोई भी ऐसी संपीडित, द्रवित या विलीयत गैस उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सैक्शन या सैक्शन पर, जिसकी बाबत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

202.3. रेलो पर निर्बन्धन:-

(1) मुम्बई पत्तन न्यास रेल - पूरे वैगन भार के रूप में संपीडित, द्रवित या विलयित गैस का वहन मु. प. न्या. रेल पर केवल विशेष व्यवस्था के अधीन की जाएगी।

(2) केंद्रीय अन्तर्देशीय जल - परिवहन निगम लि. संपीडित, द्रवित या विलयित गैसे केवल स्वामी की जोखिम पर ग्रहण की जाती हैं।

प्रेषण की सूचना प्रेषक द्वारा दिया जाना

203.1 प्रेषण सूचना का अनिवार्य होना - रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्ही अपवादों के अधीन रहते हुए संपीडित, द्रवित या विलीयत गैसों का कोई भी प्रेषण तब तक प्रेषण के लिए किसी रेल को नहीं भेजा जाएगा जब तक ऐसे प्रेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना उपनियम 203.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती और जब तक उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी जिससे प्रेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचित नहीं कर देता कि प्रेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

203.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां - नियम 203.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संबोधित होगी जिससे माल भेजा जाने वाला है और ऐसी सूचना प्रेषण को स्टेशन पर ले जाने से कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व भेजी जाएगी, सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो।

सूचना में निम्नलिखित विशेष्टियों का विवरण होगा

(1) गैस का सही नाम और विवरण तथा प्रेषण में सिलेण्डरों या कंटेनरों की संख्या और भार
(2) प्रेषक का नाम और पता
(3) प्रेषिती का नाम और पता
(4) यह घोषणा कि गैसों को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों, अर्थात, नियम 207 और 208 के अनुसार पैक और चिह्नांकित किया गया है।

टिप्पणी :- सभी दृष्टियों से पूर्ण अग्रेषण पत्र जो प्रेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से
(1) अड़तालीस घण्टे पूर्व दिया गया हो, इन नियमों के अधीन समूचित सूचना समझा जाएगा।
(2) जब रेल स्टेशन या शेड का भारसाधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषकों इन नियमों के अधीन समूचित सूचना समझी जाएगी।

रेलकर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाण पत्र अग्रेषण पत्र, आदि अभिप्राप्त करना

204.1 अपेक्षित दस्तावेज - सारणी।। में उल्लिखित संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसों के प्रत्येक प्रेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृन्द पर प्रेषक से सभी दृष्टियों से पूर्ण एक अग्रेषण पत्र, विशेष रूप से विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबन्ध 'क' देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

प्रेषक के प्रत्येक सिलेण्डर या कंटेनर का चक्राक्रम संख्याक जो सिलेण्डर या कंटेनर के ऊपरी भाग पर स्टाम्पित किया जाता है, भेजने वाले द्वारा प्रेषण पत्र पर दर्ज किया जाना चाहिए।

204.2 बीजक या मार्ग पत्रक पर टिप्पणियां - संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसों के प्रेषणों के लिए जारी किए गए बीजकों और मार्ग पत्रकों पर अग्रेषण टिप्पण में दिए गए के अनुसार सिलेण्डरों या कंटेनरों के चक्रानुक्रम संख्यांक पृष्ठांकित किए जाने चाहिए। परन्तु जब सिलेण्डरों को वैगन भार के रूप में प्रस्तुत किया जाए तब गैस सिलेण्डरों के चक्रानुक्रम संख्यांक को अग्रेषण टिप्पण में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्रहण करने के बारे में प्रतिषेध

205.1 मिश्रित प्रेषणों का प्रतिषेध - (1) संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसों को अन्य माल के साथ प्रेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें एक पृथक अगेषण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा पृथक प्रेषण के रूप में बुक किया जाना चाहिए।

(2) जो गैसें साथ-साथ नहीं लादी जा सकती उन्हें भी पृथक अग्रेषण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पृथक प्रेषक के रूप में बुक किया जाना चाहिए।

205.2 टैंक वैगनों में गैसों का जिनका लाइन परिवर्तन द्वारा यानान्तरण करना पड़े सामान्यतया ग्रहण नहीं किया जाना - जब गैसों का वहन टैंक वैगनों में किया जाए तब उन्हें किन्हीं ऐसे दो स्टेशनों के बीच रेल से वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा जिनमें लाइन परिवर्तन द्वारा यानान्तरण करना पड़े किन्तु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है।

गैसों का प्राधिकृत रेल सेवकों द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

206. रेल से वहन के लिए आशायित संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैसों के प्रेषण केवल

(क) सम्यक् रूप से प्राधिकृत रेल सेवकों द्वारा; और

(ख) सूर्योदय और सूर्योस्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थानों पर जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

207.1 गैसों का तभी वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक की गई हो - (1) कोई संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैस तब तक वहन के लिए नहीं सौपी जाएंगी या वहन नहीं की जाएंगी जब तक

(क) गैस सिलेण्डर नियम 1981 में; या

(ख) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं.जी.एस.आर.625 (अ) तारीख 7-8-1983 में; या

(ग) गैस सिलेण्डर नियम, 1982 में विहित विनिर्देशों के अनुरूप गैस सिलेण्डरों के भिन्न कंटेनरों के लिए विशेष शर्तों में, जैसी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जाएं, जो भी उस गैस को लागू हो अधिकथित रीति में पैक नहीं की गई है।

(2) द्रव वायु, द्रव आक्सीजन और द्रव नाइट्रोजन का परिवहन केवल तब किया जाएगा जब वे सारणी ।। में स्तम्भ 4 में अधिकथित रीति में पैक की गई हो।

207.2 परिवहन के दौरान वाल्वों की रक्षा - (1) प्रत्येक ऐसा सिलेण्डर जिसमें द्रव गैस के परिवहन के दौरान, यदि मजबूती से किसी बाक्स या क्रेट में पैक नहीं किया गया है तो उसके वाल्व की क्षति से रक्षा, खण्ड (2) और (3) में उपबन्धित रीति से की जाएगी।

(2) जहां सिलेण्डर के डिजाइन में वाल्व के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है जो कि सिलेण्डर के मुख्य यान के स्तर से बिल्कुल नीचे लगा है तो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के धातु के कैप, धातु ढक्कन या रक्षक धातु के छल्ले या ग्रिल का उपबंध करके की जाएगी। डिजाइन ऐसा होगा कि कैप या ढक्कन या छल्ला या ग्रिल वाल्व या वाल्व की बाड़ी को किसी भी स्थान पर स्पर्श न करें।

(3) ऐसे सिलेण्डर जिसमें अति विषैली गैसें जैसे कि हाइड्रोजन सायनाइड, फोसजीन, साइनोजन, साइनोजन क्लोराइड आदि हैं, से भिन्न सिलेण्डरों में वाल्व की रक्षा के लिए यदि धातु के कैप या धातु के ढक्कनों का उपलब्ध किया गया है तो उनमें ऐसे आकार का छत्र बनाया जाएगा जिससे कि कैप या ढक्कन के भीतर गैस के दबाव का निवारण किया जा सके।

(4) ऐसे सिलेण्डर जिसमें अति विषैली गैसें जैसे कि हाड्रोजन सायनाइट, फासजीन, साइनोजन, साइनोजन क्लोराइड आदि है, में उनके वाल्वों की रक्षा के लिए उनमें गैस टाइट धातु के कैप या ढक्कन लगाए जाएंगे।

(5) खंड (1) (2) और (3) में की कोई बात ऐसे सिलेण्डरों को लागू नहीं होगी जिसमें चिकित्सीय प्रयोजनार्थ आक्सीजन या नाईट्रस ऑक्साइड हो और उनमें पानी की क्षमता 5 लीटर से अधिक न हो। (गैस सिलेण्डर नियम, 1981 के नियम, 37 द्वारा प्रतिस्थापित प्राधिकार गैस सिलेण्डर नियम, 1981 का नियम 37)

207.3 क्रेटों में सिलेण्डर या कंटेनर - सिलेण्डरों या कंटेनरों को मजबूत क्रेट या बाक्स में पैक किया जाएगा परन्तु यदि क्रेट या बाक्स में सिलेण्डर या कंटेनर एक से अधिक पैक किया जाते हैं तो वे सटाकर पैक किए जाएंगे और क्रेट बाक्स तथा उसकी अन्तर्वस्तु का कुल भार 127 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। प्रेषकों द्वारा सिलेण्डरों या कंटेनरों का चिह्नांकन और उन पर लेबल लगाना।

लेबल लगाना

208.1 सिलेण्डरों या कंटेनरों या कंटेनरों की पहचान के रंग - गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों को परिशिष्ट।।/1 में विनिर्दिष्ट समुचित पहचान चिह्नों से रंगा जाएगा।

208.2 लटकन लेबल और उन पर दी जाने वाली विशिष्टियां - प्रत्येक सिलेण्डर या कंटेनर पर मजबूत सूराखदार लटकना लेबल उचित रूप से तार से लगाया जाएगा और उस पर निम्नलिखित प्रविष्टियां बड़े अक्षरों में दी जाएगी।

(1) प्रेषक का नाम और पता

(2) प्रेषिती का नाम और पता

(3) गैस का सही नाम और

(4) निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी : **'चेतावनी'**

(क) इस सिलेण्डर (या कंटेनर) का रंग मत बदलिए

(ख) इस सिलेण्डर (या कंटेनर) में उस गैस से भिन्न गैस नहीं भरी जाये जो इसमें इस समय है

(ग) इस सिलेण्डर (कंटेनर) को ठण्डा रखा जाना चाहिए इसे किसी स्टोव या ताप के अन्य स्रोत के पास नहीं रखा जाना चाहिए और न धूप में खुला छोड़ा जाना चाहिए।

(घ) इस सिलेण्डर (कंटेनर) के बहुत पास में अथवा उस कमरे में जिसमें इसे रखा जाता है किसी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाना चाहिए।

(ड़) इस सिलेण्डर (या कंटेनर) के वाल्व या अन्य फिटिंग पर तेल या वैसे ही किसी स्नेहक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए

(च) जांच की अगली तारीख को सावधावानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए जो कि वाल्व और सिलेण्डर के ऊपरी हिस्से के बीच मे अत: स्थापित किए गए धातु के रिंग पर चित्रित होंगी और इस तारीख की समाप्ति पर सिलेण्डर स्वीकार्य नहीं हों।

208.3. स्थायी या द्रव्य गैस सिलेण्डरों पर चिह्नांकन - (क) प्रत्येक सिलेण्डर पर निम्नलिखित चिह्नांकित होगा, अर्थात

(i) विनिर्माता, स्थायी और निरीक्षक का चिह्नांकन और चक्रानुक्रम संख्या ये चिह्नांकन मुख्य नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत होंगे।

(ii) विनिर्देश जिनके अनुसार यह सिलेण्डर बनाया गया है:

(iii) विनिर्माण या पश्चातवर्ती मरम्मतों के दौरान सिलेण्डर पर की गई ताप उपचर्या की प्रकृति उपदर्शित करने वाला प्रतीक;

(iv) यथास्थिति, अन्तिम द्रवस्थैतिक परीक्षण या द्रवस्थैतिक ताप परीक्षण की तारीख, मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र जहां परीक्षण किया गया है, के कोड चिह्न-सहित कोड चिह्न, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत होगा। द्रव पैट्रोलियम गैस सिलेण्डरों की दशा में ग्रीवा वलय पर सोल्डर प्लेट पर अतिरिक्त चिह्नांकन के रूप में परीक्षण की तिमाही और वर्ष भी दिया जाएगा;

(v) कार्य दबाव और परीक्षण, दबाव

(vi) टेयर भार;

स्पष्टीकरण -: द्रव्य गैस सिलेण्डरों की दशा में, टेयर भार में सिलेण्डर में फिट किए गए वाल्व का भार भी सम्मिलित होगा वाल्व का भार प्रथक्त उपदर्शित किया जाएगा।

(क) जल क्षमता

(ख) विनिर्माता के चिन्हनांकन को छोड़कर जो आधार पर होगा सभी चिन्हक सिलेण्डर की ग्रीवा वाले छोर पर स्टाम्पित किया जाएगा।

208.4 चित्रयुक्त लेबल : प्रत्येक सिलेण्डर या कंटेनर पर नियम 208.2 और 208.3 में विनिर्दिष्ट लेबल लगाने के अतिरिक्त चित्रयुक्त लेबलों में से सारणी।। के स्तंभ 3 में उपदर्शित और नीचे दिखाए गए उपयुक्त चित्रयुक्त लेबल लगाया जाएगा। इसमें गैस के लक्षणों का उल्लेख रहेगा :-

क



टिप्पण : (1) पृष्टभूमि ..... सफेद प्रतीक और अक्षर ..... काले

(2) न्यूनतम विमाएं .....10X10 सेन्टीमीटर

पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाना चाहिए।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

ख



टिप्पण (1) पृष्टभूमि ..... सफेद प्रतीक और अक्षर ..... काले

(2) न्यूनतम विमाएं .....10X10 सेन्टीमीटर

पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाना चाहिए।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

ग



टिप्पणी (1) पृष्टभूमि ..... सफेद प्रतीक और अक्षर ..... काले

(2) न्यूनतम विमाएं .....10X10 सेन्टीमीटर

पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाना चाहिए।

(4) लेबल को दो समान त्रिकोणों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

208.5 खाली सिलेण्डर या कंटेनर - जब कोई गैस सिलेण्डर या कंटेनर खाली सिलेण्डर या कंटेनर के रूप में वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपा जाए तब अग्रेषण नोट में ऐसी घोषणा की जाएगी और उन पर "खाली" का लेबल लगाया जाएगा।

208.6 प्रेषक द्वारा, सिलेण्डर या कंटेनर के मध्य में लगभग 15 से.मी. X 10 से.मी. स्थान को सफेद रंगा जाएगा जिससे कि उस पर रेल के चिह्न सुपाठ्य रूप से लगाए जा सकें या प्रेषक, इस प्रयोजनार्थ सिलेण्डर या कंटेनर के चारों ओर कपड़े का टुकड़े या टाट मजबूती से सिल कर देगा।

रेल द्वारा चिह्नांकन

209.1 संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैस संयुक्त प्रत्येक सिलेण्डर या कंटेनर को ऐसे रेले चिह्नों से समुचित रूप से चिह्नांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषत और गंतव्य स्टेशनों के संकेताक्षर, बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा प्रेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या नियम 208.6 के अनुसार उपबंधित स्थान/कपड़े के टुकड़े पर दर्शाई गई हो।

209.2 जब संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैस के प्रेषण को भार प्रेषण के रूप में ऐसे गन्तव्य स्थान के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है, जिसमें आमान-परिवर्तन के कारण यानान्तरण नहीं किया जाता है तब प्रेषणों में सम्मिलित सिलेण्डर या कंटेनरों में से केवल दस प्रतिशत पर ही रेल चिह्न अंकित करना आवश्यक होगा।

उठाई-धराई का कार्य केवल प्रेषकों और प्रेषितियों द्वारा किया जाना

210.1 जब तक रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए, वैगन भार के रूप में गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की लदाई और उतराई का कार्य प्रेषकों और प्रेषितियों द्वारा किया जाएगा।

210.2 जब यातायात को फुटकर के रूप में बुक किया जाता है तब मार्ग में उठाई-धराई के सब मामलों में संबंधित रेल प्रशासन लदाई और उतराई करेगा,

परन्तु यह कि टैंक वैगनों के रूप में यातायात का यानान्तरण प्रेषकों और प्रेषितियों द्वारा किया जाएगा।

भण्डारण

211. (क) प्रत्येक स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संपीड़ित, द्रवित या स्टेशन गैस के प्रत्येक सिलेण्डर या कंटेनर को जिसका रेल प्रेषण प्रस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर प्राप्त किया गया है, ऐसे शैड में भण्डारित कराए जो सुवातित और घेरा हुआ या खुला शैड है, अर्थात - ऐसा शैड है जिसके ऊपर मौसम से बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दीवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहां ऐसी भण्डारण सुविधा उपलब्ध न हो, वहां सिलेण्डरों या कंटेनरों को ढके हुए लोहे के वैगन में रखा जाएगा और यदि यह भी संभव नहीं है तो उन्हें किसी खुले स्थान में त्रिपाल अथवा अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जाएगा।

(ग) जब गैस सिलेण्डरों को खुले स्टेशन में (प्लेट फार्म पर) रखा जाए तब उन्हें प्लेट फार्म के किनारे पर समकोण में लगाया जाना चाहिए जिससे कि वे लुढक कर रेल मार्ग पर न गिरें।

(घ) सिलेण्डरों को, बायलरों खुली ज्वाला, वाष्प पाइपों या ताप के किसी संभाव्य स्त्रोत से दूर किसी आच्छादित, ठंडे, सूखे, सुववित स्थान पर भण्डारित किया जाएगा भण्डारण का स्थान सुगम होगा।

(ङ) भण्डारण कक्ष या शेड, अग्निरोधक निर्माण होगा।

(च) पतली दीवार वाले सिलेण्डर जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों या विलयित गैस सिलण्डरों का चटर्टा अनुप्रस्थ दशा में नहीं लगाया जाएगा।

(छ) ज्वलनशील गैसों और विषली गैसों के सिलेण्डरों को एक-दूसरे से और अन्य प्रकार की गैसों से युक्त सिलेण्डरों से पर्याप्त दूरी या उपयुक्त विभाजक दीवार द्वारा अलग रखा जाएगा।

(ज) सिलेण्डरों को ऐसी दशाओं में भण्डारित नहीं किया जाएगा कि वे संक्षारित जहां जाएं।

(झ) सिलेण्डरों को किसी ज्वंलनशील सामग्री के साथ भण्डारित नहीं किया जाएगा।

(ट) खाली सिलेण्डरों को भरे हुए सिलेण्डरों से पृथक रखा जाएगा।

(ठ) ज्वंलनशील गैसों और विषैली गैसों के सिलेण्डरों को एक-दूसरे से और अन्य प्रकार की गैसों से युक्त सिलेण्डरों से पर्याप्त दूरी या उपायुक्त विभाजक दीवार द्वारा अलग रखा जाएगा।

(ड) सिलेण्डरों को ऐसी दशाओं में भण्डारित नहीं किया जाएगा कि वे संक्षारित जहां जाए।

(ढ) खाली सिलेण्डरों को भरे हुए सिलेण्डरों से पृथक रखा जाएगा और यह ध्यान में रखा जाएगा कि सभी वाल्व कसकर बंद हो।

(ण) गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का भण्डारण करते समय नियम 212 में अधिकथित सब पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

गैस सिलेण्डरों और कंटेनरों की उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां।

212.1 कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की उठाई-धराई सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तब तक नहीं करेगा जब तक कि पर्याप्त और उचित प्रकाश व्यवस्था का प्रबंध नहीं है और स्थान पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। परंतु यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाडियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेकयानों में, और स्थानान्तरण या सड़क यान गाड़ियों से, भेजे गए सब प्रेषणों की उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है परंतु यह तब जब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सब सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएं।

212.2 गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की उठाई-धराई - (1) गैस सिलेण्डरों और कंटेनरों को जमीन या फर्श पर फेंका, गिराया या घसीटा नहीं जाना चाहिए तथा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे किसी भारी वस्तु से न टकराएं।

(2) भारी सिलेण्डरों या कंटेनरों की लदाई और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाई, फेल्ट, बुरादे से भरे हुए थैले या वैसे ही अन्य बचाव के साधन उन्हें बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

(3) जब भी व्यवहार्य हो, गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का वहन या प्रवहण ट्रालियों या हथठेलों से किया जाना चाहिए।

(4) सिलेण्डरों या कंटेनरों को वाहनों में से गिरने से बचाने के लिए तथा बुरी भांति से बरते जाना, अत्यधिक झटकों से बचाने के लिए या स्थानीय कठिनाइयों से बचाने के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(5) सिलेण्डरों या कंटेनरों की लदाई और उतराई के लिए चुम्बक लिफ्टों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब भी उन्हें उठाने की संक्रिया क्रेन से की जाए तब उचित रूप से डिजाईन की गई क्रेडिल जिसमें जंजिरस्लिंग लगी हो, प्रयोग में लाई जाएगी।

(6) सिलेण्डरों या कंटेनरों की उठाई-धराई ध्यानपूर्वक की जाएगी और उन्हें एक-दूसरे के ऊपर गिरने नहीं दिया जाएगा या अन्यथा कोई असम्यक् झटका नहीं लगने दिया जाएगा।

(7) सिलेण्डरों को सरकाने, गिरने या उनसे खेलने का निषेध है।

(8) द्रवित गैस या द्रव्य गैस युक्त सिलेण्डरों को सदा खड़ी दशा में रखा जाएगा और उन्हें इस प्रकार रखा जाएगा कि गिराया न जा सके।

(9) अनुप्रस्थ दशा में प्रयुक्त किए जा रहे सिलेण्डरों को भी ऐसे मजबूती से रखा जाएगा कि लुढ़के नहीं।

212.3 धूम्रपान, आग, बत्तियों और खतरनाक वस्तुओं का निषेध :- (1) कोई व्यक्ति संपीड़ित, द्रवित या विलयित गैस से युक्त किसी यान के निकट या किसी ऐसे स्थान के निकट जहां ऐसे माल का भण्डारण किया गया है या उसकी लदाई, उतराई या उठाई-धराई की जा रही है, धूम्रपान नहीं करेगा या आग, खुली बत्तों, दियासलाइयों या ज्वलनशील प्रकृति की अन्य वस्तुओं या ऐसे खाली पात्र जिनमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखा गया हो, या कोई ऐसी वस्तु जो ताप या चिंगारी उत्पन्न कर सकती है, नहीं ले जाएगा या अपने पास नहीं रखेगा।

(2) संपीडित, द्रवित या विलयित गैसें और अन्य खतरनाक मालों के निकट भण्डारित नहीं की जाएंगी या वहां उनकी उठाई-धराई नहीं की जाएगी।

212.4 धूप, वर्षा या बर्फ से बचाव :- गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों को धूप, वर्षा या बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर रखा जाएगा। जब भी अपेक्षित हो, उनका बचाव त्रिपाल से या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाएगा।

212.5 अमोनिया (एनहाइड्रस), क्लोरीन और फॉसजीन की बाबत विशेष पूर्वावधानियां :- अमोनिया (एनहाइड्रस) और क्लोरीन के रिसने की दशा में बरती जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां परिशिष्ट।।/2 में दी गई हैं।

212.6 रिसने वाले सिलेण्डर - (1) कोई व्यक्ति रेल को परिवहन के लिए रिसने वाले सिलेण्डर नहीं देगा और न ही रेल, रिसने वाले सिलेण्डरों का परिवहन करेगी।

(2) ऐसा सिलेण्डर जिसमें ज्वलनशील या विषैली गैस है और वह परिवहन के दौरान रिसने लगता है, उसे तुरंत एक अलग-अलग और खुले स्थान पर हटा दिया जाएगा जो ज्वलन के स्त्रोत से दूर हो तथा संबंधित कर्मचारिवृन्द तुरंत यथास्थिति, भरने वाले या प्रेषक से आवश्यक सलाह के लिए सम्पर्क करेगा।

गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का परिवहन सामान्यतया माल गाड़ियों से किया जाना

213.नियम 214 और 218 में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का परिवहन मालगाड़ी के सिवाय किसी अन्य गाड़ी से नहीं किया जाएगा।

जब मालगाडियां नहीं चल रही हो तब वैगनों में गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से परिवहन अनुज्ञात होना

214.वैगनों में गैस सिलण्डरों या कंटेनरों का वहन मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से किसी ऐसी लाइन या सैक्शन पर जिस पर मालगाडियां नहीं चल रहीं हैं, इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है कि उस सैक्शन पर प्रवेश करते ही, जिस पर मालगाडियां चल रही है, गैस सिलण्डर या कंटेनरों वाले वैगनों का मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से अलग कर दिया जाएगा।

गैस सिलेण्डरों या वैगनों की लदाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

215. सारणी ।। के स्तंभ में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, गैस सिलण्डरों या कंटेनरों का परिवहन ढके हुए लोहे के वैगनों में किया जाएगा।

टिप्पणी :- छोरों पर खुलने वाले डिब्बों या वैगनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लदाई या उठाई - धराई की जाने वाली मात्राएं

216.1 वैगनों में अनुज्ञात अधिकतम मात्रा :- नियम 217 और सारणी।। के स्तंभ 6 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, एक वैगन में लादे जा सकने वाले गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की संख्या के बारे में कोई निर्बंधन नहीं है।

216.2 बरते जाने वाले वैगनों की अधिकतम संख्या :- एक रेल स्टेशन पर एक समय में गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों वाले कितने वैगनों की लदाई या उतराई की जाए इस बारे में कोई निर्बंधन नहीं है।

गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का वैगनों में सामान्य माल के साथ परिवहन

217. नियम 219 और नियम 220 में लदाई के बारे में जो निर्बन्धन है उनका अनुपालन करने के अधीन रहते हुए, गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का सामान्य माल के साथ एक ही वैगन में परिवहन किया जा सकता है, परंतु यह:- (क) वैगन में ज्वलनशील प्रकृति की कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है।
(ख) एक वैगन में एक समय में पन्द्रह सिलेण्डर या कंटेनरों से अधिक का परिवहन नहीं किया जाता है; और
(ग)सिलेण्डरों या कंटेनरों को वैगन में अन्य माल से भलीभांति पृथक रखा जाता है।

यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का वहन

218. नियम 219 और नियम 220 में लदाई के बारे में जो निर्बंधन है उनका अनुपालन करने के अधीन रहते हुए और सारणी।। के स्तंभ 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के पिछले ब्रेक यान में वहन किया जा सकता है, परंतु यह तब जबकि -
(क) ब्रेकयान में एक समय में पन्द्रह सिलेण्डरों या कंटेनरों से अधिक का वहन नहीं किया जाता और;
(ख) सिलेण्डरों या कंटेनरों को ब्रेक यान में अन्य माल से भलीभांति पृथक रखा जाता है।
(ग)क्लोरीन, सल्फर डाइआक्साइड, फोसजीन आदि जैसी अन्य अति विषैली और विषोक्त गैसों को यात्री गाड़ी के यान में वहन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

वे गैसें जो पृथक रखी जानी चाहिए

219. वे गैसें जिनका परिवहन एक ही डिब्बे में साथ-साथ नहीं किया जाना चाहिए सारणी।। के स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट रूप में उपदर्शित है ऐसी गैसों का भण्डारण या उठाई-धराई एक साथ ही की जानी चाहिए।

विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक मालों के साथ गैसों के वहन का प्रतिषेध

220. सारणी।। के स्तंभ 8 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का प्रवहण किन्हीं दियासलाइयों या ज्वालक फ्यूजों या साधित्रों के साथ अथवा किन्ही विस्फोटकों या अन्य खतरनाक माल या ऐसे खाली कंटेनरों के साथ, जिनमें पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हो, नहीं किया जाना चाहिए।

वैगनों में भराई

221.1 अभिवहन के दौरान लुढ़कने या स्थानान्तरण का निवारण :- (1) गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की लदाई करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सिलेण्डर या कंटेनर लुड़काए या स्थानान्तरित नहीं किए जाते।

(2) गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों को अभिवहन के दौरान लुढ़कने या स्थानान्तिरत होने से बचाव के लिए यदि अपेक्षित हो तो उपयुक्त लकड़ी के कैरियर ब्रेकेटों, लोथिंगो या अन्य वैसे ही अवलम्बों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनकी आपूर्ति प्रेषक द्वारा की जाएगी।

221.2 यान के किनारों या छोरों से बाहर निकलने की बाबत प्रतिषेध :- गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों को इस तरह से लादा जाएगा कि वे परिवहन के दौरान यान के किनारों या छोरों से बाहर को न निकले।

वैगनों पर लेबल लगाना उन्हें सीलबंद तथा तालाबंद करना

222.1 वैगनों पर खतरनाक का लेबल लगाना :- खतरनाक का लेबल जैसा नीचे दिखाया गया है ऐसे प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए। जिसमें गैस सिलन्डरों या कन्टेनरों के प्रेषण के लिए या परिदान करने के लिए जमा किया गया है या जब वे अभिवहन किए जा रहे हैं।



टिप्पणी :- (1) पृष्ठभूमि ..... सफेद प्रतीक और अक्षर ..... काले
(2) विमाएं ..... 0.3 मीटर अर्धव्यास
(3) लेबल को दो बराबर अर्धवृत्तों में बांटा जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग 'लूज शंटिंग न करे' शब्दों तथा प्रतीक के लिए तथा नीचे का भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों या सड़क यान गाडियों के सिवाए, जिन पर लेबल वैगनों या डिब्बे दोनों ओर चिपकाए जा सकते है, ये लेबल दरवाजे पर इस प्रकार से चिपकाए जाएंगे कि जब दरवाजे खोले जाएं, लेबल स्वत: नष्ट हो जाएं।

इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब गैस सिलेण्डर या कंटेनरों का परिवहन सामान्य माल के साथ किया जाता है, भले ही गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों की वैगनों में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हो तथापि ऐसे लेबलों को तब प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए जब गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का परिवहन यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या मालगाड़ी के ब्रेकयानों में किया जाता है।

222.2 प्राइवेट लेबल :- रेल लेबलों के अतिरिक्त यदि प्रेषक कोई ऐसे लेबल चिपकाता है जिसमें प्रेषण की अंतर्वस्तु तथा उसके संबंध में होने वाले परिसंकट का उल्लेख है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

222.3 जस्ते की सील का उपयोग :- गैस सिलेण्डर या कंटेनरों वाले वैगनों को सील बंद करने के लिए जस्ते की सील का प्रयोग किया जाना चाहिए।

222.4 कीलित करने या ई.पी. तालाबंदी करने की अनुज्ञा न होना :- गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों वाले वैगनों को कीलित करने या उनका ई. पी. लौकिंग करने का प्रतिरोध है।

टैंक वैगनों में वहन के लिए नियम

223.1 डिजाइन और चिह्नांकन (1) टैंक वैगनों और इसकी फिटिंगों की विनिर्मित करने वाले दाब पात्र की डिजाइन स्थैतिक और चलित दाब पात्र (अनपके) नियम 1981 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।

(2) टैंक वैगनों का गठन करने वाले दाब पात्र में स्थायी रूप से लगी हुई एक धातु प्लेट होगी जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयों दर्शित होगी जो व्यू भूस्तर से दृष्य होगी, अर्थात

(i) विनिर्माता का नाम और पहचान चिह्न :
(ii) वह मानक या कोड जिस पर पात्र गड़ा हुआ है :
(iii) निरीक्षक की शासकीय स्टांप :
(iv) कि. ग्रा./सेंमी^{2} में डिजाइन दाब :
(v) कि. ग्रा./सेंमी^{2} में द्रवस्थैतिक परीक्षण :
(vi) आरंभिक द्रव परीक्षण की तारीख और पश्चातवर्ती तारीखें :
(vii) एम^3 में जल क्षमता :
(viii) टन में गैस क्षमता : यदि द्रवित गैस के साथ भरा जाए :
(ix) नाम या गैस का रसायन प्रतीक :

223.2 लदाई :- (1) किसी वैगन में लदाई होने से पहले गाड़ी परीक्षक (टी.एक्स.आर.) वैगनों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि केवल उन्हीं वैगनों में लदाई करवाई जाए जो लदाई के लिए उपयुक्त हैं।

(2) लदाई के पूर्व, लदाई करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा दृष्टिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि :-

(क) भीतरी फ्रेम और या बैरेल के पी ओ एच/आर ओ एच और गास्केट तथा रिंगों का वार्षिक परीक्षण अत्यधिक तो नहीं है।

(ख) बैरेल को कोई भौतिक (वास्तविक क्षति नहीं हुई है और गुम्बद फिटंगों में रिसन के लक्षण नहीं है।

(ग) बैरेल की सप्त जंग और गहरे गड्डों से युक्त है और बैरेल का रोगन अच्छी दशा में है और इसकी परावर्ती लक्षण समाप्त नहीं हुआ है।

(3) लदाई किया जाने वाले टैंक वैगन किसी विद्युत तार के नीचे या निकट अस्थित नहीं होगा और लदाई के आरंभ से पहले लदाई करने वाली कंपनी द्वारा वैगन को उपयुक्त रूप से भूसंपर्कित दिया जाएगा।

(4) लदाई होने वाले टैंक को अधिमान्यता छाया में रखा जाएगा और समुचित रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न हिले। हस्तब्रेकों को लगा दिया जाएगा और हस्तब्रेक लीवर को चालू स्थित से सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) जिस रेल पथ/लाइन पर टैंक की लदाई होनी है, बिन्दु लगा कर उन्हें इस तरह पृथक रूप से पैडलॉक किया जाएगा। यह अन्य रेल पथ/लाइन से पृथक है।

(6) यदि लदाई, किसी दीर्घ बगली पथ पर होनी है तो उस स्थान को रोक आदि लगाकर उसकी रक्षा की जाएगी जिससे कि कोई वैगन टैंक वैगन से न टकरा जाए। परन्तु यह कि जब लदाई की जा रही हो तो शटिंग अनुज्ञात नहीं होगी।

(7) यथास्थिति पहुंच मार्ग या दोनों सिरों पर टैंक से उपयुक्त दूरी पर चेतावनी चिन्ह प्रदर्शित किए जाएंगे।

(8) प्रेषक के किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन टैंक पर लदाई की जाएगी और उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी कि भराई के लिए लगाए गए व्यक्ति यथास्थित द्रव्य पेट्रोलियम गैस/द्रव्य अमोनिया/क्लोरीन संदूषित वातावरण से उचित तथा रक्षित है, कर्मचारिवृंद द्वारा किए जाने वाले पूर्वावधानिक उपायों को लदाई के स्थान के स्थान के निकट सुदृष्टि स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। संक्रिया की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रचालनकों द्वारा टैंक का निरंतर ध्यान रखा जाएगा।

(9) लदाई संक्रिया के प्रारंभ से पहले प्रेषक का कोई प्राधिकृत व्यक्ति, निम्नलिखित की बाबत आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात् टर्मिनल प्राधिकारी को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा :- अर्थात

(क) उपरोक्त नियम 223.2(2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है,

(ख) रबड़ के नल, द्रव और वाष्प उत्कर्षण वाल्व, सुरक्षा वाल्व, प्रतिचयी/वाल्व और चुम्बक प्रमापी युक्ति फिटिंग में पूर्ण है और पूर्णतय चालू स्थिति में है और इसके रिसन का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) सुरक्षा वाल्व और तापमापी कूप को कोई भौतिक (वास्तविक) क्षति नहीं है।

(10) उत्कर्ष वाल्व को खोले जाने से पहले, लदाई संयोजनों को मजबूती से पाइप लाइनों से जोड़ा जाएगा।

(11) टैंक की लदाई, द्रव उत्कर्षण वाल्व के माध्यम से की जाएगी जिसमें वे टैंक के तल की ओर जाने वाले पाइप है। लदाई प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व प्रश्नगत गैस की भंडारण प्रणाली से संयोजित वाष्प उत्कर्षण वाल्व और वाल्वों की अच्छी प्रचालन दशा सुनिश्चित की जाएगी।

(12) लदाई, अधिमान्यत: दोनों द्रव उत्कर्षण वाल्वों के उपयोग द्वारा की जाएगी।

(13) लदाई के लिए उत्कर्षण वाल्वों को खोलने से पहले सुनिश्चत किया जाएगा कि पाइप लाइनों के संयोजन मजबूती से किए गए हैं।

(14) यदि किसी कारण से, लदाई संक्रियाओं को रोक देना आवश्यक हो जाए तो सभी लदाई संयोजनों और सभी वाल्वों को कस कर बंद कर दिया जाएगा।

(15) मैनहोल फिटिंगों और उनकी संघियों के माध्यम से रिसन की जांच पडताल के लिए, वैगनों पर आरम्भ में 2 कि.ग्रा./सं.मी.^{2} दबाव तक संपीडित गैस लादी जाएगी और आगे लदाई केवल तभी जारी रखी जाएगी यदि कोई रिसन न हो।

(16) गुम्बद आच्छादन को सीलबंद करते समय यह अंतिम रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी रिसन के कोई लक्षण नहीं है और वाल्वों के निकास प्लग ठीक स्थिति में कस दिए गए हैं।

(17) पूर्वावधानिक चिन्हों को हटा दिया जाएगा और बिंदुओं पर लगे पैडलाकों को खोल दिया जाएगा जिससे कि टैंक वैगनों को गाड़ी से जोड़ने के लिए ले जाया जा सके।

(18) टर्मिनल प्रधिकारी या तेल कंपनी या उर्वरक संयत्र या कंपनी रेलवे (टी एक्स आर) को वहन किए जाने के लिए लदे हुए वैगन देने से पूर्व निम्नलिखित की बाबत आवश्यक प्रमाणपत्र जारी

करेगा/करेगी :-

(क) कि उपनियम 223.2 में अधिकथित अपेक्षा पूरी कर दी गई है।

(ख) कि किसी भी स्थान पर रिसन का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) कि उत्कर्षण और प्रतिचयी वाल्व तथा निर्माण प्लग पूर्ण रूप से बंद है।

और चुम्बकीय प्रमापी युक्ति का ढक्कन और थर्मामीटर कूप समुचित रूप से कसा गया है। और सुरक्षा वाल्व पूर्ण रूप से काम करने की दशा में।

223.3 उतराई – (1) नियम 223.2 के खंड (2) से 8 तक में प्रगणित प्रक्रिया का उतराई के लिए भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) गुम्बंद का ढक्कन खोलने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीलें और ताले सक्षम है और तब संयोजनों का बनाने के लिए निकास प्लगों को ढीला किया जाएगा।

(3) द्रव्य पेट्रोलियम गैस संयत्र/द्रव्य अमोनिया संयत्र की भंडारण प्रणाली से वाष्प उत्कर्षण वाल्व से संयोजित करने के पश्चात् द्रव्य पेट्रोलियम गैस और द्रविय अमोनिया की उतराई द्रवित उत्कर्षण वाल्वों अधिमान्यत: दोनों द्रवित उत्कर्षण वाल्वों के उपयोग द्वारा की जाएगी।

(4) वाल्वों को खोलने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाइप लाइन के साथ संयोजन मजबूती से जुड़ा हुआ है।

(5) यदि किसी कारण से, उतराई संक्रियाओं को रोकना आवश्यक है तब सभी उतराई संयोजन और सभी वाल्वों को बंद किया जाएगा।

(6) उतराई के दौरान टैंक के अंदर के द्रव को उतना ही बनाए रखा जाए जिससे कि दाब के अंतर्गत के अचानक वाष्पीकरण, संपीड़न द्रवीयता या विलयिता न हो।

(7) उतराई समाप्त होने के पश्चात, संयोजनों को अलग कर दिया जाएगा और तभी वाल्वों को कस कर बन्द किया जाएगा तथा उत्कर्षण वाल्वों के निकास प्लगों को उनके स्थान पर कसा जाएगा और गुम्बद आच्छादन को समुचित रूप से बंद और सील किया जाएगा।

(8) चेतावनी चिह्न को तब हटाया जा सकेगा और बिंदुओं पर के पैड़लाकों को खोला जाएगा।

(9) उतराई संक्रिया के पश्चात् टर्मिनल प्राधिकारी प्रमाणित करेगे कि :-

(क) वाल्व और फिटिंग सभी प्रकार से पूर्ण है और कि वे समुचित रूप से सुरक्षित है और उनमें कोई रिसन नहीं है।

(ख) रिसते हुए प्राप्त या बाद में रिसते गए टेकों का दाब कम किया जाएगा और उसकी विशिष्टयां त्रुटि की तारीख और स्थान के साथ वे टैंक पर स्टेन्सिल की जाएंगी और उस टर्मिनल प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा जहां वैगन की लदाई हुई थी।

द्रव क्लोरीन टैंक वैगनों की लदाई और उतराई के लिए विशेष उपबंध

223.4 (1) टैंक को द्रव वाल्वों जो जाने संयोजनों द्वारा भरा जाएगा, जिसमें टैंक की तली को जा रही नमन पाइपें होगी और अन्य गैस वाल्व क्लोरीन संयंत्र की अवशेषण से जुड़े होगें।

(2) क्लोरिन टैंक वैगन की उतराई गैस संपीडित का उपयोग करके की जाएगी उदाहरणार्ध संपीडित को टैंक पर के गैस वाल्व से जोड़ा (कनेक्ट) जाएगा और टैंक पर के द्रव वाल्व को भंडारण टैंक से जोड़ा जाएगा।

यह सुनिश्चित करने से कि टैंक, बैंरल में दाब लगभग 0.7 कि.ग्रा. प्रति वर्ग से.मी. (गेज) रहे, भंडारण टैंक में, क्लोरीन का स्वत विसर्जन होगा।

(3) विसर्जन के समय, टैंक बैरल के अंदर की ओर दाब को स्थायी रखा जाएगा।

(4) जब सभी द्रव क्लोरीन अंतरित हो जाए तो टैंक पर के द्रव वाल्व को बंद कर दिया जाएगा।

(5) अंतरण संक्रियाओं के संबंध में उपयोग किए गए सभी औजार और उपकरण तेल, ग्रीस, धूल और रेत से मुक्त रखें जाएंगे।

(6) सील और अन्य पदार्थ टैंक में नहीं फैंके (गिराए) जाएंगे और टैंक के ऊपर अन्तर्वस्तु को बिखरने से बचाया जाएगा।

223.5 लदाई और उतराई को दौरान पूर्वावधानियां – (1) चिंगारी, खुले प्रकाश आदि के स्त्रोत से दूर लदाई या उतराई किसी सुरक्षित स्थान में की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, खाली या भरे टैंक वैगन के समीप खुला, प्रकाश, दियासलाई या ज्वलनशील/विस्फोटक प्रकृति की अन्य वस्तुएं नहीं लाएगा।

(3) इन टैंक वैगनों का उपयोग किसी अन्य द्रवित गैस या वस्तु की लदाई के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) टैंक पर द्रवित पेट्रोलियम गैस/अमोनिया की बिखरने (फैलने) से बचाने के लिए सावधानी रखी जाएगी।

(5) टैंक वैगन को इसकी चिह्नंपक्ति वहन क्षमता से अधिक नहीं लादा जाएगा और चुम्बक द्रव वाल्व गेज गेज द्वारा अपेक्षित स्तर भार सेतु द्वारा सीमांत भार प्रदर्शित करते ही भराई वाल्वों को बंद कर दिया जाएगा।

(6) यदि वाल्व प्रचालन में सख्त है तो उन्हें खोलने के लिए असम्यक् बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(7) टैंक बैरल को किसी भी परिस्थिति में तप्त नहीं किया जाएगा।

रिसता टैंक

224.1 परिशिष्ट।।/2 में उल्लिखित पूर्वावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे यदि किसी टैंक वैगन में दाब से कम संपीडित द्रवित या विलयित गैसें हो और उनमें रिसाव का पता चलता है; अर्थात :–

(1) रिस्ते हुए टैंक को यथाशीघ्र खुले क्षेत्र में हटा जाएगा जहां निकलती हुए गैस कम परिसंकटमय होगी।

(2) रिसते टैक वैगनों से संबंधित सूचना तुरन्त निकटतम रेल प्राधिकारियों को दी जाएगी जहां उसे तत्काल सम्बद्ध प्रधान गाड़ी परीक्षक प्रभागीय यांत्रिक इंजीनियर और उस स्थान जो जिसके स्वामित्व में वह टैंक वैगन है, आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगा।

(3) गुम्बद फिटिंगों में रिसन के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात : –

(क) यदि वोल्टो को नियंत्रित करने वाले वाल्व के बोल्टों के आसपास रिसन है तो असम्यक बल के उपयोग के बिना बोल्ट को तब तक कैसा जाएगा जब तक रिसन बंद नहीं हो जाती है और यदि रिसन बना रहता है तो वैगन को पृथक कर दिया जाएगा।

(ख) यदि रिसन, निकास वाल्व से है तो वाल्व हत्थों हाथ से घुमाया जाएगा, और यदि किसी मामले में यह नहीं रुक सकता है, तब रिंच का उपयोग किया जाएगा।

(ग) यदि सुरक्षा वाल्व के चारों और रिसन होता है तो यदि आवश्यक समझा जाए तो टैंक वैगन को पृथक किया जायेगा।

(4) रिसते टैंक वैगन को जिसे खाली किया गया है, के स्टेशन पर नहीं भेजा जाएगा और वैसे ही स्टैंसिल कर दिया जाएगा।

टैंक वैगन जिनमें कतिपय गैसे है, के लिए विशिष्ट कार्यवाही

224.2 द्रवित पेट्रोलियम गैस के टैंक वैगन – (1) यदि, वैगन टैंक बैरेल पर रिसन है तो :-

(क) आस-पास के सभी खुले प्रकाश या अग्नि को बुझाया जाएगा या यथासंभव दूर हटाया जाएगा तथा समीप्य में कोई बिजली का बटन यहां तक कि बटन बंद करने के लिए भी नहीं चलाया जाएगा।

(ख) लालटेन या संकेत लैम्प को उस ओर रखा जाएगा जहां से हवा बह रही हो और यथासंभव ऊंचा रखा जाएगा लोकोमोटिव को उस स्थल से दूर हटा दिया जाएगा और अग्नि राख गर्त को जल से बुझा दिया जाएगा।

(ग) कार्मिक रिसन के पवनाभिमुख रहेंगे और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त रवसन साधित्र पहनेंगे।

(घ) सभी दर्शकों को दूर रखा जाएगा और उन्हें धूम्रपान न करने का अनुदेश दिया जाएगा।

(ङ) जहां द्रवित पैट्रोलियम गैस का रिसाव हुआ है वहां मिट्टी फैला दी जाएगी। (2) यदि, तापमान कूप से कोई रिसान होता है तो शीर्ष नट को द्रव की गति रोकने के लिए कसा जाएगा।

224.3 निम्नलिखित अतिरिक्त पूर्ववधानियां बरती जाएगी, अर्थात :–

(क) कर्मकार सावधानी रखेगें कि द्रवित पैट्रोलियम गैस उनकी त्वचा को न छुए।

(ख) सभी वाल्व, पाइप लाइन आदि तेल, ग्रीस धूल और रेत से मुक्त होगें।

(ग) वाल्वों को खोलने के लिए असम्यक् बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) टैंक वैगन को तप्त नहीं किया जाएगा और किसी राख गर्त पर खड़ा नहीं किया जाने दिया जाएगा।

(ङ) उत्कर्षण वाल्व निकास प्लग को जब उपयोग न हो तब कस कर रखा जाएगा।

224.4 द्रवित क्लोरीन टैंक वैगन – (1) यदि रिसाव होता है तो आसपास उपस्थित सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाएगी कि वायु को रिसाव से और यदि संभव हो तो रिसाव से ऊंचे स्थलों पर रखा जाए।

(2) द्रवित क्लोरिन से संदुषित कपड़ों को तुरंत हटाया जाएगा और प्रभावित त्वचा को जल की बड़ी मात्रा से धोया जाएगा।

(3) क्लोरीन गैस रिसाव पर जल का छिड़काव नहीं किया जाएगा।

करे और न करें

225. अमोनिया टैंक वैगनों के वहन के लिए करें और न करें की सूची परिशिष्ट।।/4 में द्रवित पेट्रोलियम गैस के लिए परिशिष्ट।।/5 में और क्लोरीन के लिए परिशिष्ट।।/6 में दी गई है।

शंटिंग

226. शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां :-संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों वाले वैगनों की शंटिंग, सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीषण में ही की जाएगी अन्यथा नही। ऐसा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की सक्रियाओं के दौरान -

(क) संपीडित द्रवित विलयित गैसों बिले वैगनों तथा इंजन के बीच ऐसे कम से कम दो डिब्बे लगाए जाते हैं जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नही है, भले ही प्रयुक्त इंजन किसी प्रकार का क्यों न हो

(ख) सभी संचालनों में गति आठ किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नही रहेगी।

(ग) रफ, हम्प, फ्लाई या लूज शंटिंग नही की जाती।

(घ) टैंक वैगनों को साईड़िंग में यदि छोड़ा जाए तो उन्हें पाश्र्व की टक्करों से बचाने के लिए उल्लंघन चिह्नों से दूर रखा जाएगा और उनकी हस्त ब्रेके लगी हुई होंगी।

मार्शलिंग

227.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां:- (1) सारणी।। के स्तम्भ 8 में जैसे उपबंधित है उसके सिवाय, एक समय से संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों वाले कितने वैगन किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकते है या वहन किए जा सकते है इस बारे में कोई निर्बधन नही है।

(2) संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों वाले वैगन जो साथ-साथ लगाए जाने चाहिए गाड़ी के इंजन से उतनी दूरी पर लगाए जाने चाहिए जितनी व्यवहार्थ हो।

(3) संपीडित द्रवित या विलयित गैसों वाले वैगनों और निम्नलिखित के बीच कम से कम दो डिब्बे लगाए जाने चाहिए जो गार्ड या डमी हो या जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील वस्तु का वहन न किया जा रहा हो -

(क) गाड़ी का इंजन चाहे प्रयुक्त इंजन किसी भी प्रकार का क्यों न हो :

(ख) यात्री डिब्बे या ब्रेकयान :

(ग) कोई अन्य ऐसे डिब्बे जिनमें खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुंए है, परन्तु जब इन अन्य डिब्बों में विस्फोटक या पैट्रोलियम तथा अन्य ज्वंलनशील द्रव वर्ग **"क"** हो, तब मध्यवर्ती डिब्बों की संख्या तीन होगी।

(4) संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों वाले वैगनों को एक दूसरे के साथ तथा पाश्रर्वरूथ डिब्बों के साथ कलोजकपल किया जाना चाहिए।

227.2 पूर्वोत्तर सीमा रेल के दार्जलिंग - हिमालय सैक्शन पर संपीडित, द्रवित या विलयित गेसों वाले वैगनों को क्लोजकपल करना आवश्यक नही है।

227.3 रक्षा या डमी वैगन - (1) रक्षा या डमी डिब्बे खाली भी हो सकते है और भरे भी।
(2) ऐसे भरे हुए वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं हों, रक्षा या वैगनों के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाएंगें।

750 किलोग्राम या अधिक सकलभार के गैस सिलेन्डर या कंटेनरों का वहन

228.1 गंतव्य स्थान के लिए उसी वैगन से वहन - ऐसा कोई सिलेन्डर या कंटेनर जिसका सकलभार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है, गंतव्य स्थान तक एक ही वैगन से वहन किया जाना चाहिए। ऐसे सिलेन्डरों या कंटेनरों के परेशण ऐसे गंतव्य स्थान तक वहन के लिए ग्रहण नही किए जाएगे जिनके वहन में लाइन बदल कर यानांतरण करना पड़े।

228.2 प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार - ऐसे गैस सिलेन्डरों या कन्टेनरों के, जिनका सकल भार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है, प्रवहनण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगन ऐसे होने चाहिए कि उनमें से उतराई का काम सिलेण्डरों या कंटेनरों को रेल की सतह से 1.82 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उठाए बिना किया जा सके।

228.3 वैगनों में भराई- वैगनों में ऐसी कोई भारी वस्तुएं नही होनी चाहिए जिनसे सिलेण्डर या कंटेनरों को क्षति प्हुंच सके।

228.4 उठाई धराई का कार्य खुले में किया जाना - जहां तक संभव हो, ऐसे गैस सिलेण्डरो या कंटेनरों की उठाई धराई खुले में की जाएगी जिनका सकल भार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है।

228.5 लेबिल-750 किलोग्राम या उससे अधिक सकलभार वाले सिलेण्डरों या कंटेनर के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगन के दोनों ओर प्रेषिती द्वारा दिए गए लेबल लगाए जाएंगे जिस पर सिलेण्डर या कंटेनर को अन्तर्वन्तु की प्रकृति तथा वैगन और उस की अन्तर्वन्तु की उठाई धराई के लिए सावधानी की आवश्यकता का उल्लेख होगा।

टिप्पणी - वैगन के दोनों ओर प्रेषक द्वारा लगाए जाने वाला लेबल रेल द्वारा चिपकाए जाने वाले लेबल के अतिरिक्ति होगा (देखिए नियम **222.1)**।

228.6 क्रेन का प्रयोग–जब भी गैस सिलेण्डर या गैस कंटेनरों की लदाई, उतराई या उठाई-धराई के लिए क्रेनों का प्रयोग आवश्यक हो, तब केवल ऐसी क्रेनों और हुक जंजीरें, जिनके बारे में यह प्रमाणित हो गया है कि उनके उठाने की शक्ति सिलेण्डरों या कंटेनरो को सकलभार से कम से कम 500 किलोग्राम अधिक है, प्रयोग में लाए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो समुचित रूप से डिजाइन किए गए क्रेडिल और जंजीरे स्लिग प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

पहुंच की सूचना

229.1 प्रेषण के पहुंचने की प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन से स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों के प्रेषणों के पहुंचने की सूचना प्रेषिती को, विहित (प्ररूप के उपाबंध **"ख"** देखिए) उन सब प्रेषणों की बाबत दी जानी है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते है तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते।

229.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से, स्थान भाडा और डेमरेज वसूल करने के रेल अधिकार का प्रभावित न होना - यदि माल का परिदान अनुज्ञात छुट समय के भीतर नहीं लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान भाडा और डेमरेज प्रभारों से छूट का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

230.1 परिदान- संपीडित द्रवित या विलयिय गैसों के प्रेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपो से जहां के लिए उनका वहन किया गया है जैसे ही परिदान के लिए उपलब्ध हो हटाया जाएगा।
230.2 परिदान तुरन्त न लेने की दशा मे व्ययन - (1) यदि प्रेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात भी प्रेषण रखे रहते है तो, रेल अधिनियम**,** 1989 की धारा 89 में जैसा विहित है प्रेषिति पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी।

227.3 रक्षा या डमी वैगन - (1) रक्षा या डमी डिब्बे खाली भी हो सकते हैं और भरे भी।
(2) ऐसे भरे हए वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं हो, रक्षा या वैगनों के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाएगें।

750 किलोग्राम या अधिक सकलभार के गैस सिलेण्डर या कंटेनरों का वहन

228.1 गंतव्य स्थान के लिए उसी वैगन से वहन - ऐसा कोई सिलेण्डर या कंटेनर जिसका सकलभार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है, गंतव्य स्थान तक एक ही वैगन से वहन किया जाना चाहिए। ऐसे सिलेण्डरों या कंटेनरों के प्रेषण ऐसे गंतव्य स्थान तक वहन के लिए ग्रहण नहीं किए जाएगें जिनके वहन में लाइन बदलकर यानांतरण करना पडे।

228.2 प्रयोग मे लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार - ऐसे गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों के, जिनका सकल भार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है, प्रवहण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगन ऐसे होने चाहिए कि उनमें से उतराई का काम सिलेण्डरों या कंटेनरों को रेल की सतह से 1.82 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उठाए बिना किया जा सके।

228.3 वैगनों में भराई - वैगनों में ऐसी कोई भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिनसे सिलेण्डर या कंटेनरों को क्षति पहुंचा सके।

228.4 उठाई धराई का कार्य खुले में किया जाना - जहां तक संभव हो, ऐसे गैस सिलेण्डरों की उठाई धराई खुले में की जाएगी जिनका सकल भार 750 किलोग्राम या उससे अधिक है।

228.5 लेबिल - 750 किलोग्राम या उससे अधिक सकलभार वाले सिलेण्डरों या कंटेनरों के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों के दोनों ओर प्रेषिती द्वारा दिए गए लेबल लगाए जाएगें जिनपर सिलेण्डर या कंटेनर को अंतर्वस्तु की प्रकृति तथा वैगन और उसकी अंतर्वस्तु की उठाई धराई के लिए सावधानी की आवश्यकता का उल्लेख होगा।

टिप्पणी — वैगन के दोनो ओर प्रेषक द्वारा लगाया जाने वाला लेबल रेल द्वारा चिपकाए जाने वाले लेबल के अतिरिक्त होगा (देखिए नियम 222.1).

228.6 क्रेन का प्रयोग- जब भी गैस सिलेण्डर या कंटेनरों की लदाई, उतराई या उठाई—धराई के लिए क्रेनों का प्रयोग आवश्यक हो, तब केवल ऐसी क्रेनों और हुक, जंजीरें, जिनके बारे में यह प्रमाणित हो गया है कि उनके उठाने की शक्ति सिलेण्डरों या कंटेनरों के सकलभार से कम से कम 500 किलोग्राम अधिक है, प्रयोग में लाए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो समुचित रूप से डिजाइन किए गए क्रेडिल और जंजीरें स्लिंग प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

पहुंच की सूचना

229.1 प्रेषण के पहुंचने की प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए की संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों के प्रेषणों के पहुंचने की सूचना प्रेषिती को, विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध "ख" देखिए) उन सब प्रेषणों की बाबत दी जानी है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते है तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते हैं।

229.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से, स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना - यदि माल का परिदान अनुज्ञात छूट समय के भीतर नही लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान भाड़ा और डेमरेज प्रभारों से छूट का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

230.1 परिदान - संपीडित द्रवित या विलयित गैसों के प्रेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल डिपो से जहां के लिए उनका वहन किया गया है जैसे ही परिदान के लिए उपलब्ध हो, हटाया जाएगा।
230.2 परिदान तुरन्त न लेने की दशा में व्ययन - (1) यदि प्रेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात भी प्रेषण रखे जाते है तो, रेल अधिनियम की धारा 89 में जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप में होगी जो परिशिष्ट II/3 में दिया गया है।
(3) ऊपर निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात जो प्रेषण अदावाकृत रहते हैं उन्हें रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और 84 की उपबंध के अनुसार विक्रय कर दिया जाएगा।

प्रभार के लिए भार और ग्रहण करने के दिन

231 वैगन भार के रूप में यातायाता का सब दिन ग्रहण किया जाना : वैगन भार के रूप में यातायात भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सूची में यथाविविहित प्रभारित किए जाने वाले न्युनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण किया जाएगा।

भाड़ें का पूर्व संदाय

232. संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों के सब प्रेषणों का भाड़ा पूर्व संदत्त होगा।

रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के लिए प्रभार

33. जब भी संपीडित, द्रवित या विलयित गैसों का वहन करने वाली गाड़ी की सुरक्षा के लिए खाली वैगनों को रक्षा वैगन या डमी वैगन के रूप में लगाना आवश्यक हो, ऐसे वैगनों के लिए भारतीय रेल सम्मेलन माल टैरिफ के उपबंध की दर से प्रभार लिया जाएगा।

डिब्बों की मरम्मत

234. ऐसे डिब्बे के, जिसमें गैस सिलेण्डरों या कंटेनरों का वहन किया जा रहा हो, किसी भाग में कोई मरम्मत या फेराफार प्रांरभ करने से पूर्व ऐसे सब गैस सिलेण्डरों को हटाने के लिए सब सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएगी।

दुर्घटनाओं का बचाव और रिपोर्ट

235.1 दुर्घटनाओं के प्रति विशेष पूर्वावधानियां - (1) कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा या करने का प्रयास करेगा जिससे कि ऐसे स्थान पर जहां सिलेण्डर भण्डारित हैं, उठाया धरा जाता है या परिवहन किया जाता है अग्नि विस्फोट हो जाए।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संपीडित गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, उठाई—धराई और परिवहन का भारसाधक है या उसमें लगा है, हर समय —

(क) इन नियमों के उपबंधों तथा उससे संबंधित किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करेगा

(ख) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटना से बचाव के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा और

(ग) किसी भी व्यक्ति को नियम 235.1(1) में निर्दिष्ट कार्य करने से रोकेगा।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

235.2 सिलेण्डरों में या अन्यथा पैक किए गए गैसों के किसी प्रेषण के संबंध में जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें जीवन को हानि या किसी व्यक्ति को कोई गंभीर नुकसान होता है अथवा ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें प्राय ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो प्रेषणों क तत्समय प्रभारी व्यक्ति—

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को सूचना के अन्य साधन जैसे कि दूरभाष/फैक्स/ई-मेल आदि के द्वारा पश्चातवर्ती 24 घण्टे के भीतर पत्र द्वारा घटना की विशिष्टियां देते हुए निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/
ए-ब्लाक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
5वीं मंजिल, सेमिनारी हिल्स,
नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)
ईमेल explosives@explosives.gov.in
दूरभाष 071-22510248

और

(क) निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के संसूचना के शीघ्रतम साधन से

(ख) संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना देगा।

(ग) निकटतम एनडीआरएफ (NDRF) इकाई को इसकी सूचना देगा।

(2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने तक या जव तक यह अनुदेश न प्राप्त हो कि वह और कोई अन्वेष्ण या जांच नहीं करना चाहता, सारे ध्वसावशेष तथा मलबा को अनछुआ रखा जाएगा सिवाय

उस सीमा तक जहां तक, घायल व्यक्तियों के बचाव तथा दुर्घटना द्वारा मारे गए किन्ही व्यक्तियों के शरीर निकालने या सीधी संचार के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक हो।

व्यावृत्ति

236. इस अध्याय की कोई बात :—

(क) गैस सिलेण्डर नियम, 1981

(ख) भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक 625(ई) दिनांक 7, अगस्त 1983

(ग) स्टैटिक एण्ड मोबाइल प्रैशर वैसल्स (अनफायर्ड) रुल्स, 1981

(घ) आयुध अधिनियम, 1959

(ड) आयुध नियम, 1962

(च) विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) या उसके अधीन बनाए गए नियमों, जहां भी वे लागू हैं, के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

(छ) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4)

दबाव के अधीन संपीडित, द्रवित या विलयित गैसें

सारणी II

गैस का नाम	गैस का विशिष्ट गुण	प्रयोग में लाया जाने वाला चित्रात्मक लेबल (नियम 208.4 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त पैकिंग नियम (नियम 207 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 208,209, 222.1 और 228.5 भी देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 213,214,215 216,217 और 228.2 देखिए)	यात्री गाडी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान के वहन के अतिरिक्त नियम (नियम 218 भी देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन (नियम 219,220, 221,226,227 और 228 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
विलयित गैस	ज्वलनशील	क	क्लोरिन के साथ पैक नहीं की जानी चाहिए।				क्लोरिन के साथ नहीं लादी जानी चाहिए।
ऐसिटेलिन (छिद्रदार पदार्थों में संपीडित)							
संपीडित गैसें							
संपीडित वायु	अज्वलनशील	ख					
आरगान	अज्वलनशील	ख					
कोयला गैस	ज्वलनशील	क					
हाइड्रोजन	ज्वलनशील	क					
मिथेन	ज्वलनशील	क					
नियोन	अज्वलनशील	ख					
नाइट्रोजन	अज्वलनशील	ख					
आक्सीजन	अज्वलनशील (ज्वलन मे तीव्र सहयोगी)	ख	नियम 207 चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए इस गैस के सिलेण्डरों को लागु नहीं होता परन्तु यह तब जब सिलेण्डरों की बाहरी परिधि 10 से.मी. से अधिक न हो।				
सल्फर हैक्साफलोराइड	अज्वलनशील	ख	इसका परिवहन मुख्य नियंत्रक विस्फोटक द्वारा अनुमोदित सिलेण्डरों में किया जाएगा। सवातन पर्याप्त और प्रभावी होगा।				

गैस का नाम	गैस का विशिष्ट गुण	प्रयोग में लाया जाने वाला चित्रात्मक लेबल (नियम 208.4 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त पैकिंग नियम (नियम 207 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 208,209, 222.1 और 228.5 भी देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 213,214,215 216,217 और 228.2 देखिए)	यात्री गाडी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान के वहन के अतिरिक्त नियम (नियम 218 भी देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन (नियम 219,220, 221,226,227 और 228 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
द्रवित गैसें							
अमोनिया (एनहइड्रस) (रिसने की दशा में अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियों के लिए उपाबंध II/2 देखिए)	विषैली	ग	(1) क्लोरीन के साथ पैक नहीं की जाएगी। (2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में भी ग्रहण की जा सकती हैं। ये कंटेनर खूले ग्रहण किए जा सकते हैं परन्तु यह तब जब वाल्वों की सुरक्षा कैंपे या डोमों से भली भांति ढका गया हो।	-	(1) जब सतंभ 4 में मद (2) में अधिकथित रूप से पैक किया जाए तब इसे खुले वैगनों में लादा जा सकता है परन्तु यह तब जब कंटेनरों की रक्षा त्रिपाल से की जाती है। (2) अनुमोदित टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है,	पिछले ब्रेकयान में एक सिलेण्डर से अधिक का वहन नहीं किया जा सकेगा।	(1) क्लोरीन के साथ नहीं लादा जाना चाहिए। (2) स्तंभ 4 के मद 2 में निर्दिष्ट कंटेनर तीन-तीन की पंक्तियों में रखे जाने चाहिए और उनका बड़ा धुरा वैगन जिस ओर को यात्रा कर रहा है उस ओर को रहना चाहिए तथा समुचित रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
क्लोरिन (रिसने की दशा में अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियों के लिए उपबंध II/2 देखिए)	विषैली	ग	(1) एसिटिलीन (छिद्रदार पदार्थों में संपीडित) या अमोनिया(एनहइड्रस) या द्रवित पेट्रोल गैस (वाणिज्यिक बूटेन या प्रोपेन) के साथ पैक नही की जानी चाहिए। (2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में भी ग्रहण की जा सकती है। ये कंटेनर खुले ग्रहण किये जा सकते हैं परन्तु यह तब जब वाल्वों को सुरक्षा कैपों या डोमों से भली भांति ढका गया हो।		(1) जब स्तंभ 4 में मद (2) की अधिकथित रूप में पैक किया जाए तब इसे खुले वैगनों में लादा जा सकता है परन्तु यह तब जब कंटेनरों की रक्षा त्रिपाल से की गई हो। (2) अनुमोदित टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।	ब्रेकयान में वहन नहीं किया जाना चाहिए।	(1) एसिटिलीन (छिद्रदार पदार्थों में संपीडित) या अमोनिया(एनहइड्रस) या द्रवित पेट्रोल गैस (वाणिज्यिक बूटेन या प्रोपेन)के साथ लादा नहीं जाना चाहिए।

गैस का नाम	गैस का विशिष्ट गुण	प्रयोग में लाया जाने वाला चित्रात्मक लेबल (नियम 208.4 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त पैकिंग नियम (नियम 207 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 208,209, 222.1 और 228.5 भी देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 213,214,215 216,217 और 228.2 देखिए)	यात्री गाडी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान के वहन के अतिरिक्त नियम (नियम 218 भी देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन (नियम 219,220, 221,226,227 और 228 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
द्रवित गैसें (जारी)							
द्रवित पेट्रोलियम गैस (वाणिज्यिक बूटेन या प्रोपेन)	ज्वलनशील	क	(1) क्लोरिन के साथ पैक नहीं की जानी चाहिए। (2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में भी ग्रहण की जा सकती है। ये कंटेनर खुले ग्रहण किये जा सकते हैं परन्तु यह तब जब वाल्वों को सुरक्षा कैपों या डोमों से भली भांति ढका गया हो।		(1) जब स्तंभ 4 में मद (2) में अधिकथित रूप में पैक किया जाए तब इसे खुले वैगनों में लादा जा सकता है परन्तु यह तब जब कंटेनरों की रक्षा त्रिपाल से की जाती है। (2) अनुमोदित टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।	ब्रेकयान में वहन नहीं किया जाना चाहिए।	(1) क्लोरिन के साथ नही लादा जाना चाहिए। (2) स्तंभ 4 की मद 2 में निर्दिष्ट कंटेनर तीन—तीन की पंक्तियों में रखे जाने चाहिए और उनका बडा धुरा वैगन जिस ओर की यात्रा कर रहा है उस ओर को रहना चाहिए तथा समुचित रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
कार्बन डाइआक्साइड (कार्बनीय क्षार गैस)	अज्वलनशील	ख	-	-	-	-	-
साइक्लो प्रोपेन गैस	ज्वलनशील	क	-	-	-	-	-
एथीलीन	ज्वलनशील	क	-	-	-	-	-
ऐथाइलक्लोराइड	अज्वलनशील	ख	-	-	-	-	-
फ्रेआन, आर्कटोन या जैनी—ट्रोन	अज्वलनशील	ख	-	-	-	-	-
हाइड्रो साइनिक क्षार	विषैली	ग	गैस से युक्त सिलेण्डर की कैप या ढक्कन के साथ वैन्ट नही लगाया जाना चाहिए।	-	-	ब्रेकयान में वहन नहीं किया जाना चाहिए।	-

गैस का नाम	गैस का विशिष्ट गुण	प्रयोग में लाया जाने वाला चित्रात्मक लेबल (नियम 208.4 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त पैकिंग नियम (नियम 207 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 208,209, 222.1 और 228.5 भी देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 213,214,215 216,217 और 228.2 देखिए)	यात्री गाडी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान के वहन के अतिरिक्त नियम (नियम 218 भी देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन (नियम 219,220, 221,226,227 और 228 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
द्रवित गैसें (जारी)							
चिकित्सीय मिश्रण आक्सीजन और कार्बनडाईआक्साइड मिश्रण या आक्सीजन और हैलियम मिश्रण)	अज्वलनशील	ख					
मिथाइल ब्रोमाइड	विषैली	ग					
मिथाइल क्लोराइड (क्लोरोमिथेन)	ज्वलनशील	क					
नाइट्रोआक्साइड	अज्वलनशील	ख	नियम 202.2 इस गैस से युक्त ऐसे सिलेण्डरों को लागु नहीं होता जिनकी जल क्षमता 4.33 किलो से अधिक नहीं है।				
सल्फर डाइआक्साइड (सल्फरी क्षार गैस)	विषैली	ग					
द्रव वायु अथवा द्रव आक्सीजन अथवा द्रव नाइट्रोजन अथवा द्रव हैलियम	अज्वलनशील	ख	(क) 30 किलो से अनधिक क्षमता वाले कंटेनर, इस्पात, ताम, ताम्र-अयस्क के बने वातरहित दोहरी दीवाल वाले पात्र जिनकी क्षमता 30 किलो से अधिक नहीं हो तथा जो 4/5 से अधिक न भरे गए हों। प्रत्येक पात्र में एक मजबूत सिलेण्डर आकार की विकर बास्केट रहेगी।	(क) प्रत्येक बास्केट, बक्स या केस पर 2.5 से.मी. के निम्नलिखित अक्षरों से युक्त लेबल रहेगा:—"द्रव वायु या द्रव आक्सीजन या द्रव नाइट्रोजन या द्रव हैलियम खतरा (लाल अक्षरों में) ठंडा रखिए सावधानी बरतिए"।		(क) पिछले ब्रेकयान में कितनी भी मात्रा में वहन किया जा सकेगा।	(क) नियम 220,228.1,(1) और 229.1 (2) तथा (3) द्रव नाइट्रोजन को लागू नहीं होते।

गैस का नाम	गैस का विशिष्ट गुण	प्रयोग में लाया जाने वाला चित्रात्मक लेबल (नियम 208.4 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त पैकिंग नियम (नियम 207 भी देखिए)	चिह्नांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 208,209, 222.1 और 228.5 भी देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 213,214,215 216,217 और 228.2 देखिए)	यात्री गाडी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान के वहन के अतिरिक्त नियम (नियम 218 भी देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन (नियम 219,220, 221,226,227 और 228 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
द्रवित गैसें (जारी) द्रव वायु अथवा द्रव आक्सीजन अथवा द्रव नाइट्रोजन अथवा द्रव हैलियम (जारी)			जिसके किनारे उर्ध्वाधर होंगे तथा जिसका ऊपरी भाग तिकोना होगा अथवा भलीभांति मजबूती से तैयार किया गया लकडी का बक्स या धातु का केस: पात्र की गर्दन का 7.62 से.मी. से भाग बाक्स या केस के ढक्कन या बास्केट के ऊपरी भाग से होकर बाहर निकला रहेगा। गर्दन का निकला हुआ भाग धातु के केस या विकर केस में परिवेष्टित होगा जो खुले सिरे पर कम से कम 2.5 से.मी. अलग रहेगा। पात्र को एक बास्केट या बक्स या केस में स्लैग वूल लगाकर पैक किया जाएगा। (ख) 30 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले कंटेनर। ये कंटेनर धातु के ऐसी डिजाइन के कंटेनर होंगे जो मुख्य विस्फोटक निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किए गए हों।	(ख) कम से कम 45 से.मी. का बोर्ड, जिसपर निम्नलिखित विवरण होगा, द्रव आक्सीजन या द्रव वायु वाले वैगन की प्रत्येक ओर संप्रदर्शित किया जाएगा: :—"द्रव आक्सीजन (द्रव वायु) चेतावनी (लाल अक्षरों में) खुली बत्तियों से दूर रखें रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा तब तक न उठाया जाए जब तक (विशेष व्यवस्था न हो")।	(ख) (1) कंटनरों का वहन करने के लिए केवल लोहे या इस्पात के फर्श वाले खुले वैगनों का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक कंटेनर का तल ऐसा बना होगा जिससे कि वह वैगन के फर्श के साथ बोल्टों या लोहे के कब्जों से अथवा अन्यथा जड दिया जाए। ताकि अभिवहन के दौरान वह स्थान से हट न सकें। कंटेनर में ऊपर बताऐं गए के अतिरिक्त तीन जंजीरे रहेंगी जो कि उसे वैगन के निचले फ्रेम के साथ थामें रहेंगी। (2) किसी एक वैगन में दो से अधिक कंटेनरों का वहन नहीं किया जाएगा।	(ख) ब्रेकवैन में वहन नहीं किया जाएगा	(ख) (1) किसी एक गाडी के साथ द्रव वायु या द्रव आक्सीजन वाला एक से अधिक वैगन नहीं होगा। (2) द्रव आक्सीजन या द्रव वायु का वहन उस गाडी से नहीं किया जाएगा जिसमें 900 किलो से अधिक विस्फोटक तथा पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों का वहन किया जा रहा है। (3) कंटेनरों के सब वाल्वों और फिटिंगों को इस प्रकार से ताला बंद किया जाएगा जिससे उनके साथ कोई अनाधिकृत रूप से छेडछाड नहीं कर सके। (4) नियम 220, 228.1 और 229.1(2) तथा (3) द्रव नाइट्रोजन को लागू नहीं होते।

परिशिष्ट II/I
(नियम 208.1) देखें)

परिशिष्ट II/I

आई. एस 4379 और आई. एस 3933 के अनुसार गैस सिलेण्डरों और कंटेनरों का भारतीय मानक पहचान रंग।

गैस का नाम	चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए		चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए	
	मुख्य भाग	वाल्व सिरा	धरातल	बैण्ड
विलयित गैस				
ऐसिटेलीन (छिद्रदार पदार्थों के रूप में संपीडित)			घनासण	
संपीडित गैसें				
संपीडित वायु	धूसर	सफेद और काला	धूसर	
आरगोन			नीला	
कोयला गैस			लाल	
हाइड्रोजन			लाल	
मिथेन			लाल	
नियोन			भूरा	काला
नाइट्रोजन	धूसर	काला	धूसर	काला
आक्सीजन	काला	सफेद	काला	
द्रवित गैसें				
अमोनिया(एनहाईड्रस)			काला	लाल और पीला
क्लोरिन			पीला	
कार्बनडाइआक्साइड (कार्बनिक क्षार गैस)	धूसर	भूप्रदेशीय प्रयोग के लिए धूसर	काला	
	धूसर	उष्ण प्रदेशीय तथा समुद्री प्रयोग के लिए धूसर	काला	सफेद या अल्युमिनियमपेंट
एथीलीन	बैगनी	बैंगनी	चमकदार लाल	लाल
एथाइल क्लोराइड				
ज्वलनशील			धूसर	लाल
अज्वलनशील			धूसर	लाल
फ्रेआन, आर्कटोन या जैनीट्रोन			दुरंगा,तलसिरा,धूसर गर्दन सिरा चमकदार लाल	धूसर
हाइड्रोसाइनिक क्षार			नीला	पीला
द्रवित पेट्रोल गैस वाण्ज्यिक, बुटेन या प्रोपेन			अल्युमिनियम या सफेद अल्युमिनियम या सफेद	लाल लाल और नीला
चिकित्सीय मिश्रण				
आक्सीजन और कार्बनडाइआक्साइड मिश्रण या	काला	सफेद और धूसर		
आक्सीजन और हेलियम मिश्रण मिथाइल क्लोराइड (क्लोरोमिथैन)	काला	सफेद और भूरा		
ज्वलनशील			हरा	लाल
अज्वलनशील			हरा	
नाइट्रो आक्साइड	नीला	नीला		
सल्फर डाइआक्साइड (सल्फरी क्षार गैस)			हरा	पीला
द्रव वायु	सफेद	सफेद और काला	धूसर	
द्रव आक्सीजन	काला	सफेद	काला	
द्रव नाइट्रोजन	धूसर	काला	धूसर	काला

परिशिष्ट II/2

अमानिया(एनहाइड्रस)क्लोरिन और फोसजीन के रिसाव की दशा में बरती जाने वाली
पूर्वावधानियां

अमोनिया

1. अमोनिया एक विषैली गैस है जो सिलेण्डारों में तथा अन्य पात्रों में दबाव के अधीन द्रविकृत दशा में रखी जाती है। इसमें एक विलक्षण प्रकार की दुर्गंध होती है जो खतरनाक सांद्रण होने से पूर्व वातावरण में गैस की विद्यमानता की चेतावनी देती है। वायु में अधिकतम अनुज्ञेय सांद्रण 100 पी पी एम है।

2. अमोनिया आंखों को तथा श्वसन मार्ग और श्लेषमल झिल्ली के उत्तेजक है। अत जब यह गैस रिसने लगती है तब निकटवर्ती सभी व्यक्तियों को यह चेतावनी देनी चाहिए कि वे गैस रिसाव की ओर से बहने वाली हवा से बचें।

3. अमोनिया वायु से हल्की है और जल में शीघ्र घुलने वाली है। जब इस गैस के रिसाव का पता लगे तब उस वैगन या शेड के, जिसमें गैस रिस रही है, दरवाजे पूरी तरह से खुले रखने चाहिए और रिसने वाले सिलेण्डर या पात्र पर उस फर्श पर जहां गैस रिस रही है, पर निरंतर अच्छे जल का पात्र रखा जाना चाहिए। जल अमोनिया गैस का सोख लेगा तथा गैस के सांद्रण को कम कर देगा।

4. यदि गैस द्रवीकृत अमोनिया से युक्त टैंक वैगन में रिसती है या अमोनिया सिलेण्डरों या पात्रों से युक्त वैगन में रिसती है तो वैगन को जितना शीघ्र हो उतना किसी खुले क्षेत्र में हटा दिया जाना चाहिए ताकि निकलने वाली गैस कम परिसंकट हो जाए।

5. यदि रिसते हुए पात्र से अमोनिया का व्ययन करना आवश्यक हो जाए तो द्रवित अमोनिया को ऐसे बरतन के यावतसाध्य तल के निकट अत:क्षेपित किया जाएगा।

क्लोरिन

6. क्लोरिन एक अति विषैली गैस है जो सिलेण्डरों में या अन्य पात्रों में दबाव के अंतर्गत द्रवीकृत दशा में रखी जानी चाहिए। इनमें एक विलक्षण प्रकार की तीव्र दुर्गंध होती है जो खतरनाक सांद्रण के होने से पूर्व वातावरण में क्लोरिन तथा फोसजीन के विद्यमानता की चेतावनी देती है। क्लोरिन गैस का हरापन लिए हुए पीला रंग उन्हें तब दृष्टिगोचर बना देता है जब उच्च सांद्रण होता है। वायु मे अधिकतम अनुज्ञेय सांद्रण 3 पी पी एम है।

7. जब वातावरण मे क्लोरिन पर्याप्त रूप मे विद्यमान हो तब वह श्लेषमल झिल्ली, श्वसन प्रणाली और त्वचा को उत्तेजित करती है। अत: जब क्लोरिन रिसने लगे तब निकटवर्ती सभी व्यक्तियों को यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे गैस रिसने वाली ओर से बहने वाली हवा से बचें। और यदि संभव हो तो रिसने से उच्चतर अवस्थानों में रहें क्योकि क्लोरिन वायु से 2½ गुणा भारी होने के कारण नीचे की ओर जाती है।

8. क्लोरिन के रिसाव को केवल गैस मुखोटे पहने हुए प्राधिकृत प्रशिक्षित कार्मिक ही संभाल सकते हैं। अत: रिसने का पता लगने पर निकटतम विनिर्माता को सूचित किया जाना चाहिए कि वह रिसाव का पता लगाने और उसे बंद करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करें। प्राय: ऐसे कार्मिकों द्वारा आपातिक किटों के प्रयोग से रिसाव रोका जा सकता है तथा क्लोरिन को प्लास्टिक या रबड़ की नली मे से गुजार कर कास्टिक सोडे या सोडाक्षार या क्षोमित जलयोजित चूना कर्दम के घोल में सोख कर उसका व्ययन किया जा सकता है।

पूर्वावधानिक उपाय

9. (क) यदि रिसाव किसी ऐसे टैंक वैगन में होता है जिसमें क्लोरिन है या क्लोरिन सिलेण्डर या पात्र है तो वैगन को शीघ्रातीशीघ्र किसी खुले क्षेत्र में हटा दिया जाना चाहिए। जहां निकलने वाली गैस सुविधापूर्वक परिक्षिप्त हो जाए।

(ख) यदि रिसता हुआ सिलेण्डर या पात्र रेल परिसरों के भीतर रखा हो तो उसे खुले क्षेत्र में हटा दिया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो उर्ध्वगामी वायु की दिशा में सुदूर संक्रिया द्वारा अन्यथा निकट के सभी व्यक्तियों को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया जाएगा।

(ग) ऐसे कंटेनरों की दशा मे जिन्हें टन कंटेनर कहा जाता है और जिनमें 900 कि.ग्रा. क्लोरिन होती है, इनमें व्यासत: सम्मुख दिशाओं में छिद्र होगें। यदि रिसाव निम्न अर्ध भाग में है तो कंटेनर को मोड़ दिया जाएगा जिसमें कि रिसाव बिन्दु ऊपर आ जाए जिससे रिसाव हो रहा है इससे गैस न्यूनतम निकलेगी।

(घ) यदि द्रव बाहर निकलता है तो उसे मिट्टी/रेत से बने एक संवेठन में जमा होने देना चाहिए तथा उस पर जल छिड़क देना चाहिए जिससे कि जलयोजित ठोस क्लोरिन सस्लता से बने और वाष्पीकरण की मात्रा कम हो।

(ङ) रिसाव बिन्दु से उठने वाले क्लोरिन वाष्प के बादलों को जल के खूब छिडकाव से परिक्षिप्त किया जा सकता है किन्तु जल या अन्य आद्र सामग्री या कंटेनरों से स्पर्श नहीं करनी चाहिए। क्योकि उससे सामग्री का संक्षारण होगा और रिसाव बढ जाएगा।

(च) रिसने वाले सिलेण्डरों / कंटेनरों की अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा रक्षक गैस मुखौटों के बिना उठाई धराई बहुत जोखिम वाली है और केवल दूरी से, ऊपर की ओर जानी चाहिए तथा आंखों रक्षक ऐनकों से और मुख गीले कपड़े से ढका हो। यदि द्रव क्लोरिन त्वचा या कपड़े को स्पर्श करे तो उससे वे झुलस सकते है और उत्तेजित कर सकते है। प्रभावित वस्त्र को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और प्रभावित त्वचा को जल की काफी मात्रा से धो दिया जाना चाहिए।

फॉसजीन

10. फॉसजीन एक अज्वलनशील, रंगहीन गैस है जो वायु से तीन गुना अधिक भारी है, दबाव के अंतर्गत फॉसजीन शीघ्रता से द्रव बन जाती है और हल्के पीले द्रव को रंगहीन बना देती है। इसकी गंध खट्टे हरे अनाज अथवा भूसे जैसी होती है जो प्राय: संयोजन के अनुसार, दम घोटने वाली और तीव्र होती है। फॉसजीन को अत्यन्त खतरनाक प्रकृति का विष माना जाता है जिसका प्रभाव घातक है।

11. यह कार्बनिक विलायकों जैसे कार्बन टेटाराक्लोराईड, क्लोरोफार्म, बैनजीन, टोलीन, जाईजीन, क्लोरोबेन्जीन आदि में घुलनशील है और जल में कम घुलनशील है। ये गैस क्षारीय हाईड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साईड बनने के लिए जल से अपघटित होती है। उच्चतर तापमान पर ये कार्बनमोनोऑक्साइड और क्लोरीन में विसंयोजित हो जाती है।

12. फॉसजीन के चूने का संदेह होने पर इसका पता केवल ऐसे कर्मचारिवृन्द द्वारा लगाया जाना चाहिए जो उपयुक्त गैस मुखौटे पहने हुए हो तथा अमोनिया वाष्प प्रणाली का प्रयोग कर रहे हों क्योंकि बेनजीन जब अमोनिया में मिलती है तब सफेद लौ छोड़ती है।

13. (i) फॉसजीन के विष का प्रभाव होने के निम्नलिखित चेतावनी लक्षण है;

(ii) आंखों से पानी बहना;

(iii) खांसी उठना, जिसके परिणामस्वरूप पतला झागदार थूक बहने लगे;

(iv) श्वास लेने में कठिनाई बढ़ती जाना और फेफड़ों में चुभन होना;

(v) सिर दर्द, सिर घूमना, चक्कर आना और उल्टी आना;

(vi) सामान्य दुर्बलता और गिरावट जिसके परिणाम-स्वरूप बेहोशी आना तथा श्वसन क्रिया रुकने लगना;

इन लक्षणों के दृष्टि में आते ही ऐसे व्यक्ति को तुरन्त खतरनाक वातावरण से हटाया जाना चाहिए, इससे पूर्व कि किसी को वहां प्रवेश करने दिया जाए चेतावनी की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा जांच परीक्षण किया जाना चाहिए, सिवाय तब जब प्रवेश करने वाला व्यक्ति अनुमोदित श्वसन यंत्र पहने हुए हो और प्रवेश की अनुज्ञा किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा की गई हो।

14. जब फॉसजीन के चूने का पता लगे तब बुझे हुए चूने के क्षार को या क्षारीय विलयनों को चुने वाले सिलेण्डरों तथा उन वैगन या शैड के फर्श पर, जहां गैस चू रही है, अच्छी मात्रा में फेंका जाना चाहिए।

"फॉसजीन पर जल नहीं फेंका जाना चाहिए क्योंकि उससे क्षारीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन डाईऑक्साईड पैदा हो जाती है।"

<u>परिशिष्ट II/3</u>
(नियम 230.2) देखें)

<u>परिशिष्ट II/3</u>

क्रम सं .....
स्टेशन .....
डिविजन/जिला .....
रेल .....
तारीख .....

प्रेषिती पर तामील की जाने वाली सूचना

सेवा में,
.....
.....
.....

विषय .....से .....तक के लिए बीजक/लोक मार्गपत्रक सं.....

महोदय/महोदया,

मैं आपको सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित प्रेषण/पार्सल, जिसके कि आप प्रेषिती है, गंतव्य स्टेशन पर अपरिदत्त पड़ा हुआ है। कृपया ध्यान दें कि यदि वह इस पत्र के प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके, छुड़ाया नहीं जाता तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के अधीन उसे आपको कोई और सूचना दिए बिना, व्ययनित करने की व्यवस्था की जाएगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े, डेमरेज, स्थान भाड़े आदि मद्दे रेल को देय रकम विक्रय आगमों से पूरी नहीं होती तो शेष राशि आपको चुकानी होगी।

देय प्रभारों के ब्यौरे -

(1) भाडा ₹.....
(2) डेमरेज ₹.....
(3) उतराई प्रभार ₹.....
(4) स्थान भाड़ा ₹..... प्रति पचास किलो ग्राम
प्रतिदिन की दर से तारीख.....से प्रेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

<u>परिशिष्ट II/4</u>

(नियम 225) देखें)

<u>परिशिष्ट II/4</u>

1. **वस्तु का नाम** - एनहाइड्रस द्रवित अमोनिया
2. **लक्षण**

2.1 **साधारण जानकारियां -** वातावरण तापनाम और दाब पर अमोनिया गैस है। किन्तु इसे ठण्डा करके द्रवित रूप मे संपीडित किया जा सकता है। यह द्रव और गैस दोनों रूप मे रंगहीन है। इसमें तीक्ष्ण दुर्गंध है और यह, आंखों तथा त्वचा को उत्तेजित करता है अमोनिया गैस वायु से हल्की है और द्रवित अमोनिया पानी से हल्का है।

3. **स्वास्थ्य परिसंकट**

3.1 अमोनिया की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप त्वचा में उत्तेजना, आंखों में अन्धता और श्लेष्मा झिलली,नाक,गले व फेंफडें अवरुद्य हो सकते है।

3.2 रिसते स्थानों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को गंभीर हिमदाह हो सकता है।

4. दुर्घटनात्मक रिसन/छलकन की दशा में पालन किए जाने वाले करो या मत करो।

करो —

1. ट्रेन चलने से पूर्व सुरक्षा किट को इंजन कक्ष/ब्रेकयान में अवश्य लादें।
2. रिसते टैंक को रुग्ण चिन्हांकित कर दें ओर उसे किसी सुदुर स्थान पर अंतरित कर दे जहां कोई आबादी न हो।
3. निकटतम डी आर एम कार्यालय, स्टेशन मास्टर, टीएक्सआर और अग्नि शमन केंद्र का सुवाघ्य टेलिफोन की सहायता से रिसाव/छलकन के बारें में तुरन्त सूचित करें पुलिस स्टेशन और निकटस्थ उद्योगों को भी सहायता के लिए सूचित कर दें।
4. स्थानीय जनता को, रिसाव/छलकन के स्थान से दूर रखने के लिए लोक घोषणा पद्यति का प्रयोग करें।
5. भारी रिसाव/छलकन की दशा में प्रभावित क्षेत्र को परिवेष्टित कर दें।
6. रिसाव के स्रोत को बंद करने के लिए कदम उठाएं।
7. भारी रिसाव की दशा में हवा बहने की दिशा में दौंडें।
8. जल की पर्याप्त मात्रा का स्रोत ढूंढें।
9. अमोनिया को समाप्त करने के लिए जल का भारी छिडकाव करें।
10. प्राथमिक सहायता के रूप में आंखों, त्वचा को जल की पर्याप्त मात्रा से सींचें।
11. बचाव संक्रिया के समय श्वसन साधित्र, पी बी सी सूट, रबड के दस्ताने, रबड के चश्में, और रबड के जूते आदि पहनिए।
12. उसके शिकार अचेतन व्यक्ति के लिए कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करें।
13. घायलों का निरीक्षण करें और उन्हें प्राथमिक सहायता दें।

न करें —

1. टैंक वैगन के निकट किसी ज्वलन के स्रोत को जाने की अनुज्ञा न दें।
2. रिसते अमोनिया के संपर्क से बचें जिससे कि आप हिम—दाह से बचे रहें।
3. अमोनिया का श्वास न ले क्योकि यह गैस श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है।
4. द्रवित अमोनिया कुण्ड पर सीधे पानी न डालें।
5. किसी भी प्रकार मरम्मत की वैल्डिंग से न करें।

<u>परिशिष्ट II/5</u>

(नियम 225) देखें)

<u>परिशिष्ट II/5</u>

1. **वस्तु का नाम** - द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी)
2. **लक्षण**
3. **साधारण जानकारियां :**
   - यह बुटेन और प्रोपेन का, विभिन्न अनुपात के दबाव के अंतर्गत मिश्रण है और द्रवित पेट्रोलियम गैस भण्डारण बर्तन और सिलेण्डरों में भण्डारित किया जाएगा।
   - वातावरण में रिसने की दशा में एल पी जी शीघ्र वाष्प में बदल जाती है यह संभवत खतरनाक स्थिति है क्योकि छलकने वाला एल पी जी वाष्प ज्वलन के किसी भी स्रोत से ज्वलित हो सकता है। द्रवित एल पी जी, 250 ग्राम से अधिक बृहद परिमाण में वाष्प बन जाती है।
   - वाष्प बनने वाली एल पी जी पास—पड़ोस से ताप पकड़ लेती है और इस प्रकार वातावरण में उपस्थित आद्रता, रिसाव के आस—पास संघनित हो जाती है।
   - एल पी जी वायु से भारी है और द्रवित एल पी जी जल से हल्का है।
   - एल पी जी द्रवित या वाष्प रूप दोनों में रंगहीन है।
   - व्यवहारितक्त: यह गंधरहित है। शीघ्र पता लगाने के लिए एथाइलमरकपटान ओडोरेंट मिलाया जाता है।
   - यह तनिक विषैली है।
   - वायु में उपस्थित थोडी मात्रा में एल पी जी वाष्प, ज्वलनशील और विस्फोटक मिश्रण बन सकता है।
3. **स्वास्थ्य जोखिम**
   - एल पी जी जहरीली नहीं है परन्तु कोई व्यक्ति दीर्घावधि के लिए इसके प्रभाव में रहता है तो इससे श्वासरोधन हो सकता है।
   - एल पी जी की उठाई—धराई खुले हाथों से और रक्षक वस्त्रों के बिना नहीं करनी चाहिए। यदि एल पी जी त्वचा पर गिर जाए तो हिमदाह हो सकता है।
   - त्वरित बादल संरचना के कारण होने वाले प्रघाती तरंग।
4. **संभावित अन्तर्वलित खतरा।**
   - वातावरण में रिसाव की दशा में, एल पी जी शीघ्र वाष्प बन जाती है जो कि एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि छलकनें वाले एल पी जी वाष्प, गलन के किसी भी स्रोत से ज्वलित हो सकते हैं।
   - एल पी जी पास—पडोंस से ताप पक ेलती है अत रिसाव से हिम संरचना के कारण हिमदाह हो सकता है।
   - बैरल या टैंक फिटिगों में छिद्र के परिणामस्वरूप किसी विहित टैंक के अग्नि के अभिदर्शित होने पर परिरुद्ध वाष्प बादल विस्फोट (पी यू वी सी ई) वहाइल बी एल ई वी ई (क्वथन द्रव विस्तार वाष्प विस्फोट) जोखिम हो सकता है।
5. दुर्घटनात्मक रिसाव/छलकन की दशा में पालन किए जाने वाले करो और मत करों।

   करो
   - आस पास घूम कर सुनिश्चित करें कि वैगनों के निकट कोई ज्वलंत स्रोत न हो। ऐसे वैगनों की दोनों ओर खतरनाक और लूज शंटिंग न करें के लेबल लगवा दें।
   - जांच ले कि ढीले ब्रेक शू के घिसने से धुरियां गरम न हो और स्फुलिंग न हो।
   - जांच करे कि इंजन निवर्तक पर का स्फलिंग प्रगाही ठीक है या नहीं।
   - सब वैगनों को गंध या सीटी की ध्वनि से रिसाव की जांच करें।
   - वाल्व से रिसाव की दशा में जांच करें कि वाल्व कस कर बंद हैं।

- (क) ऐसे भारी रिसाव की दशा में जो वाल्वों की बंद करने से नहीं रोकी जा सकती, रिसावों का मूल्यांकन करें, मरम्मत में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीक का अवधारण करें, निकटतम रेल स्टेशन या तेल संस्थान से सम्पर्क करें। सुनिश्चित करें कि कोई ज्वंलन स्त्रोत निकटस्थ न हो और राहगीर कोई धुम्रपान न करें या खुली ज्वाला न ले जाए। भारी रिसाव वालों वैगनों को अलग कर दें और उन्हें ट्रेन से यावत-साध्य दूर रखें। अलगाव के दौरान ध्यान रखे कि हथोड़ा न चलाया जाए या स्फुलिंग न किया जागउए। पानी छिड़क कर वैगन ठण्डा रखे।
- (ख) स्टेशन मास्टर निम्नलिखित को फोन/मोबाइल/ईमेल/फैक्स द्वारा सूचना भेजेगा।
  (i) सी.एफ.टी.एम. (ii) निकटतम ट्रेन परीक्षक
  (ग) अग्नि की दशा में हैलन गैस अग्नि शामक का प्रयोग जाना चाहिए।

परिशिष्ट II/5—समाप्त

(नियम 225) देखें)

परिशिष्ट II/5

मत करें

- धूम्रपान न करें।
- इंजन कक्ष में किसी ईधन तेल, स्नेहक तेल और मलबे का संचय न करें।
- जली हुई सिगरेटें, दियासलाई, खुली ज्वाला, मिट्टी के तेल के हस्त संकेतक लैंप या लालटेन वैगनों के निकट न ले जाएं।
- जांच करने/खटखटाने के लिए लोहे के हथौड़ों या वैसे किन्हीं अन्य औजारों का प्रयोग न करें। यदि अपेक्षित हो तो केवल रबड़/खटखटाने के लिए लोहे के हथौड़ा प्रयोग करें।
- आपात काल के सिवाय, द्रवित पैट्रोलियम गैस की उठाई-धराई से संबंधित सभी संक्रियाएं, अन्धेरा होने के पश्चात नहीं वरन, दिन के प्रकाश के दौरान की जानी चाहिए क्योंकि अंधेरे में लैंप का प्रयोग आवश्यक हो जाएगा।

शंटिंग और समंजन के दौरान

करिए —

सुनिश्चित करें कि इंजन और कारगों के बीच उभय प्रतिरोधी वैगन रही गई हो।

- सुनिश्चित करें कि जलते हुए अंगारों जैसा कोई ज्वलन स्रोत निकट न हो।
- सुनिश्चित करें कि उस क्षेत्र में कोई काष्ठ के स्लीपर न हो क्योंकि वे स्फुलिंग का जलते हुए अंगारों के कारण आग पकड़ सकते हैं।
- यदि किसी रिसती हुई वैगन को यार्ड में लना हो तो शटिंग इंजन/पाइलट से कम से कम दस ऐसे वैगनों द्वारा पृथक जाएगा जिनमें ज्वलनशील, खतरनाक या विस्फोटक प्रकृति का माल हो।
- प्रभावित टैकों का अधिकतम सीमा तक पृथक रखा जाएगा।

मत करिए

- वाष्प इंजन का प्रयोग न करें।
- वैगनों की लूज शंटिंग न करें।
- इन वैगनों को राख के गर्त के ऊपर से न गुजारें।

अभिवहन के दौरान

- यदि ट्रेन पर भारी रिसाव या अग्नि नजर आए तो ट्रेन को रोक दें।
- वैगन का निरीक्षण करने के लिए वाष्प लपटों से बचने के लिए वैगन के पास वायु की दिशा में जाए
- यदि रिसने वाली वैगन को अलग करना हो तो वैगन को रनिंग लाइन से यावतसाध्य दूर साइडिंग में रखा जाए जिससे कि इंजन या चलती हुई ट्रेन से उठने वाले स्फुलिंग ऐसी वैगनों के संपर्क मे न आएं।
- ऐसे भारी रिसाव की दशा में जो वाल्वों को बंद करने से रोकी नहीं जा सकती, रिसावों का मूल्यांकन करें, मरम्मत में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीक का अवधारण करें। निकटतम रेल स्टेशन या तेल संस्थान से संपर्क करें।

- सुनिश्चित करें कि कोई ज्वलन स्रोत निकटस्थ न हो।
- धूम्रपान न करें खुली ज्वाला न ले जाए भारी रिसाव वाले वैगनों को अलग कर दे और उन्हें ट्रेन से यावतसाध्य दूर रखें अलगाव के दौरान ध्यान रखें कि हथौडा न चलाया जाए या स्फुलिंग न किया जाए पानी छिडककर वैगन को ठंडा रखा जाए।
- सुनिश्चित करें कि कोई प्राधिकृत व्यक्ति दिन राज रिसने वाली वैगन का पहरा दे और अप्राधिकृत व्यक्तियों को उस वैगन से 30 मीटर दूर रखें।
- स्टेशन मास्टर निम्नलिखित को टेलिफोन/फैक्स/ई-मेल द्वारा सूचना भेजेगा -
- (1)सीएफटीएम (2) निकटतम ट्रेन परीक्षक
- दुर्घटना की दशा में स्टेशन मास्टर दुर्घटना नियमों में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त जहां संभव हो
- (1)निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक,(2)निकटतम विस्फोटक नियंत्रक को, सूचित करेगा।

परिशिष्ट II/6
(नियम 225 देखिए)

परिशिष्ट II/6

1. **वस्तु का नाम** - द्रवित क्लोरिन।

2. **लक्षण** —

2.1 **साधारण** - क्लोरिन वातावरण के दाब और ताप पर गैस है किन्तु इसे दबाव के अंतर्गत द्रवित किया जा सकता है। यह हरापन लिये हुए पील रंग की है तथा इसमें विलक्षण दमघोंटु दुर्गंध होती है। यह जल में तनिक घुलनशील है और प्रकृति से संक्षारक है।

3. **स्वास्थ्य जोखिम** - क्लोरिन हरापन लिये हुए पीले रंग की अति हानिकारक गैस है। यह आंखों की श्लेष्मा झिल्ली श्वसन प्रणाली को अति उत्तेजित करती है तथा विषैली है। इसके 50 एम का सांद्रण संलिप्त से प्रभावन के लिए भी खतरनाक है। क्लोरिन संक्षारक है और प्रतिक्रिया स्वरूप मानव शरीर पर गंभीर दाह/घाव हो सकते है।

4. संभावित अंतर्वलित खतरा

4.1 हाइड्रोकार्बन, तारपीन के तेल और अमोनिया की प्रतिक्रिया का परिणाम अग्नि और विस्फोट हो सकता है।

4.2 तापमान में वृद्धि के कारण भीतरी दबाव के आधिक्य के परिणाम मिश्रण बन सकता है।

4.3 हाइड्रोजन और अमोनिया यदि स्थल पर उपलब्ध हो तो विस्फोटक मिश्रण बन सकता है।

5. **दुर्घटनात्मक रिसाव/छलकन की दशा में पालन किए जाने वाले 'करो' और 'मत करों'**

करो

- ट्रेन चलने से पूर्व सुरक्षा किट को इंजन कक्ष/ब्रेकयान में अवश्य लाद दें।
- रिसते टैंक को रुग्ण चिहनांकित कर दें और उसे किसी ऐसे सुदूर स्थान पर अन्तरित कर दे जहां कोई आबादी न हो।
- निकटतम डी आर एम कार्यालय, स्टेशन मास्टर, टी एक्स आर और अग्नि शमन केन्द्र सुवाहय टेलीफोन की सहायता से रिसाव/छलकन के बारे में तुरन्त सूचित करें पुलिस स्टेशन और निकटस्थ उधोगों को भी सहायता के लिए सूचित कर दें।
- स्थानीय जनता को, रिसाव/छलकन के स्थान से दूर रखने के लिए लोकघोषणा पद्धति का प्रयोग करें।
- रिसाव के स्रोत के बंद करने के लिए तुरन्त कदम उठाए।
- भारी रिसाव की दशा में हवा बहने की दिशा में दौडे।
- अमोनिया टार्च (अमोनिया के घोल को पतला करें और एक छोर पर कपड़े का बल्ब बना कर लगा लें) और रिसाव को नियंत्रित करने का प्रयास करें।
- गैस मुखौटों और आपाती किटों को ऐसे अनुकूल बिन्दुओं पर अवस्थित करें जो आपात काल में सुगम्य हो।
- कास्टिक सोडा/चूना/सोडा ऐश द्वारा क्लोरीन को बड़े रिसाव की दशा में प्रयोग के लिए सोखने के प्रयोजनार्थ समुचित सुविधा स्थापित करें और उसका अनुरक्षण करें।

मत करें -

- टैंक बैरल के प्रभावित भाग की मरम्मत करने का कोई प्रयास न करें।
- बुलेट को किसी भी परिस्थिति में गर्म न करें।
- रिसाव को नियन्त्रित करने के लिए बैरल/वाल्व पर सीधे जल का प्रयोग न करें।
- क्लोरिन का निश्वास न ले क्योकि यह श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करती है।

अध्याय III

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव

अध्याय III
पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव
रेल अधिनियम 1989(1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल

301. पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव, अर्थात, ऐसे द्रव या द्रवों के मिश्रण या ठोस युक्त द्रव जो मिश्रण अवस्था में अथवा पृथक अवस्था में ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, जोकि वायु में उपयुक्त रूप से सांद्रित होने पर तब अग्नि पैदा कर सकते हैं जब वे क्षणिक रूप से किसी भी ज्वांलक स्रोत के समक्ष आए सारणी III में विनिर्दिष्ट है और रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल समझा जाएगा।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के वहन के बारे में साधारण निर्बंधन

302.1 पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का केवल अधिकिथत नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी III में विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों को रेल से वहन करने के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन तथा शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

302.2 वहन से इंकार करने का रेल का अधिकार - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी III में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव का, जन साधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा और ऐसी सूचना जारी करने के पश्चात कोई भी ऐसे पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सैक्श्न या सैक्शनों पर, जिनकी बाबत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, के लिए ग्रहण नहीं किए जाएगें।

302.3 रेलों पर निर्बंधन - (1) दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा—तलबंद सैक्शन पर पेट्रोलियम तथा अन्य जल—कार्बनीय तेल, वर्ग "ख" मोटर स्पिरिट, पेट्रोल (बैंजीन) तथा तारपीन के सिवाय पेट्रोलियम और ज्वलनशील द्रवों का वहन केवल विशेष व्यवस्था के अधीन किया सकेगा:-

(2) **मुम्बई पत्तन न्यास रेल -** (क) पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में कार्रवाई सामान्यतया पेट्रोल कम्पनी की साईडिंग पर निम्नलिखित रूप में की जाती है —

तेल डिपों— विमान स्पिरिट, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तेल, पावरीन रेल,विलायक तेल, खनिज तारपीन तेल, मिटटी का तेल।

स्टोर डिपों— द्रव इंधन तेल, लाइट डीजल तेल,विलायक तेल।

विक्टोरिया गोदी— (द्रव इंधन डिपो) लाइट डीजल तेल, मिटटी का तेल।

(ख) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों की उठाई—धराई - यदा कदा मु.प.न्या. रेल के किसी सुविधाजनक स्टेशन पर विशेष व्यवस्था के अधीन की जाएगी।

(3) केंद्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.— (क) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव केवल स्वामी के जोखिम पर ग्रहण किए जाते है।

(ख) (i) विमान स्पिरिट का वहन किसी भी दशा में ओर किसी भी मात्रा में नहीं किया जाता।

(ii) पेट्रोल का वहन अधिकतम 200 लिटर तक किसी एक वाहक स्टीमर द्वारा किया जाता है।

(iii) मिथाइल स्पिरिट, जब वह उपयुक्त केसों में, बोतलों में पैक की गई हो, मात्रा की बाबत किसी सीमा के बिना वहन की जा सकती है।

(iv) 50 लिटर के ड्रमों में मिथाइल स्पिरिट का वहन यात्रियों को वहन करने वाले स्टीमरों से तथा कोलकाता के स्टीमर घाटों से चलने वाले सभी स्टीमरों से, 200 लीटर प्रति स्टीमर की सीमा तक किया जाता है।

(v) 200 लीटर और 50 लीटर के ड्रमों से मिथाइल स्पिरिट का वहन फ्लैट सर्विस में किया जाता है परन्तु यह तब जब किसी फलैट से क्रमश 6 अथवा 24 ड्रमों से अधिक का वहन न किया जाए।

(4) पूर्वोत्तर रेल - इस रेल पर किसी स्टेशन को प्रेषण के लिए टैंक वैगनों में खनिज तेलों को (डीजल तेल तथा भट्टी तेल) के सिवा तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ऐसी फर्म या ऐसे व्यक्ति को प्रेषित न किए जाए जिनके पास थोक में यातायात की धराई—उठाई के लिए भण्डारण व्यवस्थाएं विद्यमान है और ऐसे प्रेषण मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मालीगांव गुवाहाटी, के साथ विशेष व्यवस्था करने पर ही ग्रहण किए जा सकते है।

(5) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन पूर्व रेल के छो.ला. पर नहीं किया जाता जिसमें लाइट रेल भी सम्मिलित है।

प्रेषक द्वारा प्रेषक की सूचना दी जाएगी

303.1 प्रेषण सूचना का अनिवार्य होना— रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों का कोई भी प्रेषण तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे प्रेषणों को भेजने के आशय की पूर्व सूचना नियम 308.2 में विहित रूप में नही दी जाती और जब तक उस स्टेशन का भार—साधक अधिकारी जिससे प्रेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचित नहीं कर देता कि प्रेषणों को ग्रहण किया जा सकता है।

303.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां - नियम 303.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भार—साधक को संबोधित होगी जिससे माल भेजा जाने वाला है और ऐसी सूचना प्रेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम 48 घंटे पूर्व भेजी जाएगी। सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो। और सूचना में निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन होगा —

(1) प्रेषण में पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का सही नाम, विवरण और मात्रा और साथ ही यह उल्लेख कि उनका ज्वांलक बिन्दु 23 डिग्री सेंटीग्रेड है अथवा 23 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक किन्तु 65 सेंटीग्रेड कम है अथवा 65 सेंटीग्रेड या उससे अधिक है किन्तु 93 सेंटीग्रेड से कम है।

(2) प्रेषक का नाम और पता

(3) परेषेती का नाम और पता

(4) वह घोषणा कि पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों के अनुसार, अर्थात नियम 307 और 308 के अनुसार पैक तथा चिंहांकित किया गया है।

टिप्पण -(1) हर दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र जो प्रेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख कम से कम अडतालीस घण्टे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

(2) जब रेल स्टेशन या शैड का भार साधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा तथा ऐसी सूचना प्रेषक को इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाण पत्र, अग्रेषण पत्र, आदि अभिप्राप्त करना

304.1 अपेक्षित दस्तावेज - सारणी III में उल्लिखित पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रत्येक प्रेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृन्द पर सभी दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र, विशेष रूप से विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध 'क' देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

(2) खाली कैनो, ड्रमों या अन्य पात्रों के प्रेषक अग्रेषण पत्र में यह घोषणा करेगें कि कैन, ड्रम या अन्य पात्र भली भांति बंद किए गए है।

304.2 बीजक या मार्गपत्र पर टिप्पण — पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषणों के लिए जारी किए गए बीजकों या मार्गपत्रों पर यह उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकन होगा कि द्रवों का ज्वांलक बिन्दु 23 सेंटीग्रेड से कम है अथवा 23 सेंटीग्रेड या उससे अधिक किन्तु 65 सेंटीग्रेड से कम है अथवा 65 सेंटीग्रेड या उससे अधिक किन्तु 93.3 सेंटीग्रेड से कम है।

ग्रहण करने के बारे में प्रतिषेध

305.1 मिश्रित प्रेषणों का प्रतिषेध — पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों को अन्य माल के साथ प्रेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा अपितु वे एक पृथक अग्रेषण पत्र के अंतर्गत किए जाने चाहिए और पृथक प्रेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

305.2 ऐसे थोक प्रेषणों का सामान्यतया ग्रहण नहीं किया जाना जिनके वहन मे आमान परिवर्तन के कारण यानांतरण करना पडे थोक रूप में ऐसे पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को रेल से वहन के लिए विशेष व्यवस्था के अधीन ग्रहण किया जाएगा जिनके वहन में आमान परिवर्तन के कारण यानांतरण करना पड़े।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का प्राधिकृत रेल सेवकों द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

306. रेल में वहन के लिए आशायित पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के परेषण केवल -

(i) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा

(ii) रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थान या स्थानों पर; और

(iii) ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पेट्रोलियम नियम, 2002 के अध्याय IV में यथानिर्दिष्ट अनुमोदित विद्युत के प्रकाश का अन्य रूप से प्रयोग किया जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्ति विनिर्दिष्ट किए जाए, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

307.1 पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का तब ही वहन किया जाना जब वे विहित रीति से पैक किए गए हो— कोई भी पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव तब तक वहन के लिए नहीं सौंपेगा या उनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सारणी III के स्तंभ 2 के अधिकथित रीति में ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए जैसे कि उक्त सारणी III के स्तंभ 5 में सम्मिलित है पैक नहीं किए गए है।

307.2 पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवो के लिए पात्र - (1) सारणी III के स्तंभ 2 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय वर्ग के के पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव तब जब वे थोक पात्रों में अर्थात 1000 लिटर से अधिक क्षमता वाले पात्रों में पैक न किए गए हों, गैस रोधी, टीन के गैलवनीकृत अथवा बाहर से जंगरोधी इस्पात या लोहे के पात्रों मे रखें जाएगें और इन पात्रों भली भांति तैयार किए गए, भराई अपरचर फिट होगें तथा पेचदार प्लग या पेचदार टोपियों या अन्य टोपियों जिन पर धातु की वायुरोधी टोपियां हो, भली भांति फिट होगी। परन्तु यह कि यह पात्र परिशिष्ट III/1 में अधिकथित विनिर्दशों के अनुरूप होगें। पात्रों को समुचित रूप से मरम्मत करके रखा जाएगा।

परन्तु यह भी कि सारणी III के स्तंभ 2 में जैसा अन्यथा उपंबंधित है उसके सिवाय, सभी पात्रों में क्षमता का पांच प्रतिशत से अनधिक वायु स्थान छोडा जाएगा।

(2) पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रवों को रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सब पात्र अच्छी प्रकार तैयार किए जाएगें और इतने मजबूत होगें कि वे रेल से वहन मे होने वाले नुकसान को सह सकें। और उन्हें भली भांति बंद किया जाएगा जिससे कि उसके माल या वाष्प को चूने से रोका जा सके।

(3) सारणी III के स्तंभ 2 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कास्क, केस और क्रेट लकड़ी के ड्रम लोहे या इस्पात के और जार पत्थर या मिटटी के होंगे।

(4) केसों का कस कर जोड़ा जाएगा और कास्कों को भली भांति डाट लगाई जाएगी।

(5) जारों को मजबूती के साथ टोंटी बंद किया जाएगा या उन पर डाट लगाई जाएगी तथा चिकनी मिटटी से बंद किया जाएगा।

(6) डाट लगी बोतलों को चिकनी मिटटी से बंद किया जाएगा और ऊपर से बांधा जाएगा।

(7) प्रत्येक पात्र में पर्याप्त वायु स्थान छोडा जाना चाहिए जिससे कि तापक्रम के परिवर्तन के कारण द्रव के विस्तार के लिए स्थान रहे।

307.3 भीतरी पैकिंग - कैसो या क्रैटों की भीतरी पैकिंग मे कोई ठोस या कठोर पदार्थ नहीं रहेगा।

307.4 खालीपात्र - सब खाली पात्रों को मजबूती से बंद रखा जाएगा जब तक कि उन्हे पूरी तरह से साफ न कर दिया गया हो और ज्वलनशील वाष्प मुक्त न कर दिया गया हो।

परेषकों द्वारा पैकजों का चिंहांकन और उन पर लेबल लगाना

308.1 चिंहांकन - (1) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव से युक्त प्रत्येक पैकेज पर सुदृश्य अक्षरों में ब्रांडिग करके, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या मजबूती से लेबल लगाकर —

(क) द्रवों के नाम

(ख) वर्ग "क" और वर्ग "ख" के अंतर्गत द्रवों के संबंध में क्रमश "अत्यंत ज्वलनशील" और "ज्वलनशील" शब्द।

(ग) लीटरों में क्षमता और

(घ) प्रेषक और प्रेषिती के नाम और पते अंकित किए जाएगें।

(2) पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक टेंक यान, चाहे लदा हुआ हो या खाली पर सुदृश्य रूप से प्रत्येक आगे और पीछे भी, कम से कम 7 सेंटीमीटर ऊंचे अक्षरों में, स्पष्टतया विपरंग की पृष्ठ भूमि पर "ज्वलनशील" शब्द और परिवहन किए जा रहे ज्वलनशील द्रव को सामान्य नाम उदाहरणतया मोटर स्प्रिट "मिटटी का तेल" आदि।

308.2 चित्रयुक्त लेबल - पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवो से युक्त प्रत्येक पैकेज पर नियम 308.1 में विनिर्दिष्ट चिंहाकंन के अतिरिक्त नीचे दिखाए गए रूप में चित्र युक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अंतर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।

वर्ग ''क'' द्रवों के लिए



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि.....सफेद प्रतीक..... काले

(2) न्युन्तम विमाएं 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर पैकेज के आकार के अनुसार बडें लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है

(3) लेबल 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे का भाग का प्रयोग पाठ के लिए जैसा उपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

<u>पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव</u>

308—309

वर्ग ''ख'' द्रवों के लिए



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि .....सफेद प्रतीक.....काले

(2) न्युन्तम विमाएं 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर पैकेज के आकार के अनुसार बडें लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है

(3) लेबल 45° के कोण पर (हीरे के आकार मे) जैसा उपर दिखाया गया है, लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें उपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे का भाग का प्रयोग पाठ के लिए जैसा उपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

308.3 संकेत लेबल - जब तक कि भीतरी पैकल का शीर्ष ऊपर से साफ़ दिखाई न पड़ता हो अथवा बाहरी पैंकिग ऐसी हो जिससे कि शीर्ष साफ़ दिखाई पड़े अर्थात बाहरी पैकेज का शीर्ष कोणाकार हो, तब पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर उसके शीर्ष पर निम्नलिखित संकेत लेबल लगाया जाएगा।

"यह भाग ऊपर की ओर रखें"

308.4 खाली पात्र - कोई भी ऐसा पात्र जिसमें पहले पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखा गया है खाली पात्र के रूप मे वहन के रेल प्रशासन को तब तक नहीं सौंपा जाना चाहिए जब तक उसे पूरी तरह से साफ़ नहीं किया जाता और जवलनशील वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया जाता तथा इस आशय की घोषणा अग्रेषण नोट में नहीं कर दी जाती और खाली का लेबल भी नहीं लगा दिया जाता।

रेल द्वारा चिह्नांकन

309.1 पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे चिंहों से समुचित रूप से चिंहांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषण और गंतव्य स्टेशनों के संकेताक्षर, बीजक या मार्गपत्र का संख्यांक तथा प्रेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो।

309.2 जब पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषण को वैगन भार प्रेषण के रूप में ऐसे गन्तवय स्टेशन के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है जिसमें अमान परिवर्तन के कारण यानांतरण नहीं किया जाना है तब पैकेजों को केवल दस प्रतिशत रेल चिंहाकनों से अंकित करना आवश्यक होगा।

रेल कर्मचारिवृन्द का उत्तरदायित्व

310. पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषण को ग्रहण करते समय रेल कर्मचारिवृन्द को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

(क) किसी एक पैकेज में घोषित की गई पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील द्रवों की मात्रा जैसी कि पैकेज पर के चिंहाकनों से अभिनिश्चित की गई है, अथवा पैकेज का भार सारणी।।। के स्तंभ 2 और 5 में अधिकथित अधिकतम से अधिक नहीं है।

(ख) सबसे बाहर का पैकेज इस नियमों के अनुसार है।

उठाई—धराई का कार्य परेषकों और परेषितियों के द्वारा किया जाना

311.1 जब तक रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया जाए वैगन भार के रूप में पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषणों की लदाई और उतराई का कार्य परेषको और परेषितियों द्वारा किया जाएगा।

311.2 जब यातायात को फुटकर के रूप में बुक किया जाता है तब, मार्ग में उठाई धराई के सभी मामलों में, संबंधित रेल प्रशासन लदाई उतराई करेगा।

311.3 टैंक वैगनों के रूप में यातायात का यानांतरण प्रेषण को परेषितियों द्वारा किया जाएगा।

311.4 पूर्व, उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलों (इलाहाबाद,लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजन) पर बैंजीन (पेट्रोल) तथा मिट्टी का तेल या पैराफिन तेल, निम्नलिखित दशाओं में परेषकों द्वारा लादा जाएगा और परेषितियों द्वारा उतारा जाएगा।

(1) थोक में बुकिंग होने पर

(2) न्यूनतम 45 क्विंटल तथा अधिक के प्रेषणों की दशा में अथवा अन्यथा पैक किए जाने पर परन्तु यह कि उठाई धराई का कार्य रेल द्वारा किया जाएगा। यदि

(क) फुटकर प्रेषणों का वहन रोडयानों में किया जाता है।

(ख) 45 क्विंटल या अधिक भार वाले प्रेषण सीधे रोड यान से रेल की सुविधा के अनुसार अन्य मालों के साथ प्रेषित किए जाते हैं

(ग) विशेष स्टेशन से स्टेशन दरें बिना इस शर्त के उद्यत की जाती है लदाई और उतराई स्वामियों को करनी होगी।

भण्डारण

312. (क) स्टेशन के प्रत्येंक भार साधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पेट्रोलियम तथा अन्य जवलनशील द्रवों से ऐसे प्रत्येक पैकेज को, जिसका रेल से प्रेषण प्रस्थापित है या जो यानांतरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, ऐसे शैड में भण्डारित कराए जो पेट्रोल नियम 1976 के अपेक्षाओं के अनुरूप अथवा खुला शेड है, अर्थात ऐसा शेड है जिसके ऊपर मौसम के बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दीवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहां भी भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों को किसी खुले स्थान में तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जाता है।

(ग) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का भण्डारण करते समय नियम 313 में अधिकथित सब पूर्वावधानियां का अनुपालन किया जाएगा।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों की उठाई—धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां

313.1 लदाई और उतराई का समय : उन मामलों को छोड़कर जहां पेट्रोलियम नियम, 2002 के अध्याय में यथानिर्दिष्ट अनुमोदित विद्युत प्रकाश का अनन्य रूप से प्रयोग किया जाता हो तथा लदाई या उतराई के स्थान पर आग अथवा किसी दुर्घटना की दशा में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा अवधारित संख्या में कार्मिकों सहित पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं तत्काल प्रयोग के लिए तैयार रखी गई हो, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों लदाई, उत्राई तथा उठाई धराई से संबंधित सब संक्रियाएं सूर्यादय और सूर्यास्त के बीच की जाएंगी।

परंतु यात्री गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में भेजे जाने वाले और यानान्तरण या सड़क यान गाडियों द्वारा भेजे जाने वाले परेषणों की उठाई-धराई, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सम्यक पूर्वावधानियां बरतने के पश्चात् किसी भी समय की जा सकेगी।

भंडारण

313.2 पैकेजों की उठाई धराई - (1) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेज जमीन या फर्श पर फेंके, गिराए या घसीटें नहीं जाएगें तथा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे किसी कठोर वस्तु से न टकराएं।

(2) भारी ड्रमों या कास्कों की लदाई और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाईयां, बुरादे से भरे हुए फैल्ट के थैले या वैसे ही अन्य बचाव के साधन प्रयोग में लाना चाहिए।

(3) जब भी साध्य हो, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों का वहन या प्रवहण ट्रालियों या हथठेलों से किया जाना चाहिए।

313.3 धुम्रपान, आग, बत्तियां और खतरनाक वस्तुओं का प्रतिषेध - (1) कोई व्यक्ति, पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त किसी वाहन के निकट अथवा ऐसे स्थान के निकट जहां ऐसे माल का भण्डारण किया गया है या ऐसे माल की लदाई उतराई या उठाई-धराई की जा रही है, धूम्रपान नहीं करेगा या आग, खुली बत्ती, दियासलाइयां या ज्वलनशील प्रकृति की अन्य वस्तुओं अथवा कोई ऐसी वस्तु, जो ताप या चिंगारी उत्पन्न कर सकती है, नहीं ले जाएगा या अपने पास नहीं रखेगा।

(2) पेट्रोलियम तथा अन्य जवलनशील द्रवों का भण्डारण और उठाई धराई विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक मालों के साथ या उनके निकट नहीं किया जाएगा।

313.4 धूप, वर्षा और बर्फ से बचाव — पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा और बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर रखा जाएगा। जब भी अपेक्षित हो उनका बचाव त्रिपालों या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाएगा।

313.5 उस स्थान, वाहन या वैगन की पूरी सफाई जिसमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखा गया है उसकी उठाई-धराई की गई है - ऐसा कोई स्थान या वैगन का फर्श जिस पर पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का भण्डारण किया गया है या वह वैगन या ट्राली या हथठेला जिसमें उनका वहन किया गया है, उनमें से माल हटाए जाने के पश्चात बुहारा जाना चाहिए, और पूरी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए।

313.6 पेट्रोल आदि निकलने की रोकथाम - पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों को निकलने से रोकने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाए।

313.7 वैगनों दरवाजों के खोलने तथा माल की उतराई के लिए श्रमिक के उनमें प्रवेश के बीच अंतराल — वैगनों दरवाजों का खोलने तथा वैगन भार की उतराई के लिए वैगन में श्रमिकों के बीच कम से कम दस मिनट का अंतराल होगा। परन्तु फुटकर की दशा में जहां भी व्यवहार्य हो, इस पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जा सकता है।

वर्ग "क" पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव का सामान्यतया माल गाडियों से वहन तथा वर्ग "ख" का यात्री गाडियों के सिवाय सब गाडियों से वहन

314. नियम 315 और नियम 320 के अधीन रहते हुए (क) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' का वहन केवल मालगाड़ी से किया जाएगा। (ख)पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' का वहन यात्री गाडियों के सिवाय सब गाडियों से वैगनों में किया जा सकता है।

जब मालगाड़ी नहीं चल रही हो तब पेट्रोलियम तथा अन्य वर्ग “क” ज्वलनशील द्रवों का मिश्रित गाडियों से वहन अनुज्ञात होना।

315. पेट्रोलियम तथा अन्य वर्ग क ज्वलनशील द्रव को वहन, ऐसी लाइन या सैक्शन पर, जिस पर मालगाड़ी नहीं चल रही है, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से इस शर्त के अधीन रहते हुए वैगनों में किया जा सकता है कि उस सैक्शन पर प्रवेश करते ही, जिसमें मालगाडियां चल रही है, पेट्रोलियम तथा अन्य वर्ग क ज्वलनशील द्रव से युक्त वैगनों को मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से अलग कर दिया जाएगा।

पेट्रोलियम तथा अन्य वर्ग क ज्वलनशील द्रवों की लदाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

316(1) पेट्रोलियम तथा अन्य वर्ग 'क' जवलनशील द्रवों का वहन टैंक वैगनों में और ढ़के हुए लोहे वैगनों में किया जाएगा।

(2) पेट्रोलियम तथा ऐसे अन्य ज्वलनशील द्रव जिनका वहन टैंक वैगनों में किया जा सकता है, सारणी-।।। के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाए गए हैं।

टिप्पणी (1) छोर पर खुलने वाले डिब्बे या वैगन प्रयोग में नहीं लाए जाएगें।

(2) ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद, जिनका ज्वांलक बिंदु 65 सेंटी ग्रेड से कम नहीं है, खुले वैगनों से वहन किए जा सकते हैं। इस सीमा के अंतर्गत लाइट डीजल तेल, ईंधन तेल, भटटी तेल आदि भी है किन्तु अधिक खतरनाम उत्पाद जैसे मिटटी का तेल नही है।

टैंक वैगनों में प्रवहण

317.1 टैंक वैगनों का अनुमादित डिजाइन का होना - पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के वहन के लिए प्रयोग मे लाए जाने वाले टैंक वैगन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के होगें।

317.2 टैंक वैगनों की लदाई और उतराई के दौरान अनुपालन की जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां — (1) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टैंक वैगन अच्छी दशा में और न रिसने वाले होगें।

(2) टैंक वैगन को भरते समय टैंक की क्षमता का कम से कम पांच प्रतिशत वायु स्थान छोड़ दिया जाएगा।

(1) निम्नलिखित की दशा में 2.5 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(क) हाई स्पीड डीजल तेल
(ख) लाइट डीजल तेल
(ग) बैंचिंग तेल
(घ) भटटी का तेल
(ड) मिटटी का तेल
(च) वाष्प तेल
(छ) एरोमेक्स तेल
(ज)आयोमेक्स तेल
(झ) खनिज तारपीन
(अ) जाइलिन
(ट) बढिया मिटटी का तेल
(ठ) एम.टी.(सब्स)
(ड) एम.टी.(ला)
(द) विमान टर्बाइन तेल
(ण) एफ.ओ./टी.डी.ओ.
(त) एक्सेल तेल
(थ) जूट बैंचिंग तेल

(द) लो सल्फर हैवी स्टाक

(ध) कार्वन ब्लैक फीड स्टाक

(।।) निम्नलिखित की दशा मे चार प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(क) विमान स्पिरिट

(ख) पेट्रोल

(ग) विलायक तेल

(घ) पावर एल्कोहल

(ड) परिष्कृत स्पिरिट

(च) नेफथा

(छ) मोटर स्पिरिट

(ज) जे.पी.4 और जे.पी.5

(झ) हैक्सेन

(ण) बेंजीन

(ट) टोलुईन

(ठ) एन्डी आयल

(3) सभी प्रवेश या बर्हिगमन मार्ग भली भांति बंद किए जाएगें।

(4) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव 'क'

(क) अग्नि, मिटटी या कृत्रिम बत्ती से, जो ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित करने मे समर्थ हों, 30 मीटर के भीतर, परन्तु इस दूरी को तब 2 मीटर तक कम किया जा सकता है जब द्रव को सील के अधीन भरा या खाली किया जाता है और बंद वाष्प वापसी पाइप लाइन की व्यवस्था हो, और

(ख) किसी ऐसे स्थान पर, जहॉ टैंक वैगन चिंगारी के सामने हो , टैंक वैगनों को न भरा जाएगा और न रिक्त किया जाएगा।

317.3 खाली टैंक वैगन - वे सब खाली टैंक वैगन , जिनमे पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों , तब के सिवाय जब उन्हें सफाई करने के लिए या वाष्प मुक्त करने के लिए खोला जाए तब तक भली भांति बंद रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से साफ नहीं कर दिए जाते और वाष्प मुक्त नहीं कर दिए जाते।

317.4 स्टेशन जहॉ टैंक वैगनों को सम्हालने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं - स्टेशन जिनपर थोक तेल स्थापनों की व्यवस्था है और वे स्टेशन जिन पर थोक तेल स्थापन की व्यवस्था नहीं है किन्तु जिन के लिए पेट्रोलियम तथ वर्ग ख और वर्ग ग के अन्य ज्वलनशील द्रवों की टैंक वैगनों बुंकिग अनुज्ञात है परिशिष्ट।।।/2 मे दिए गए है।

लदाई या उठाई—धराई की जाने वाली मात्राएं

318. एक वैगन में पेट्रोल तथा अन्य ज्वलनशील द्रव की कितनी मात्रा लादी जाएगी अथवा ऐसे द्रव से युक्त वैगनों की उस संख्या के बारे में, जिनकी लदाई या उतराई रेल स्टेशन पर किसी एक समय में की जा सकती है, कोई निर्बंधन नहीं है।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का सामान्य माल के साथ वैगनों में वहन

319. नियम 321 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बंधनों के अधीन रहते हुए पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन एक ही वैगन में सामान्य माल के साथ किया जा सकता है परन्तु यह तब जब
(क) वैगन में कोई दहनशील प्रकृति की कोई वस्तुएं या मूल्यवान प्रकृति के ऐसे अन्य माल नहीं हैं जिन्हे रिसने की दशा में क्षति हो सकती है, जैसे मिल कपडा, कागज का माल, फाइबर बोर्ड के केस और
(ख) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेज वैगन में अन्य माल से सर्वथा पृथक रखे जाते हैं।

यात्री गाडियों मिश्रित गाडियों या पार्सल गाडियों के ब्रेकवैन में पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन

320. (1) सारणी-।।। के स्तंभ 5 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन यात्री या मिश्रित या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में नहीं किया जाएगा।
(2) जहां भी पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के ब्रेकयान में वहन की अनुज्ञा दी जाती है वहां—

(क) किसी एक गाड़ी के ब्रेकवैन में किसी एक समय में रखें जाने वाले सभी पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों की कुल मात्रा 50 लीटर से अधिक नहीं होगी।
(ख) नियम 321 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी विषयों का अनुपालन किया जाएगा।
(ग) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों का वहन केवल पिछले ब्रेकयान में किया जाएगा जो कि भली भांति संवातित होना चाहिए।
(घ) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों को ब्रेकवान के अन्य पैकेजों से तथा गाड़ी की अंतिम बत्ती से जितना संभव हो सके उतना दूर रखा जाना चाहिए।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के साथ विस्फोटकों और अन्य खतरनाक माल के वहन के प्रतिषेध

321. पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन दियासलाइयों या फ्यूजों या प्रज्वलित करने वाले साधित्रों, या विस्फोटको अथवा अन्य खतरनाक मालों के साथ एक ही डिब्बे में नहीं किया जाएगा।

वैगनों में भराई

322.1 क्षति और रिसने को रोकने क लिए निभार का प्रयोग — (1) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त पैकेजों को इस प्रकार जमाकर लादा जाना चाहिए जिससे कि वे अभिवहन के दौरान हट न सके।

(2) फर्श पर तथा कैनों, ड्रमों और अन्य पात्रों के बीच में घास, भूसा, रस्सी, होगला, बालु के थैलों, चटाइयों या अन्य उपर्युक्त सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है तथा वैगन की दीवालों और वैगन में रखें गए माल के बीच खाली स्थानों को भरने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है।

(3) उक्त रखे गए माल के यानांतरण की दशा में निभार सामग्री का भी यानांतरण किया जाना चाहिए तथा समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

(4) इस बारे में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए कि निभार वैगन के किन्हीं दरवाजों या खुले भागों से बाहर न निकले

(5) निभार सामग्री की व्यवस्था प्रेषक द्वारा की जाएगी।

322.2 ड्रम — पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त ड्रम जहां तक संभव हो, अंतिम छोर पर लादे जाएंगे।

322.3 बोतलें, जार और कारबाय - बोतलों, जार और कारबाइयों को अन्य माल के ऊपर नहीं लादा जाना चाहिए और न अन्य माल उनके ऊपर लादा जाना चाहिए।

322.4 खाली पात्र - ऐसे खाली पात्र जिनमें पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों, बंगों के साथ इस प्रकार से लादे जाने चाहिए, जिससे कि उनमें से किसी अवशिष्ट द्रव का बाहर निकलना संभव न हो।

वैगनों पर लेबल लगाना उन्हें सीलबंद तथा ताला बंद करना

323.1 वैगनों पर 'खतरनाक' का लेबल लगाना - 'खतरनाक' का एक लेबल जैसा नीचे दिखाया गया है, ऐसे प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए, जिसमें पेट्रोलियम और ज्वलनशील द्रवों को प्रेषण के लिए या परिदत्त करने के लिए जमा किया गया है अथवा अभिवहन के समय—

(वर्ग 'क' द्रवों के लिए)



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि.....सफेद (2) प्रतीक और अक्षर.....काले

(3) विमाएं..... 0.3 मीटर अर्धव्यास

(4) लेबल को समान अर्धवृत्तों में बांटा जाना चाहिए जिनमें से उपर के भाग का प्रयोग लूज शंटिग न करें तथा प्रतीक के लिए तथा नीचे के भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए, जैसा उपर दर्शाया गया है, किया जाना चाहिए।

(वर्ग 'ख' द्रवों के लिए)



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि..... सफेद (2) प्रतीक और अक्षर.....काले

(3) विमाएं.....0.3 मीटर अर्धव्यास

(4) लेबल को समान अर्धवृत्तों में बांटा जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग 'लूज शंटिग न करें' तथा प्रतीक के लिए तथा नीचे के भाग का प्रयोग शेष भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, किया जाना चाहिए।

यानांतरण के अधीन सड़कयानों अथवा सड़कयानों गाड़ियों के सिवाय, जिनपर लेबल डिब्बों या गाड़ी के दोनों ओर चिपकाए जा सकते हैं, ये लेबल दरवाजे पर इस प्रकार से चिपकाए जाने चाहिए, जिससे कि जब दरवाजे खोले जाए लेबल स्वत: नष्ट हो जाए।

इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन सामान्य माल के साथ किया जाता है, भले ही पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों की वैगनों में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हो।

परन्तु ऐसे लेबलों का प्रयोग तब करना आवश्यक नहीं है जब पेट्रोलियम और अन्य जवलनशील द्रव यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन किए जाते हैं।

323.2 प्राइवेट लेबल - रेल लेबलों के अतिरिक्त, यदि प्रेषक कोई ऐसा चिपकाता है, जिनमे प्रेषण को अंतर्वस्तु तथा इसके संबंध में होने वाले परिसंकट का उल्लेख है तो इसमे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

323.3 लैड सील का प्रयोग करना— पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों वाले डिब्बों को सीलबंद करने के लिए केवल लैड की सील का प्रयोग किया जाना चाहिए।

323.4 रिबेट करने या ई.पी.लॉकिंग करने की अनुज्ञा न होना— पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों वाले वैगनों को रिबेट करने या उनकी ई.पी. लॉकिंग करने का प्रतिषेध है।

शंटिंग

324.1 शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां— पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों की शंटिंग, सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान—

(क) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों तथा रेल इंजन के बीच कम से कम तीन ऐसे डिब्बे लगाए जाते हैं, जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील वस्तुएं नहीं है।
परन्तु जब विद्युत ट्रैक्शन या डीजल इंजन विद्युत का प्रयोग किया जाए तब पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों तथा रेल इंजन के बीच केवल एक डिब्बे का रहना आवश्यक है।

(ख) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' से युक्त वैगनों और रेल इंजन के बीच ऐसा कम से कम एक डिब्बा लगाया जाता है जिसमे विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं।

(ग) संचालन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है, और

(घ) रफ, हम्प, फलाई या लूज शंटिंग नहीं की जाती।

मार्शलिंग

325.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां - (1) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त कितने वैगन किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकते हैं अथवा वहन किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई निर्बंधन नहीं हैं।

(2) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगन जो साथ-साथ लगाए जाने गाड़ी के इंजन से उतनी दूरी पर लगाए जाने चाहिए जितनी व्यवहार्य हो।

(3) पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और निम्नलिखित के बीच कम से कम तीन ऐसे डिब्बे लगाए जाने चाहिए जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं:

(क) गाड़ी का इंजन :-

परन्तु जहां विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहां पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों तथा गाड़ी के इंजन के बीच ऐसा एक डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यात्री डिब्बे;
परन्तु जब विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाए तब पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और यात्री डिब्बों के बीच केवल एक ऐसा डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं।

(ग) ब्रेक यान:
परन्तु जब विद्युत (ट्रैक्शन) या डीजल (विद्युत) इंजन का प्रयोग किया जाए तब पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त वैगनों और ब्रेकयान के बीच केवल एक ऐसा डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं :

परन्तु यह और कि पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क' से युक्त अन्तिम टैंक वैगन (आठ पहिया) और ब्रेकयान, यदि आठ पहिया ब्रेकयान का उपयोग किया जाता है, के बीच ऐसे किसी डिब्बे को लगाया जाना अपेक्षित नहीं है;
(घ) विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं से युक्त कोई अन्य डिब्बे।

(4) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' से युक्त वैगनों तथा गाड़ी के इंजन या यात्री डिब्बे से ब्रेकयान किसी ऐसे अन्य डिब्बे, जिसमें खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं हैं, के बीच वर्ग केवल एक ऐसा डिब्बा लगाना आवश्यक होगा, जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है:

परन्तु पैट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' से युक्त अंतिम टैंक वैगनों (आठ पहिया) और ब्रेकयान, यदि आठ पहिया ब्रेकयान का उपयोग किया जाता है, के बीच, ऐसे किसी डिब्बे को लगाया जाना अपेक्षित नहीं है।
(5) (क) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों को अन्य पार्श्वस्थ डिब्बों के साथ तथा एक दूसरे के साथ क्लोज कपल किया जाना चाहिए।

(ख) मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियों से संबंधित उपबंध खाली टैंक वैगनों को भी लागू होगें।

325.2 कतिपय सैक्शनों पर छूट - पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दार्जिलिंग—हिमालयान सैक्शन पर पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों को क्लोज कपिल करना आवश्यक नहीं है।

325.3 कतिपय विशेष मामलों में ब्रेकयान से अलग रखा जाना - (1) (क) जेनरेटर लगे हुए ब्रेकयान की दशा में जहां विद्युत उपस्कर को, जिसमें जैनरेटर भी है, पूरी तरह से घेर दिया जाता है और जिसमें केबिल लगाने के लिए छोडें गए छोटे-छोटे खुले स्थानों पर उपयुक्त ग्लाण्ड फिट की गई है, पेट्रोलियम और अन्य जलकार्बनीय तेलों से युक्त टैंक वैगनों तथा अन्य डिब्बों के बीच केवल एक वैगन लगाना आवश्यक है। परन्तु यह तब जब मध्यवर्ती वैगन और ब्रेकयान में विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हों।(ख) ब्रेकवान के उपस्कर और फिटिंगों की परीक्षा प्रत्येक यात्रा के प्रारंभ पर यह सुनिश्चित करने के लिए भली भांति की जानी चाहिए कि वे ठीक दशा में हैं।

(2) वैक्युम ब्रेक वाली गाड़ियों के पिछले ब्रेकवान के पीछे जोड़े गए 100 लीटर पेट्रोल से अनधिक पेट्रोल का वहन कर रहे शक्ति संयंत्र डिब्बें तथा ब्रेकवान के बीच ऐसा कोई डिब्बा लगाना आवश्यक नहीं है जिसमें

विस्फोटक, अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं।

325.4 मिश्रित गाडियों में टैंक वैगनों की स्थिति— पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग "क" से युक्त टैंक वैगन, या ईधन अथवा मिट्टी का तेल के वैगन का खाली टैंक वैगन जिनमे द्रव रखे गए हों, जब उनका वहन मिश्रित गाडियों से किया जाए यात्री डिब्बों के पीछे जोड़े जाने चाहिए।

325.5 पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त टैंक वैगनों और द्रव वायु तथा द्रव आक्सीजन से युक्त वैगनों का एक साथ वहन न किया जाना— पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों के टैंक वैगनों का वहन किसी ऐसी गाड़ी में नहीं किया जाएगा जिसमें द्रव वायु तथा द्रव आक्सीजन का वहन किया जाता है।

325.6 रक्षा वैगन या डमी वैगन - जब भी ऐसे वैगन, जिनमे विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है, अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तब खाली वैगनों का प्रयोग रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के रूप में, जैसा अपेक्षित है, पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों से युक्त वैगनों को गाड़ी के इंजन, सवारी डिब्बों या ब्रेकयान या विस्फोटकों, या अन्य खतरनाक मालों या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं सें युक्त डिब्बों से अलग करने के लिए किया जाएगा।

पहुंचने की सूचना

326.1 प्रेषण के पहुंचने पर प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषणों के पहुंचने की सूचना प्रेषिती को, विहित रूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध 'ख' देखिए) उन सब प्रेषणों की बाबत दी जानी है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते हैं तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते हैं।

326.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डैमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना — यदि माल का परिदान अनुज्ञात छूट समय के भीतर नही लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान—भाड़ा और डैमरेज प्रभार से छूट पाने का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

327.1 परिदान— पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के प्रेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपों से जहां के लिए उनका वहन किया गया है, जैसे ही वे परिदान के लिए उपलब्ध हों, हटाया जाएगा।

327.2 परिदान शीघ्र न लेने की दशा में व्ययन - (1) यदि प्रेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात भी प्रेषण रखे रहते हैं तो रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 84 में जैसा विहित है प्रेषिती पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप मे होगी जो परिशिष्ट ।।।/3 में दी गई है।

(3) सूचना मे विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के पश्चात जो प्रेषण अदावाकृत रहते हैं उन्हें रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के उपबंधों के अनुसार विक्रय कर दिया जाएगा।

मोटरयानों का वहन

328.1 जब कोई मोटर यान रेल को वहन के लिए सौंपा जाता है तब उसके टैंक में पेट्रोल की मात्रा 10 लीटर से अधिक नहीं होगी परन्तु मोटर साइकिलों और स्कूटरों की दशा में यह मात्रा 2.5 लीटर से अधिक नहीं होगी।

328.2 प्रेषक अग्रेषण नोट पर यह घोषित करेगा कि टैंक मे छोड़ी गई पेट्रोल की मात्रा ऊपर विनिर्दिष्ट परिसीमाओं से अधिक नहीं है।

328.3 मोटर यानों या मोटर वाहनों वाले वैगनों में या उनके निकट आग, खुली बत्ती या धूम्रपान की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

प्रभार के भार और ग्रहण करने के दिन

329. वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जाना : वैगन भार के रूप में यातायात भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सूची में यथाविहित प्रभारित किए जाने वाले न्यूनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण किया जाएगा।

भाड़े का पूर्व संदाय

330 पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों के सभी प्रेषणों पर भाडा पूर्व संदत्त होगा, सिवाय ऐसी वस्तुओं के जहां माल टैरिफ, प्रेषक को, भाड़े पर विहित अति भार करने पर "देय" आधार पर बुक करने का विकल्प देता है।

रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के लिए प्रभार

331. जब भी पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन करने वाली गाड़ी की सुरक्षा के लिए खाली वैगनों को रक्षा वैगनों या डमी वैगन के रूप में लगाना आवश्यक हो, ऐसे वैगनों के लिए भारतीय रेल सममेलन माल टैरिफ के उपबंधों के अनुसार प्रभार लिया जाएगा।

परन्तु जब डमीवैगन पी.ओ.एल. थोक भारों (रेल गाडियों) से जोड़े जाए, तब प्रेषकों या प्रेषितियों से उपरोक्त प्रभार वसूल नहीं किए जाएगें।

डिब्बों की मरम्मत

332. ऐसे डिब्बों के, जिसमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रवों का वहन किया जा रहा है, किसी भाग में मरम्मत या फेरफार करने से पूर्व ऐसे पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों को हटाने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएगी।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

333 (1) पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के किसी प्रेषण के संबंध में जब भी कोई दुर्घटना होती है, जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति की कोई गंभीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर नुकसान होता है, अथवा

ऐसी कोई घटना घटती है जिसमे प्राय: ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो प्रेषणों के तत्समय भारसाधक व्यक्ति को तुरन्त इसकी इत्तला निम्नलिखित का देनी चाहिए —

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को सूचना के अन्य साधन जैसे कि दूरभाष/फैक्स/ई-मेल आदि के द्वारा पश्चातवर्ती 24 घण्टे के भीतर पत्र द्वारा घटना की विशिष्टियां देते हुए निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/
ए-ब्लाक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
5वीं मंजिल, सेमिनारी हिल्स,
नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)
ईमेल explosives@explosives.gov.in
दूरभाष 071-22510248

और

(क) निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के संसूचना के शीघ्रतम साधन से
(ख) संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना देगा।
(ग) निकटतम एनडीआरएफ (NDRF) इकाई को इसकी सूचना देगा।

(2) मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने तक या जब तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से ऐसे अनुदेश न प्राप्त हो जाए कि वह और कोई अंवेषण या जांच नहीं करवाना चाहता, सभी ध्वंसावशेषों और मलबे को नहीं छुआ जाएगा सिवाय वहां तक जहां तक घायल व्यक्तियों के बचाव के लिए दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के शरीर निकालने के लिए अथवा संचार के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक हो।

व्यावृत्ति

334. इस अध्याय की कोई बात पेट्रोलियम अधिनियम 1934 या पेट्रोलियम नियम, 1976, जहां भी लागू है, के प्रवर्तन को न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी।

पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव

सारणी III

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
पेट्रोलियम तथा अन्य जल कार्बनीय तेल खतरनाक			**श्रेणी क - ऐसे द्रव जिनके वाष्प का ज्वलन बिंदु 23° सै. से कम है।**		
†विमान स्पिरिट	(1) दृढ़ भांडों जारों में या शीशे की डॉट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख, चाक या बालू मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी।		(1)टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।	पिछले ब्रेकयान मे वहन किया जा सकता है	स्तंभ 1 में †चिंहाकिंत द्रव खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नहीं लादे जाने चाहिए।
*बैंजीन					
बैंजोलिन			(2) पूर्वोत्तर सीमांत रेल पर स्तंभ 1 में तारांकित (*) द्रव मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी से वैगन में वहन किए जा सकते हैं भले ही उस मार्ग पर माल गाडियॉ चल रही हों		
कच्चा तेल					
†एथाइल विमान स्पिरिट					
जेट पेट्रोलियम इंधन-4	प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस मे, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा।				
जेट पेट्रोलियम इंधन-5					
हैक्सेन					
†लीड की हुई विमान स्पिरिट					
हल्का घोल	(2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में प्रत्येक केन में 10 लीटर, प्रत्येक जैरीकेन में 25 लीटर और प्रत्येक ड्रम में 300 लीटर तक माल होगा।				
हल्का तेल					
मिश्रित कच्चा नेप्था					
एन.एल.गैस(73ओक्टोन)					
अल्कालाईट					
रिफॉमेट					

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
मोटर स्पिरिट					
पेट्रोल					
पेट्रोल ईथर					
पुनरुत्पादक नेप्था					
(नैप्था स्पैशल कट)					
विलायक तेल					
स्ट्रेटरन नेप्था					
अल्कालाईट					
रिफारमैट					
अन्य ज्वलनशील द्रव					
एमिल एल्कोहल	(1) दृढ भांडों जारो में या शीशे की डाट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख, चाक या बालू मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस मे, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में जिनमे पेचदार (स्टापर) लगी हुई हो प्रत्येक केन में 10 लीटर, और प्रत्येक ड्रम में 350 लीटर तक माल परिसीमित होगा। (3) सब कंटेनरों में, जिनमें कार्बन डाईसल्फाइड (कार्बन बाईसल्फाइड) है, कम से कम 10 प्रतिशत स्थान वायु के लिए छोडा जाएगा।अवात सीलबंद धातु के ड्रमों में प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर माल तक परिसीमित होगा				
कार्बनडाईसल्फाइड					
(कार्बनबाईसल्फाइड)					
कोलोडियन					
(पाइरोक्सीलिन) घोल					
ईथर ब्यूटरिक(इथाइल ब्यूटरिक)					
ईथर, फार्मिक (ईथाइल फोर्मेट)					
ईथाइल ऐसिटेट					
(ऐसिटिक ईथर)					
फयुजैल तेल					
डाइथिलेमाइन					

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी ईथर (सल्फयुरिक अथवा डाइथाइल, निश्चेतना ईथर)	(1) दृढ भांडों जारो में या शीशे की डाट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख,चाक या बाले मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस मे, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में जिनमे पेचदार (स्टापर) लगी हुई हो प्रत्येक केन में 10 लीटर, और प्रत्येक ड्रम में 350 लीटर तक माल परिसीमित होगा। (3) जब सदभाविक चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो तब इसका वहन मूल पैंकिग में अवात सीलबंद 1 लिटर के तांबें की लाइनिंग वाले टिनों में किया जा सकता है अर्थात 1 लिटर वाले टिनों को कार्टन में पैक किया जाएगा और प्रत्येक केस में ऐसे 50 टिन रखे जाएगें। (4) सब पात्रों में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान वायु के लिए छोडा जाएगा।			(1) उप महासहायक निदशक (चिकित्सा भण्डार) , कोलकाता, चैन्नई, और मुम्बई, ईथर को अंतर्वस्तु की 15 किलोग्राम शुद्य भार की परिसीमा तक पिछले ब्रेकयान से प्रेषित कर सकता है परन्तु यह तब जब उसे फाइलों में पैक किया गया हो और प्रत्येंक फाइल में 110 ग्राम से अधिक क्षमता न हो और उनमें से प्रत्येक के नीचे लकडी के केसों में भागों में सफेदी, बालु या बुरादा लगा कर रखा जाएगा। (2) जब सदभाविक चिकितसा प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो , ईथर का वहन भी, अंतर्वस्तु के 15 किलोग्राम शुद्य भार की परिसीमा तक, मूल पैकिंग में अर्थात सीलबंद 1 लीटर के तांबे की लाइनिंग वाले टिनों में, पिछले ब्रेकयान में किया जा सकता है परन्तु यह तब जब 1 लीटर वाल प्रत्येक टिन लकडी के केसों में पृथक भागों में बालु या बुरादा लगा कर रखा जाता है।	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- विनायल ईथर (डाइविनायल ईथर,विनेस्थीन)	(1) दृढ भांडों जारों में या शीशे की डॉट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख, चाक या बालू मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस में, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो, तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में जिनमें पेचदार डॉट (स्टापर) लगी हुई हो, और ढक्कनों को शोल्डर किया गया हो प्रत्येक केन में 10 लीटर, और प्रत्येक ड्रम में 350 लीटर तक माल परिसीमित होगा। (3) गत्ते के बक्सों में पैक की गई शीशे की ऐमप्यूलों में बक्सों के भीतर नालीदार कागज की लाइनिंग और तह लगाई जाएंगी। इन गत्ते के बक्सों को सेलोफिन के कागज में लपेटा जाना चाहिए और मजबूत लकडी के बक्से में भूसा या बुरादा डालकर पैक किया जाना चाहिए तथा 1.27 से.मी. की लोहे की पत्तियों से बांधा जाना चाहिए। (4) सब पात्रों में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान वायु के लिए छोडा जाना चाहिए।			अंतर्वस्तु के 15 किलोग्राम शुद्ध भार की परिसीमा तक इसका वहन पिछले ब्रेकयान में तब किया जा सकता है जब उसे स्तंभ 2 की मद (3) में अधिकथित प्रकार से पैक किया गया हो।	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- (जारी) पूर्ण एल्कोहल ऐसिटोन बुटाइल एल्कोहल	(1) दृढ भांडों जारों में या शीशे की डॉट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों, भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख, चाक या बालू मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस में, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो, तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में जिनमें पेचदार डॉटे (स्टापर) लगी हुई हो। प्रत्येक केन में 10 लीटर और प्रत्येक ड्रम में 300 लीटर तक माल परिसीमित होगा।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।		
बूट पालिश जिसमें ज्वलनशील द्रव होगा जिसका ज्वालंक बिंदु 23° सैंटीग्रेड से कम हो।	केसों य कास्को मे पैक की गई टिनें या बोतलें।				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- (जारी) डाइऐसिटोन एल्कोहल	(क) मूल या भीतरी पैंकिग टिनों में की जानी चाहिए जिनके सभी जोडों की जुडाई दोहरी हो और वे भली भांति सोल्डर किए गए हो। (भीतर के पात्र में पदार्थ की अधिकतम मात्रा 5 लीटर होगी) बाहरी पैंकिग निम्निलिखित पदार्थों को प्रयोग करके सुरक्षित किया जाएगा, अर्थात (1) बुरादा या अन्य कुशन सामग्री लगाकर अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केस (पूरे पैकेज में पदार्थ की अधिकतम मात्रा 30 लीटर) (2) अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केस जो हिस्से मे बंटे हुए हो (पूरे पैकेज में पदार्थ की अधिकतम मात्रा 30 लीटर) (3) काष्ठ-ऊन या अन्य उपयुक्त कुशन सामग्री लगाकर हैम्परों या क्रैटों में (पूरी पैकेज की अधिकतम मात्रा 40 लीटर) (4) बुरादा या अन्य उपयुक्त कुशन सामग्री लगाकर केस (अधिकतम मात्रा 80 लीटर)। (ख) मूल या भीतरी पैंकिग कैनों मे की जाएगी (भीतरी पात्र में पदार्थ की अधिकतम मात्रा 60 लीटर) (ग) मुख्य या भीतरी पैकिंग ड्रमों में (भीतरी पात्र में पदार्थ की अधिकतम मात्रा 450 लीटर)				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- (जारी)					
फ्रेंच पालिश	(1) दृढ भांडों जारो में या शीशे की डाट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख,चाक या बालू मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस मे, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2) मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों में। प्रत्येक केन में 10 लीटर और प्रत्येक ड्रम में 300 लीटर तक माल परिसीमित होगा।				
औद्योगिक एल्कोहल	यथोक्त		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।		
डिनेचर्ड महुआ स्पिरिट	यथोक्त				
साधारण डिनेचर्ड स्पिरिट	यथोक्त			पिछले ब्रेकयान मे वहन किया जा सकता है	
विशेष डिनेचर्ड स्पिरिट	यथोक्त			यथोक्त	
मैथीलिटिड स्पिरिट	यथोक्त		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।	यथोक्त	
आइसों प्रोपिल एल्कोहल	यथोक्त			...	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी					
मेटा स्टैन एस द्रव	मजबूत धातु के कंटेनर दीवार फिटिंग के साथ और हवा बंद स्क्रू प्लग, स्क्रू कैप और अन्य कैप सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 5 प्रतिशत वायु स्थान के सात क्षमता 300 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 लीटर ,50लीटर, 200लीटर और 300 लीटर तक कंटेनरों के लिए न्युनतम शैल मोटाई 0.63 मि.मि. (24बी.जी.), 0.80 मि.मि.(22बी.जी.), 1.25 मि.मि.(19बी.जी.), और 1.59 मि.मि.(16बी.जी.),क्रमश: हो सकती है।				

<table>
<tr><th>द्रव का नाम</th><th colspan="5">पैंकिग
(नियम 307 भी देखिए)</th><th>चिंहांकन और लेबल लगाए
की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम
(नियम 308,309, और 323.1 देखिए)</th><th>मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम
(नियम 314,315,316,317,318 और 319 देखिए)</th><th>यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम
(नियम 320 देखिए)</th><th>विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी
आइसोप्रोपिल नाइट्रेट</td><td colspan="5">लौह बैरल, ड्रम या कैग मजबूत बंद होने वाले बंग से , क्षरण या क्षय के चिंहांकन तथा रिसन से मुक्त होगें। वे पिचके हुए नहीं होगें और वायुरुद्य रूप से सीलबंद होगें। ये निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार मृदु इस्पात की चादरों से बने होंगे, अर्थात:-
चादर (गेज) की न्युनतम मोटाई | कोर की न्युनतम गहराई | अन्य अर्हताएं
निकाय की चौडाई | सिरा | |
25 लीटर तक | 26 | 26 | 12.5 मि.मि. |
25 लीटर से अधिक किन्तु 60 लीटर से अधिक नहीं | 24 | 24 | यथोक्त |
60 लीटर से अधिक किन्तु 120 लीटर से अधिक नहीं | 24 | 24 | 10.0 मि.मि. |
120 लीटर से अधिक किन्तु 205 लीटर से अधिक नहीं | 24 | 22** | 10.0 मि.मि. | *निकाय में प्रत्येक बैरेल या कैग या एक सैक्शन इस के लिए ड्रम के आकार के आधार पर 1 ½ (3.8 से.मी.) आकार के तीन लोह फलैट अवश्य होते हैं।</td><td>टैक वैगनो मे लाया जा है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>आईसोप्रोपाईल नाईट्रेट-समाप्त
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी</td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

*यह पैकिंग केवल ऐसे फुटकर परेषणों या वैगन लोड परेषणों को लागु होगी जिसमे गेज परिवर्तन यानांतरण अंर्तविलित है।

**स्टेट रन ग्रेड का बिटमेन,छोर के लिए 24 गेज के ड्रमों में पैक किया जाना अनुज्ञात है। बैरेल या कैग के प्रतयेक छिद्र या द्वारक ख संवातन को रिसान सह धातु संवरक से से सील किया जाएगा तथा प्रत्येक पात्र में पर्याप्त मानोदक रिक्त (खाली स्थान)होगी जिसमें कि वह आंतरिक दाब से संरक्षित रहे। इस प्रकार के किसी पात्र की क्षमता 200 लीटर से अधिक नहीं होगी। जिन वैगनों में बैरल /ड्रमों के परेषण हो , उनमें फर्श पर और दीवारों के साथ साथ 75 मि.मि. मोटी प्रशमक सामग्री लगाई जाएगी ।

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-(जारी) मैथनोल(मैथाइल एल्कोहल काष्ठ एल्कोहल) मिथाइल इथाइल कीटोन(मैथाइल ऐसिटोन) खनिज नेप्था प्लीओबोण्ड पावर एल्कोहल पावर एल्कोहल मिश्रण परिष्कृत स्पिरिट 50° ओवर प्रूफ तक और उसके ऊपर) स्पिरिट वार्निश. टोल्युओल टाल्विन नाइट्रेट गरेड, काष्ठ नेप्था या काष्ठ स्पिरिट जैलीन जीलोल	(1) दृढ भांडों जारो में या शीशे की डाट लगी बोतलों में जो लकडी के केसों में भूसा या बुरादा, कोयले की राख या लकडी की राख,चाक या बाले मिलाकर भर कर सीधी रखी जाएगी। प्रत्येक केस में एक जार या बोतल होगी अथवा प्रत्येक केस मे, जब एक लीटर प्रति बोतल माल पैक किया गया हो तब माल 30 लीटर प्रति केस तक परिसीमित होगा। (2)मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों मे, प्रत्येक केन में 10 लीटर और प्रत्येक ड्रम में 300 लीटर तक माल परिसीमित होगा।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है। ... . टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है -यथोक्त- -यथोक्त- ... टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है। -यथोक्त-	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है। -यथोक्त-	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी स्पिरिट , पात्र में रखें जाने योग्य आयातित स्पिरिट पात्र में रखे जाने योग्य, देशी।	मजबूती से बंद की हुई बोतलें या टिन में जो मजबूत लकडी केसों में पैक की गई हो। (1) प्रत्येक केस में मात्रा 30 लिटर तक सीमित होगी। केस को लंबाई में और चोडाई में अथवा दोनों सिरों पर लोहे की पत्तियों से या लोहे के तारों से खींच कर फंसा कर बांधा जाएगा औश्र ये पत्तियॉ तार तखतों के साथ अच्छी प्रकार से जडे जाएगें और सील किए जाएगें। (2मजबूत धातु के कैनों या ड्रमों मे, प्रत्येक केन में 10 लीटर और प्रत्येक ड्रम में 300 लीटर तक माल परिसीमित होगा।			पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	
सैल्युलोज ऐसिटेट डोप इनामिल, नाइट्रोसैलयुलोज लैकर, नाइट्रोसैलयुलोज नाइट्रोसैलयुलोज डोप रोगन(फैंट) नाइट्रोसैलयुलोज पालिशें, नाइट्रोसैलयुलोज स्टेन, नाइट्रोसैलयुलोज वार्निशें, नाइट्रोसैलयुलोज	(1) 70 लीटर क्षमता तक के कैनों में, अथवा 450लीटर तक की क्षमता तक के ड्रम और बैरेलों में मजबूती के साथ बंद करके जिससे माल को रिसने से रोका जा सके। (2)लाख लगाकर बंद की गई डॉटों से बंद करके बांधी गई बोतलों में अथवा अवात सील बंद टिनों में जिनकी क्षमता 5लीटर से अधिक न हो और जो बुरादा अथवा भूसा अथवा भूसी लगा कर केसों में पैक किए जाएगें। (3) 5 लीटरों के स्तूपाकार कैनों में जो कि बुरादा या भूसी लेकर केसों में मजबूती के साथ बंद किए जाएगें। किसी एक केस में अधिक से अधिक 8 कैन पैक की जा सकती हैं				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी	परन्तु केनों को केस में लकडी के, खाने बनाकर अलग-अलग रखा जाना चाहिए। (4)दृढ भाण्डों या बोतलों में जिनकी क्षमता 5 लीटर से अधिक नही हो और जो भलीभांति फिट की गई तार लगी कार्क से बंद किए जाएगें तथा विक से गर्दन तक और कॉ के उपरी भाग तक ढके जाएगें। (5)टिनों मे जिनमें से प्रत्येक में 5 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जो मजबूती के साथ बंद किए जाएगें तथा केसों में बुरादा या भूसी लगा कर पैक किए जाएगें। किसी केस मे अधिक से अधिक 8 टिन पैक लिए जा सकते हैं। परन्तु केसों में लकडी के खाने लगा कर अलग अलग रखा जाना चाहिए।				
सीमेंट,संश्लिष्ट पदार्थ, पेट,पालिश और अन्य वस्तुएं जो भागत. अत्यधिक ज्वलनशील द्रवों से मिला कर तैयार किए गए हो जिनका ज्वालंक बिंदु 23° सें ग्रेड से कम हो	(1)अधिक से अधिक 250लीटर क्षमता वाले ड्रमों में , जो मजबूती के साथ बंद किए गए हों ताकि द्रव को चूने से रोका जा सके। (2)अवात सीलबंद टिनों या बोतलो में जो केसों में बुरादा या भूसी लगा कर पैक लिए जाएगें (3)मजबूती से बंद किए गए टिनों में जिनमें से प्रत्येंक में द्रव की मात्रा 2 लीटर से अधिक नही होगी। टिन केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किए जाएगें।				
रोगन(पेंट)तरलक	-यथोक्त-				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी ,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी	(1)लोहे या स्टील के ड्रमों में (2)मजबूत टिनों में जो मजबूती के साथ बद किए गए हो और लकडी के केसों मं पैक किए गए हो (3)शीशे की बोतलों में जो गत्ते के बक्सों में मजबूती से बद की गई हो और लकडी की छीलन लगा कर लकडी के केसों में पैक की गई हो।				खाद्य पदार्थों के और खादय पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नही लादे जाने चाहिए
रोगन(पैंट)तथा वार्निश मिटाने वाले पदार्थ	(1)अधिक से अधिक 250 लीटर क्षमता वाले कैनों या ड्रमों में जो द्रव को रिसने से रोकने के लिए मजबूती के साथ बंद किए गए हों (2)अधिक से अधिक 5 लीटर क्षमता वाले आवास सीलबंद दिनों या बोतलों में जो केसां में बुरादा या भूसी लगा कर पैक की गई हों (3)अधिक से अधिक 2 लीटर द्रव से भरे मजबूती से बंद किए गए टिनों में जो कि केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक् लिए गए हो किसी एक मे अधिक से अधिक 16 टिन पैक किए जा सकते हैं परन्तु टिनों को केस में लकडी के खाने बना कर अलग अलग रखना जाएगा।	...	...	...	...
	(1)लोहे या स्टील के ड्रमों में (2)मजबूत टिनों में जो मजबूती के साथ बद किए गए हो और लकडी के केसों मं पैक किए गए हो (3)शीशे की बोतलों में जो गत्ते के बक्सों में मजबूती से बद की गई हो और लकडी की छीलन लगा कर लकडी के केसों में पैक की गई हो।				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी					
रोगन(पैंट)तथा वार्निश मिटाने वाले पदार्थ	(1)अधिक से अधिक 250 लीटर क्षमता वाले कैनों या ड्रमों में जो द्रव को रिसने से रोकने के लिए मजबूती के साथ बंद किए गए हों (2)अधिक से अधिक 5 लीटर क्षमता वाले आवास सीलबंद दिनों या बोतलों में जो केसां में बुरादा या भूसी लगा कर पैक की गई हों (3)अधिक से अधिक 2 लीटर द्रव से भरे मजबूती से बंद किए गए टिनों में जो कि केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक् लिए गए हो किसी एक मे अधिक से अधिक 16 टिन पैक किए जा सकते हैं परन्तु टिनों को केस में लकडी के खाने बना कर अलग अलग रखना चाहिए।				
प्लास्टिक काष्ठ मिश्रण जिसका ज्वलांक बिंदु 23 सें ग्रेड से कम हों	(1)लोहे या स्टील के मजबूती के साथ बद किए गए ड्रमों में (2) मजबूती से बंद किए गए टिनों में लकडी के केसों मे। (3)वायुरोधी संकोच नलियों में मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों में, जो कि भीतरी पैकेज के रूप में होगा, बुरादा या भूसी लगाकर पैक की जाएगी। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज 0.5 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा। और भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा। जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें और पैकेज को हूप लोहा और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 5 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा। (4) वायुरोधी संकोच नलियों में जिनमे से प्रत्येक में 30 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा और जो मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों में, जो कि भीतरी पैकेज के रूप में होगा, बुरादा या भूसी लगाकर पैक की जाएगी। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज 0.5 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा। और भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा। जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें और पैकेज को हूप आइरन और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 15 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा।				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी रबड घोल जिसका ज्वलांक बिंदू 23° सें. कम हो। वल्कनीकरण घोल ज्वलनशील (वल्कनीकरण सीमेंट)	(1)लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में जो मजबूत बने हुए हों और घोल को रिसने से रोकने के लिए मजबूती के साथ बंद किया गया हो। (2)वायुरोधी टिनों में जो लकडी के बक्सों में भीतरी पैकेज के रूप में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किए जाएगें, अथवा वायुरोधी संकोच नलियों में जो मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों में, जो कि भीतरी पैकेज के रूप में होगा, भूसी या बुरादा लगाकर पैक की जाएगी। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज 0.5 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा। और भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा । जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें और पैकेज को हूप आयरन और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 5 किलोग्राम से अधिक घोल नहीं होगा।(3) वायुरोधी संकोच नलियों में जिनमे से प्रत्येक में 28.34 ग्राम घोल से अधिक नहीं होगा जो मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों में, जो कि भीतरी पैकेज के रूप में होगें, बुरादा या भूसी लगाकर पैक की जाएगा। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज 0.5 किलोग्राम से अधिक घोल नहीं होगा। और भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा। जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें और पैकेज को हूप आइरन और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 15 किलोग्राम से अधिक मिश्रण नहीं होगा।				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
		वर्ग 'ख' द्रव जिनके वाष्प ज्वलांक बिन्दु 23 सें. से अधिक है किन्तु 65 सं. से कम है			
पेट्रोलियम तथा अन्य जल कार्बनीय तेल एन.ओ.सी. विमान टर्बाइन ईंधन सफाई तेल कोलजा(खनिज)तेल डीजल तेल भटटी तेल गैस तेल हेवी डीजल तेल अल्प गंधक उच्च ज्वलांक हाई स्पीड डीजल तेल, आयोमेक्स जेट टरबाइन इंधन लाइट डीजल तेल द्रव इंधन निम्नगंधक, हैवी स्टाक जहाजी डीजल तेल नेफथा विलायक रेफ्रीजरेटर, बर्निंग तेल, अवशिष्ट इंधन तेल तलछट तेल (गाद) चाय सुखाने का तेल, वाष्पीकरण तेल	(1)वायुरोधी टिनों में जो लकडी के केसों मे पैक किए गए हो। (2)स्टील या लोहे के ड्रमों मे अथवा अन्य मजबूत और भली भांति तैयार किए गए आधानों में (3)बोतलों में जिनपर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो तथा लकडी केसों में सुरक्षित रखी गई हो।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
पेट्रोलियम तथा अन्य जल कार्बनीय तेल एन.ओ.सी. जारी					
अजेडिराक्टिन	वायुरोधी एच.डी पी ई ड्रमों में				
एक्सल स्नेहक तेल	(1) वायुरोधी टिनों में जो लकडी के केसों मे पैक किए गए हो। (2)केवल तब जब वायुरोधी टिनों में उपयुक्त निभार के साथ वैगन भारों में रूप में , जैसे कि नियम 322.1 में उपदर्शित है , सौंपे जाएगे (3) स्टील या लोहे के ड्रमों मे अथवा अन्य मजबूत और भली भांति तैयार किए गए आधानों में। (4) बोतलों में जिनपर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो तथा लकडी केसों में सुरक्षित रखी गई हो।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	
खनिज तारपीन	वही		वही	वही	
खनिज तारपीन स्थानापन्न	वही		वही	वही	
पावरीन	वही		वही	वही	
फेनोल का सत जिसमें कार्बन ब्लैकफीज स्टॉक (सीबीएसएफ72) कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सीबीएसएफ-500) सम्मिलित है	(1) वायुरोधी टिनों में जो लकडी के केसों मे पैक किए गए हो। (2)केवल तब जब वायुरोधी टिनों में, उपयुक्त निभार के साथ वैगन भारों में रूप में , जैसा कि नियम 322.1 में उपदर्शित है , सौंपे जाएगें।				जब वायुरोधी टिनों को लकड़ी के बाहरी केसों में पैक नहीं किया जाए और प्रेषण को वैगन भार के रूप में सौंपा जाए तब उपयुक्त निभार जैसा कि नियम 322.1 उपदर्शित है, प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
पेट्रोलियम तथा अन्य जल कार्बनीय तेल **एन.ओ.सी.(समाप्त)**					
उत्कृष्ट मिटटी का तेल, मिटटी का तेल या पैराफीन तेल	(1) वायुरोधी टिनों में जो लकडी के केसों मे पैक किए गए हो। (2)केवल तब जब वायुरोधी टिनों में उपयुक्त निभार के साथ वैगन भारों में रूप में , जैसा कि नियम 322.1 में उपदर्शित है, सौंपे जाएं (3) स्टील या लोहे के ड्रमों मे अथवा अन्य मजबूत और भलीभांति तैयार किए गए आधानों में। (4) बोतलों में, जिनपर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो तथा लकडी केसों में सुरक्षित रखी गई हो।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	
लिनियर एल्काइल बेंजीन	(1)12के.एल./14के.एल. के टैंकरों में (2)125 किलोग्राम के बैरल में				
आर्थोजाइलिन	(1) वायुरोधी टिनों में जो लकडी के केसों मे पैक किए गए हो। (2)केवल तब जब वायुरोधी टिनों में उपयुक्त निभार के साथ वैगन भारों में रूप में, जैसा कि नियम 322.1 में उपदर्शित है, सौंपे जाएगें (3) स्टील या लोहे के ड्रमों मे अथवा अन्य मजबूत और भलीभांति तैयार किए गए आधानों में। (4) बोतलों में जिनपर डॉट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो तथा लकडी के केसों में सुरक्षित रखी गई हो।		वही	जब खुदरा पैकेजों के रूप में बुक किए जाए तब उनका वहन पिछले ब्रेकयान में किया जा सकता है पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव बिटयुमिन घोल (पेंट) फरफयुरल फरफयुरल डीहाइड	(1) कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में जो मजबूती से तैयार किए गए और घोल को रिसने से बचाने के लिए मजबूती के साथ बंद किये गए हो। (2) सीलबंद टिन या बोतलो में जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो (3) मजबूती से बंद किए टिनों में जिनमें से प्रत्येक में 2.27 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जो केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किए जाएगें। (4) पैंट और वार्निशों को फाइबर के पैकिंग केसों में ग्रहण किया जा सकता है परंतु यह तब जब कि भीतरी पात्र टिने हों। (5) हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक फलयुड, जो बाहर से आयात किया गया हो, गत्ते के बने हुए कार्टुनों मे टिनों मे, ग्रहण किया जा सकता है प्रत्येंक कार्टून में अधिक से अधिक 12 टिन होगें।			पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी- सीमेंट घोल पालिशें और अन्य पदार्थ जो भागत. जवलनशील द्रवों से संश्लिष्ट हैं एनामिल और एनामिल पेट 65° सें से कम किंतु 26° सें से अधिक है। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूईड पालिश, ड्रेसिंग,स्टेन और सफाई से सम्मिश्रण, भागत ज्वलनशील द्रवों से संश्लिष्ट पदार्थ के वार्निश पर जिसका प्रजज्वलन तापमान 65° सें से कम किंतु 23° सें से अधिक है, मानक ब्रेकफलूईड	(1)कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में जो मजबूती से तैयार किए गए हो और द्रव को रिसने से रोकने के लिए मजबूती से बंद किये गए हो। (2)सीलबंद टिन या बोतलो में जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो। (3)मजबूती से बंद किए टिनों में जिनमें से प्रत्येक में 2 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जो केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किया गया हो। (4)पैंट और वार्निशों को फाइबर के पैकिंग केसों में ग्रहण किया जा सकता है परंतु यह तब जब कि भीतरी पात्र टिने हों। (5)हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक फलयुड, जो बाहर से आयात किया गया हो, गत्ते के बने हुए कार्टुनों मे टिनों मे, ग्रहण किया जा सकता है प्रत्येक कार्टून में अधिक से अधिक 12 टिन होगें।	बिटयुमिन		पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	
मोनोक्लोरोबैंजीन	(1)कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में जो मजबूतीसे हों और घोल को रिसने के लिए मजबूती से बंद किये गए हो। (2)सीलबंद टिन या बोतलो में जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किया हो। (3)मजबूती से बंद किए टिनों में जिनमें 2 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किया गया हो		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है		

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी- एमिल एसिटेट बुटाइल एसिटेट आइसोमिल एसिटेट	(1)कास्कों, या लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में (2)अधिक से अधिक से 2.27 लीटर क्षमता वाली, चिकनी मिटटी से बंद की गई और डाट लगाकर बांधी गई बोतलों मे जो भूसा लगाकर अच्छी तरह से जमाकर कर रखी गई हो और हैम्परों में पैक की गई हो। (3)अधिक से अधिक 50 लीटर क्षमता वाले शीशें के वोटों (कारबोयों) में। वोटों(कारबोयों) को लोहे,या लकडी के या टोकरीनुमा क्रेटों में मजबूती के साथ पैक किया जाना चाहिए। बोट (कारबोयों) और क्रेट के बीच में कम से कम 2.5 से.मी. मोटाई की भूसा की पैकिंग होनी चाहिए। वोटों(कारबोयों) के क्रेट में की गई भूसा वाली पैकिंग जब रेल प्रशासन को सौंपी जाए तो पर्याप्त रूप से नम होनी चाहिए जिसमें कि आग न लगें वोटों(कारबोयों)को उपर तक द्रव भरकर बंद किया जाना चाहिए तथा उन पर ठीक प्रकार से फिट ढक्कन लगाए जाने चाहिए और चिकनी मिटटी से भली भांति बंद किए जाने चाहिए वोटों की गर्दन खुली रहनी चाहिए			स्तंभ 2 की मद (1) और (2) में अधिकथित रीती से पैक किए जाने की दशा में उनका वहन पिछले ब्रेकयान में किया जा सकता है।	
सफाई करने और धोने के फलुइड ज्वनलनशील	(1) टिनों मे जो मजबूती से बंद किए गए हों और केसों में पैक किए गए हों। (2)टिनों मे जो मजबूती से बंद किए गए हो और फाइबर बोर्ड के केसों में गत्ते का कार्टूनों में पैक किए गए हों और फाईबर बोर्ड के केसों में गत्ते का कार्टनों में पैक किए गए हो। (3)लोहे या स्टील के ड्रमों में			पिछले ब्रेकयान में किया जा सकता है।	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव-जारी-					
कीटनाशक फलुइड(ज्वलनशील) थियोडान	(1) वायु रोधी टिनों मे जो लकडी के केसों में पैक किए गए हों (2)स्टील या लोहे के ड्रमों में या अन्य आधानों में जो आसानी से न टूट सकें (3)बोतलों में जिनपर डाट लगी हो और जो सील बंद की गई हो। बोतलों में रखें जाने की दशा में उन्हें भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक किया जाएगा और लकडी के केसों में सुरक्षा पूर्वक रखा जाएगा। (4)लकडी के कास्कों में परन्तु यह तब जब कि द्रव का प्रज्जवलन तापांक 65° सें. या उससे अधिक हो।				पदार्थों या खादय पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नही लादा जाएगा
पेंट तरलक(थिनर) रोसिन स्पिरिट तारपीन का तेल या तारपीन का विकल्प स्पिरिट (सफेदस्पिरिट) वार्निश जिसका प्रज्जवल तापांक 65 सें. से कम किन्तु 23 से कम नहीं हो अल्फा पाईनोल स्नोसिल स्थायी कारक घोल	(1) लोहे या स्टील के ड्रमों में अथवा लकडी के केसों में पैक किए गए टिनों में (2)डाट लगी हुई या कैप्सूल बोतलों में जो लकडी के केसों में सुरक्षित रूप से पैक की गई हो।			पिछले ब्रेकयान में किया जा सकता है।	
	पॉच लीटर के धातु के टिनों में (छह ऐसे टिन लकडी के केसों मे पैक किए जाएगें			वही	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- जारी वार्निश, एन ओ सी	(1)लोहे या स्टील के ड्रमों में अथवा लकडी के केसों में पैक किए गए टिनों में (2)डाट लगी हुई या कैप्सूल बोतलों में जो लकडी के केसों में सुरक्षित रूप से पैक की गई हो।			पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	
चयनित पेट्रोलियम तेलों में घुला हुआ पेंटाक्लोरोफिनोल	(1) वायु रोधी टिनों मे जो लकडी के केसों में पैक किए गए हों (2)स्टील या लोहे के ड्रमों में अथवा अन्य मजबूत और भली भांति तैयार किए गए आधानों में (3)बोतलों में जिनपर डाट लगी हो और जो सील बंद की गई हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हो तथा लकडी के केसों में सुरक्षित रखी गई हों।			वही	
परिष्कृत चीड□टार	वही			वही	
तारपीन	वही			वही	
बुट पालिशों, जिसमें ऐसे ज्वलनशील द्रव हैं जिसका प्रज्वलन तापांक 23° सं. से ऊपर है।	केसो मे टिन या बोतलें अथवा गत्ते के कार्टूनों में कास्कों या टिनों में जो फाइबर बोर्ड के केसों में पैक किए गए हो अथवा टिनों में जो बुरादा या अन्य उपयुक्त सामग्री लगा कर फाइबर बोर्ड के केसों मे रखें गए हों।	-	-	वही	-

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- जारी					
रबड घोल जिसका प्रज्वलन तापांक 23° सें. से ऊपर है।	(1)कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों या केनों में जो घोल को रिसने से बचाने के लिए मजबूती से बंद किये गए हो। (2) वायु रोधी टिनों में जो लकडी के बक्सों में भीतरी पैकेज के रूप में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किए गए हो, अथवा वायुरोधी संकोची टयुबों में जो मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों में, जो कि भीतरी पैकेज के रूप में होगा, बुरादा या भूसी लगाकर पैक की जाएगी। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज 0.5 से अधिक रबड घोल नहीं होगा भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें पैकेज को हूप आइरन और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 5 किलोग्राम से अधिक रबड घोल नहीं होगा। (3) वायुरोधी संकोची टयुबों में जिनमें से प्रत्येक में 28.34 ग्राम रबड घोल से अधिक नहीं होगा और जो मजबूत गत्ते के बाक्सों या कार्टुनों जो भीतरी पैकेज के रूप में होगा, बुरादा या भूसी लगाकर पैक की जाएगी। ऐसे प्रत्येक भीतरी पैकेज में 0.5 कि.गा. से अधिक रबड घोल नहीं होगा। भीतरी पैकेज लकडी के एक बाहरी पैकेज में पैक किया जाएगा जिसकी साइडें 1.59 से.मी. और सिरे 1.9 सें.मी.से कम मोटे नहीं होगें और पैकेज को हूप आइरन और क्रीसेंट तार से बांधा जाएगा और पैकेज में 15 किलोग्राम से अधिक रबड घोल नहीं होगा।			पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है	

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अन्य ज्वलनशील द्रव- समाप्त					
मुख्य रूप से क्रेसोट, पेट्रोलियम अवशिष्ट, पिच या टार तेल से तैयार की गई सडक की सतह को ड्रेसिंग करने का पदार्थ ऐसो एसफाल विलायक ऐसों द्रव एसोफाल्ट सं2 ऐसों कट बैक 80/100 ऐसों प्राइमर ऐसों आर सी 3 शेलमेक आर सी 3 शेलस्प्रा बी एस. खरपतवार नाशक द्रव (र्निविष)	ड्रमों में। (1)कास्कों में (2)ड्रमों या केनों में। (3)टिनों में जो केसों में पैक किए गए हो।			पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है वहीं	
	वर्ग 'ग' जिनका ज्वालांक बिन्दु 65 सेन्टीग्रेड और उससे हो				
ऐरोमेक्स तेल	1) वायुरोधी टिनों में जो लकड़ी के केसों में पैक किये गए हों। 2) स्टील या लोहे के ड्रमों में या अन्य मजबूत और भलीभांति तैयार किये गए आधानों में। 3) बोतलों में जिन पर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हों तथा लकड़ी के केसों में सुरक्षित रखी गई हों। 4) द्रव ईंधन को लकड़ी के कास्कों में परन्तु तब जबकि द्रव का प्रज्वलन तापांक 65 डिग्री सें. या उससे अधिक हों।	....	टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	.....

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
बैचिंग तेल या जूट बैचिंग तेल	1) वायुरोधी टिनों में जो लकड़ी के केसों में पैक किये गए हों। 2) केवल तब जब वायुरोधी टिनों में उपयुक्त निभार के साथ वैगन भारों के रूप में, जैसा कि नियम 322.1 में उपदर्शित है, सोपें जाएं। 3) स्टील या लोहे के ड्रमों में या अन्य मजबूत और भलीभांति तैयार किये गए आधानों में। 4) बोतलों में जिन पर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हों तथा लकड़ी के केसों में सुरक्षित रखी गई हों। 5) द्रव ईंधन को लकड़ी के कास्कों में भी पैक किया जा सकता है। परन्तु यह तब जब कि द्रव का प्रज्वलन तापांक 65 डिग्री सें. या उससे अधिक हों।		-वही-	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	...
डाइ-एथाइल हैक्सानोल या 2 एथाइल हैक्सानोल या ओक्टानोल	1) कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों य़ा केनों में जो मजबूती से तैयार किये गए हो और घोल को रिसने से बचानें के लिए मजबूती से बंद किये गए हों। 2) सीलबंद टिनों या बोतलों में जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किये गए हों। 3) मजबूती से बंद किये गए टिनों में, जिनमें से प्रत्येक में 2 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जिन्हें केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किया गया हो।				

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
एनामिल और एनामिल रोगन जिनका प्रज्वलन तापांक 65° सें. से अधिक किन्तु 93° सें. से कम है	1) कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों य़ा केनों में जो मजबूती से तैयार किये गए हो और घोल को रिसने से बचानें के लिए मजबूती से बंद किये गए हों। 2) सीलबंद टिनों या बोतलों में जो केसो में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किये गए हों। 3) मजबूती से बंद किये गए टिनों में, जिनमें से प्रत्येक में 2 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जिन्हें केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किया गया हो। 4) पेंट और वर्निशों को फाइबर के पैकिंग केसों में ग्रहण किया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि भीतरी पात्र टीन हो।	.....	.....	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	.....
वार्निश रोगन प्रज्वलन तापांक 65° सें. से अधिक किन्तु 93° सें. से कम है	1) कास्कों, लोहे या स्टील के ड्रमों य़ा केनों में जो मजबूती से तैयार किये गए हो और घोल को रिसने से बचानें के लिए मजबूती से बंद किये गए हों। 2) सीलबंद टिनों या बोतलों में जो केसों में बुरादा या भूसी लगाकर पैक किये गए हों। 3) मजबूती से बंद किये गए टिनों में, जिनमें से प्रत्येक में 2 लीटर से अधिक द्रव नहीं होगा और जिन्हें केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किया गया हो। 4) पेंट और वर्निशों को फाइबर के पैकिंग केसों में ग्रहण किया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि भीतरी पात्र टीन हो।	.....	.....	पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	.....
वार्निश जिसका प्रज्वलन तापांक 65° सें. से अधिक किन्तु 93° सें. से कम है	1) लोहे या स्टील के ड्रमों में अथवा लकड़ी के केसों में पैक किये गए टिनों में। 2) डाट लगी हुई या कैप्सूल बोतलों में जो लकड़ी के केसों में सुरक्षित रूप से पैक की गई हो।			यथोक्त	.....

द्रव का नाम	पैंकिग (नियम 307 भी देखिए)	चिंहांकन और लेबल लगाए की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 308,309, और 323.1 देखिए)	मालगाडी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 314, 315, 316, 317, 318 और 319 देखिए)	यात्री गाडी,मिश्रित गाडी या पार्सल गाडी ब्रेक यान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 320 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम□(नियम 321,322,324 और 325 देखिए)
1	2	3	4	5	6
वार्निश एन. ओ. सी.	1) वायुरोधी टिनों में जो लकड़ी के केसों में पैक किये गए हों। 2) स्टील या लोहे के ड्रमों में या अन्य मजबूत और भलीभांति तैयार किये गए आधानों में। 3) बोतलों में जिन पर डाट लगी हो और जो सीलबंद हो तथा भूसा या बुरादा या भूसी लगाकर पैक की गई हों तथा लकड़ी के केसों में सुरक्षित रखी गई हों। 4) रोसिन तेल की लकड़ी के कास्कों में भी पैक किया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि प्रज्वलन तापांक 65° सें. या उससे अधिक हो।			यथोक्त	
चीड़ का तेल	-वही-			यथोक्त	
रोसिन तेल	-वही-			यथोक्त	

परिशिष्ट III/

नियम 307.2 देखिए

परिशिष्ट III/1

पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रवों वर्ग क के लिए पात्रों संबंधी विर्निदेश

1. कोई भी आधान उपनियम 307.2 में विहित वायु स्थान को छोड़कर 300 लीटर क्षमता से अधिक का नहीं होगा।

2. आधानों की धातु की मोटाई निम्नलिखित होगी

विहित वायु स्थान को छोड़कर क्षमता	निम्नलिखित से कम नहीं
10 लीटर से अनधिक	0.443 मि. मी. (27 बिर्मिघम गेज)
10 लीटर से अधिक किन्तु 50 लीटर से अनधिक	0.63 मि. मी. (24 वही)
25 लीटर से अधिक किन्तु 50 लीटर से अनधिक	0.80 मि. मी. (22 वही)
50 लीटर से अधिक किन्तु 200 लीटर से अनधिक	1.25 मि. मी. (18 वही)
200 लीटर से अधिक किन्तु 300 लीटर से अनधिक	1.59 मि. मी. (16 वही)

परन्तु यह कि मुख्य विस्फोटक नियँत्रक लिखित आदेश द्वारा किसी विशिष्ट मामले में, ऐसे आधानों के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकता है जिनकी धातु की मोटाई ऊपर विनिर्दिष्ट से कम है।

3. आधानों का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा और उन्हें इस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाएगा जिससे कि वे अभिवहन में त्रुटिपूर्ण, रिसने वाले य़ा असुरक्षित न हो जाये।

4. आधानों के ऊपर **पेट्रोल** या **मोटर स्पिरिट** शब्द अथवा उपयुक्त समतुल्य चेतावनी जो कि उनमें रखी हुई वस्तु को प्रकट करें, सदृश्य अक्षरों में ब्राण्ड कर के, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या छाप कर, चेतावनी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

परिशिष्ट III/2

नियम 317.4 देखिए

परिशिष्ट III/2

सूची 'क'

थोक तेल संस्थानों की व्यवस्था से युक्त स्टेशनों की सूची

ये वस्तुएं जिनके लिए थोक तेल संस्थानों की व्यवस्था की गई है संबंधित स्टेशनों के सामने निम्नलिखित रूप में संक्षेपाक्षरों में दर्शाई गई है।

मध्य रेलवे

विमान स्पिरिट	वि.स्पि.
बैचिंग तेल	बै.ते.
काला तेल	का.ते.
कच्चा तेल	क.ते.
डीजल तेल	डी.ते.
हाई स्पीड डीजल तेल.....	हा.स.डी.ते.
मिट्टी का तेल	मि.ते.
द्रव ईंधन	द्र.ईं.
लाइट डीजल तेल	ल.डी.ते.
खनिज तारपीन तेल.....	ख.ता.ते.
मोटर स्पिरिट	मो.स्पि.
पेट्रोल	पे.
पावरिन तेल	पा.ते.
विलायक तेल	वि.ते.
उत्कृष्ट मिट्टी का तेल.....	उ.मि.ते.
विमान टबाईन ईंधन.....	वि.ट.ई.
द्रवित पेट्रोलियम गैस.....	द्रव.पे.गै.
निकृष्ट सल्फर भारी स्टाक.....	नि.स.भा.स्टा.
नैफ्था	नैफ्था
भट्टी का तेल	भ.ते.
फैनाल निष्कर्ष	फे.नि.

रेलवे	स्टेशन	वस्तुएं(संक्षेपाक्षरों में दर्शाई गई) जिनके लिए थोक तेल संस्थापन की व्यवस्था की गई है।
मध्य रेलवे	अकोला	डी,मि,पे.
	अहमदनगर	पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोलियम उत्पाद केवल रक्षा विभाग से प्राप्त किए जाते है।)
	भादली	हा.स.डी.ते.; उ.मि.ते. मो.स्पि.

	बडनेरा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	बल्हारशाह	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	भुसावल	हा.स.डी.ते., का.ते.(भुसावल बिजली घर के लिए)
	चन्द्रापुर	मो.स्पि., हा.स.डी.ते., मि.ते., का.ते., नि.स.भा.स्टा.
	धुले	डी., मि., पै.
	दोण्ड	हा.स.डी.ते.(इंजन के लिए)
	देहु रोड	का.ते., नि.स.भा.स्टा., मो.स्पि.
	गुलबर्गा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	घोरा डूंगरी	का.ते., नि.स.भा.स्टा.
	घोरपुरी	हा.स.डी.ते., डी. (इंजन के लिए)
	झाँसी(उ.म.रे)	डी., मि., पे., हा.स.डी.ते.
	कल्याण	हा.स.डी.ते.(इंजन के लिए)
	कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मि.	हा.स.डी.ते.(इंजन के लिए)
	खापड़ी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.टा.ई. और का.ते.
	खंडवा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	मनमाड	डी., मि., पे., हा.स.डी.ते.
	मदनमहल	डी., मि., पे., ख.ता.ते.
	नासिक रोड	का.ते.(नासिक बिजली घर के लिए)
	निशातपुरा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,वि.ट.ई.
	नेरल	हा.स.डी.ते.
	परिछा	का.ते.
	पणवेल	हा.स.डी.ते.(इंजन के लिए)
	सतना	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	शोलापुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
पूर्व रेलवे	बज-बज	मो.स्पि., वि.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.,वि.ट.ई., वि.ते., भ.ते.
	भागलपुर	ख.ता.ते., हा.स.डी.ते., उ.मि.ते.
पूर्व मध्य रेलवे	बरौनी (परिष्करणी)	उ.मी.ते.; हा.स.डी.ते.; ला.डी.ते.; मो.स्पी.; फे.नि.; नि.सा.भा.स्टा.;
	धनबाद	मो.स्पी.; हा.स.डी.ते.; उ.मी.ते.;
	बरौनी तेल परिष्करणी	मो.स्पी.; उ.मी.ते.; हा.स.डी.ते.; ला.डी.ते.;
	रक्सौल	डी.मि.ते.; पै.;
पूर्व तटीय रेलवे	अंगुल / समैल्टर साइडिंग (नैल्को)	भ.ते.
	ब्रह्मापुर रोड	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	कटक	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., बै.ते.
	सम्बलपुर/हीराकुड संकर्म साइडिंग	भ.ते.
	सम्बलपुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., डी.ते., भ.ते.
उत्तर रेलवे	अंबाला छावनी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.,वि.ट.ई.,

		भ.ते.
	बरेली	डी., हा.स.डी.ते., मि.ते., पै., वि.ट.ई.
	भगतांवाला	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	भरौली	-वही-
	भठिंडा	भ.ते., नि.स.भा.स्टा., ला.डी.ते.
	पठानकोट कैंट	-वही-
	दीवाना	भ.ते., का.ते., नि.स.भा.स्टा.
	गाजियाबाद	भ.ते., फि. निं., ला.डी.ते.
	घेवरा	द्रव.पे.गै.
	हरिद्वार	भ.ते., ला.डी.ते
	इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर	भ.ते., नेफ्था
	जम्मुतवी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.ट.ई., ला.डी.ते., भ.ते.
	जगदीशपुर	भ.ते.
	कोटकापुरा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	खुर्दपुर	वि.ट.ई.
	लालरू	द्रव.पे.गै.
	मुरादाबाद	डी., हा.स.डी.ते., मि.ते., पे.
	मल्लनपुर	वि.ट.ई.
	मेरठ सिटी, मण्डी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	नंगलडैम	भ.ते., नि.स.भा.स्टा., नैफ्था.
	पटियाला	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	पठानकोट	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	फूलपुर	नैफ्था, नि.स.भा.स्टा., भ.ते.
	पानीपत थर्मल पावर हाउस	भ.ते., का.ते., नि.स.भा.स्टा.
	रोपड़	भ.ते., नि.स.भा.स्टा.
	सुबेदार गंज	भ.ते., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.स्प्रि., पे.
	सुच्ची पिंड	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.ट.ई., द्रव.पे.गै., भ.ते., ला.डी.ते.
	सहारनपुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	शकूरबस्ती	सभी वस्तुएं
	टांडा	भ.ते.
	तुगलकाबाद	भ.ते., का.ते., हा.स.डी.ते.
उत्तर मध्य रेलवे	आगरा	हा.स.डी
	ग्वालियर	डी.; मि, पे.; वि.ट.ई.
	झांसी	डी.; मि, पे.; हा.स.डी.ते.
	हरदुआगंज	भ.ते.,

	पनकी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., वि.ट.ई.,नैफ्था, द्रव.पे.गै.,भ.ते.
	ऊंचाहार	भ.ते.
	मथुरा तेल परिष्करणी साइडिंग भैंसा	हा.स.डी.ते., नैफ्था, ला.डी.ते., भ.ते.
	ईदगाह आगरा	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते.
पूर्वोत्तर रेलवे	बस्ती	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	गोरखपुर छावनी	वि.ट.ई.
	गोरखपुर जंक्शन	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	काठ गोदाम	मि.ते., पे., हा.स.डी.ते.
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	बोंगाई गांव परिष्करणी और पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स लिमि.(बी आर पी एल) (ब.ला. और मी.ला.)	नैफ्था, वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., ला.डी.ते., भ.ते., हा.स.डी.ते.
	बारसोई जंक्शन	(मी.ला.) ला.डी.ते.
	चाबुआ	वि.ट.ई.
	सिन्नामारा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	दलगाँव	मो.स्पि., उ.मि.ते., ला.डी.ते., हा.स.डी.ते.
	धर्मनगर	वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	डिग्बोई	नैफ्था, मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	फोर्बसगंज	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	गुवाहाटी	इंजन में ईंधन के लिए (निर्माणाधीन)
	हासीमारा	वि.ट.ई., उ.मि.ते.,हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते.
	जोरहट	वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	कटिहार (मी.ला.)	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	खोटखोटी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	लमडिंग जंक्शन	हा.स.डी.ते (लोको डीजल शैड पर)
	मालदा कोर्ट	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	मिस्सामारी	वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	न्यूबोंगईगांव	हा.स.डी.ते. (इंजन में ईंधन के लिए)
	न्यू गुवाहाटी	हा.स.डी.ते. (इंजन में ईंधन के लिए)
	न्यू गुवाहाटी (ब.ला.)	हा.स.डी.ते. (इंजन में ईंधन के लिए)
	न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (ब.ला. और मी.ला.)	नैफ्था, मो.स्पि., वि.ट.ई.,विमानन गैसोलीन, उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते.
	उत्तरी लखीमपुर	वि.ट.ई., मों.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	नारंगी नूनमाटी	नैफ्था, मो.स्पि., वि.ट.ई., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	रामनगर साइडिंग	वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते., मो.स्पि.
	रावरिया	वि.ट.ई.

	सीलचर	वि.ट.ई., मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	तिनसुकिया जंक्शन	नैफ्था, मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते.
	पनबारी	भ.ते.
	सलाकटी	भ.ते.
	बदरपुर	हा.स.डी.ते.
	रंगापुरा उत्तर	हा.स.डी.ते.
	सिलीगुडी जंक्शन	हा.स.डी.ते.
	विश्वनाथ चराली जंक्शन	भ.ते.
	दीनापुर	अभी आरम्भ नहीं हुआ।
उत्तर पश्चिम रेलवे	उदयपुर सिटी	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते.
	राणाप्रताप नगर.	हा.स.डी.ते., मि.ते पे.,
	फुलेरा	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	बाईस गोदाम	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., वि.ट.ई.
	बाँदीकुई	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	आबू रोड	हा.स.डी.ते
	भगत की कोठी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., वि.ट.ई.
	हिसार	मो.स्पि., ला.डी.ते., डी.; मि. हा.स.डी.
	फुलेरा	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	लालगढ़	डी; हा.स.डी.ते., पे., वि.ट.ई., मि.ते., मो.स्पि.,
	राईका बाग पैलेस	मो.स्पि., हा.स.डी.ते., वि.ट.ई., उ.मि.ते
	उदयपुर सिटी	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते.
दक्षिण रेलवे	कन्नुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	कोचीन परिष्करणी इरुमपनम	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा.,द्रव.पे.गै.
	कोयम्बतूर जंक्शन	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	कोयम्बतूर नार्थ	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते.
	इलात्तूर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	ईरोड जंक्शन	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	करूप्पुर	द्रव.पे.गै.
	कोचुवेलि	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	मैट्टूर डैम	भ.ते., नि.स.भ.स्टा.
	पेलामेडु	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., द्रव.पे.गै.
	सेलम मार्केट	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	सेलम जंक्शन (सेलम स्टील संयत्र साइडिंग)	द्रव.पे.गै.
	तिरुच्चिरापल्ली गुड्स (ब.ला.)	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते., भ.ते.

	तिरुच्चिरापल्ली गुड्स (छो.ला.)	उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	तिरुनेलवेली जंक्शन	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	तोडियारपेट्टै इंडियन आयल का. साइडिंग	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.ट.ई., ला.डी.ते., भ.ते., स्नेहक तेल
	भारत पेट्रोलियम का. साइडिंग	ख.ता.ते., स्नेहक तेल
	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का. साइडिंग	वि.ते., ऐरोमैक्स, स्नेहक तेल
	कोरुक्कुपेट	क.ते.
	नागप्पट्टिणम	का.ते.
दक्षिण मध्य रेलवे	औरंगाबाद	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	बेलागाभी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते.
	भिलावाड़ी	द्रव.पे.गै.
	विजयापुरा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	चरलापल्ली	द्रव.पे.गै.
	कुड्डापाह	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते.
	चिकसुगुर	भ.ते.
	गुंतकल	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते.
	छत्रपति साहु महाराज टर्मिनस	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	कृष्णा केनाल	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	मिराज	मो.स्पि., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते.
	निडदबोलु	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	निजामाबाद	-वही-
	रायचूर	मो.स्पि., हा.स.डी.ते., ला.डी.ते.
	राजामुन्दरी	हा.स.डी.ते.
	रेनिगुण्टा	मो.स्पि., हा.स.डी.ते.
	सनतनगर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते., वि.ट.ई.
	वारंगल	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
दक्षिण पूर्व रेलवे	भिलाई	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	भिलाई ईस्पात संयंत्र	भ.ते., ला.डी.ते., नि.स.भा.स्टा.,
	बोकारो इस्पात संयंत्र	हा.स.डी.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा.
	बोंडामुण्डा/हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र साइडिंग	भ.ते., नि.स.भा.स्टा., डी.ते., का.ते.
	बोंडामुण्डा डीजल शैड	डी.ते.
	डूमरटा/उर्वरक संयंत्र साइडिंग	नैफ्था
	हल्दिया/इंडियन आयल का. साइडिंग	हा.स.डी.ते., उ.मि.ते., वि.ट.ई., पे., भ.ते., नैफ्था.
	नमकुम	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,

	राउरकेला	मो.स्पि., उ.मि.ते., डी.ते.,
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	भ.ते., नि.स.भ.स्टा.
	तालचेर/भारतीय उर्वरक निगम साइडिंग	भ.ते.
	टाटानगर	मो.स्पि., उ.मि.ते., डी.ते., बै.ते.
	टाटानगर डीजल शैड	डी.ते.
	टाटानगर/टिस्को साइडिंग	मो.स्पि., डी.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा., बै.ते.
	टाटानगर/ इण्डियन केबल कम्पनी साइडिंग	भ.ते.
	राँची	मो.स्पि., डी.ते., उ.मि.ते.
	बालासोर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	भिलाई	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	भिलाई ईस्पात संयंत्र	भ.ते., ला.डी.ते., नि.स.भा.स्टा.,
	बिलासपुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., .
	गोंदिया	हा.स.डी.ते., मि.ते., मो.स्पि.
	मोतीबाग	हा.स.डी.ते.
	गोंदिया	हा.स.डी.ते., मि.ते., मो.स्पि.
	रायपुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	बिलासपुर	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., .
	बेलपहाड़ परिष्करणी	भ.ते.
	भण्डारा रोड	भ.ते.
	विश्रामपुर **द.पु.म.रे.**	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
दक्षिण पश्चिम रेलवे	हुब्बली	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., भ.ते., ला.डी.ते.
	घाटप्रभा	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.,
	बैय्यप्पनाहल्ली	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते., वि.ट.ई., ला.डी.ते., भ.ते., ख.ता.ते., वि.ते.
पश्चिम रेलवे	असारवा (ब.ला.)	ख.ता.ते.
	भावनगर गोधी	थोक स्नेहक तेल, हा.स.डी.ते.
	बकानि भौरी	द्रव.पे.गै.
	दाढेदेवी(एसएफसी साइडिंग)	भ.ते., नैफ्था.
	दुराई	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते.
	गुजरात परिष्करणी	श्वेत तेल, मो.स्पि., उ.मि.ते., वि.ट.ई., हा.स.डी.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा., नैफ्था
	इंदौर (ब.ला.)	-वही-
	खारी रोहर रोड़	-वही-
	नैफ्था साइडिंग- जी आई एम	नैफ्था
	राजकोट (ब.ला.)	हा.स.डी.ते., मि.ते., मो.स्पि., ला.डी.ते.

	रतलाम (ब.ला.)	पे.,., हा.स.डी.ते., मि.ते.
	सूरत	हा.स.डी.ते., मि.ते. पे
	साबरमती (ब.ला.)	ला.डी.ते.
	साबरमती (मी.ला.)	मो.स्पि., हा.स.डी.ते., मि.ते., वि.ट.ई., उ.मि.ते.
	उकाई सोनगढ़	भ.ते.
पश्चिम मध्य रेलवे	इटारसी	मो.स्पि., उ.मि.ते., हा.स.डी.ते.
	गुर्ला (आरएसईबी) साइडिंग	भ.ते.
	गंगापुर सिटी	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	गंगापुर सिटी	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	कोटा	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा.
	भितोनी	द्रव.पे.गै.
	न्यू कटनी	हा.स.डी.ते.(इंजन के लिए)
	भितोनी	द्रव.पे.गै.
	कोटा	पे., हा.स.डी.ते., मि.ते., भ.ते., नि.स.भा.स्टा.
	गंगापुर सिटी	हा.स.डी.ते. (इंजन के लिए)
	गुर्ला (आरएसईबी) साइडिंग	भ.ते.

परिशिष्ट III/2 -जारी

नियम 317.4 देखिए

परिशिष्ट III/2

सूची ख

उन स्टेशनों की सूची जिन पर थोक तेल संस्थानों की व्यवस्था नहीं है किन्तु जिनके लिए पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग ख और वर्ग ग की टैंक वैगनों में बुकिंग अनुज्ञात है।

रेलवे	स्टेशन का नाम
मध्य रेलवे	देहु रोड़
	दौंड
	खडकी
	कोपरगांव
	शोलापुर
	थाना
पूर्व रेलवे	भागलपुर जंक्शन
	अंडाल
	बर्दमान जंक्शन
	मालदा टाऊन
	राणाघाट
	हावड़ा
पूर्व मध्य रेलवे	डाल्टनगंज
	धनवाद
	झाझा
	पटना
	पतरातु
	बारवाडीह
	चौपन
	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गोमोह
	मुगलसराय
	सोनपुर
	बरौनी जंक्शन
	नरकटियागंज
	समस्तीपुर जंक्शन
उत्तर रेलवे	अंबाला
	भटिंडा
	वाराणसी
	जालंधर शहर
	कालका
	लखनऊ

	नई दिल्ली
	पठानकोट
	रोजा
	सहारनपुर
	शकूरबस्ती
	प्रतापगढ़
	सुल्तानपुर
	जम्मू तवी
	बाराबंकी
	दिल्ली छावनी रक्षा
	लुधियाना
	तुगलकाबाद
उत्तर मध्य रेलवे	यमुना ब्रिज
	फतेहपुर सीकरी
पूर्वोत्तर रेलवे	कासगंज
	मैलानी जंक्शन
	ऐशबाग जंक्शन
	छपरा कचहरी
	बलिया
	गोंडा जंक्शन
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	अलीपुर द्वार
	डिब्रुगढ़ टाउन
	कामपुर
	सालमारी
	बेंगदूही प्रोजेक्ट साइडिंग
दक्षिण रेलवे	मैग्नासाइट जंक्शन (बर्न एंड कं. साइडिंग)
	चैंगलपट्ट जंक्शन
	डिंडीगुल जंक्शन
	एर्णाकुलम जंक्शन
	एर्णाकुलम माल
	गोल्डन राक/ पोनमालाई
	जोलारपेट्टै जंक्शन
	कोरुक्कुपेट (मी.ला.)
	मंगलौर जंक्शन
	मदुरई जंक्शन
	मनमदुराई
	नागपट्टिनम
	नेवेली

	पामबन
	पलक्क्ड् जंक्श्न
	प्लक्क्ड् टाउन
	पैराम्बूर इंजन कारखाना
	कोल्लम जंक्शन
	सेलम जंक्शन
	शंकरि दुर्ग
	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
	विलुपुरम जंक्शन
	विलांगुडि
	विरुदनगर
	वेस्ट हिल
दक्षिण मध्य रेलवे	भद्राचलम रोड़
	ईदगाह (आगरा जंक्शन मी.ला.)
	काजीपेट
	कोंडापल्ली
	कृष्णा
	मौला अली
	पकाला
	पार्लिवेजनाथ
	पूर्णा
	रामगुंडम
	विकाराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे	बालासोर
	घाटशिला आईसीसी साइडिंग
	हिजली
	कलैकुण्डा
	मेछेदा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	अमलाई
	बृजरागनगर
	गोंदिया
	कोरबा
	राजनांदगांव
	नागपुर मोतीबाग
दक्षिण पश्चिम रेलवे	आर्सीकेरे
	अशोकापुरम कार्यशाला
	के. स.आर बैगंलूरू जंक्शन
	भद्रावती

	कृष्णराजापुरम
	मैसुरू जंक्शन
	शिवामोग्गा
	यसवन्तपुर
	येलहंका जंक्शन
	बागलकोट
	कैसल राक
पश्चिम रेलवे	अमरेली
	अमलने
	अहमदाबाद इलैक्ट्रिक क. एस.बी.आई.
	बाविया
	बान्द्रा मार्शलिंग यार्ड (केवल रेल यातायात)
	भावनगर कंक्रीट जेट्टी
	भावनगर गोदी
	भावनगर टर्मिनल
	भावनगर बंदर टिम्बर डिपो
	भायावदार
	बोताड् जंक्शन
	भौनरा
	भरूच
	ढोला जंक्शन
	ढोलका
	धोराजी (कारखाना साइडिंग)
	फतेहसिंह पुरा
	गोंडल
	गोप
	जेतलसर रोड
	जाम जोधपुर जंक्शन
	जामनगर
	जूनागढ़ जंक्शन
	केशोड
	कोडिनार
	लाखेड़ी
	महुवा जंक्शन
	नंदुरबार (केवल रेल यातायात)
	नवापुर
	पानेली मोती
	पोरबन्दर

	प्राची रोड़
	रानावे
	राजुला सिटी
	सखपुर
	उपलेटा
	वसई रोड
	वेरावल
पश्चिम मध्य रेलवे	भितोनी
	अंता
	अटरु
	भवानी मण्डी
	बयाना जंक्शन
	भरतपुर जंक्शन
	छाउ-महला
	छाबरा गुगोर
	गारोट
	गुर्ला
	हिंदुआन सिटी
	झालावाड़ रोड
	केशोराय पाटन
	कापरेन
	लाबान्
	मेहिदपुर रोड
	नारायणपुर टटवाड़ा
	सुबसरा

<u>परिशिष्ट III/3</u>
(नियम 327.2)

परिशिष्ट III/3

क्र. सं. .....
स्टेशन .....
मंडल/जिला .....
रेलवे . .....
तारीख .....

प्रेषिती पर तामील की जाने वाली सूचना

सेवा में,
.....
.....
.....

विषय: .....से ....तक के लिए
वीजक / लोक मार्गपत्रक सं.....दिनांक .....

महोदय / महोदया,

मै आपको सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित परेषण/पार्सल, जिसके कि आप प्रेषिती हैं, गंतव्य स्टेशन पर अवितरित पड़ा हुआ है। कृपया ध्यान दें कि यदि वह इस पत्र के प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सब देय प्रभारों का संशय करके, परिपत्र नहीं कराया जाता है तो भारतीय रेल अधिनियम,1989 (1989 का 24) की धारा 83 के अधीन उसे आपको कोई और सूचना दिये बिना, व्ययनित करने की व्यवस्था की जायेगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े, विलंब शुल्क, स्थान भाड़े आदि के मद्दे रेल को देय रकम विक्रय आगमों से पूरी नहीं होती तो शेष राशि आपको चुकानी होगी।

देय प्रभारों के ब्यौरे -
1. भाड़ा .....
2. विलंब शुल्क .....
3. उतराई .....
4. स्थान भाड़ा .....

प्रति क्विंटल या क्विंटल का भाग प्रतिदिन की दर से तारीख .....से परेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

अध्याय-IV
ज्वलनशील ठोस

अध्याय-IV

ज्वलनशील ठोस

रेल अधिनियम, 1989 के अधीन खतरनाक माल

401. सारणी IV में विनिर्दिष्ट ज्वलनशील ठोसों में जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल समझे गए है, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) विस्फोटकों से भिन्न ऐसे पदार्थ जो शीघ्र दहनशील है या रगड़ लगने पर जिनसे आग लग सकती है या जो आग लगने में सहायक हो सकते हैं;

(ख) ऐसे पदार्थ जिनमें, परिवहन की सामान्य दशाओं में, तुरन्त ताप उत्पन्न हो सकता है या जो वायु के सम्पर्क में आने पर गर्म हो जाते है और आग पकड़ सकते है;

(ग) वे पदार्थ जो जल के साथ अन्तरक्रिया होने पर तुरन्त ज्वलनशील हो जाते है या खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैसें छोड़ने लगते है।

ज्वलनशील ठोसों के वहन के बारे में साधारण निर्बन्धन

402.1 ज्वलनशील ठोसों केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी IV में विनिर्दिष्ट ज्वलनशील ठोसों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तो के अनुसार, ग्रहण करेगा।

402.2 वहन करने से इन्कार करने का रेल का अधिकार - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी IV में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट ज्वलनशील ठोसों का जन साधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा और ऐसी सूचना जारी करने के पश्चात, कोई भी ऐसा ज्वलनशील ठोस, उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सेक्शन या सेक्शनों पर, जिनकी बाबत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

402.3 रेल पर निर्बन्धन - (1) दक्षिण-पूर्व रेल में निम्नलिखित सेक्शनों पर, सेफ्टी दियासलाइयों के सिवाय, ज्वलनशील ठोसों का वहन केवल विशेष व्यवस्था के अधीन किया जा सकेगा;

(क) रूपसा-तलबन्द सैक्शन और

(ख) बंकुरा - दामोदर नदी

(2) **मुम्बई पत्तन न्यास रेल** - मुम्बई पत्तन न्यास रेल पर विशेष व्यवस्था के अधीन केवल पूर्ण वैगन भारों के रूप में ज्वलनशील ठोसों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

(3) **केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम** - (क) ज्वलनशील ठोसों को स्वामी के जोखिम पर ग्रहण किया जाएगा।

(ख) कैल्शियम के कारबाइड को विशेष व्यवस्था के अधीन वहन के लिए स्वीकार किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(4) पूर्व रेल के मी.ला. सैक्शनों पर जिसमें लाइट रेल भी है सेफ्टी दियासलाइयों के सिवाय ज्वलनशील ठोसों का वहन नहीं किया जाएगा।

प्रेषण की सूचना प्रेषक द्वारा दिया जाना

403.1 प्रेषण सूचना का अनिवार्य होना :- रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्ही अपवादों के अधीन रहते हुए, ज्वलनशील ठोसों का कोई भी परेषण तब तक प्रेषण के लिए रेल को नहीं भेजा जायेगा या रेल से वहन के लिए तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(क) ऐसे परेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना नियम 403.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती, और

(ख) उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिससे ऐसे परेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचना नहीं दे देता कि परेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

403.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियाँ - नियम 403.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को सम्बोधित होगी, जिससे माल भेजे जाने का प्रस्ताव है और ऐसी सूचना परेषण को स्टेशन पर लाने से कम से कम 48 घण्टे पूर्व भेजी जाएगी, सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो। सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होगा -

(1) परेषण में ज्वलनशील ठोस का सही नाम, विवरण और मात्रा

(2) प्रेषक का नाम और पता;

(3) प्रेषिती का नाम और पता;

(4) यह घोषणा कि ज्वलनशील ठोसों को "लाल टैरिफ" में अधिकथित नियमों, अर्थात नियम 407 और नियम 408 के अनुसार पैक और चिन्हांकित किया गया है।

टिप्पणी - (1) हर दृष्टि से पूर्ण प्रेषण टिप्पण जो परेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से 48 घण्टे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन उचित सूचना समझी जाएगी।

(2) जब रेल स्टेशन या शैड का भारसाधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात सूचना पट्ट पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी

रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाणपत्र, प्रेषण टिप्पण आदि अभिप्राप्त करना

404. सारणी IV में उल्लिखित ज्वलनशील ठोसों के प्रत्येक परेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृन्द पर प्रेषक सभी दृष्टि से पूर्ण एक प्रेषण टिप्पण विशेष रूप से विहित (प्ररूप के लिए उपाबंद 'क' देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

मिश्रित परेषणों का प्रतिषेध

405.1 ज्वलनशील ठोसों को अन्य माल के साथ परेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा किन्तु वे एक पृथक परेषण टिप्पण के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए और पृथक परेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

405.2 ऐसे ज्वलनशील ठोस जो साथ-साथ नहीं लादे जा सकते है पृथक-पृथक परेषण टिप्पण के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए और पृथक परेषणों के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

ज्वलनशील ठोसों को प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा तथा विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर ग्रहण किया जाना

406. रेल से वहन के लिए आशीयत ज्वलनशील ठोसों के परेषण केवल -

(1) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा; और

(2) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसे रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए; प्राप्त किए जाएंगे।

पैकिंग

407.1 ज्वलनशील ठोसों का केवल तब वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक कियें गए हो - कोई ज्वलनशील ठोस तब तक वहन के लिए नहीं सौंपे जाएंगे या उनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सारणी IV के स्तम्भ 2 में अधिकथित रीति से, ऐसे अपवादों सहित जैसे उस सारणी IV के स्तम्भ 4 और 5 में अंतर्विष्ट है, पैक नहीं किये गये हो।

407.2 ज्वलनशील ठोसों के लिए पात्र - (1) ज्वलनशील ठोसों को रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सब पात्र भलीभांति बने हुए होने चाहिए और रेल द्वारा अभिवहन के दौरान होने वाली टूट फूट को बर्दास्त करने के लिए पर्याप्त रूप में मजबूत होने चाहिए और उन्हें मजबूती के साथ बंद किया जाना चाहिए जिससे कि अन्तर्वस्तु या वाष्प को बाहर निकलने से रोका जा सके।

(2) सारणी IV के स्तम्भ 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कास्क और केस लकड़ी के ड्रम लोहे या इस्पात के और जार मृदभाण्ड या मिट्टी के होंगे।

(3) केसों को कस कर जोड़ा जाएगा और कास्कों पर भलीभाँति डाट लगाई जाएगी।

(4) जारों को मजबूती के साथ टोंटी बंद किया जाएगा या उन पर डाट लगाई जाएगी तथा चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा।

(5) डाट लगी बोतलों को चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा तथा ऊपर से बांधा जाएगा।

407.3 भीतरी पैकिंग - केसों की भीतरी पैकिंग में कोई ठोस वस्तु या कठोर पदार्थ नही रहेगा।

परेषकों द्वारा पैकेजों का चिन्हांकन और उन पर लेबल लगाना

408.1 चिन्हांकन - ज्वलनशील ठोसों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर सहज दृश्य अक्षरों में ब्रांडिंग करके, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या पेंट करके या मजबूती के साथ लेबल लगाकर :-

(क) ठोस का नाम

(ख) **"ज्वलनशील ठोस"** शब्द

(ग) ठोस का भार और

(घ) प्रेषक तथा प्रेषिती का नाम और पता अंकित किया जाएगा।

408.2 चित्रयुक्त लेबल - ज्वलनशील ठोस युक्त प्रत्येक पैकेज पर उपनियम 408.1 में विनिर्दिष्ट चिन्हांकन के अतिरिक्त नीचे दिखाए गए रूप से एक चित्र युक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अन्तर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।



टिप्पणी :- (1) पृष्ठभूमि सफेद
प्रतीक और अक्षर काले

(2) न्यूनतम विमाएं - 10 सेन्टीमीटर x 10 सेन्टीमीटर
पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलो का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

(5) यह लेबल नीचे उल्लिखित के सिवाय, सब ज्वलनशील ठोसों से युक्त पैकेजों पर लगाया जाएगा :-

- एल्युमीनियम चूर्ण
- एल्युमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु चूर्ण (मैग्नीशियम एल्युमीनियम मिश्र धातु चूर्ण)
- कैल्शियम फास्फाइड
- कैल्शियम सिलीसाइड
- कैल्शियम कारबाइड
- मैग्नीशियम चूर्ण
- पोटाशियम
- सोडियम
- सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (हाइड्रोसल्फाइट सोडा)
- जस्ता चूर्ण या टूटी चूर्ण



टिप्पणी :- (1) पृष्ठभूमि सफेद
प्रतीक और अक्षर काले

(2) न्यूनतम विमाएं - 10 सेन्टीमीटर x 10 सेन्टीमीटर
पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलो का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45° के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

(5) यह लेबल नीचे उल्लिखित के सिवाय, सब ज्वलनशील ठोसों से युक्त पैकेजों पर लगाया जाएगा :-

एल्युमीनियम चूर्ण	मैग्नीशियम चूर्ण
एल्युमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु चूर्ण	पोटाशियम
(मैग्नीशियम एल्युमीनियम मिश्र धातु चूर्ण)	सोडियम
कैल्शियम फास्फाइड	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (हाइड्रोसल्फाइट सोडा)
कैल्शियम सिलीसाइड	जस्ता चूर्ण या टूटी चूर्ण
कैल्शियम कारबाइड	

408.3 संकेत लेबल - जब ज्वलनशील ठोस द्रवों में हो, तथा तब के सिवाय जब तक भीतरी पैकेज का शीर्ष ऊपर से साफ तौर पर दिखाई पड़ता हो अथवा बाहरी पैकेज ऐसा हो जिससे शीर्ष को साफ तौर से दिखाई देता हो अर्थात, जब सबसे बाहरी पैकेज का शीर्ष कोणाकार हो तब सबसे बाहर के पैकेज पर निम्नलिखित संकेत लेबल लगाया जाएगा,:- **"यह सिरा ऊपर रखें"**

रेल द्वारा चिन्हांकन

409.1 ज्वलनशील ठोसों से युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे रेल चिन्हो से समुचित रूप से चिन्हांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक तथा गंतव्य स्टेशन के संकेताक्षर, बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा परेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो।

409.2 जब ज्वलनशील ठोस के परेषण को वैगन भार परेषण के रूप में ऐसे गंतव्य स्थान के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है जिसमें अमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण नहीं किया जाना है, तब परेषणों के पैकेज में से केवल दस प्रतिशत पर ही रेल चिन्हांकित करना आवश्यक होगा।

रेल कर्मचारीवृन्द का उत्तरदायित्व

410. रेल कर्मचारीवृन्द को ज्वलनशील ठोस के परेषणों को रेल से वहन के लिए ग्रहण करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) किसी एक पैकेज में ज्वलनशील ठोस की घोषित मात्रा, जो उस पर लगे चिन्हांकनों से अभिनिश्चित की गई है अथवा पैकेज का भार सारणी ।V के स्तम्भ 2, 4 और 5 अधिकथित अधिकतम से अधिक नहीं है और
(ख) बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है।

उठाई-धराई का कार्य परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाना

411.1 जब तक रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए, वैगन भारों के रूप में ज्वलनशील ठोसों की लदाई और उतराई का कार्य परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाएगा।
411.2 जब यातायात फुटकर के रूप में बुक किया जाता है तब मार्ग में उठाई-धराई के सब मामलों में, सम्बन्धित रेल प्रशासन लदाई और उतराई करेगा।

भण्डारण

412.1 (क) स्टेशन के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ज्वलनशील ठोसों के ऐसे प्रत्येके पैकेज को, जिसका रेल से प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए अथवा प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, ऐसे शैड में भण्डारित कराए जो सुवातित तथा घेरा हुआ या खुला शैड है, अर्थात,ऐसा शैड है जिसके ऊपर मौसम से बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दीवारों से नहीं घिरा है।
(ख) जहाँ ऐसी भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ ज्वलनशील ठोसों से युक्त पैकेजों को ढ़के हुए लोह वैगनों में भण्डारित किया जाएगा और यदि यह भी सम्भव नहीं हो तो उन्हें खुले स्थान में त्रिपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढ़क कर रखा जा सकता है।
(ग) ज्वलनशील ठोसों का भण्डारण करते समय नियम 413 में अधिकथित सब पूर्वाधानियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

412.2 कैल्शियम कारबाइड, अन्य सामग्रियों से अलग, पूरी तरह त्रिपाल से ढ़क कर भण्डारित किया जाएगा।
टिप्पणी - निम्नलिखित ज्वलनशील ठोस जल से संपर्क होने पर खतरनाक हो जाते है। उनका पूरा बचाव त्रिपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री लगाकर किया जाना चाहिए :-

एल्युमीनियम चूर्ण	मैग्नीशियम चूर्ण
एल्युमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु चूर्ण	पोटाशियम
(मैग्नीशियम एल्युमीनियम मिश्र धातु चूर्ण)	सोडियम
कैल्शियम कारबाइड	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (हाइड्रोसल्फाइट सोडा)
कैल्शियम फास्फाइड	जस्ता चूर्ण या टूटी चूर्ण
कैल्शियम सिलीसाइड	

ज्वलनशील ठोसों की उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां

413.1 लदाई और उतराई का समय - ज्वलनशील ठोसों की लदाई और उठाई-धराई से संबंधित सब संक्रिया सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही की जाएगी।

परन्तु परेषणों को यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेक यान में भेजा जाता है तथा यानान्तरण द्वारा या शेड यान गाड़ियों द्वारा भेजा जाता है या जब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरतीं जाएं तब उनकी उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है।

413.2 पैकेजों की उठाई-धराई - (1) ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों को जमीन या फर्श पर फैंका, गिराया या घसीटा नहीं जाएगा तथा इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि वे किसी कठोर वस्तु से ना टकराएँ।

(2) भारी ड्रमों या कास्कों की लदाई और उतराई करते समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाईयां, फैल्ट, बुरादे से भरे हुए थैले या ऐसे ही बचाव के साधन ड्रमों या कास्कों को क्षति से तथा उनकी अन्तर्वस्तुओं को रिसने से बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

(3) जब भी साध्य हो, ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों का वहन या प्रवहण ट्रालियों हाथ ठेलों से किया जाना चाहिए।

413.3 धूम्रपान, अग्नि, बत्तियों और खतरनाक पदार्थो का प्रतिशेध - (1) कोई व्यक्ति, किसी ऐसे वाहन के निकट जिसमें ज्वलनशील ठोस है या किसी ऐसे स्थान के निकट जहां ऐसे माल का भण्डारण किया गया है अथवा उसकी लदाई, उतराई या उठाई धराई की जा रही है, धूम्रपान नहीं करेगा या अग्नि, खुली बत्ती दियासलाई या अन्य ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं या ऐसे खाली आधान जिनमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखा गया हो या कोई ऐसी वस्तु जो ताप या चिंगारी उत्पन्न कर सकती है, नहीं ले जाएगा या अपने पास नहीं रखेगा।

(2) ज्वलनशील ठोसों का भण्डारण या उठाई धराई विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक मालों के साथ या उनके निकट नहीं की जाएगी।

413.4 धूप, वर्षा और बर्फ से बचाव - ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों को धूप, वर्षा या बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर रखा जाएगा और जब भी अपेक्षित हो उनका बचाव तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाएगा।

413.5 उस स्थान, वाहन या वैगन की पूरी सफाई जिसमें कोई ज्वलनशील ठोस रखा गया है या उसकी उठाई-धराई की गई है - ऐसे किसी स्थान या वैगन के फर्श जिस पर ज्वलनशील ठोसों का भण्डारण किया गया हो या वह वैगन या ट्रोली या हाथ ठेला जिसमें उनका वहन किया गया हो, उनमें से माल हटाए जाने के पश्चात बुहारा जाना चाहिए और पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए।

413.6 कैल्शियम कारबाइड के संबंध में कारवाई करने के बारे में विशेष पूर्वावधानियाँ - सारणी ।V में दी गई वे विशेष पूर्वावधानियां जो कैल्शियम कारबाइड के संबंध में, तब जब वह भीगा हो, कारवाई करने के समय ध्यान में रखी जाएंगी।

ज्वलनशील ठोसों का सामान्यत : मालगाड़ियों या पार्सल गाड़ियों से वहन

414. नियम 415 और नियम 419 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ज्वलनशील ठोसों का वहन मालगाड़ी या पार्सल गाड़ी से भिन्न किसी गाड़ी से नहीं किया जाएगा।

जब मालगाड़ियाँ नहीं चल रही हों तब ज्वलनशील ठोसों के मिश्रित गाड़ियों से वहन की अनुज्ञा

415. ऐसी लाइन या सेक्शन पर जिस पर मालगाड़ियां नहीं चल रही है, ज्वलनशील ठोसों का वहन मिश्रित गाड़ी के वैगनों में इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है कि जैसे ही वे सेक्शन में प्रवेश करें जिन पर मालगाड़ियां चल रही है, उन्हे तुरन्त मिश्रित गाड़ी से पृथक कर दिया जाएगा।

ज्वलनशील ठोसों की लदाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

416. सारणी ।V के स्तम्भ 4 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ज्वलनशील ठोसों का वहन जलरोधी ढके हुए लौह वैगनों से किया जाएगा।

टिप्पणी : सिरों पर खुलने वाले डिब्बों या वैगनों का प्रयोग ना किया जाए।

लादी जाने वाली या उठाई-धराई की जाने वाली मात्राएं

417. सारणी ।V के स्तम्भ 4 में यथा उपबंधित के सिवाय निम्नलिखित पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा।

(क) एक समय पर लादे जाने वाले ज्वलनशील ठोसों की मात्रा पर और

(ख) किसी रेल स्टेशन पर एक समय पर ऐसे वैगनों की संख्या पर जिसमें ऐसे ठोसों की लदाई या उतराई की जाए।

ज्वलनशील ठोसों का सामान्य माल के साथ वैगनों में वहन

418. नियम 420 और नियम 421 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए और सारणी ।V के स्तम्भ 6 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ज्वलनशील ठोसों का वहन सामान्य माल के साथ उसी वैगन में किया जा सकता है।

परन्तु यह तब जब कि -

(क) उस वैगन में ज्वलनशील प्रकृति की कोई वस्तुएं या पदार्थ नहीं है और

(ख) ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों को वैगन के अन्य मालों से भलीभांति पृथक रखा जाता है।

यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेक यानों में ज्वलनशील ठोसों का वहन

419. (1) सारणी ।V के स्तम्भ 5 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ज्वलनशील ठोसों का वहन यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेक यानों में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कहीं भी ज्वलनशील ठोसों का वहन ब्रेक यान में अनुज्ञात है वहां

(क) नियम 420 और नियम 421 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बन्धनों का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों का वहन केवल पिछले ब्रेकयान में किया जाएगा जो सुवातित होने चाहिए और

(ग) ज्वलनशील ठोसों के पैकेजों को, जहां तक संभव हो ब्रेक यान के अन्य मालों से तथा गाड़ी की पिछली बत्ती से दूर रखा जाना चाहिए।

ज्वलनशील ठोस जिन्हें पृथक रखा जाना चाहिए

420. ऐसे ज्वलनशील ठोस जिनका वहन एक ही गाड़ी में साथ-साथ नहीं किया जाना चाहिए सारणी ।V के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित है और ऐसे ज्वलनशील ठोसों का भण्डारण या उठाई-धराई एक साथ नहीं की जानी चाहिए।

ज्वलनशील ठोसों के साथ विस्फोटकों और खतरनाक मालों के वहन का प्रतिषेध

421. ज्वलनशील ठोसों का वहन एक ही डिब्बे में दिया-सलाईयों या फ्यूजों या अग्नि उत्पन्न करने वाले साधित्रों या किन्हीं विस्फोटकों या अन्य खतरनाक मालों या ऐसे खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाए जिनमें पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हो।

वैगनों में भराई

422.1 पैकेजों को जमा कर लादा जाना - ज्वलनशील ठोसों से युक्त पैकेजों को जमा कर लादा जाना चाहिए जिससे कि वे अभिवहन के दौरान हिल न सकें।

422.2 ड्रम - ज्वलनशील ठोसों से युक्त ड्रमों, जहां तक संभव हो, अंतिम छोर पर लादे जाएंगे।

422.3 बोतलें और जार - बोतलों और जारों को अन्य मालों के ऊपर नहीं लादा जाएगा और न अन्य मालों को बोतलों और जारों के ऊपर लादा जाएगा।

वैगनों पर लेबल लगाना, उन्हें सीलबन्द करना तथा तालाबंद करना

423.1 वैगनों पर खतरनाक का लेबल लगाना - खतरनाक का एक लेबल, जैसा नीचे दिखाया गया है, ऐसे प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए जिसमें ज्वलनशील ठोसों का प्रेषण या परिदत्त करने के लिए भण्डारित किया गया है या जब वे अभिवहन में है :-

ज्वलनशील ठोस



टिप्पणी - (1) पृष्ठभूमि . . . . . सफेद प्रतीक तथा अक्षर काले

(2) विमाएं . . . . . 0.3 मीटर अर्धव्यास

(3) लेबल को दो समान अर्धवृत्तो में बाँटा जाना चाहिए जिसमें से ऊपर के आधे भाग का प्रयोग लूज शंटिंग न करें शब्दों और प्रतीक के लिए तथा नीचे के आधे भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाएगा।

(4) इस लेबल को नीचे उल्लिखित के सिवाय, सब ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों पर लगाया जाएगा और जिनके लिए नीचे पृथक लेबल दिया गया है :-

एल्यूमीनियम चूर्ण	मैग्नीशियम चूर्ण
एल्यूमीनियम / मैग्नीशियम मिश्र धातु चूर्ण (मैग्नीशियम/ एल्यूमीनियम मिश्र धातु चूर्ण)	पोटाशियम
कैल्शियम फास्फाइड	सोडियम
कैल्शियम सिलीसाइड	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड
कैल्शियम कारबाइड	(हाइड्रोसल्फाइड का सोडा)
	जस्ता चूर्ण और टूटी चूर्ण

ज्वलनशील ठोस



टिप्पणी - (1) पृष्ठभूमि . . . . . सफेद प्रतीक तथा अक्षर काले

(2) विमाएं . . . . . 0.3 मीटर अर्धव्यास

(3) लेबल को दो समान अर्धवृत्तो में बाँटा जाना चाहिए जिसमें से ऊपर के आधे भाग का प्रयोग लूज शंटिंग न करें शब्दों और प्रतीक के लिए तथा नीचे के आधे भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाएगा।

(4) इस लेबल को नीचे उल्लिखित के सिवाय, सब ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों पर लगाया जाएगा और जिनके लिए नीचे पृथक लेबल दिया गया है :-

एल्यूमीनियम चूर्ण
एल्यूमीनियम / मैग्नीशियम मिश्र धातु चूर्ण (मैग्नीशियम/ एल्यूमीनियम मिश्र धातु चूर्ण)
कैल्शियम फास्फाइड
कैल्शियम सिलीसाइड
कैल्शियम कारबाइड
मैग्नीशियम चूर्ण
पोटाशियम
सोडियम
सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (हाइड्रोसल्फाइट का सोडा)
जस्ता चूर्ण और टूटी चूर्ण

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों का सड़क यान गाड़ियों के सिवाय, जिन पर लेबल वैगनों या डिब्बों की साइड में चिपकाए जा सकते है, ये लेबल दरवाजे पर इस प्रकार चिपकाए जाने चाहिए जिससे कि जब दरवाजे खोलें जाएं, लेबल स्वत नष्ट हो जाएं।

इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब ज्वलनशील ठोसों का वहन सामान्य माल के साथ किया जा रहा है भले ही ज्वलनशील ठोसों की ऐसे वैगन में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हों।

ऐसे लेबलों का प्रयोग तब आवश्यक नहीं है जब ज्वलनशील ठोसों का वहन यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी से ब्रेक यानों में किया जाता है।

423.2 प्राइवेट लेबल - रेल लेबलों के अतिरिक्त, यदि प्रेषक कोई ऐसा लेबल चिपकाता है जिसमें परेषण की अन्तर्वस्तु और इसमें अन्तर्विहित परिसंकट का उल्लेख है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

423.3 लैड सीलों का प्रयोग - ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों को सीलबंद करने के लिए केवल लैड सीलों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

423.4 रिवेट करना या ई. पी. लाकिंग करने का प्रतिषेध - ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों को रिवेट करना या उनकी ई. पी. लाकिंग करना प्रतिषेध है।

शंटिंग संबंधी पूर्वावधानियों का अनुपालन

424. ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों की शंटिंग सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं जो यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान :-

(क) ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों और इंजन के बीच कम से कम ऐसा एक डिब्बा लगाया जाता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलशील प्रकृति की वस्तु नहीं है।

(ख) सब संचालनों की गति तीन किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक नहीं रहती है, और

(ग) रफ, हैम्प, फ्लाई या लूज शंटिंग नहीं की जाती।

मार्शलिंग

425.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां (1) ज्वलनशील ठोसों से युक्त कितने वैगन किसी एक गाड़ी के साथ एक समय में लगाए जा सकते है या वहन किए जा सकते है इस बारे में कोई निर्बंधन नहीं है।

(2) ज्वलनशील ठोसों से युक्त ऐसे वैगन जिन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा गाड़ी के इंजन से उतनी दूरी पर लगाए जाने चाहिए जितनी व्यवहार्या हो।

(3) ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगन और

(क) गाड़ी के इंजन

(ख) यात्री डिब्बों या ब्रेक यान

(ग) खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं से युक्त अन्य डिब्बों के बीच कम से कम एक ऐसा डिब्बा लगाया जाना चाहिए जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हो।

परन्तु ऐसे बीच के डिब्बों की संख्या तब तीन से कम नहीं होगी जब इन अन्य डिब्बों में विस्फोटक या पेट्रोलयम या अन्य ज्वलनशील द्रव, वर्ग क रखे हो और उस दशा में दो से कम नहीं होगी जब उनमें संपीड़ित द्रवित या विलीन गैसें हो।

(4) ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों को निकटवर्ती डिब्बों के साथ एक दूसरे के साथ क्लोजकपल किया जाएगा।

425.2 दार्जिलिंग हिमालय सैक्शन पर छूट - पूर्वोत्तर सीमा रेल के दार्जिलिंग-हिमालय सैक्शन पर ज्वलनशील ठोसों से युक्त वैगनों को क्लोजकपल करने की आवश्यकता नहीं है।

425.3 रक्षा वैगन या डमी वैगन - जब भी ऐसे वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो तब खाली वैगनों का प्रयोग, रक्षावैगनों या डमी वैगनों के रूप में, जैसा अपेक्षित है, ज्वलनशील ठोसों वाले वैगनों को रेल के इंजन से, यात्री डिब्बों या ब्रेकयान या किन्ही अन्य ऐसे डिब्बों से, जिनमें विस्फोटक, अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं से युक्त डिब्बों से अलग करने के लिए किया जाएगा।

पहुँचने की सूचना

426.1 परेषण के पहुंचने की प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्वलनशील ठोसों के परेषणों की पहुंच की सूचना प्रेषिती को विहित प्रारूप में (प्ररूप के लिए उपाबन्ध 'ख' देखिए) उन सब परेषणों की बाबत दी जानी है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते है तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाता है।

426.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना यदि - माल का परिदान अनुज्ञात छूट समय के भीतर नहीं ले लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान भाड़ा और डेमरेज प्रभारों से छूट का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

427.1 परिदान - ज्वलनशील ठोसों से परेषणों को प्रेषिती द्वारा उस स्टेशन या रेल डिब्बों से जहां के लिए उनका वहन किया गया है, जैसे ही वे परिदान के लिए उपलब्ध हो हटाया जाएगा।

427.2 परिदान शीघ्र न लेने की दशा में व्ययन - (1) यदि परेषण को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात भी परेषण रखे रहते है तो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 84 के अधीन जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप में होगी जो परिशिष्ट IV/1 में दिया गया है।

(3) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात जो परेषण अदावाकृत रहते है उन्हें रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के उपबन्धों के अनुसार विक्रय कर दिया जाएगा।

प्रभार के लिए भार तथा ग्रहण के लिए दिन

428. वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जानाः वैगन भार के रूप में यातायात भारतीय रेल सम्मेलन भालभाड़ा दर सूची में यथाविहित प्रभारित किए जाने वाले न्यूनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण किया जाएगा।

429. ज्वलनशील ठोसों के सभी परेषणों भाड़ा पूर्व संदत्त होगा सिवाय तब के जब कि माल दर सूची या कोचिंग दर सूची में, विहित अधिभार के संदाय के आधार पर देय के विकल्प का उपबंध हो।

रक्षा या डमी वैगनों के लिए प्रभार

430. जब भी ज्वलनशील ठोसों को वहन करने वाली गाड़ी की सुरक्षा के लिए खाली वैगनों को रक्षा वैगन या डमी वैगन के रूप में लगाना आवश्यक हो तब ऐसे वैगन के लिए भारतीय रेल सम्मेलन दर सूची के नियमों और उपबंधो के अनुसार प्रभार लिया जाएगा।

डिब्बों की मरम्मत

431. ऐसे डिब्बों के जिसमें ज्वलनशील ठोस वहन किया जा रहा है, किसी भाग में मरम्मत या परिवर्तन प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे ज्वलनशील ठोसों को हटाने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

432.1 ज्वलनशील ठोसों के किसी परेषण से संबंधित जब भी कोई दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को गम्भीर क्षति या सम्पत्ति को गम्भीर नुकसान होता है अथवा ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें प्राय: ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो परेषणों, के तत्समय प्रभारी व्यक्ति मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को सूचना के अन्य साधन जैसे कि दूरभाष/फैक्स/ई-मेल आदि के द्वारा पश्चातवर्ती 24 घण्टे के भीतर पत्र द्वारा घटना की विशिष्टियां देते हुए निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/
ए-ब्लाक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
5वीं मंजिल, सेमिनारी हिल्स,
नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)
ईमेल explosives@explosives.gov.in
दूरभाष 071-22510248

और

(क) निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के संसूचना के शीघ्रतम साधन से

(ख) संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना देगा।

(ग) निकटतम एनडीआरएफ (NDRF) इकाई को इसकी सूचना देगा।

432.2 मुख्य नियँत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने तक अथवा मुख्य नियँत्रक या उसके प्रतिनिधि से अनुदेय प्राप्त होने तक कि वह और कोई अन्वेषण या जांच नहीं करवाना चाहता, सारे मलबे और कचरे को तब तक नहीं छुआ जाएगा जब तक कि उसे हटाना घायल व्यक्तियों के बचाव या दुर्घटना में मृत किन्हीं व्यक्तियों के शरीरों को निकालने के लिए या सीधे संचार के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक न हो।

व्यावृत्ति

433. इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित अधिनियमों या नियमों के प्रवर्तन को न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी

(क) कैल्शियम कारबाइड नियम 1987

(ख) चल चित्र फिल्म नियम 1948

(ग) आयुध अधिनियम1959 (1959 का 54) आयुध नियम, 1962 या

(घ) विष अधिनियम 1919 (1919 का 12) या उसके अधीन बनाए नियम, जहाँ भी वे लागू है।

ज्वलनशील ठोस

सारणी IV

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
गैस निवारण तान्तव	1. धातु के ड्रमों में 2. थैलों में	....	.....	.....	थैलों में पैक किए जाने की दशा में वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किए जाने चाहिए तथा पृथक वैगन में प्रेषित किए जाने चाहिए।
एल्यूमीनियम चूर्ण	1. मजबूती से बन्द किए गए वायुरोधी ड्रमों में 2. अवात सीलबंद टिनों में, जो केसों में पैक किए गए हों	.....	.....	.....	.....
एल्यूमीनियम (मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम मिश्रधातु चूर्ण)	-वही-	....	.....	.....	.....
मैग्नीशियम चूर्ण	-वही-	....	.....	.....	.....
जस्ता चूर्ण या टूटी चूर्ण	-वही-	....	.....	.....	.....
2.2 - एजोबिस (आइसोबट्रियोनाइट्राईल) ज्वलनशील	आंतरिक - पोलीथीन लाईनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम-50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	....	.....	.....	.....
एजोडाईकार्बनामाईड/डायाजीन डाईकार्बोक्सामाईड/एजोबाईस्फोर्मानाईड	आंतरिक - पोलीथीन लाईनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम-50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	.....	.....	.....	.....

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
बैन्जौल पैराक्साइड बैन्जौल पैराक्साइड पेस्ट *कैल्शियम कार्बाईड	1. एक किलोग्राम से अनधिक मात्रा की दशा में शीशे की बोतलों में। 2. प्लास्टिक की ऐसी परत वाले किसी आधानों में जिसकी सामग्री के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। -यथोक्त- 1. मजबूत धातु के अवात सीलबंद पात्रों में जिनकी बनावट में तांबे का प्रयोग नहीं हो किसी पात्र में अधिकतम मात्रा 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. किसी अन्य ज्वलनशील ठोस के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।	.... सब पात्रों पर सहजदृश्य रूप मे निम्नलिखित शब्द स्टाम्पित, एम्बोस, पेन्ट किए जाएंगे या ऐसा लेबल लगाया जाएगा : " कैल्शियम कार्बाईड, यदि सूखा नहीं रखा जाता तो खतरनाक है। इस पैकेज की अन्तर्वस्तु सीलन के साथ सम्पर्क में आने पर अत्यन्त ज्वलनशील गैस छोड़ेगी।"	.....	.....	..... 1. परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन सुवातित होने चाहिए तथा ऐसे होने चाहिए जिन पर वर्षा का कोई प्रभाव न हो सके। 2. पैकेजों की सुरक्षा जलरोधी सीटों से की जानी चाहिए। 3. अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ नहीं लादे जाने चाहिए।

*यदि कैल्शियम कार्बाईड भीग जाए तो उसे गहरे जल में डुबोकर नष्ट कर दिया जाएगा। यदि गहरा जल उपलब्ध नहीं है तो भीगा हुआ कैल्शियम कार्बाईड किसी एकान्त स्थान पर खुले में फैला दिया जाएगा और आग या कृत्रिम बत्ती या ऐसी किसी वस्तु को, जो भीगी कैल्शियम कार्बाईड में पैदा होने वाले ऐसिटेलीन को प्रज्ज्वलित कर सकती है, तब तक कैल्शियम कार्बाईड के निकट आने से रोकने के लिए सब पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए जब तक उसमें से सारी गैस नहीं निकल जाए ।

कैल्शियम कार्बाईड के भीगे होने का तथ्य पात्र की बाहरी हालत से प्रकट हो जाएगा और संभवत असहनीय गंध से भी प्रकट हो जाएगा जो गैस के निकलने की परिचायक है।

रिसने वाले किन्तु अन्यथा बिना टूटे हुए पैकेजों को गहरे जल में डुबोकर नष्ट करने की दशा में यह ध्यान रखने योग्य है कि कंटेनर को डुबाने के पहले उसमें अनेक सुराख कर दिए जाएंगे।

सामान्य प्रकार के विधुत टार्च, हाथ लालटेनें और सामान्य विद्धुत साधित्र, उनसे भिन्न जो ब्रिटिश मानक विनिर्देश सं. 229 के अनुरुप है, भीगे कार्बाईड से उत्पन्न होने वाले ऐसीटेलीन को प्रज्ज्वलित करने में समर्थ वस्तुओं की परिभाषा के अन्दर आते है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह गैस आसानी से प्रज्ज्वलित हो जाती है।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
कैल्शियम साइनामाइड	1. उपयुक्त धातु ड्रमों में जिनमें, तब तक 0.5 प्रतिशत कैल्शियम कार्बाईड से अधिक कैल्शियम साइनोमाइड हो 100 किलोग्राम प्रति केस से अधिक मात्रा नहीं होगी। 2. जब 0.5 प्रतिशत कैल्शियम कार्बाइड से अधिक कैल्शियम साइनेमाइड रखी जाए तब कोलतार लगे कागज की दोहरी परत वाले जूट के बोरों में या भीतर से कोलतार की परत लगाए गए तथा मजबूत क्रेप कागज की परत वाले धागे के थैलों में अथवा उपयुक्त धातु के ड्रमों में (उदाहरण के लिए इस्पात) जो मजबूती के साथ बंद किए गए हों।	.....	.....	.....	.....
कैल्शियम फोसफाइड	1. मजबूत धातु के पात्रों में जिनकी बनावट में तांबे का प्रयोग न किया गया हो और जो अवात रूप से बंद किए गए हों किसी एक पात्र में अधिकतम मात्रा 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।	सभी पात्रों पर स्टाम्प से एम्बोस करके, छाप कर या लेबल लगाकर सहज दृश्य रूप में लिखित अंकित रहना चाहिए: "कैल्शियम फोसफाइड यदि शुष्क नहीं रखा जाएगा तो खतरनाक है। "इस पैकेज की अंतर्वस्तु नमी के साथ संपर्क में आने पर अत्यन्त ज्वलनशील गैस छोड़ सकती है।	...	....	(1) परिवहन के लिए उपयोग में लाए जानेवाले वाहन सुवातित और ऐसे होने चाहिए जिन पर वर्षा का कोई प्रभाव न हो सके। (2) पैकेजों की सुरक्षा जलरोधी शीटों से की जानी चाहिए। (3) अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ नहीं लादे जाने चाहिएं।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
कैल्शियम (कैल्शियम कम सिलिसाइड)	कास्कों या ड्रमों में	सभी पैकेजों पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित लेबल लगाया जाना चाहिए। कैल्शियम यदि शुष्क नहीं रखा जाएगा तो खतरनाक है। इस पैकेज की अंतर्वस्तु नमी के साथ संपर्क में आने पर अत्यंत ज्वलनशील गैस छोड़ सकती है।	...	....	....
कार्बन ब्लैक	1. वायुरोधी और सीलरोधी कास्कों या केसों में 2. थैलों में	.....	.....	.....	थैलों में पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक वैगन में भेजा जाना चाहिए।
लैम्प काला (ब्लैक)	1. वायुरोधी और सीलरोधी कास्कों या केसों में 2. थैलों में	.....	.....	.....	थैलों में पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक वैगन में भेजा जाना चाहिए।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
वनस्पति काला (ब्लैक)	1. वायुरोधी और सीलरोधी कास्कों या केसों में 2. थैलों में	.....	.....	.....	थैलों में पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक वैगन में भेजा जाना चाहिए।
कोयला चूर्ण 100 माइक्रोन से अर्थात 1/10 मि.मी. से कम के बारीक कणों से युक्त	यथोक्त	.....	.....	.....	यथोक्त
शीत स्फोटक (कोल्ड स्टार्टर)	लकड़ी के केसों में पैक किए गए टीनों में	.....	.....	पिछले ब्रेकयान में 10 किलोग्राम तक वहन किया जा सकता है।	.....
चलचित्र फिल्में अज्वलनशील (नाइट्रोसेल्यूलोज आधार वाली)	अनुमोदित लकड़ी के परत वाले गैल्वनीकृत लोहे के बक्सों में।	सिनेमाफिल्म शब्द 2.5 सें.मी. मोटे अक्षरों में लगाए जाएंगे तथा शीतल स्थान पर रखे शब्द 1.59 सें.मी. मोटे अक्षरों में सुभिन्न रंग से ढक्कन पर पैंट किए जाने चाहिए ढक्कन पर और कोई अन्य अक्षर नहीं देना चाहिए, बक्से के बाहर स्वामी का नाम और पता पैंट किया जाना चाहिए	.....	पिछले ब्रेकयान में 6 बक्से तक वहन किए जा सकते है।	.....

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
अविनिर्मित सेल्यूलोज नाइट्रो आधार वाली प्रत्यक्ष रूप से पारभासी वस्तुएं, जिनके अन्तर्गत ब्लोक, छड़े, रोल, सीटें और ट्यूबे भी है। सैल्युलोइड के बर्तन एन.ओ.सी.(नाइट्रो आधार वाले प्रत्यक्षतः पारभासी)	टिश्यू कागज से लपेट कर तत्पश्चात तैलीय कागज से लपेटे जाने चाहिए। और तब लकड़ी के केसों या क्रेटों में पैक किए जाने चाहिए क्रेटों को परेवित करने के लिए देने से पूर्वडंगी कपड़े से भी ढका जाना चाहिए।	.....	.....	.....	.....
एन.एन.डिनीट्रोसोपेंटा मिथाइलनीटेट्रामाइन (डी एन पी टी)	आंतरिक - पोलीथीन लाइनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम- 50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	.....	.....	.....	.....
डाईफिनाईलआक्साइड 4.4' डाइसल्फोनीड्रेजाईड/4.4' आक्सीबिस (बेन्जीन सल्फोनिलहाईड्रेजाईड) ज्वलनशील	आंतरिक - पोलीथीन लाइनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम- 50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	.....	.....	.....	.....
रुपांतरित ईंधन (एल्डेहाइडिक ईंधन - ठोस अवस्था में	गत्ते के कार्टनों में, जो मजबूत आवातशील धातु की परत वाले मजबूत लकड़ी के केसों में जिनकी मोटाई 1.27 सैं.मी. से कम न हो, पैक किया जाएगा।	.....	.....	.....	.....

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
निरापद दियासलाईयाँ	1. मजबूत धूलरोधी लकड़ी के केसों में जिसकी लकड़ी की मोटाई निम्नलिखित होगी :- (क) यदि केस का, अन्तर्वस्तु सहित सकल भार 200 किलोग्राम से अधिक नहीं है तो सब भागों में 1.27 सें.मी.। (ख) यदि अन्तर्वस्तु सहित सकल भार 200 किलोग्राम से अधिक है तो सब भागों में 2.22 से.मी.। 2. वायुरोधी टीन या जस्ते के बक्सों में जो उचित प्रकार से जोड़ बंद किए गए हों परन्तु यह तब जब ऐसे टीन या जस्ते के बक्से बाहरी पैकेज के रूप में यथेष्ट रूप से मजबूत है और जिनके आकार 70 सें.मी. x 35 सें.मी. x 35 सें.मी. से अधिक नहीं है और भार लगभग 20 किलोग्राम है तथा जिनमें 180 पैकेटों से अधिक पैकेट नहीं हो। 3. अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में। 4. जलरोधी डबल ओशन पेपर में, प्रत्येक पैकेज में दियासलाई के 10 ग्रास बक्सों से अधिक नहीं होंगे।	.....	1. स्तम्भ की मद (1), (2) और (3) में विहित प्रकार से पैक किए जाने की दशा में अथवा मूल केसों मे, जिनमें कि उनका आयात किया जाता है, होने की दशा में, उन्हे ऐसे माल के साथ, जिसका नुकसान नहीं हो सकता, जैसे लोहा, धातु के बर्तन और निम्न मूल्य के माल जैसे अनाज और नमक के साथ लादा जा सकता है		1. अन्य ज्वलनशील ठोसों का मूल्यवान प्रकृति के मालों, अर्थात टैकस्टाइल वस्त्रो कागजी माल, लकड़ी या फाइबर बोर्ड केसों के साथ नहीं लादे जाने चाहिए. 2. स्तम्भ की मद (4) में विहित रूप से पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। 3. डबल ओसन कागज या फाइबर बोर्ड के केसों में पैक किए जाने की दशा में उन्हें अन्य प्रकार से पैक की गई

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
निरापद दियासलाईयाँ (जारी)	5. 22 गेज के गैल्वनीकृत लोह प्लेटों से बने धातु के बक्सों में जिनका आकार 90 सें.मी. x 60 सें.मी. x 40 सें.मी. से अधिक नहीं हो और जो उचित रूप से फिट किए गए तथा मजबूती से बंद किए गए ढक्कन से युक्त हों। ऐसे प्रत्येक बाक्स में दियासलाई के 10 ग्रोस वाले पैकिटों के 5 पैकिट होंगे। 6. अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ पैक नहीं किए जाने चाहिए।			सैम्पल पार्सलों का वहन पिछले ब्रेकयान में किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब - (क) सैम्पल में एक पैकिट अर्थात 12 बक्से हो, (ख) उसे मजबूत लकड़ी के बाक्स में पैक किया गया हो जिन बक्सों में एक भीतरी जस्ते या टीन का केस हो जो आवातसील किया गया हो तथा बाहरी केस की लकड़ी की मोटाई 6.5 मि.मी. से कम नहीं हो, (ग) अधिक से अधिक 50 सेम्पल पैकिटों का वहन किया जाए और	दियासलाईयों के साथ लादा जा सकेगा, परन्तु यह तब जब - (क) लकड़ी के और धातु के केसों मे पैक की गई दियासलाईयां नीचे लगाई जाती है और डबल ओशन कागज या फाइबर बोर्ड के केसों में पैक की गई दियासलाईयों से ऊपर नहीं लगाई जाती, तथा (ख) फाइबर बोर्ड के केसों में पैक की गई दियासलाईयां नीचे लगाई जाती है और डबल ओसन पेपर ऊपर नहीं लगाई जाती।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
निरापद दियासलाईयाँ (समाप्त)			2. स्तम्भ (2) की मद (4) में विहित रूप से पैक किए जाने की दशा में, लकड़ी के फर्श वाले या लकड़ी के किनारों वाले वैगनों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। 3. मजबूत जलरोधी लकड़ी के केसों में पैक किए जाने की दशा में तथा जब उसमें धातु की एक अतिरिक्त परत रहे जिसके सभी खुले किनारे शोल्डर किए गए हो अन्य वस्तुओं के साथ लादा जा सकेगा। 4. अनुमोदित पात्रों में पैक किए जाने की दशा में खुले वैगनों में लादा जा सकेगा, परन्तु यह तब जब - (क) प्रत्येक पात्र पूरी तरह से भरा हुआ हो और अन्तर्वस्तु को इस तरीके से पैक किया गया हो कि रगड़ खाने से प्रज्वलन न हो सके। (ख) ब.ला. के वैगन में अधिक से अधिक 6 पात्र या छो.ला. अथवा मी.ला. के वैगनों में 3 पात्र लादे जाते है, तथा (ग) वैगनों में पात्रों को एक दूसरे से अलग अलग रखने के लिए तथा लादे जाते समय उनकी सुरक्षा के लिए पैकिंग पीस लगाए जाते है।	(घ) अन्तर्वस्तु को केसों में और अन्य प्रकार के पैकेजों में इस प्रकार से पैक किया जाए कि रगड़ खाने से उसमें प्रज्वलन न हो सके।	

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
असुरक्षित दियासलाईयां (नान सेफ्टी मैच्स) रंगीन दियासलाईयां (बंगाल लाईट) स्टार दियासलाईयां	1. मजबूत धूलरोधी धातु के अस्तर वाले लकड़ी के केसों में जिनके सब शिथिल सिरे शोल्डर किए जाने चाहिए। बाहरी लकड़ी के केस की लकड़ी की मोटाई निम्नलिखित होगी - (क) यदि केस की अन्तर्वस्तु का शुद्ध सकल भार 200 किलोग्राम से अधिक नहीं है तो सब भागों में 1.27 सें.मी. मोटाई, और (ख) अन्तर्वस्तु का शुद्ध सकल भार 200 किलोग्राम से अधिक है तो सब भागों में 2.2 सें.मी. मोटाई। 2. वायुरोधी जस्तों के बक्सों में जो उचित प्रकार से शोल्डर किए गए हो, अर्थात लकड़ी के केसों के बिना परन्तु यह तब कि पैकिटों में 10 ग्रास दियासलाईयां बक्सों से अधिक नही होगी। 3. अन्य जो ज्वलनशील ठोस के साथ पैक नहीं की जानी चाहिए सिवाय इसके कि असुरक्षित दियासलाईयां, रंगीन दियासलाईयां (बंगाल लाईट) और स्टार दियासलाईयां साथ साथ पैक की जा सकती है।	....	.....	.....	1. स्तम्भ 3 की मद (2) में विहित रूप से पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप मे ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक वैगन में भेजा जाना चाहिए। 2. अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए सिवाय इसके कि असुरक्षित दियासलाईयां, रंगीन दियासलाईयां (बंगाल लाईट) और स्टार दियासलाईयां साथ साथ लादी जा सकती है।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
नाइट्रोकाटन जिसमें 12.3 % से अधिक नाइट्रोजन नहीं हो और जो ऐसे भार से कम से कम एक तिहाई तक मिथाइल स्पिरिट बुटानोल (बुटानोल एल्कोहल) से भीगी हुई हो।	आवातसील बंद लौह ड्रमों या बैरलों में पैक किया जाना चाहिए।	....	.....	.....	.....
तैलीय असबाब तैलनीय कवर तैलीय कागज चिचडे तैलीय रही एन.ओ.सी. तैलीय परतदार कपड़े तैलीय कैनवास	1. धातु के ड्रमों में 2. थैलों में	...	....	...	1. धातु के ड्रमों को मिल कपड़े कच्चे माल फाइबर बोर्ड के केस या ऐसे ही अन्य सामान के साथ नहीं लादा जाएगा जिससे रिसने की दशा में क्षति हो सकती है। 2. बैगों में पैक किए जाने की दशा में उन्हें वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक वैगनों में भेजा जाना चाहिए।
लाल फास्फोरस (अमोरफोस) सल्फाईड फास्फोरस (सैसक्वीसल्फाईड)	1. दृढ़ भाण्ड या शीशे की ढक्कन बंद बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित रखे गए हों और केसों मे सीधे खड़े किए गए हो केसों की भीतरी पैकिंग में भूसा, या बुरादे को लकड़ी की राख या चाक या बालू के साथ मिश्रित करके लगाया जाना चाहिए।	....	.....	.....	अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए सिवाय इसके कि लाल फास्फोरस (अमोरफोस), पीला फास्फोरस (जल में) और फास्फोरस सल्फाईड (सैसक्वीसल्फाईड) को

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
लाल फास्फोरस (अमोरफोस) सल्फाईड फास्फोरस (सैसक्वीसल्फाईड) (समाप्त)	2. आवात सीलबंद मजबूत टिनों में जिन्हें मजबूत लकड़ी के केसों में बुरादा लगाकर भलीभांति पैक किया गया हो। 3. मजबूत लोहे या धातु के ड्रमों में जो आवात सीलबंद हो। 4. अन्य ज्वलनशील ठोस के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि लाल फास्फोरस (अमोरफोस), पीला फास्फोरस (जल में) फास्फोरस सल्फाईड (सैसक्वीसल्फाईड) साथ साथ पैक किए जा सकते है। 5. एक पैकिट का सकल भार ब.ला. और मी.ला. पर 200 कि.ग्रा. तथा छो.ला. पर 100 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।				साथ साथ लादा जा सकता है।
पीला फास्फोरस (जल में)	1. सुरक्षित रूप से बन्द किए गए शीशे के या मिट्टी के पात्रों में, जल में, उपयुक्त सुरक्षा सामग्री लगाकर लकड़ी के केसों में पैक किया जाएगा। 2. मजबूती के साथ बन्द किए गए मजबूत धातु के पात्रों में, जल में, केसों में बुरादा लगाकर पैक किया जाएगा। किसी एक पात्र में 25	...	....	...	-यथोक्त-

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
पीला फास्फोरस (जल में) (समाप्त)	कि.ग्रा. ठोस से अधिक और एक केस में 50 कि.ग्रा. से अधिक पैक नहीं किया जाएगा। 3. लोहे या स्टील के ड्रमों में, जल में, मजबूती के साथ बन्द किया जाएगा। किसी एक ड्रम में 250 कि.ग्रा. से अधिक ठोस पैक नहीं किया जाएगा। 4. अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि लाल फास्फोरस (अमोरफोस), पीला फास्फोरस (जल में) और फास्फोरस सल्फाईड (सैसक्वीसल्फाईड) को साथ साथ पैक किया जा सकता है।				
प्लास्टिकीकृत नाइट्रो सैल्यूलोसी चिपें	धातु के ड्रमों में 100 किलोग्राम से अधिक मात्रा नहीं होगी।	ड्रमों पर बड़े अक्षरों में कम से कम 2.5 सें.मी. गहरे निम्नलिखित शब्द अंकित किए जाने चाहिए अर्थात प्लास्टिकीकृत नाइट्रो सैल्यूलोसी चिपे.	....	.....	.....

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
पोटाशियम सोडियम	1. खनिज तेल में, सुरक्षित रूप से बंद किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो उपयुक्त सुरक्षा सामग्री लगाकर केसों में पैक किए जाएंगे। किसी एक पात्र में 0.5 कि.ग्रा. से अधिक और किसी एक केस में 5 कि.ग्रा. से अधिक ठोस पैक नहीं किया जाएगा। 2. मजबूत आवात सीलबंद टिनों और केनों में जो उपयुक्त सुरक्षा सामग्री लगाकर केसों में पैक किए गए हों। किसी एक टीन या केन मे 10 कि.ग्रा. और किसी एक केस में 50 कि.ग्रा. से अधिक ठोस पैक नहीं किया जाएगा। 3. निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए इस्पात के ड्रमों में - (क) प्रत्येक इस्पात ड्रम कम से कम 1.63 मि.मी. मोटाई की शीट से तैयार किया जाना चाहिए। (ख) यह जलरोधी होनी चाहिए और जलरोधी तथा वायुरोधी ढक्कन से बंद किया जाना चाहिए। ढक्कन की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि ड्रम की गर्दन ढक्कन में लगे हुए अन्य उपयुक्त शंटिंग में बंद होती हो। ढक्कन को मजबूती के साथ फंसाया जाना चाहिए। किसी एक ड्रम में 200 कि.ग्रा. से अधिक ठोस पैक नहीं किया जाना चाहिए। 4. अन्य ज्वलनशील ठोस के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि पोटाशियम और सोडियम को एक साथ पैक किया जा सकता है	....	.....	....	अन्य ज्वलनशील ठोसों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए सिवाय इसके कि पोटाशियम और सोडियम को एक साथ लादा जा सकता है।

ठोस का नाम	पैकिंग (नियम 407 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 408, 409 और 423.1 देखिए)	माल गाड़ी या पार्सल गाड़ी से वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 414, 415, 416, 417 और 318 देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम (नियम 419 देखिए)	विशेष या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (नियम 420, 421, 422, 424 और 425 देखिए)
1	2	3	4	5	6
रेजिन *सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (सोडा का हाइड्रोसल्फाइड) **गैस शुद्धिकारकों से प्राप्त प्रयुक्त लौह आक्साइड	मजबूत कास्कों, केसों, सीलबंद टिनों या ड्रमों में 1. आवात सीलबंद लोहे या इस्पात के ड्रमों में। 2. आवात सीलबंद टिनों में जो मजबूत बाहरी केसों में पैक किए गए हो।				
पी-टोलयुईनसल्फोनि सेमीकार्बजाइड (खतरनाक ज्वलनशील पण्य)	आंतरिक - पोलीथीन लाइनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम - 50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	.....	.....	.....	.....
पी-टोलयुईनसल्फोनिल हाइड्रेजाइड	आंतरिक - पोलीथीन लाइनर बाहरी-फाइबर/प्लास्टिक/लकड़ी का बक्सा अधिकतम भार प्रति ड्रम - 50 कि.ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	.....	.....	.....	.....

*केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को वहन करते समय इसे लौहे के ड्रमों में, जिनके ऊपर लकड़ी के मजबूत केस हो, पैक किया जाना चाहिए।

**परेषक को अग्रेषण पत्र में यह घोषित करना चाहिए कि प्रयुक्त लोह आक्साइड वहन के लिए सौंपे जाने के पूर्व वायु में खुला रखकर अच्छी प्रकार से आक्सीकृत किया गया है।

<u>परिशिष्ट IV/1</u>
(नियम 427.2)
परिशिष्ट IV/1

क्रम सं._____
स्टेशन_____
डिवीजन/जिला_____
रेल _____
तारीख_____

परेषितों पर तामील की जाने वाली सूचना
सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

विषय :..... से .....
तक के लिए बीजक लोक मार्ग पत्र का संख्यांक ..... तारीख .....

मै आपको सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित परेषण / पार्सल जिसके कि आप प्रेषिती है, गंतव्य स्टेशन पर अपरिदत्त पड़ा है। कृपया ध्यान दें कि यदि वह इस पत्र को प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके यदि छुड़ाया नहीं जाता है तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और 84 के अधीन उसे आपको आगे और कोई सूचना दिये बिना ही, व्ययनित की कड़ी व्यवस्था की जाएगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े डैमरेज, स्थान भाड़ें, आदि मद्धे रेल को देय रकम विक्रय आगमों से पूरी नहीं हो जाती तो मै आपसे बकाया राशि चुकाने की अपेक्षा करूंगा।

देय प्रभारों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं -
1) भाड़ा □. . . . . .
2) डैमरेज □ . . . . . .
3) उत्तरीय प्रभार □. . . . . .
4) स्थान भाड़ा □. . . . . .
प्रति 50 किलोग्राम प्रति दिन की दर से . . . . . तारीख से परेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

अध्याय V
आक्सीकारक पदार्थ

अध्याय V

आक्सीकारक पदार्थ

रेल अधिनियम, 1989 के अधीन खतरनाक माल

501. आक्सीकारक पदार्थों को, अर्थात ऐसे पदार्थ, जो स्वंय तो दहनशील नहीं है किन्तु जो शीघ्र आक्सीजन निस्सारित कर सकता है और अन्य सामग्री में दहन और आक्रमता उत्पन्न कर सकता है, सारणी V में विनिर्दिष्ट है, रेल अधिनियम 1989 (1989 का अधिनियम सं., 24) के अधीन खतरनाक माल समझा जाएगा।

आक्सीकारक पदार्थों के वहन के बारे में साधारण निर्बन्धन

502.1 आक्सीकारक पदार्थों का केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी V में विनिर्दिष्ट आक्सीकारक पदार्थों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

502.2 वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी V में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट आक्सीकारक पदार्थ को जनसाधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा और ऐसी सूचना जारी किए जाने के पश्चात कोई भी ऐसा आक्सीकारक पदार्थ उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सेक्शन या ऐसे सेक्शनों पर, जिनकी बाबत अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

502.3 रेलों पर निर्बन्धन - (1) दक्षिण-पूर्व रेल के निम्नलिखित सेक्शनों पर आक्सीकारक पदार्थों का वहन केवल विशेष व्यवस्था के अधीन किया जा सकेगा।

रूपसा-तलबंद सेक्शन
बांकुरा-दामोदर

(2) मुम्बई पत्तन न्यास रेल - पूरे वैगन भार के रूप में आक्सीकारक पदार्थों के संबंध में कारवाई केवल मुम्बई पत्तन न्यास पर विशेष व्यवस्था के अधीन की जाएगी।

(3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम - आक्सीकारक पदार्थों को केवल स्वामी की जोखिम पर ग्रहण किया जाता है।

(4) पूर्व रेल - आक्सीकारक पदार्थों का वहन पूर्व रेलों के छो. ला. सेक्शनों पर नहीं किया जाएगा, जिसमें लाइट रेल भी है।

503.1 परेषण सूचना का अनिवार्य होना - रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित, किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए, आक्सीकारक पदार्थों का कोई परेषण तब तक प्रेषण के लिए किसी रेलवे को नहीं भेजा जाएगा या रेल से वहन के लिए तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(क) ऐसे परेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना 503.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती, और

(ख) जब तक कि उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिसमें परेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचित नहीं कर देता कि परेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

503.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियाँ - नियम 503.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संबोधित होगी जिससे माल भेजा जाने वाला है और ऐसी सूचना परेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम 48 घण्टे पूर्व भेजी जाएगी सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो, और सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होगा -

(1) परेषण में आक्सीकारक पदार्थों का सही नाम, विवरण और मात्रा;

(2) प्रेषक का नाम और पता;

(3) प्रेषिती का नाम और पता;

(4) यह घोषणा कि आक्सीकारक पदार्थो को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों, अर्थात नियम 507 और नियम 508 के अनुसार पैक और चिन्हांकित किया गया है।

टिप्पण - (1) हर दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र, जो परेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से 48 घण्टे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

(2) जब रेल स्टेशन या शेड का भारसाधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को, इन नियमों के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारीवृन्द द्वारा प्रमाणपत्र और अग्रेषण पत्र आदि अभिप्राप्त करना

504. सारणी v में उल्लिखित आक्सीकारक पदार्थों के प्रत्येक परेषण की दशा में रेल कर्मचारीवृन्द पर प्रेषक से सभी दृष्टि से पूर्ण एक अग्रेषण पत्र विशेष रूप से विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबन्ध 'क' देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

मिश्रित परेषणों का प्रतिषेध

505. आक्सीकारक पदार्थों को अन्य माल के साथ परेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा अपितु वे एक पृथक अग्रेषण पत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा पृथक परेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

आक्सीकारक पदार्थों का प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

506. रेल से वहन के लिए आशयित आक्सीकारक पदार्थो के परेषण केवल-

(1) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा,

(2) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थानों पर जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए जाए, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

507.1 आक्सीकारक पदार्थों का केवल तब वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक किए गए हो - कोई आक्सीकारक पदार्थ तब तक वहन के लिए नहीं सौंपे जाएंगे या उनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सारणी v के स्तम्भ 2 में अधिकथित रीति में पैक नहीं किए गए हों।

507.2 आक्सीकारक पदार्थों के लिए पात्र - (1) आक्सीकारक पदार्थो को रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सब पात्र भलीभाँति बने हुए होने चाहिए और रेल अभिवहन के दौरान होने वाली टूट फूट को बर्दाश्त करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होने चाहिए। उन्हें मजबूती के साथ (जहाँ अपेक्षित हो वहाँ वैंट की व्यवस्था करके) बंद किया जाना चाहिए जिससे कि अन्तर्वस्तु या वाष्प को बाहर निकलने से रोका जा सके।

(2) सारणी v के स्तम्भ 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कास्क केस और क्रेट लकड़ी के ड्रम लोहे या इस्पात के और जार दृढ़ भाण्ड या मिट्टी के होंगे।

(3) केसों को कसकर जोड़ा जाएगा और कास्कों पर भलीभाँति डाट लगाई जाएगी।

(4) जारों को मजबूती के साथ टोंटी बंद किया जाएगा या उन पर डाट लगाई जाएगी तथा चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा।

(5) डाट लगी बोतलों को चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा और ऊपर से बांधा जाएगा।

507.3 भीतरी पैकिंग क्रेटो के केसों की पैकिंग में कोई ठोस वस्तु या कठोर पदार्थ नहीं रहेगा।

प्रेषकों द्वारा पैकेजों का चिन्हांकन और उन पर लेबल लगाना।

508.1 चिन्हांकन आक्सीकारक पदार्थों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर सदृश्य अक्षरों में ब्राडिंग करके, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या पेंट करके या मजबूती के साथ जोड़ा हुआ लेबल लगाकर

(1) पदार्थ का नाम

(2) आक्सीकारक पदार्थ शब्द

(3) पदार्थ का भार या मात्रा और

(4) प्रेषक और प्रेषिती के नाम और पते अंकित किए जाएंगे।

508.2 चित्रयुक्त लेबल - आक्सीकारक पदार्थो से युक्त प्रत्येक पैकेज पर 508.1 में विनिर्दिष्ट चिन्हांकन के अतिरिक्त, नीचे दिखाए गए रूप में एक चित्रयुक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अंतर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।

आक्सीकारक पदार्थ



टिप्पण:- (1) पृष्ठभूमि सफेद
प्रतीक और अक्षर काले

(2) न्यूनतम विमाएं .....10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर। पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल 45° के कोण पर (हीरे के आकार में), जैसा ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के त्रिभुज का प्रयोग पाठ के लिए जैसा ऊपर दर्शाया गया है, किया जाना चाहिए।

508.3 संकेत लेबल - जब भी आक्सीकारक पदार्थ द्रव रूप में हो, तब के सिवाय जब भीतरी पैकेज का शीर्ष ऊपर से साफ दिखाई पड़ता हो, या सब से बाहरी पैकेज ऐसी हो जिससे कि शीर्ष साफ दिखाई पड़े, उदाहरणतया, जब सबसे बाहरी पैकेज का शीर्ष कोणाकार हो, तब आक्सीकारक पदार्थ से युक्त प्रत्येक पैकेज पर उसके शीर्ष पर निम्नलिखित संकेत लेबल लगाया जाएगा:-

"यह भाग ऊपर की ओर रखें"

रेल द्वारा चिन्हांकन

509.1 आक्सीकारक पदार्थों से युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे रेल चिन्हों से समुचित रूप से चिन्हांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक और गंतव्य स्टेशन के संकेताक्षर, बीजक या मार्ग पत्रक सख्यांक और परेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो।

509.2 जब आक्सीकारक पदार्थों के परेषण को वैगन भार परेषण के रूप में ऐसे गंतव्य स्थान के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है जिसमें आमान-परिवर्तन के कारण यानान्तरण नहीं किया जाना है तब परेषणों के पैकेजों में केवल दस प्रतिशत पर ही रेल चिन्हांकित करना आवश्यक होगा।

रेल कर्मचारीवृन्द का उत्तरदायित्व

510. आक्सीकारक पदार्थों के परेषणों को ग्रहण करते समय रेल कर्मचारीवृन्द को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) किसी एक पैकेज में आक्सीकारक पदार्थो का घोषित भार, जैसा कि पैकेज पर चिन्हांकनों से अभिनिश्चित किया गया है, सारणी v के स्तम्भ 2 में अधिकथित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है, और

(ख) सबसे बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है।

उठाई धराई का कार्य परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाना

511.1 जब तक रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए, वैगन भार के रूप में आक्सीकारक पदार्थो की लदाई और उतराई का कार्य परेषकों व परेषितियों द्वारा किया जाएगा।

511.2 जब यातायात फुटकर के रूप में बुक किया जाता है और आमान-परिवर्तन किया जाता है या किन्ही अन्य कारणों से यानान्तरण किया जाता है तब मार्ग में उठाई-धराई के सब मामलों में संबंधित रेल प्रशासन लदाई और उतराई करेगा।

भण्डारण

512. (क) स्टेशन के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि आक्सीकारक पदार्थो के ऐसे प्रत्येक पैकेज का जिसका रेल से परेषण प्रस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, ऐसे शैड में भण्डारित करे जो सुवातित और घेरा हुआ है या खुला शेड है, अर्थात ऐसा शैड है जिसके ऊपर मौसम से बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दीवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहाँ भी ऐसी भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ आक्सीकारक पदार्थो से युक्त पैकेजों को छतदार लोहे के वैगन में भण्डारित किया जा सकता है और यदि यह भी सम्भव नहीं है तो उन्हें किसी खुले स्थान में त्रिपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जा सकता है।

(ग) आक्सीकारक पदार्थों का भण्डारण करते समय नियम 513 में अधिकथित सब पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

आक्सीकारक पदार्थों को उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां

513.1 लदाई और उतराई का समय - आक्सीकारक पदार्थों की लदाई, उतराई, उठाई और धराई से संबंधित सब संक्रियाएं सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जानी चाहिए परन्तु यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेकयानों से तथा यानान्तरण या सड़क यान गाड़ियों से भेजे गए परेषणों की उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है किन्तु यह तब जब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाए, जिसमें, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी सम्मिलित है।

513.2 पैकेजों की उठाई-धराई - (1) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त पैकेजों का जमीन अथवा फर्श पर फैंका, गिराया या घसीटा नहीं जाएगा तथा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे किसी कठोर वस्तु से न टकराएं।

(2) भारी ड्रमों या कास्कों की लदाई और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाईयों, फैल्ट, बुरादे से भरे हुए थैलों या वैसे ही अन्य बचाव के साधन, ड्रमो या कास्कों को क्षति से तथा रिसने से बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

(3) जब भी साध्य हो, आक्सीकारक पदार्थों से युक्त पैकेजों का वहन प्रवहण ट्रालियों या हथठेलों से किया जाना चाहिए।

513.3 धूम्रपान, आग, बत्ती और खतरनाक पदार्थों का प्रतिषेध - (1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे वाहन के निकट जिसमें आक्सीकारक पदार्थ है या किसी ऐसे स्थान के निकट जहाँ ऐसे मालों का भण्डारण किया गया है या उनकी लदाई-उतराई या उठाई-धराई की जा रही है, धूम्रपान नहीं करेगा या आग, खुली बत्ती, दियासलाईयां अन्य ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं या ऐसे खाली पात्र जिनमें पेट्रोल रखा गया हो या अन्य ज्वलनशील द्रव या कोई ऐसी वस्तु जो ताप या चिंगारी पैदा कर सकती है, नहीं ले जाएगा या अपने पास नहीं रखेगा।

(2) आक्सीकारक पदार्थों को विस्फोटकों या अन्य खतरनाक मालों के निकट जमा नहीं किया जाएगा या वहां उनकी उठाई-धराई नहीं की जाएगी।

513.4 धूप, वर्षा और बर्फ से बचाव - आक्सीकारक पदार्थो से युक्त पैकेजो को धूप, वर्षा या बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर रखा जाएगा और जब भी अपेक्षित हो उसका बचाव त्रिपालों या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाएगा।

513.5 उस स्थान, वहन या वैगन की पूरी सफाई जिसमें किसी आक्सीकारक पदार्थ को रखा गया है या उनकी उठाई-धराई की गई है - ऐसे किसी स्थान या वैगन का फर्श जिस पर आक्सीकारक पदार्थों का भण्डारण किया गया है या वह वैगन या ट्राली या हथठेला जिसमें उनका वहन किया गया हो, उसमे से माल के हटाने के पश्चात बुहारा जाना चाहिए और पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए।

आक्सीकारक पदार्थों का सामान्यतया मालगाड़ियों या पार्सल गाड़ियों से वहन

514. नियम 515 और नियम 519 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय आक्सीकारक पदार्थों का वहन मालगाड़ी या पार्सल गाड़ी से भिन्न किसी गाड़ी से नहीं किया जाएगा।

जब मालगाड़ियां नहीं चल रही हो तब आक्सीकारक पदार्थों का मिश्रित गाड़ियों से वहन अनुज्ञात होना

515. आक्सीकारक पदार्थों का वहन किसी ऐसी लाइन या सैक्शन पर, जिस पर मालगाड़ी नहीं चल रही है, मिश्रित गाड़ी के वैगनों में इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है ऐसे सैक्शन पर, जिस पर मालगाड़ियां चल रही हो, प्रवेश करते ही आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनों को मिश्रित गाड़ी से अलग कर दिया जाएगा।

आक्सीकारक पदार्थो की लदाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

516. आक्सीकारक पदार्थों का वहन ढके हुए लौह वैगनों में किया जाएगा।
टिप्पण - छोर पर खुलने वाले डिब्बे या वैगन प्रयोग में नहीं लाए जाएगें।

लदाई या उठाई-धराई की जाने वाली मात्राएं

517. (क) एक वैगन में आक्सीकारक पदार्थों की कितनी मात्रा लादी जाएगी।

(ख) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनों की उस संख्या के बारे में जिनकी लदाई या उतराई किसी रेल स्टेशन पर किसी एक समय में की जा सकती है कोई निर्बन्धन नहीं है।

सामान्य माल के साथ वैगनों में आक्सीकारक पदार्थो का वहन

518. नियम 520 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए और सारणी v के स्तम्भ 6 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, आक्सीकारक पदार्थो का वहन एक ही वैगन में सामान्य माल के साथ किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब -

(क) वैगन में ज्वलनशील प्रकृति की कोई वस्तुएं या पदार्थ नहीं है, और

(ख) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त पैकेज को वैगन में अन्य माल से सर्वथा पृथक रखे जाते है।

यात्री गाड़ियो, मालगाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेकयान में आक्सीकारक पदार्थो का वहन

519. (1) सारणी v के स्तम्ब 5 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आक्सीकारक पदार्थो का वहन यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के ब्रेकयान में नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ ब्रेकयान में आक्सीकारक पदार्थों का वहन अनुज्ञात है वहाँ -

(क) नियम 520 में सम्मिलित लदाई संबंधी निर्बंधनों का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त पैकेजो का वहन पिछले ब्रेकयान में ही किया जाएगा जो सुवातित होने चाहिए; और

(ग) आक्सीकारक पदार्थो से युक्त पैकेजो को ब्रेकयान में अन्य मालों से तथा रेल की पिछली बत्ती से यथासंभव दूर रखे जाने चाहिए।

विस्फोटकों और अन्य खतरनाक मालों के साथ आक्सीकारक पदार्थों के वहन का प्रतिबंध

520. आक्सीकारक पदार्थों का वहन एक ही डिब्बे में दियासलाईयों या फ्यूजों या ज्वलन पैदा करने वाले साधित्रों या किन्हीं विस्फोटकों या अन्य खतरनाक मालों या ऐसे खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाएगा जिनमें पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों।

वैगनों में भराई

521.1 पैकेजों को जमाकर लादा जाना - आक्सीकारक पदार्थों से युक्त पैकेजों को जमाकर लादा जाना चाहिए जिससे कि वे अभिवहन के दौरान फट न सके।

521.2 ड्रम - आक्सीकारक पदार्थों से युक्त ड्रम, जहां तक संभव हो, अंतिम छोर पर लादे जाएंगे।

521.3 बोतले, जार और कारबाय - बोतलों, जारो और कारबाय को अन्य माल के ऊपर नहीं लादा जाने चाहिए और न अन्य माल उसके ऊपर लादा जाना चाहिए।

वैगनों पर लेबल लगाना, और उन्हे सीलबंद तथा तालाबंद करना

522.1 वैगनों पर खतरनाक का लेबल लगाना - खतरनाक का लेबल यथा निम्न दर्शित प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाएगा जिसमें आक्सीकारक पदार्थों का परेषण के लिए या परिदत करने के लिए जमा किया गया है या जब वे अभिवहन में है।



टिप्पण -(1) पृष्ठभूमि . . . . . .सफेद प्रतीक और अक्षर . . . . . काले

(2) विमाएं . . . . . 0.3 मी. अर्धव्यास

(3) लेबल को दो समान अर्धवृत्तो में बाँटा जाना चाहिए जिसमें से ऊपर के भाग का प्रयोग "लूज़ शंटिंग न करें" शब्दों तथा प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों या सड़क यान गाड़ियों के सिवाय, जिन पर लेबल वैगनों या डिब्बों के दोनो ओर चिपकाए जा सकते है, ये लेबल दरवाजे पर इस प्रकार से चिपकाए जाने चाहिए जिसमें कि जब दरवाजे खोलें जाएं, लेबल स्वत: नष्ट हो जाएं।

इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब आक्सीकारक पदार्थो का वहन सामान्य माल के साथ किया जाना है भले ही आक्सीकारक पदार्थो की वैगनों में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हो।

ऐसे लेबलों का लगाना तब आवश्यक नहीं है जब आक्सीकारक पदार्थो का वहन यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में किया जाता है।

522.2 प्राइवेट लेबल - रेल लेबलों के अतिरिक्त यदि प्रेषक कोई ऐसा लेबल चिपकाता है जिसमें परेषण की अंतर्वस्तु और परिसंकट का उल्लेख है तो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

522.3 सीसे की सीलों का प्रयोग किया जाना - आक्सीकारक पदार्थो से युक्त वैगनों को सील करने के लिए केवल सीसे की सीलों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

522.4 रिवेट करने या ई.पी. लांकिंग करने की अनुज्ञा न होना - आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनों को रिवेट करना या उनका ई.पी. लॉकिंग करना वर्जित है।

शंटिंग संबंधी पूर्वावधानियों का अनुपालन

523. आक्सीकारक पदार्थो से युक्त वैगनों की शंटिंग सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान -

(क) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनों तथा इंजन के बीच कम से कम एक ऐसा वैगन लगाया जाता है जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल का ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है।

(ख) संचालन की गति आठ किलोमीटर प्रति घण्टे से अधिक नहीं रहती है, और

(ग) रफ, हम्प, फलाई या लूज शंटिंग नहीं की जाती।

मार्शलिंग

524.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां- (1) एक समय में आक्सीकारक पदार्थों से युक्त कितने वैगन किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकते है या वहन किए जा सकते है, इस बारे में कोई निर्बन्धन नहीं है।

(2) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त डिब्बे जिन्हें एक साथ लगाया जा सकेगा, गाड़ी के इंजन से उतनी दूरी पर रखे जाने चाहिए, जितना व्यवहार्य हो।

(3) आक्सीकारक पदार्थो से युक्त वैगनो तथा निम्नलिखित के बीच कम से कम ऐसा एक डिब्बा लगाया जाएगा जिसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है -

(क) रेल का ईंजन,

(ख) यात्री डिब्बे या ब्रेकयान,

(ग) कोई अन्य डिब्बे, जिनमें खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं है;

परन्तु जब उन अन्य डिब्बों में विस्फोटक या पेट्रोलियम और अन्य वर्ग "क" ज्वलनशील द्रव हो ऐसे मध्यवर्ती डिब्बों की संख्या कम से कम तीन होगी और जब उनमें गैसें, संपीड़ित, द्रवित या विलयित हो, तब कम से कम दो होगें।

(4) आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनो का अन्य डिब्बों से तथा एक दूसरे से क्लोज कपल् किया जाएगा।

524.2 दार्जिलिंग- हिमालय सैक्शन पर छूट - पूर्वोत्तर सीमा रेल के दार्जिलिंग-हिमालय सैक्शन पर आक्सीकारक पदार्थो से युक्त वैगनों का क्लोज कपल् करना आवश्यक नहीं है।

524.3 रक्षा वैगन या डमी वैगन - जब भी ऐसे वैगन, जिनंमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है, अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तब खाली वैगनों का प्रयोग, रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के रूप में, जैसा अपेक्षित है, आक्सीकारक पदार्थों से युक्त वैगनों को रेल के ईंजन, यात्री डिब्बों या ब्रेकयान या किन्हीं ऐसे अन्य डिब्बों से जिनमें विस्फोटक, अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं हैं, अलग करने के लिए किया जाएगा।

पहुंच की सूचना

525.1 परेषण के पहुँचने की प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आक्सीकारक पदार्थों के परेषणों के पहुँचने की सूचना प्रेषिती को विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध 'ख' देखिए) उन सब परेषणों की बाबत दी जाती है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते है और उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते।

525.2 पहुँच की सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डेमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना - यदि माल का परिदान अनुज्ञात समय छूट के भीतर नहीं लिया जाता है तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान भाड़े या डेमरेज प्रभारों से छूट का हकदार नहीं हो जाएगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

526.1 परिदान - आक्सीकारक पदार्थों के परेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल के स्टेशन या डिब्बों से, जहां के लिए उनका वहन किया गया है, जैसे ही वे परिदान के लिए उपलब्ध हों, हटाया जाएगा।

526.2 परिदान तुरन्त न लेने की दशा में व्ययन - (1) यदि परेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट-समय की समाप्ति के पश्चात भी परेषण रखे है तो, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 84 में जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरंत एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप में होगी जो परिशिष्ट V/1 में दिया गया है।

(3) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात जो परेषण अदावाकृत रहते है, उन्हें रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के उपबंधो के अनुसार लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।

प्रभार के लिए भार और ग्रहण करने के दिन

527. वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जाना - वैगन भार के रूप में यातायात, भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सूची में यथाविहित प्रभारित किए जाने वाले न्यूनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण किया जाएगा।

भाड़े का पूर्व संदाय

528. रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अपवादों के अधीन रहते हुए, आक्सीकारक पदार्थो के सब परेषणों का भाड़ा पूर्व संदत्त होगा सिवाय तब के जब भारतीय रेल सम्मेलन माल दर सूची या कोचिंग दर सूची में परेषकों को भाड़े पर विहित भाड़े या अधिभार के संदाय के आधार पर 'देय' आधार पर बुक करने का विकल्प दिया गया है।

रक्षा या डमी वैगनों के लिए प्रभार

529. जब भी आक्सीकारक पदार्थों का वहन करने वाली गाड़ी की सुरक्षा के लिए रक्षा या डमी वैगनों के रूप में खाली वैगनों को लगाना आवश्यक हो, ऐसे वैगनों के लिए भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सूची के उपबंधो के अनुसार प्रभार किया जाएगा।

डिब्बों की मरम्मत

530. ऐसे डिब्बे की, जिसमें आक्सीकारक पदार्थो का वहन किया जा रहा है, किसी भाग में कोई मरम्मत और फेरफार प्रारंभ करने के पूर्व ऐसे सब आक्सीकारक पदार्थो को हटाने के लिए सब सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

531. (1) आक्सीकारक पदार्थो के किसी परेषण के संबंध में जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को गम्भीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर नुकसान होता है या ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें प्राय ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो परेषणों के तत्समय प्रभारी व्यक्ति मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को सूचना के अन्य साधन जैसे कि दूरभाष/फैक्स/ई-मेल आदि के द्वारा पश्चातवर्ती 24 घण्टे के भीतर पत्र द्वारा घटना की विशिष्टियां देते हुए निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/
ए-ब्लाक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
5वीं मंजिल, सेमिनारी हिल्स,
नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)
ईमेल explosives@explosives.gov.in
दूरभाष 071-22510248

और

(क) निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के संसूचना के शीघ्रतम साधन से

(ख) संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी सूचना देगा।

(ग) निकटतम एनडीआरएफ (NDRF) इकाई को इसकी सूचना देगा।

(2) मुख्य नियँत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने तक या मुख्य नियँत्रक अथवा उसके प्रतिनिधि से यह अनुदेश प्राप्त होने तक कि वह और कोई अन्वेशण या जांच नहीं करवाना चाहता, सारे कचरे और मलबे को तब तक नहीं छुआ जाएगा जब तक कि उसे हटाना घायल व्यक्तियों को बचाने या दुर्घटना में मरे किन्हीं व्यक्तियों के शरीर निकालने के लिए या संचार व्यवस्था के प्रत्यावर्तन के लिए, वह आवश्यक हो।

532. इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित के प्रवर्तन को न्यून वाली नहीं समझी जाएगी, अर्थात -

(क) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54), या

(ख) आयुध नियम, 1962 या

(ग) विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, जहाँ भी लागू है।

आक्सीजन पदार्थ

सारणी V

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	सभी गाडियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
बेरियम पैराक्साइड (बेरियम बाईनो-आक्साइड, बेरियम डाई आक्साइड, बेरियम सुपर आक्साइड)	1. ड्रमों में। 2. अनुमोदित कास्कों में जिनमें से प्रतयेक में 500 किलोग्राम से अधिक पदार्थ नहीं होगा। 3. टिनों में, जिनमें से प्रत्येक में 25 किलोग्राम से अधिक पदार्थ नहीं होगा और टिन मजबूती से बंधे केसों में पैक होगे। किसी एक केस में अधिक से अधिक 4 टिन पैक किए जा सकेंगे।	...	...	...	खाद्य पदार्थों के पात्रों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए।
ब्लीचिंग पाऊडर-चूने का क्लोराइड।	अवात सीलबंद धातु के ड्रमों में जो इतने मजबूत हो कि परिवहन में होने वाली सामान्य टूट-फूट के बावजूद उसी दशा में रहे है जिससे कि उनकी अन्तर्वस्तु वायु से या नमी से प्रभावित न हो सके। फुटकरों की दशा में, ऐसे अवात सीलबंद धातु के टिनों/ड्रमों में बंद किए जाने चाहिएं जो इतने मजबूत हों कि परिवहन की सामान्य टूट-फूट के बावजूद उसी दशा में रहे अथवा पोलीथीन के आधारों में भरा-जाना चाहिए जो पर्याप्त रूप से मजबूत हो और मजबूती से बंद किए गए हो और लकड़ी के केसों में पैक किए गए हो। केसों की भीतरी पैकिंग में उपयुक्त बचावकारी सामग्री होनी चाहिए तथा पदार्थ की मात्रा प्रति पैकेज शुद्ध पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।	...	...	100 किलोग्राम तक ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	...
कैल्शियम नाइट्रेट	1. थैलों या कास्कों या टिन में जो केसों में पैक किये गये हो। 2. जारो या बोतलों में जो कैसों में पैक किये गये हो।				

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
कैल्शियम हाईपोक्लोराइड	अवात सीलबंद धातु के ड्रमों में जो इतने मजबूत हों कि परिवहन में होने वाली सामान्य टूट-फुट के बावजूद उसी दशा में रहे आए है जिसमें कि उनकी अन्तर्वस्तु वायु से या नमी से प्रमाणित न हो सके। फुटकरों की दशा में, ऐसे अवात सीलबंद धातु के टिनों/ड्रमों में बंद किए जाने चाहिए जो इतने मजबूत हो कि परिवहन की सामान्य टूट-फुट के बावजूद उसी दशा में रहे आएं अथवा पोलीथीन के आधानों में भरा जाना चाहिए जो पर्याप्त रूप से मजबूत हों और मजबूती से बंद किए गए हो और लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। केसों की भीतरी पैकिंग में उपयुक्त बचावकारी सामग्री होनी चाहिए तथा पदार्थ की मात्रा प्रति पैकेज शुद्ध पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।	...	...	100 किलोग्राम तक पिछले ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है।	...
बैरियम का क्लोरेट	1. ड्रमों में या कास्कों या केसों में जिनमें घने बुने हुए वस्त्र या पर्याप्त मजबूती वाले कागज की लाइनिंग लगी हो जिससे अन्तर्वस्तु बाहर न निकल सके; 2. शीशे के जारों या बोतलों में जो केसों में पैक हों; 3. टिनों में जो क्रेटों में पैक हों।	...	...	...	1. खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए। 2. गंधक, सल्फाइड, चीनी या दहनशील वस्तुओं, जैसे बुरादा, भूसा, कागज के साथ नहीं लादा जाना चाहिए।

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
पोटाश का क्लोरेट	1. ड्रमों में या कास्कों में जिसमें घने बुने हुए वस्त्र या पर्याप्त मजबूती वाले कागज की लाइनिंग लगी हो जिससे कि अन्तर्वस्तु बाहर न निकल सके; 2. शीशे के जारों या बोतलों में जो केसों में पैक हो; 3. टिनों में जो क्रेटों में पेक हो 4. दोहरे क्राफ्ट पेपर के थैलों में, जिनके मुंह उल्टे करके बंद किए गए हो, पैक किया जा सकेगा। इन थैलों को कैलीको थैलों में, जिनके मुंह सिल दिए जाएगा, रखा जाएगा कैलीको के थैले एक कैनवास के थैले में मुंह सी कर, पैक किए जाएगा।	...	...	...	1. गंधक, गंधक वाले पदार्थ, चीनी या दहनशील वस्तुओं, जैसे बुरादा, भूसा या कागज के साथ नहीं लादा जाना चाहिए। 2. थैलों में पैक किए जानें की दशा में उन्हें केवल वैगन भार प्रेषण के रूप में ग्रहण किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब मार्ग में कोई यानान्तरण न किया जाना हो।
सोडे का क्लोरेट	1. ड्रमों में या कास्कों या केसों में जिन में घने बुने हुए वस्त्र या पर्याप्त मजबूती वाले कागज की लाइनिंग लगी हो अन्तर्वस्तु बाहर जिससे कि अन्तर्वस्तु बाहर न निकल सके। 2. शीशे के जारों या बोतलों में जो केसों में पैक हो। 3. टिनों में जो क्रेटों में पैक हो	...	...	...	गंधक, गंधक वाले पदार्थ, चीनी या दहनशील वस्तुओं, जैसे बुरादा, भूसा या कागज के साथ नहीं लादा जाना चाहिए।
डाईब्रोमो 5.5	आंतरिक - प्लास्टिक लाइनर बाहरी - एच डी यू पी / एच एम डी पी ई ड्रम	...	...	...	...
डाईमिथाईल हाईडेनेशन ओर 1 ब्रोमो 3 क्लोरो□डाईमिथाईल□हाईडोनेशन□(खतरनाक पण्य)	अअधिकतम भार प्रति ड्रम - 50 कि. ग्रा. आधान का आकार - 20 फुट (6.096 मीटर)	...	...	...	...

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
हाईड्रोजन पैरोक्साईड मिश्रण जो 40 वॉल्यूम शक्ति से अधिक किनतु 132 वॉल्यूम शक्ति से अनाधिक हो (भार के अनुसार 35%)	1. कारबायों में (जिनके मुंह पर प्रभावशील सुराख हो) प्रत्येक कारबाय में 65 कि.ग्रा. से अधिक पदार्थ नहीं होगा कारबायों को लोहे, लकड़ी या बेंत के बूने हुए केटों में सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। कारबाय और क्रेटों के बीच में 2.5 सेन्टीमीटर की न्यूनतम मोटाई में भूसे की पैकिंग होनी चाहिए। जब कारबायों को रेल प्रशासन को सुपुर्द किया जाए तब कारबायों के क्रेटों में भूसे की पैकिंग पर्याप्त रूप से नम होनी चाहिए जिससे कि आग से बचाव हो सके। कारबाय को ऊपर तक भर कर कस कर बंद किया जाना चाहिए तथा उसमें भलीभांति फिट होने वाली डाट लगाई जाना चाहिए जिसको अच्छी प्रकार से चिकनी मिट्टी से मुंह बंद किया जाना चाहिए। कारबायों की गर्दनें दिखलाई पड़नी चाहिए। 2. बोतलों में, जिनकी क्षमता 1 लीटर से अधिक नहीं होगी और वे केसों में पैक की जाएंगी। 3. जारों में जिनकी क्षमता 45 लीटर से अधिक नहीं होगी (जिनकी डाटों में प्रभावशील सुराख रहना चाहिए) 4. अनुमोदित एल्युमीनियम के पात्रों में।	...	...	...	...

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत	सभी गाड़ियों से वहन की	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल	असाधारण या

		असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
लौराइल पैरोक्साइड एम.ई.के. पैराक्साईड	1. जब मात्रा एक किलोग्राम से अधिक नहीं हो तब शीशों की बोतलों में 2. प्लास्टिक की कोटिंग युक्त, जो सामग्री के साथ प्रतिक्रिया न करें पात्रों में	...	...	...	...
गुआनीडाईन नाइट्रेट	1. थैलों या पोलीथीन के अस्तर वाले कागज के लिफाफें परंतु यह कि ऐसी लिफाफों को जूट के थैलों में बन्द किया जाए।			जब पदार्थ टिनों में या जारों में हो तब 10 क्विंट्ल तक मात्रा पिछले ब्रेकयान में वहन की जा सकती है।	
बैरियम का नाइट्रेट लोहे का नाइट्रेट सीसे का नाइट्रेट स्ट्रोनशियम का नाइट्रेट	1. केसों, कास्कों या ड्रमों में 2. केसों में पैक जारों या बोतलों में 3. थैलों में वहन नहीं किया जाना चाहिए।				
अमोनिया नाइट्रेट	1. थैलों में या कास्कों या ड्रमों में अथवा केसों, टिनों 2. दोहरे डामर वाले नमी रोधी कागज के थैले और पोलीथीन की परतयुक्त कागज के थैले परन्तु यह	...	...		...
सोडा का नाइट्रेट	1. थैलों या कास्कों या टिनों में जो केसों में पैक किए गए हो; 2. जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हों	...	...	जब पदार्थ टिनों में या जारों में हो तब 10 क्विंट्ल तक मात्रा पिछले ब्रेकयान में वहन की जा सकती है।	...
परिशोधित शोरा (नाइटर पोटाश का नाइट्रेट)	1. थैलों या कास्को में 2. जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हों			जब पदार्थ टिनों में या जारों में हो तब 10 क्विंट्ल तक मात्रा पिछले ब्रेकयान में वहन की जा सकती है।	

पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 507 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 508, 509 और 522.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 519 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
अमोनिया का परक्लोरेट कैल्शियम का परक्लोरेट पोटाश का परक्लोरेट स्ट्रोनाटियम का परक्लोरेट	1. शीशे के जारो या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हो; 2. ड्रमों में या कास्कों में या घने बुने हुए वस्त्र के या पर्याप्त मजबूत कागज की लाइनिंग वाले केसों में जिससे कि अन्तर्वस्तु बाहर न निकल सके।	...	...	...	गन्धक पदार्थ, सल्फाईड, चीनी, या दहनशील सामग्री, जैसे, बुरादा, भूसा, कागज के साथ नहीं लादा जाना चाहिए।
शोरा कच्चा	1. थैलो या कास्कों में 2. थैलों या बोतलों में जो कैसों में पैक किए गए हों।			जब पदार्थ टिनों में या जारों में हो तब 10 क्विंट्ल तक मात्रा पिछले ब्रेकयान में वहन की जा सकती है...	
सोडियम पैरोक्साइड	1. मजबूती से बंद किए गए शीशे के या मिट्टी के पात्रों में जो उपयुक्त रक्षात्मक पदार्थ के साथ टिन की परत वाले केसों में पैक किया गया हो। शीशे या मिट्टी के प्रत्येक पात्र में 3 कि.ग्रा. से अधिक पदार्थ नहीं होगा और किसी एक टीन के परत वाले केस में 50 किलोग्राम से अधिक पदार्थ पैक नहीं किया जाएगा। 2. आवात सीलबंद टिनों या कैनों में जो लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। प्रत्येक टिन या कैन में 25 कि.ग्रा. से अधिक पदार्थ नहीं होगा और किसी एक केस में 150 किलोग्राम से अधिक पदार्थ पैक नहीं किया जाएगा। 3. इस्पात के ड्रमों में जो मजबूती से बंद किए गए हों।				
खरपतवारनाशी (चूर्ण) सांखियारहित, क्लोरेट युक्त जिसमें,□ क्लोराइट या बोरेक्स की मात्रा 40% से कम नहीं होगी।	1. ड्रमों में; 2. टिनों में जो केसों में पैक किए गए हो।				

परिशिष्ट V/1
(नियम 526.2)

परिशिष्ट V/1

क्रम सं. .....
स्टेशन .....
डिवीजन .....
रेल .....
तारीख .....

प्रेषितों पर तामील की जाने वाली सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

विषय ..... से .....
तक ..... के लिए बीजक/लोक मार्ग पत्रक संख्यांक ..... तारीख .....

मैं आपको सूचित करता हूं कि ऊपर वर्णित प्रेषण/पार्सल जिसके कि आप प्रेषिती हैं, गंतव्य स्टेशन पर अपरिदत्त पड़ा है। कृपया ध्यान दें कि यदि वह इस पत्र को प्राप्त करने की तारीख से सात दिन, के भीतर, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके यदि छुड़ाया नहीं जाता है तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और 84 के अधीन उसे आपको आगे और कोई सूचना दिए बिना ही, व्ययनित करने की व्यवस्था की जाएगी।

विक्रिय की दशा में, यदि भाडे, डैमरेज, स्थान भाड़ें, आदि मद्धे रेल को देय रकम विक्रम आगमों से पूरी नहीं हो जाती तो मैं आपसे बकाया राशि चुकाने की अपेक्षा करूंगा। देय प्रभारों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

(1) भाडा ..... रुपये
(2) डेमरेज ..... रुपये
(3) उतराई प्रभार .....रुपये
(4) स्थान भाड़ा ..... रुपये प्रति 50 किलोग्राम प्रतिग्राम प्रतिदिन की दर से ..... तारीख ..... से प्रेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

अध्याय VI
विषैले (टाक्सिक) पदार्थ

अध्याय VI
विषैले (टाक्सिक) पदार्थ
रेल अधिनियम के अधीन खतरनाक माल

601. विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के अन्तर्गत सारणी VI में विनिर्दिष्ट ऐसे पदार्थ सम्मिलित है जो विषैली (टाक्सिक) गैस या वाष्प छोड़ते है तथा अन्य ऐसे पदार्थ भी है जो ऐसी गैस या वाष्प नहीं छोड़ते। ऐसे पदार्थों को रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल समझा जाएगा।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के वहन के बारे में साधारण निर्बंधन

602.1 विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी VI में विनिर्दिष्ट विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

602.2 वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी VI में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट विषैले (टाक्सिक) पदार्थ को जनसाधारण के लिए रेल से वहन नहीं करेगा ।ऐसी सूचना जारी किए जाने के पश्चात कोई भी ऐसा विषैली (टाक्सिक) पदार्थ उक्त प्रशासन द्वारा उस सैक्शन या सैक्शनों पर जिनकी बाबत अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

602.3 रेलों पर निर्बन्धन - (1) दक्षिण पूर्व रेल के निम्नलिखित सैक्शनों पर आक्सीकारक पदार्थों का वहन केवल विशेष व्यवस्थाओं के अधीन किया जा सकेगा -

अहमदपुरा - कटवा
आरा सासाराम लाइट
रूपसा - तलबंद और
बांकुरा - दामोदर रिवर

(2) मुम्बई पत्तन न्यास रेल - ऐसी विषैली (टाक्सिक) पदार्थों के संबंध में कारवाई, जो विषैली (टाक्सिक) गैसें या वाष्प नहीं छोड़ते है और ठोस धातु के पात्र में पैक किए गए है, सामान्यतया विशेष व्यवस्था के अधीन किया जा सकेगा।

(3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम - विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को केवल स्वामी की जोखिम पर ग्रहण किया जाएगा ।

(4) पूर्व रेल - पूर्व रेल के छो.ला. सैक्शनों जिनमें लाइट रेल मीटर है, पर विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का वहन नहीं किया जाएगा।

प्रेषण की सूचना देने का प्रेषक का कर्तव्य

603.1 प्रेषण सूचना का अनिवार्य होना— प्रेषण की सूचना देने का प्रेषक का कर्त्तव्य - रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए, विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का कोई परेषण तब तक, प्रेषण

के लिए किसी रेल को नहीं भेजा जाएगा या रेल से वहन के लिए तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि -
(क) ऐसे प्रेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना नियम 603.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती और

(ख) जब तक कि उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी जिससे प्रेषण को भेजा जाना है, लिखित में यह सूचित नहीं कर देता कि प्रेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

603.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां — नियम 603.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संबोधित होगी जिससे माल भेजा जाने वाला हो और ऐसी सूचना प प्रेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व भेजी जाएगी सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा लघुत्तर अवधि विहित की गई हो। सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होगा —

(1) प्रेषण के विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के सही नाम, विवरण और मात्रा,
(2) प्रेषक का नाम और पता,
(3) प्रेषिती का नाम और पता,
(4) यह घोषणा कि विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों अर्थात नियम 607 और नियम 608 के अनुसार पैक और चिन्हांकित किया गया है।

टिप्पण: 1. हर दृष्टि से पूर्ण ऐसा अग्रेषण पत्र जो प्रेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से 48 घण्टे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।
2. जब रेल प्रशासन या शैड का भारसाधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को इन नियमों के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारीवृन्द द्वारा प्रमाणपत्र, अग्रेषण पत्र आदि अभिप्राप्त करना

604. सारणी V। में उल्लिखित विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के प्रत्येक प्रेषण की दशा में रेल कर्मचारीवृन्द पर प्रेषक से सभी दृष्टि से पूर्ण एक अग्रेषण नोट विशेष रूप से विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध 'क' देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

मिश्रित परेषणों का प्रतिषेध

605. विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को अन्य माल के साथ प्रेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए किन्तु वे एक पृथक अग्रेषण नोट के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा पृथक प्रेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा और विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

606. रेल से वहन के लिए आशयित विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के प्रेषण केवल —

(1) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा, और

(2) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए जाएं, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

607.1 विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का केवल तब वहन किया जाना जब वे विहित रीति में पैक किए गए हों — विषैले (टाक्सिक) पदार्थ तब तक वहन के लिए नहीं सौंपे जाएंगे या उनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सारणी V। के स्तम्भ 2 में अधिकथित रीति से पैक नहीं किए गए हों।

607.2 विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के लिए पात्र — (1) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सब पात्र भली-भांति बने हुए होने चाहिए और रेल अभिवहन के दौरान होने वाली टूट-फूट को बर्दाश्त के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और उन्हें मजबूती के साथ बंद किया जाना चाहिए जिससे कि अन्तर्वस्तु या वाष्प को बाहर निकलने से रोका जा सके।

(2) सारणी V। के स्तम्भ 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कास्क, केस और क्रेट लकड़ी के ड्रम, लोहे या इस्पात के और जार दृढ़भाण्ड या मिट्टी के होगें ।

(3) केसों को कसकर जोड़ा जाएगा और कास्कों पर भली-भांति डाट लगाई जाएगी।

(4) जारों को मजबूती के साथ टाँटी बंद किया जाएगा या उन पर डाट लगाई जाएगी और चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा

(5) डाट लगी बोतलों को चिकनी मिट्टी से बंद किया जाएगा और ऊपर से बांधा जाएगा।

(6) द्रव से भरे हुए पात्रों को ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। प्रत्येक पात्र में विभिन्न तापक्रम के अधीन द्रव को प्रसार की व्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त वायु स्थान छोड़ा जाना चाहिए।

607.3 भीतरी पैकिंग — केसों या क्रेटों की भीतरी पैकिंग में कोई ठोस वस्तु या कठोर पदार्थ नहीं होगा।

प्रेषकों द्वारा पैकेजों का चिन्हांकन और उन पर लेबल लगाना

608.1 चिन्हांकन - विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर सुदृश्य अक्षरों से ब्रांडिंग करके, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या पेंट करके या मजबूती के साथ जोड़ा हुआ लेबल लगाकर —

(क) विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम, (ख) "विष" शब्द, (ग) मात्रा, और (घ) प्रेषण और प्रेषिती के नाम और पते अंकित किए जाएंगे।

608.2 चित्रयुक्त लेबल — विषैले (टाक्सिक) पदार्थो से युक्त पैकेज पर नियम 608.1 में विनिर्दिष्ट चिन्हांकन के अतिरिक्त, नीचे दिखाए गए रूप में एक चित्रयुक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अन्तर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।



टिप्पण - (1) पृष्ठ भूमि सफेद प्रतीक और अक्षर काले

(2) न्यूनतम विमाएं 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर

पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल 45° के कोण पर (हीरे के आकार में, जैसा कि, ऊपर दिखाया गया है, लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिए, जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

608.3 संकेत लेबल - तब के सिवाय जब भीतरी पैकेज का शीर्ष ऊपर से साफ दिखाई पड़ता हो, या सबसे बाहरी पैकिंग ऐसी हो जिससे कि शीर्ष साफ दिखाई पड़े अर्थात जब सब बाहरी पैकेज का शीर्ष कोणाकार हो, तब विषैले (टाक्सिक) पदार्थ से युक्त प्रत्येक पैकेज पर उसके शीर्ष पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाना चाहिए -

"यह भाग ऊपर की ओर रखें"

रेल द्वारा चिन्हांकन

609.1 विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे रेल चिन्हों से समुचित रूप से चिन्हांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक और गंतव्य स्टेशन के हस्ताक्षर, बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा प्रेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो ।

609.2 जब विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के प्रेषण को वैगन भार प्रेषण के रूप में ऐसे गंतव्य स्थान के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है जिसमें आमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण नहीं किया जाना है, तब प्रेषणों के पैकेजों में से केवल दस प्रतिशत पर ही रेल चिन्ह अंकित करना आवश्यक होगा।

रेल कर्मचारीवृन्द का उत्तरदायित्व

610. विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के प्रेषण को ग्रहण करते समय रेल कर्मचारीवृन्द को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) किसी एक पैकेज में विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का घोषित भाग, जैसा कि पैकेज पर चिन्हांकनों से अभिनिश्चित किया गया है, या पैकेज का भार सारणी V। के स्तम्भ 2 और स्तम्भ 5 में अधिकथित सीमा से अधिक नहीं है, और

(ख) सबसे बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है।

उठाई-धराई का कार्य प्रेषकों और प्रेषितियों द्वारा किया जाना

611.1 जब तक कि रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए वैगन भार के रूप में विषैले (टाक्सिक) पदार्थो की लदाई और उतराई का कार्य प्रेषकों व प्रेषितियों द्वारा किया जाएगा।

611.2 जब यातायात फुटकर के रूप में बुक किया जाता है तब मार्ग में उठाई-धराई के सभी मामलों में संबंधित रेल प्रशासन उठाई- धराई करेगा।

612. (क) प्रत्येक स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के ऐसे प्रत्येक पैकेज को, जिसका रेल से प्रेषण प्रस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाना है, ऐसे शेड में भण्डारित कराए जो सुवातित और घेरा हुआ है या खुला शेड है अर्थात ऐसा शेड है जिसके ऊपर मौसम से बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दीवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहाँ भी ऐसी भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त पैकेजों को छतदार लोहे के वैगन में भण्डारित किया जा सकता है और यदि यह भी संभव नहीं हो तो उन्हें किसी खुले स्थान में त्रिपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जा सकता है।

(ग) विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का भण्डारण करते समय नियम 613 में अधिकथित सब पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थो की उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियाँ

613.1 लदाई और उतराई का समय — विषैले (टाक्सिक) पदार्थो की लदाई, उतराई और उठाई-धराई से संबंधित सब संक्रियाएं सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जानी चाहिए। परंतु यात्री गाड़ी, मिश्रित गाडी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयानों से और यानांतरण अथवा सड़क यान गाड़ियों से भेजे गए प्रेषणों की उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है किन्तु यह तब जब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सब सम्यक पूर्वावधानियों जिसमें पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी सम्मिलित है बरती जाएं।

613.2 पैकेजों की उठाई - धराई - (1) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त पैकेज जमीन या फर्श पर फैंके गिराए या घसीटे नहीं जाएंगे तथा इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे किसी कठोर पदार्थ से न टकराएं ।

(2) भारी ड्रमों या कास्कों की लदाई और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाईयों, फैल्ट, बुरादे से भरे हुए थैले या वैसे ही अन्य बचाव के साधन, ड्रमों या कास्कों को क्षति से बचाने तथा रिसने से बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए ।

(3) जब भी साध्य हो विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त पैकेजो का वहन या प्रवहन ट्रालियों या हथ ठेलों से किया जाना चाहिए।

613.3 खतरनाक पदार्थो के साथ भण्डारण और उठाई धराई का प्रतिषेध — विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का भण्डारण या उठाई - धराई, विस्फोटकों, अन्य खतरनाक मालों या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं या ऐसे खाली पात्रों, जिनमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखें गए हों, के साथ या उनके निकट नहीं की जाएगी।

613.4 खाद्य पदार्थो के साथ भण्डारण और उठाई धराई का प्रतिषेध —विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का भण्डारण या उठाई-धराई खाद्य़ पदार्थो या खाद्य पदार्थो के खाली पात्रो के साथ या उनके निकट नहीं की जाएगी।

613.5 धूप, वर्षा और बर्फ से बचाव — विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा, बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर ऱखा जाएगा। जब भी अपेक्षित हो उनका बचाव त्रिपालों या अन्य उपयुक्त सामग्री से किया जाना चाहिए।

613.6 उस स्थान, वाहन या वैगन की पूरी सफाई जिसमें विषैले (टाक्सिक) पदार्थों को रखा गया है या उनकी उठाई-धराई की गई है— ऐसे किसी स्थान या वैगन का फर्श जिस पर विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का भण्डारण किया गया हो या वह वैगन या ट्राली या हथठेला जिसमें उनका वहन किया गया हो, उसमें से माल हटाए जाने के पश्चात बुहारा जाना चाहिए और पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए।

613.7 संश्लिष्ट टेट्राइथाईल घोल (टेट्रा एथाईल सीसे का द्रव) की उठाई और धराई करने के बारे में विशेष पूर्वावधानियां— संश्लिष्ट एथाईल घोल (टेट्रा एथाईल सीसा द्रव) के रिसने की स्थिति में बरती जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां परिशिष्ट VI/I में दी गई है।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का सब गाड़ियों से वहन

614. वैगनों में विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का वहन सब गाड़ियों से किया जा सकता है।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों की लदाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वैगनों का प्रकार

615. विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का वहन ढके हुए लौह वैगनों में किया जाएगा।

टिप्पण - छोर पर खुलने वाले ड़िब्बे या वैगन प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।

लदाई या उठाई-धराई की जाने वाली मात्राएं

616. (क) एक समय में विषैले (टाक्सिक) पदार्थो की कितनी मात्रा लादी जाएगी, और

(ख) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों की उस संख्या के बारे में जिनकी लदाई या उतराई रेल स्टेशन पर किसी एक समय में की जा सकती है कोई निर्बंधन नहीं है।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का सामान्य माल के साथ वैगनों में वहन

617. नियम 619 और नियम 620 में अन्तर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, विषैले (टाक्सिक) पदार्थों की वहन एक ही वैगन में सामान्य माल के साथ किया जा सकता है परंतु यह तब जब :

(क) वैगन में कोई ज्वलनशील प्रकृति वस्तुएं या पदार्थ नहीं है, और

(ख) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त पैकेज, वैगन में अन्य माल से सर्वथा पृथक रखे जाते हैं।

ब्रेकयान में विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के वहन का सामान्यतया प्रतिषेध

618. (1) सारणी V।के स्तम्भ 5 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का वहन गाड़ियों के ब्रेकयान में नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ कहीं भी विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का वहन ब्रेकयान में अनुज्ञात है वहाँ नियम 619 और नियम 620 में अन्तर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बंधनों का अनुपालन किया जाएगा।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के साथ विस्फोटकों और अन्य खतरनाक मालों के वहन का प्रतिषेध

619. विषैले (टाक्सिक) पदार्थों का वहन एक ही डिब्बे में किन्हीं विस्फोटकों या अन्य खतरनाक मालों या ऐसे खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाएगा जिनमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए है।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थों के वहन का प्रतिषेध

620. विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का वहन एक ही गाड़ी में खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाएगा।

वैगनों में भराई

621.1 पैकेजों का जमाकर लादा जाना — विषैले (टाक्सिक) पदार्थो से युक्त पैकेजों को जमाकर लादा जाना चाहिए जिससे कि वे अभिवहन के दौरान हट न सकें।

621.2 ड्रम — विषैले (टाक्सिक) पदार्थो से युक्त ड्रम, जहां तक संभव हो, अंतिम छोर पर लादे जाएंगे।

621.3 बोतलें, जार और कारबाय —बोतलों, जारों और कारबायों को अन्य माल के ऊपर नहीं लादा जाना चाहिए और न अन्य माल बोतलों, जारों और कारबायों के ऊपर लादे जाने चाहिए।

621.4 खाली पात्र —ऐसे खाली पात्र जिनमें विषैले (टाक्सिक) पदार्थ रखे गए हो, वैगनों के साथ इस प्रकार से लादे जाने चाहिए कि उनमें से किसी अवशिष्ट द्रव का बाहर निकलना संभव न हो।

वैगनों पर लेबल लगाना और उन्हें सीलबंद तथा तालाबंद करना

622.1 वैगनों पर खतरनाक का लेबल लगाना— खतरनाक का एक लेबल जैसा नीचे दिखाया गया है ऐसे प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए जिसमें विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के प्रेषण के लिए या परिदत्त करने के लिए जमा किया गया है या जब वे अभिवहन में है—



टिप्पणी - (1) पृष्ठ भूमि सफेद
प्रतीक और अक्षर काले
(2) विमाएं 0.3 मी. अर्धव्यास
(3) लेबल को दो समान अर्धवृत्तों में बांटा जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग "लूज शंटिंग न करें" शब्दों तथा प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों या सड़क यान गाड़ियों के सिवाय, जिन पर लेबल वैगनों या डिब्बे के दोनों ओर चिपकाए जा सकते हैं, वे लेबल दरवाजों पर इस प्रकार चिपकाए जाने चाहिए जिससे कि वे जब दरवाजे खोलें जाएं, लेबल स्वत: नष्ट हो जाएं।

इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब विषैले (टाक्सिक) पदार्थो का वहन ब्रेकयान में, यात्री, मिश्रित या पार्सल गाड़ियों द्वारा किया जा रहा हो।

622.2 प्राइवेट लेबल - रेल लेबलों के अतिरिक्त यदि प्रेषक कोई ऐसा लेबल चिपकाता है जिससे प्रेषणों की अन्तर्वस्तु और उसके संबंध में होने वाले परिसंकट का उल्लेख है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

शंटिंग संबंधी पूर्वावधानियों का अनुपालन

623. विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों की शंटिंग सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान:—

(क) संचालन की गति आठ किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं रहती, और

(ख) रफ, हैम्प, फ्लाई या लूज शंटिंग नहीं की जाती।

मार्शलिंग

624.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां— (1) एक समय में विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त कितने वैगन किसी एक समय पर किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकते हैं या वहन किये जा सकते हैं इस बारे में कोई निर्बंधन नहीं हैं।

(2) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों और निम्नलिखित से युक्त डिब्बों के बीच उतने ऐसे डिब्बे लगाए जाएंगे जिनमें विस्फोटक, अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं।

(क) विस्फोटक और पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव, वर्ग 'क' की दशा में, कम से कम तीन डिब्बे;

(ख) संपीडित द्रवीकृत या विलयित गैसों की दशा में कम से कम दो डिब्बे; और

(ग) पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'ख' ज्वलनशील ठोस और आक्सीकारक पदार्थों की दशा में कम से कम एक डिब्बा।

(3) विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों को बराबर के अन्य डिब्बों से तथा एक-दूसरे से क्लोज कपल किया जाएगा।

624.2 कतिपय सैक्शनों पर छूट— पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दार्जिलिंग हिमालय सैक्शन पर विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों को क्लोज कपल करना आवश्यक नहीं है।

624.3 रक्षा वैगन या डमी वैगन— जब भी ऐसे वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैं अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो तब खाली वैगनों का प्रयोग रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के रूप में जैसा अपेक्षित है, विषैले (टाक्सिक) पदार्थों से युक्त वैगनों को विस्फोटकों, संपीडित द्रवीकृत या विलयित गैसों, पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील, द्रवों, ज्वलनशील ठोसों और आक्सीकारक पदार्थों से युक्त डिब्बों से अलग करने के लिए किया जाएगा।

पहुंच की सूचना

625.1 प्रेषण के पहुंचने की प्रेषिती को सूचना - गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के प्रेषणों के पहुँचने की सूचना प्रेषिती को विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबंध 'ख' देखिए) उन सब प्रेषणों की बाबत दी जाती है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते हैं तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते हैं।

625.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डैमरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना— यदि माल का परिदान अनुज्ञात छूट समय के भीतर नहीं लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होने या देर से प्रप्त होने से प्रेषिती स्थान भाड़ा और डैमरेज प्रभारों से छूट का हकदार नहीं होगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

626.1 परिदान - विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के प्रेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपो से जहां के लिए उनका वहन किया गया है, जैसे ही वे परिदान के लिए उपलब्ध हो, हटाया जाएगा।

626.2 परिदान तुरंत न लेने की दशा में व्ययन— (1) यदि प्रेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात् भी प्रेषण रखे रहते है तो, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 84 में जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरंत एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप में होगी जो परिशिष्ट VI/2 में दिया गया है।

(3) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो प्रेषण अदावाकृत रहते है उन्हें रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के उपबंधो के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।

प्रभार के लिए भार और ग्रहण करने के दिन

627. वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिन ग्रहण किया जाना— वैगन भार के रूप में यातायात भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सूची में यथाविहित प्रभारित किए जाने वाले न्यूनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण किया जाएगा।

भाड़े का पूर्व संदाय

628. विषैले (टाक्सिक) पदार्थों के सब प्रेषणों पर भाड़ा पूर्व संदत्त होगा सिवाय तब जब भारतीय रेल सम्मेलन माल भाड़ा में विहित अधिकार के संदाय के आधार पर देय के विकल्प का उपबंध हो।

गाड़ियों की मरम्मत

629. ऐसी किसी गाड़ी, जिसमें विषैले (टाक्सिक) पदार्थ वहन किए जा रहे है, की मरम्मत या उनमें परिवर्तन किए जाने से पूर्व, ऐसे आक्सीकारक पदार्थों को हटाने की सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

630. (1) विषैले (टाक्सिक) पदार्थ के किसी प्रेषण से संबंधित जब भी कोई दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर नुकसान होता है अथवा ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें, प्राय: ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो प्रेषणों के तत्समय प्रभारी व्यक्ति निम्नलिखित को सूचना देगा -

(क) मुख्य विस्फोटक नियत्रंक को, सुचना के अन्य माध्यमों, जैसे कि दुरभाष/फैक्स/ ई-मेल के द्वारा निम्नलिखित पते पर सुचित करेगा:-

Chief Controller of Explosives,/ मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक
Tel. No.:- 071-22510248
E-Mail:- explosives@explosives.gov.in
Address:- A-Block, CGO Complex, 5th Floor, Seminary Hills
Nagpur-440006.(Maharashtra)

(ख) विस्फोटक नियंत्रक जिसकी अधिकारिता में घटना हुई है
(ग) निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी,
(घ) संबंधित विभागीय अधिकारी, एवं
(ड) निकटतम NDRF ईकाई।

(2)

मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने तक अथवा मुख्य नियँत्रक या उसके प्रतिनिधि से अनुदेश प्राप्त होने तक कि वह कोई अन्वेषण या जाँच नहीं करवाना चाहता, सारे मलबे और कचरे को तब तक नहीं छूआ जाएगा जब तक कि उसे हटाया घायल व्यक्तियों के बचाव या दुर्घटना में मृत किन्ही व्यक्तियों के शरीरों को निकालने के लिए या सीधे संचार के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक न हो।

व्यावृत्ति

631. इस अध्याय की कोई बात विष अधिनियम 1919 (1919 का 12) या उसके अधीन बनाए गए नियमों को जहां वे लागू होते है लागू होना न्यून नहीं करेगा।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ

सारणी V।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 0भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाडियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
कारबोलिक तेजाब (फिनोल-कण या द्रवीकृत)	1. दृढ़ भांडो या डाट लगी हुई शीशे की बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित हों और केसों में सीधी रखी जाएं। केसों की भीतरी पैकिंग, भूसे, भूसी या बुरादे के साथ मिश्रित कोयले, राख या खड़िया या बालू की होनी चाहिए। 2. ड्रमों में या कास्कों में। 3. किसी एक पैकेज का सकल भार ब.ला. और मी.ला. की दशा में 200 कि.ग्रा. और छो.ला. की दशा में 100 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।	.....	.....	.....	अन्य प्रकार के विषैले (आविसालु) पदार्थो के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे, जहां तक संभव हो एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।
क्रेसायिलिक तेजाब	-यथोक्त-	....	.....	.....	-यथोक्त-

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सल्फामिक तेजाब	वस्तु की पैकिंग 50 कि.ग्रा. क्षमता के जूट के थैलों में, जिनमें भीतर अस्तर लगा हो, की जानी चाहिए और उन्हें मजबूती के साथ बंद किया जाना चाहिए तथा सिलाई की जानी चाहिए जिसमें नमी को अन्दर जानें से और परिणामस्वरुप होने वाले जमाव को रोका जा सके	....	....	...	-यथोक्त-
डाईथिल सल्फेट	अबालूसील :- 1. कांच की बोतलें, पूरी तरह से गद्देदार सामग्री या प्लास्टिक बोतलों को निम्नलिखित के साथ, पैक किया जाना चाहिए - आधान पैकेज शुद्ध लीटर सकल कि.ग्रा. लकड़ी के बक्से 15 75 फाइबर बोर्ड के बक्से 5 30 2. कैन निम्नलिखित के साथ पैक किए जाने चाहिए लकड़ी के बक्से 5 75 फाइबर बोर्ड के बक्से 20 40 3. धात्विक ड्रम ... 450				
ओक्जालिक तेजाब	1. कास्कों या ड्रमों में 2. जारों में या बोतलों में जो केसों में पैक किये जाएंगे।	....	.....	.....	अन्य प्रकार के विषैले (आविसालु) पदार्थों के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे, जहां तक संभव हो एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।
पोटाश का आक्जालेट	-यथोक्त-	.....	.....	.....	....
टिटानियम पोटेशियम आक्जालेट	-यथोक्त-	....	.....	.....	....

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
ताम्र का ऐसीटोआरसेनाइट	1. टिनों में जो केसों में पैक किए जाएंगे। 2. टिनों में जो अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में बुरादा लगाकर पैक किए जाएंगे और जिनमें दो धातु की पट्टियां बाँधी जाएगी। 3. टिनों में जो नालीदार फाइबर बोर्ड में पैक किए जाएंगे और मजबूत भूरे कागज में लपेटे जाएंगे और डोरियों से मजबूती से कसे जाएंगे। किसी एक पैकेज में चार से अधिक टिन नहीं होने चाहिए और अन्तर्वस्तु का कुल भार 6 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए। 4. कास्कों, ड्रमों या केनों में।	....	....	....	....
अल्फानेपथिल थ्युरिया	गत्ते के कार्टूनों में जो शीर्ष पर और तले मे धातु की रिम लगाकर मजबूत किए हों अथवा टिन के गोल कंटेनरों में जो भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश डी.ओ.सी.सी.डी.सी. 28(964)- पी के प्रस्थापित प्रारूप के अनुरूप हों और उपयुक्त सुरक्षापूर्ण सामग्री लगाकर केसों में पैक किए गए हों। ऐसे पात्रों की क्षमता 50 ग्राम या 400 ग्राम होगी।	....	.....	.....	.....
कारबोलिक तेजाब (फिनोल-कण या द्रवीकृत)	1. दृढ़ भांडो या डाट लगी हुई शीशे की बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित हों और केसों में सीधी रखी जाएं। केसों की भीतरी पैकिंग, भूसे, भूसी या बुरादे के साथ मिश्रित कोयले, राख या खड़िया या बालू की होनी चाहिए। 2. ड्रमों में या कास्कों में। 3. किसी एक पैकेज का सकल भार ब.ला. और मी.ला. की दशा में 200 कि.ग्रा. और छो.ला. की दशा में 100 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।	.....	.....	.....	अन्य प्रकार के विषैले (आविसालु) पदार्थो के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे, जहां तक संभव हो एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
क्रेसायिलिक तेजाब	-यथोक्त-	....	.....	.....	-यथोक्त-
सल्फामिक तेजाब डाईथिल सल्फेट	वस्तु की पैकिंग 50 कि.ग्रा. क्षमता के जूट के थैलों में, जिनमें भीतर अस्तर लगा हो, की जानी चाहिए और उन्हें मजबूती के साथ बंद किया जाना चाहिए तथा सिलाई की जानी चाहिए जिसमें नमी को अन्दर जानें से और परिणामस्वरुप होने वाले जमाव को रोका जा सके अबालूसील:- 1. कांच की बोतलें, पूरी तरह से गद्देदार सामग्री या प्लास्टिक बोतलों को निम्नलिखित के साथ, पैक किया जाना चाहिए - आधान शुद्ध लीटर पैकेज सकल कि.ग्रा. लकड़ी के बक्से 15 75 फाइबर बोर्ड के बक्से 5 30 2. कैन निम्नलिखित के साथ पैक किए जाने चाहिए लकड़ी के बक्से 5 75 फाइबर बोर्ड के बक्से 20 40 3. धात्विक ड्रम ... 450	....	....	...	-यथोक्त-
ओक्जालिक तेजाब	1. कास्कों या ड्रमों में 2. जारों में या बोतलों में जो केसों में पैक किये जाएंगे।	....	.....	.....	अन्य प्रकार के विषैले (आविसालु) पदार्थो के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे, जहां तक संभव हो एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
पोटाश का आक्जालेट	-यथोक्त-	.....	.....	.....	....
टिटानियम पोटेशियम आक्जालेट	-यथोक्त-	....	.....	.....	....
ताम्र का ऐसीटोआरसेनाइट	1. टिनों में जो केसों में पैक किए जाएंगे। 2. टिनों में जो अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में बुरादा लगाकर पैक किए जाएंगे और जिनमें दो धातु की पट्टियां बाँधी जाएगी। 3. टिनों में जो नालीदार फाइबर बोर्ड में पैक किए जाएंगे और मजबूत भूरे कागज में लपेटे जाएंगे और डोरियों से मजबूती से कसे जाएंगे। किसी एक पैकेज में चार से अधिक टिन नहीं होने चाहिए और अन्तर्वस्तु का कुल भार 6 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए। 4. कास्कों, ड्रमों या केनों में।	....	....	....	....
अल्फानेपथिल थ्यूरिया	गत्ते के कार्टनों में जो शीर्ष पर और तले मे धातु की रिम लगाकर मजबूत किए हों अथवा टिन के गोल कंटेनरों में जो भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश डी.ओ.सी.सी.डी.सी. 28(964)- पी के प्रस्थापित प्रारूप के अनुरूप हों और उपयुक्त सुरक्षापूर्ण सामग्री लगाकर केसों में पैक किए गए हों। ऐसे पात्रों की क्षमता 50 ग्राम या 400 ग्राम होगी।	....	.....	.....	.....

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
घासपात नाशक (पाऊडर) विषैला	(1) टिनों में जो केसों में पैक किए जाएंगे। (2) टिनों में जो अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में बुरादा लगाकर पैक किए जाएंगे और जिनमें दो धातु की पटिटयां बांधी जाएंगी। (3) टिनों में जो नालीदार फाइबर बोर्ड में पैक किए जाएंगे और मजबूत भूरे कागज में लपेटे जाएंगे और डोरियों से मजबूती से कसे जाएंगे। किसी एक पैकेज में चार से अधिक टीन नही होने चाहिए और अतर्वस्तु का कुल भार 6 किलोग्राम से अधिक नही होना चाहिए। (4) कास्कों, ड्रमों में या केनों में।	....	.....	.....	.....
(i) अमोनिया मिश्रण 0.880 से 0.891 तक आपेक्षिक घनत्व	(1) मजबूती से बन्द किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो प्रभावशील अवशोषक सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए जाएंगे। शीशें या मिट्टी के प्रत्येक पात्र में 10 लीटर पदार्थ से अधिक नही होगा और किसी एक केस में 50 लीटर से अधिक पदार्थ पैक नही किया जाएगा। (2) अधिक से अधिक 70 लीटर की क्षमता वाले मजबूती से बन्द किए गए कारबायों या जारों में जो उपयुक्त बचाव सामग्री के साथ क्रेटों या केसों में पैक किए जाएंगे।	....	.....	.....	अन्य प्रकार विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे जहॉ तक संभव हो, एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
(i) अमोनिया मिश्रण 0.880 से 0.891 तक आपेक्षिक घनत्व (समाप्त)	(3) अधिक से अधिक 450 लीटर की क्षमता वाले इस्पात के ड्रमों या इस्पात के बैरलों में जिनका जल वैज्ञानिक परीक्षण 4.64 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दाब पर किया गया हो और उस दाब पर ड्रमों में चटखने या रिसने का कोई लक्षण नही दिखाई देना चाहिए।				
अमोनिया मिश्रण (ii)आपेक्षिक घनत्व 0.892 से 0.958 तक	(1) मजबूती से बन्द किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो प्रभावशील अवशोषक सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए जाएंगे। शीशे या मिट्टी के प्रत्येक पात्र में 10 लीटर से अधिक पदार्थ नही होगा और किसी एक केस में 50 लीटर से अधिक पदार्थ पैक नही किया जाएगा। (2) अधिक से अधिक 70 लीटर क्षमता वाले मजबूती से बंद किए गए कारबायों या जारों में जो उपयुक्त बचाव सामग्री के साथ क्रेटो या केसों में पैक किए जाएगें। (3) अधिक से अधिक 450 लीटर क्षमता वाले इस्पात के ड्रमों या इस्पात के बैंरलों में जिनका जल-वैज्ञानिक परीक्षण 4.64 किलोग्राम प्रति वर्ग सेन्टीमीटर दाब पर किया गया हो और उस दाब पर ड्रमों के चटखने या रिसने का कोई लक्षण नही दिखाई देना चाहिए।				अन्य प्रकार विषैले (टाक्सिक) पदार्थो के साथ एक ही वैगन में लादे जाने की दशा में इन्हे जहाँ तक संभव हो, एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
(iii) आपेक्षित घनत्व 0.959 तथा उससे ऊपर	(1) मजबूती से बन्द किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो प्रभावशील अवशोषक सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए जाएगें। शीशे या मिट्टी के प्रत्येक पात्र में 10 लीटर से अधिक पदार्थ नही होगा और किसी एक केस में 50 लीटर से अधिक पदार्थ पैक नही किया जाएगा। (2) मजबूती से बंद किए गए अधिक से अधिक 70 लीटर क्षमता वाले कारबायों या जारों में जो उपयुक्त बचाव सामग्री के साथ क्रेटों या केसों में पैक किए जाएंगे। (3) अधिक से अधिक 450 लीटर क्षमता वाले इस्पात के ड्रमों या इस्पात के बैरलों में।	--	--	--	यथोक्त
एनीलीन तेल	(1) ड्रमों या केनों में (2) बोतलों में जो बुरादा लगाकर लकड़ी के केसों में पैक की गई है।				मूल्यवान प्रकृति के मालों, जो रिसने की दशा में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कपड़े वस्त्र, कागज के माल, लकड़ी या फाईबर बोर्ड के केस के साथ नही किया जाना चाहिए
एनीलीन लवण (एनीलीन हाईड्रोक्लोराईड)	(1) ड्रमों, कास्कों या केसों में (2) जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हो।				-यथोक्त-
फैनीलीन और टोल्यूलीन डाईमाईन।	-यथोक्त-				-यथोक्त-

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
एन्टीमोनी फ्लोराईड मोरडेन्ट (एन्टीमोनी लवण)	(1) टिनों, बोतलों या मजबूत कागज के पैकेजों में जो केसों में रखें गए हों। (2) कास्कों में				
आरसेनिक (धातु)	(1) केसों, कास्कों या ड्रमों में (2) जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हों। (3) थैलों में वहन नही किया जाना चाहिए				
आरसेनिक डाईसल्फाईड (आरसेनिक मोनो सल्फाईड, आरसेनिक सल्फाईड, रूबी आरसेनिक, लाल आरसेनिक सल्फाईड, लाल आरसेनिक सल्फाईड, लाल आरसेनिक, आरसेनिक बाई सल्फाईड तथा रियलगर)	(1) टिनों, बोतलों या मजबूत कागज के पैक में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) मजबूत कागज की लाईनिंग लगाकर कास्कों में (3) ड्रमों में				
आरसेनिक ट्राईसल्फाईड (संखिया युक्त सल्फाईड, आरसेनिक सल्फाईड, पीला आरसेनिक, ओरपीमेन्ट, आरसेनिक टरसल्फाईड)	(1) टिनों, बोतलो या मजबूत कागज के पैकेज में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) मजबूत कागज की लाईनिंग लगाकर कास्कों में। (3) ड्रमों में।				
आरसेनिक पैन्टा सल्फेट	(1) टिनों, बोतलो या मजबूत कागज के पैकेजों में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) मजबूत कागज की लाईनिंग लगाकर कास्कों में। (3) ड्रमों में।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
आरसेनिक ट्राईआक्साईड श्वेत आरसेनिक (आरसेनिक तेजाब, ठोस)	(1) टिनों, बोतलों या मजबूत कागज के पैकेजों में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) मजबूत कागज की लाईनिंग लगाकर कास्कों में। (3) ड्रमों में।				
बैरियम कारबोनेट	(1) कास्कों में। (2) घने बनावट वाले बोरों में।जब जल के साथ मिश्रित किया जाए तब इसका वहन बोरों में नही किया जाना चाहिए				
बैरियम क्लोराईड	(1) कास्कों, केसों या ड्रमों में (2) जूट की बोरियों में जिनमें कि उनका आयात किया गया हों।				जूट की बोरियों में पैक किए जाने की दशा में उन्हे वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। और पृथक वैगन में भेजा जाना चाहिए।
बैरियम हाईड्रेट (बैरियम) हाईड्रोक्साईड	(1) कास्कों, केसों या ड्रमों में (2) जूट की बोरियों में जिनमें कि उनका आयात किया गया हों।				यथोक्त
बेन्जीडीन डाई हाईड्रोक्लोराईड	(1) जारों, टिनों या पोलीथीन के थैलों में जो घने बनावट के टाट से ढ़के हुए हो। (2) लकड़ी के कास्कों और इस्पात के ड्रमों में।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
कैल्शियम आरसीनेट (ठोस) अश्रुकारी कैप्सूल	कास्कों में। (1) सीलबंद बल्वों में जो कि चिकनी मिट्टी लगाकर सीलबंद किए गए लीवर ढक्कनों वाले धातु के सिलेन्डरों में रखे गए हो और पेच लगाकर मजबूती से बंद किए गए लकड़ी के बक्सों में पैक किए गए हों। (2) किसी एक पैकेज का सकलभार 30 किलोग्राम से अधिक नही होना चाहिए।			ब्रेकयान में वहन किया जा सकता है किन्तु किसी एक ब्रेकयान में एक समय में 50 किलोग्राम से अधिक नही ले जाया जाना चाहिए। ब्रेकयान में केसों को अन्य पैकेजों में यथासंभव दूरी पर रखा जाना चाहिए।	
कुचूसिन और पाईरीडीन	(1) कास्को या ड्रमों में (2) टिनों में जो केसों या झाबों (हैम्परों) में रखे जाएगें। (3) 30 लीटर से अनधिक क्षमता वाले जारों में। (4) कारबायों में। (5) बाहरी बचाव सहित उपयुक्त कुशन सामग्री 500 मिलीलीटर/ 2.5 लीटर की आवात सीलबंद शीशे की बोतलों में। कारबायों की मजबूती से लोहे या लकड़ी के या बुने हुए क्रेटों में पैक किया जाना चाहिए। कारबायों और क्रेटों के बीच में कम से कम 2.5 सेन्टीमीटर मोटी भूसे की पैकिंग होनी चाहिए। कारबाय क्रेट में जब रेल प्रशासन को सुपुर्द की जाए तब भूसे की पैकिंग पर्याप्त रूप से नम होनी चाहिए जिससे की आग से बचाव हो सके। कारबायों को ऊपर तक द्रव भरकर बंद किया जाना चाहिए तथा ठीक प्रकार से फिट की गई डाटें लगी होनी चाहिए जो मिट्टी लगाकर बन्द की जानी चाहिए। कारबायों की गर्दने खुली रहनी चाहिए।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
कुचूसिन और पाईरीडीन (समाप्त)	(6) पाईरीडाईन को चिकनी मिट्टी लगाकर सीलबंद की गई शीशे की 500 मि.मि./2.5 लीटर की बोतलों में भी पैक किया जा सकता है किन्तु उसके ऊपर उपयुक्त कुशन सामग्री की बाहरी बचाव के लिए लगाई जानी चाहिए।				
पाईरीडिन बेस	यथोक्त				
†सान्द्र इथायल घोल (टेट्रा इथायल सीसा द्रव)	बहुत मजबूत बनावट के वायुरोधी ड्रमों में जिनमें डबल पेंच दार बंग फिट किए गए हों और उनके बीच में वायु-स्थान छोड़ा गया हो तथा चारों ओर दो इस्पात की पत्तियों से सुरक्षित किया गया हो।	सभी ड्रमों को, जिसके अंतर्गत खाली ड्रम भी हैं, हल्के रंग में पेन्ट किया जाना चाहिए और उन पर निम्नलिखित लेबल होना चाहिए:- सान्द्र इथायल घोल- विष गिराएं नही। भोजन या खाद्य पदार्थो से अलग रखिए। धुएं में सांस मत लीजिए अन्तर्वस्तु को मत छुइए और मत निगलिए। इस पैकेज की अन्तर्वस्तु को हाथ, शरीर या कपड़ो के स्पर्श में मत आने दीजिए।	-	-	(1) वैगन भार परेषण के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए और पृथक् वैगन में भेजा जाना चाहिए। (2) वैगन का फर्श धातु लाईनिंग का नही होना चाहिए। (3) सभी ड्रमों को, जिसके अन्तर्गत खाली ड्रम भी है, वैगन के बंगों को ऊपर की ओर रखते हुए लादा जाना चाहिए और चोकों से या अन्य उपयुक्त साधनों से सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्हे वैगन की दीवालों से कम से कम एक फुट की दूरी पर रखा जाना चाहिए।

†रिसने की दशा में बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के लिए परिशिष्ट 6/1 देखिये।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सान्ध्र इथायल घोल (टेट्रा इथायल सीसा द्रव) (जारी)					(4) परेषणों की सारी उठाई-धराई और यानान्तरण का अधीक्षण प्रेषक या प्रेषिती द्वारा प्रति नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। प्रेषक या प्रेषिती इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को सामग्री का यथेष्ट तकनीकी ज्ञान है। प्रमाणपत्र उन स्टेशनों के, जिन पर सामग्री की उठाई-धराई की जाती है, स्टेशन मास्टरों के निरीक्षण के लिए पेश किया जाना चाहिए। ऐसा सक्षम व्यक्ति लदाई, यानान्तरण और उतराई के सब स्थानों पर उपलब्ध होना चाहिए। वह गैस मास्कों और अन्य सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए जिससे कि वह रिसने की रोक थाम कर

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सान्ध्र इथायल घोल (टेट्रा इथायल सीसा द्रव) (समाप्त)					सके। उसके पास पर्याप्त लम्बाई और मजबूती के ड्रम स्किड़ो की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की जब आवश्यक हो तब वह सुरक्षा पूर्ण ढंग से उनका प्रयोग कर सके।
ठोस ताम्र का साईनाइड चूने का साईनाइड या साईनोगैस पोटेशियम का साईनाइड, ठोस सोडियम का साईनाइड, ठोस जस्ते का साईनाइड, ठोस ताम्र और जस्ता (पीतल लवण) का साईनाइड, ठोस	(1) वायुरोधी और जलरोधी ड्रमों में (2) वायुरोधी टिनों या जस्ते के बक्सों में जो मजबूत लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों और पत्तियों से कसे गए हों। किसी एक केस में 100 किलोग्राम से अधिक वस्तु नही रखी जाएगी। (3) अवात् सीलबंद किए गए जारो या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हों।				
डाइमिथाइल -एनीलीन	(1) ड्रमों या केनों में। (2) बोतलों में जो बुरादा लगाकर केसों में पैक की गई हो।				मूल्यवान प्रकृति के रिबट, आदि। मूल्यवान प्रकृति के मालों जो रिसने की दशा में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कपड़े, वस्त्र, कागज के माल, लकड़ी या फाईबर बोर्ड के केस, के साथ पैक नही किया जाना चाहिए।
डाई नीट्रो-क्लोरो-बेन्जीन	(1) शीशे या मिट्टी के पात्रों में या टिनों में या उपयुक्त बनावट के केनों में जो उपयुक्त बचाव सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए जाएगें। (2) मजबूती के साथ बंद किए गए इस्पात के ड्रमों में।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
डाईनोट्रोटोलीन	मजबूती के साथ बंद किए गए इस्पात के ड्रमों में पैक किया जाना चाहिए और उस पर विष का लेबल लगाया जाना चाहिए।				
एथोक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड, इथाईल मरकरी क्लोराइड, इथाईल मरकरी फोसफेट, फिनायल मरकरी, ऐसीटेट फिनायल मरकरी, क्लोराइड फिनायल, मरकरी यूरिया	(1) 25 ग्राम, 100 ग्राम या 400 ग्राम के प्लास्टिक के थैलों में जो कि लकड़ी के केसों में पैक किए जाने चाहिए। प्लास्टिक के थैले ऐसे होने चाहिए जिससे वे ठोस कंक्रीट पर चार फीट की ऊचाई से दो बार तक गिरना बर्दाश्त कर सके और पात्रों में कोई टूट-फूट न हो या ना ही अन्तर्वस्तु न हिले-डुले। थैले को एक बार नीचे की भाग की ओर गिराना चाहिए और दूसरी बार किसी भी बृहत पक्ष की ओर। (2) भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश संख्या 2552-79 सी.सी.डी.सी.28(920) पी. के अनुरूप इस्पात के ड्रमों में जिनमें क्राफ्ट पेपर की लाईनिंग लगी हो (70 ग्राम क्राफ्ट पदार्थ)। प्रत्येक ड्रम में 50 किलोग्राम से अधिक पदार्थ नही होना चाहिए।				
*फैरो सिलीकोन (i) 15 प्रतिशत से कम	(1) कास्कों, केसों, बोरों या ड्रमों में। (2) ड्रमों में 2.5 से.मी. के कम से कम 4 छिद्र होने चाहिए।		अधिमानत: खुले वैगनों में वहन किया जाना चाहिए।		
(ii) 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	(1) कास्कों, केसों, बोरों या ड्रमों में। (2) ड्रमों में 2.5 से.मी. के कम से कम 4 छिद्र होने चाहिए।		-यथोक्त-		
(iii) 65 प्रतिशत तथा उससे ऊपर, किन्तु नीचे उपबंधित के सिवाय।	-यथोक्त-		-यथोक्त-		

*परेषक को अग्रेषण पत्र पर फैरो सिलिकोन का ग्रेड घोषित करना चाहिए। बीजक और मार्ग पत्रक पर भी यह टिप्पण पृष्ठांकित किया जाना चाहिए कि ग्रेड 15% से कम है अथवा 15% या इससे ऊपर है।

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
*फैरोसिलीकोन 30% और 65% के बीच।	(1) कास्कों, केसों, बोरों या ड्रमों में। (2)कास्कों, केसों और ड्रमों में 2.5 से.मी. के कम से कम 4 छिद्र होने चाहिए।		अधिमानत: खुले वैगनों में वहन किया जाना चाहिए।		
**फैरोसिलीकोन 80% और उससे ऊपर मोटाचूर्ण।	कास्को ड्रमों में।		-यथोक्त-		
एरीटान	(1)मजबूती के साथ बन्द किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों या टिनों में या केनों में जो कि उपयुक्त बचाव सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए जाएगें। (2)मजबूती के साथ बन्द किए गए ड्रमों में				
फोलोडोन चूर्ण (1.2 प्रतिशत)	50 किलोग्राम तक मात्रा नए कोलतार लगे जूट के थैलों, बोरो में (क्राफ्ट पेपर लेमीनेट किए गए टाट के बोरो में जिसमें जोड़ने के लिए कोलतार का प्रयोग किया गया हो) पैक की जानी चाहिए और बोरी मजबूती के साथ सीलबन्द किए जाने चाहिए। बोरो के भीतरी भाग में क्राफ्ट पेपर (70 ग्राम क्राफ्ट पदार्थ) की लाईनिंग होनी चाहिए।			मिश्रित गाड़ी या यात्री गाड़ी के ब्रेकयान में किसी भी मात्रा में वहन नही किया जाना चाहिए	खाद्य पदार्थो या खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ या किसी खतरनाक वस्तु के साथ मालगाड़ी के एक ही डिब्बें में वहन नही किया जाना चाहिए।
फोलीडोल द्रव	100 मिलीमीटर, 200 मि.ली. 1 लीटर और 5 लीटर की क्षमता वाले रिसनरोधी एल्यूमिनियम के पात्रों या बोतलों में जिनकी मापी गई क्षमता का 5% बहिरश हो। बोतलों में एक भीतरी डाट लगी होनी चाहिए जो बोतल के मुंह पर ठीक से सीलबंद की जानी चाहिए। बोतलों को मजबूती के साथ प्रकार पैंचदार ढक्कनो चूड़ीदार प्रकार				

*परेषक को अग्रेषण पत्र पर फैरोसिलिकोन का ग्रेड घोषित करना चाहिए। बीजक और मार्ग पत्रक पर भी यह टिप्पण पृष्ठांकित किया जाना चाहिए कि ग्रेड 15% से कम है अथवा 15% या इससे ऊपर है

**परेषक को अग्रेषण पत्र पर फैरोसिलिकोन का ग्रेड घोषित करना चाहिए। बीजक और मार्ग पत्रक पर भी यह टिप्पण पृष्ठांकित किया जाना चाहिए कि ग्रेड 15% से कम है अथवा 15% या इससे ऊपर है

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
	के होगें या उन्हें चूड़ी चढ़ाने के किसी साधन से मजबूती से बंद किया जाना चाहिए एल्यूमीनियम का निकाय और शीर्ष कम से कम 99% शुद्धता का होना चाहिए या एल्यूमीनियम आधार वाली किसी मिश्र धातु का होना चाहिए जिसकी अवक्षयण अवरोधी क्षमता तथा भौतिक लक्षण समतुल्य हो। एल्यूमीनियम के पात्रों को अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के थैलों में (55 गैज के) लपेटा जाएगा और ताप द्वारा सीलबंद किया जाएगा। उनमें रिसने वाली सामग्री को, यदि कोई हो, संग्रह करने के लिए यथेष्ट स्थान रहना चाहिए। नमीरोधी नालीदार गत्ते के एक बाक्स में 25 पात्र रखे जाने चाहिए तथा ऐसे चार कार्टनों को बुरादा लगाकर लकड़ी के केस में पैक किया जाना चाहिए।				
कीटनाशी (घोल से भिन्न) जिनमें आर्गनों -मरक्यूरियल लवण हो जिसके अंतर्गत एग्रोसन-जी एन भी है।	(1) मजबूती के साथ बन्द किए गए शीशे या मिट्टी के पात्र या टिनों में या केनों में जिन्हें उपयुक्त बचाव सामग्री लगाकर लकड़ी के केसों में पैक किया जाएगा। (2) मजबूती के साथ बंद किए ड्रमों में। (3) मजबूती के साथ बंद किए बैरलों में या लकड़ी के केसों में जिनमें भीतर की ओर कागज की-या अन्य उपयुक्त सामग्री की लाईनिंग या कोटिंग हो। (4) मजबूती के साथ बंद किए गए दोहरी दीवाल वाले कागज के थैलों में जो बाहरी केसों में मजबूती के साथ पैक किए जायेंगे।		मात्रा की बावत कोई निर्बन्धन नही है।	मिश्रित गाड़ियों, वैगनों में लादे जाने की दशा में मात्रा के बारे में कोई निर्बन्धन नही है किन्तु वहन केवल तब किया जाएगा जब कोई मालगाड़ियाँ नही चल रही हो।	

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
डाईजीनोन 20% (एमुलसीफाइड कनसनट्रेट)	मृद-इस्पात या टिन प्लेट के कंटेनरों को भीतरी भाग में उपर्युक्त और ठीक प्रकार से लैकर की जानी चाहिए जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा विनिर्देश भारतीय मानक 8190 (भाग-11) 1980 के अनुरूप हो।				
डाईजीबोन 20% (जल परीक्षेपण पावर)	मृद-इस्पात या टिन प्लेट के कंटेनरों को भीतरी जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा विनिर्देश भारतीय मानक 8190 (भाग-1) 1980 के अनुरूप हो।				
सीसा आक्साइड	(1) कास्कों में। (2) घने बनावट वाले बोरों में।				
पोलीविनायल क्लोराईड के लिए सीसा स्थायीकारी (स्टेबिलाइसर) आधारी सीसा सल्फेट त्रिआधारी सीसा सल्फेट	(1) शीशे या मिट्टी की बोतलों में जो कुशन और अवशोषक सामग्री लगाकर पैक की गई हो या प्लास्टिक की बोतलों में जो निम्नलिखित में पैक की गई हो:- (क) लकडी के बक्से 5 किलोग्रात 90 किलोग्राम (ख) लकड़ी के बैरल 5 किलोग्राम 180 किलोग्राम (ग) धातु के ड्रम 5 किलोग्राम 225 किलोग्राम (घ) फाइबर बोर्ड के बक्से 5 किलोग्राम 40 किलोग्राम (2) धातु के ड्रमों में 450 लीटर (3) प्लास्टिक के लाइनरों में:- (क) लकड़ी के बैरलों में 180 किलोग्राम (ख) प्लाईवुड या फाइबर के ड्रमों में 50 किलोग्राम (4)प्लास्टिक के थैलों में जो निम्नलिखित में पैक किए गए हो (क) लकड़ी के बक्से 90 किलोग्राम (ख) लकड़ी के बैरल 180 किलोग्राम (ग) धातु के ड्रम 225 किलोग्राम (घ) प्लाईवुड या फाइबर के ड्रम 100 किलोग्राम (ड) फाईबर बोर्ड के बक्से 40 किलोग्राम				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सीसा स्टिएरेट	भलीभांति बंद की गई- (1) शीशे की बोतलों में जो भीतरी कुशन सामग्री लगाकर पैक की गई या प्लास्टिक की बोतलों में इन्हें निम्नलिखित में पैक किया जाएगा:- (क) लकड़ी के बक्से 15 लीटर 75 किलोग्राम (ख) फाइबर बोर्ड के बक्से 5 लीटर 30 किलोग्राम (2) कैनों में, जो निम्नलिखित में पैक किए जाएगें:- (क) लकड़ी के बक्से 74 किलोग्राम (ख) फाइबर बोर्ड के बक्से 15 लीटर 40 किलोग्राम (3) धातु के ड्रमों में 450 लीटर (4) कागज या प्लास्टिक के थैलों में, जो निम्नलिखित में पैक किए जाएगें:- (क) लकड़ी के बक्से 5 किलोग्राम 75 किलोग्राम (ख) फाईबर बोर्ड के बक्से 5 किलोग्राम 40 किलोग्राम (5) लकड़ी के बैरलों में, फाईबर या प्लाईबुड के ड्रमों में 200 किलोग्राम (6) जलरोधी कई परतों वाले कागज के थैलों में 50 किलोग्राम				
द्विक्षारकी सीसा स्टिएरेट	-यथोक्त-				
द्विक्षारकी सीसा फथालेट	-यथोक्त-				
द्विक्षारकी सीसा फोसफाईट	-यथोक्त-				
बेन्जीन सल्फोनिक तेजाब का मिथाईल ईस्टर	(1) दृढ़भांडो या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भली-भाँति मजबूत किए गए हो और केसों में सीधे रखे गए हों। केसों की भीतरी पैंकिग कोयला, राख, खड़िया या बालू मिले हुए भूसे, भूसी या बुरादा होनी चाहिए। (2) ड्रमों या कास्कों में। ड्रम वायुरोधी होने चाहिए तथा उपयुक्त बनावट के होने चाहिए जिनमें दो पेचदार बंग				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
	फिट किए गए हो। बीच में वायु स्थान रहना चाहिए और ड्रमों को चारों ओर से इस्पात की दो रेल लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए। (3) किसी एक पैकेज का सकलभार बड़ी लाईन और बीच की लाईन पर 200 किलोग्राम तथा छोटी लाईन पर 100 किलोग्राम से अधिक नही होना चाहिए।				
मलेथियन डस्टिंग चूर्ण मलेथियन किरणयोग्य चूर्ण मलेथियन एमलशनयोग्य सान्द्र	मजबूत कोलतार लगे जूट के थैलों में। मजबूत कोलतार लगे जूट के थैलों में या एम.एस. ड्रमों में ठीक से बन्द किए गए टीन के पात्रों में जिनकी क्षमता 5 लीटर से अधिक नही हो और जो लकड़ी के केसों में बुरादा लगाकर बंद किए गए हो तथा केसों का भार 25 किलोग्राम से अधिक नही हो।				
नाईट्रो बैन्जोल (नाईट्रो बैन्जीन या तेल या मिरवेन)	(1)मजबूती के साथ बंद किए गए शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो प्रभावशील अवशोषक सामग्री के साथ लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। शीशे या मिट्टी के प्रत्येक पात्र में 10 लीटर पदार्थ से अधिक नही होना और किसी एक केस मे 50 लीटर से अधिक मात्रा पैक नही की जाएगी।				मूल्यवान प्रकृति के मालों, जो रिसने की स्थिति में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जैसे कपड़े, बस्त्र, कागज के माल, लकडी या फाइवर बोर्ड के केस के साथ नही लादा जाना चाहिए।
नाईट्रो बैन्जोल (नाईट्रो बैन्जीन या तेल या मिरवेन) -समाप्त	(2) मजबूती के साथ बंद किए गए टिनों या केनों में जो प्रभावशील अवशोषक सामग्री लगाकर लकड़ी के केसों में पैक किए गए हो। किसी एक केस में 50 लीटर से अधिक पदार्थ पैक नही किया जाएगा।				
	(3) अधिक से अधिक 450 लीटर क्षमता वाले मजबूती के साथ बंद किए गए इस्पात के ड्रमों में।				
मोनोनाइट्रोलीन	-यथोक्त-				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
आर्थोनाइट्रो टोलीन

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
पैराथिओन टेट्रा-एथाईल पाईरोफोसफेट (समाप्त)	(ख) द्रव एमलशन:- 100 मि.मी., 200 मि.मी., 1लीटर और 5 लीटर की क्षमता वाले रिसनरोधी एल्यूमीनियम के पात्रों में या बोतलों में जिनकी मापी गई क्षमता का पाँच प्रतिशत बहिरंश हो। बोतलों में एक भीतरी डाट लगी होनी चाहिए जो बोतल के मुंह पर ठीक प्रकार से सीमेंट गास्केट के प्रयोग में सीलबंद की जानी चाहिए। तब बोतलों को मजबूती के साथ पेंचदार ढक्कनों से बंद किया जाना चाहिए। बंद करने के लिए प्रयुक्त ढक्कन चूड़ीदार प्रकार के होंगे या उन्हें चूड़ी चढ़ाने के किसी साधन से मजबूती से बंद किया जाना चाहिए। एल्यूमीनियम का निकाय और शीर्ष कम से कम 99 प्रतिशत शुद्धता का होना चाहिए या कोई एल्यूमीनियम आधार वाली किसी मिश्र धातु का होना चाहिए जिसकी अवक्षयण अवरोधी क्षमता तथा भौतिक गुण समतुल्य हो। एल्यूमीनियम के पात्रों को अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के थैलों में (55 गेज के) लपेटा जाएगा जिन्हें ताप द्वारा सीलबंद किया जाएगा। उनमें रिसने वाली सामग्री को, यदि कोई हो, संग्रह करने के लिए यथेष्ट स्थान रहना चाहिए नमीरोधी नालीदार गत्ते के एक बाक्स में 25 बोतलें रखी जानी चाहिए तथा ऐसे चार कार्टनों को बुरादा लगाकर लकड़ी के केस में पैक किया जाना चाहिए। (1) कास्कों में। (2) टिनों, बोतलों या मजबूत कागज के पेकजों में जो केसों या झावों (हैम्परों) में पैक किए जाएगें।				
पारद (मरकरी) का परक्लोरा ईड, मरकरी का बाई क्लोराईड (अवक्षारक ऊर्ध्व पातक)					

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
टार्टर ऐमेटिक	(1) कास्कों में। (2) टिनों, बोतलों या मजबूत कागज के पेकजों में जो केसों या झावों (हैम्परों) में पैक किए जाएगें।				
खरपतवारनाशी (द्रव आरसनीय)	(1) 10 लीटर तक की क्षमता वाले केनों या ड्रमों में जो अच्छी प्रकार से फिटकार्क द्वारा मजबूती से बंद किए गए हों। कार्को को शोल्डर किए गए कैप्सूलों से ढका जाना चाहिए। केनों और ड्रमों को बुरादा लगाकर भी पैक किया जाना चाहिए। (2) 10 लीटर से अन्यून क्षमता के ड्रमों में।				
खरपतवारनाशी द्रव, गैर आरसनीय जिसमें क्लोरेट या डा़ईनाइट्रो-ओर्थोक्रिसोल या उसके लवण न हों।	(1) 5 लीटर से अनधिक क्षमता के केनों में जो टिन प्लेट के या टर्नप्लेटों के बने हुए हों और स्क्रू प्लग, प्रेस कैप या अच्छी प्रकार से फिट की गई कार्क से, जिस पर झलाई की गई केप्सूल लगी हो, मजबूती के साथ बंद किए गए हों और केसों में बुरादा लगाकर या स्केलेटन केसों या क्रेटों में पैक किए गए हों।				
खरपतवारनाशी द्रव, गैर आरसनीय जिसमें क्लोरेट या डा़ईनाइट्रो-ओर्थोक्रिसोल या उसके लवण न हों। (समाप्त)	(2) 5 लीटर से 45 लीटर की क्षमता वाले क्रेनों या ड्रमों में केवल एक यात्रा के लिए ड्रम टीन प्लेट या टर्न प्लेट के बनाए जाएंगे और स्क्रू प्लग, या अच्छी प्रकार से फिट की गई कार्क से जिस पर झलाई (शोल्डर) की गई कैप्सूल लगी हो, मजबूती के साथ बंद किए गए होंगे। (3) ड्रमों में। (4) लकड़ी के कास्कों में जिनमें बंगों के ऊपर धातु की प्लेट लगी हो।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्ननांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
खरपतवारनासी (गैर आरसनीय और क्लोरेट रहित) किन्तु जो निम्नलिखित से मुक्त हो- (क) डाईनाइट्रो-आर्थो-क्रिसोल या उसका अमोनियम या एमीन लवण। (ख) डाईनाइट्रो-आर्थो-क्रिसोल सोडियम लवण और कम से कम 25 प्रतिशत जल	(1) टिनों में जो केसों में पैक किए जाएगें। (2) टिनों में जो अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में बुरादा लगाकर पैक किए जाएगें। (3) ड्रमों में।				
खरपतवारनाशी (चूर्ण) (गैर आरसनीय तथा क्लोरेट या डाईनाइट्रो-आर्थोक्रिसोल या उसके लवणों से रहित)	(1) टिनों में जो केसों में पैक किए गए हो। (2) टिनों में जो कि अनुमोदित फाइबर बोर्ड के केसों में बुरादा लगाकर पैक किए गए हों। (3)इस टिन में जो नालीदार फाइबर बोर्ड में, मजबूत खाकी कागज में लपेटकर, पैक किए जाएगें और डोरियों से कसें गए हों। किसी एक पैकेज में टिनों की संख्या चार से अधिक नही होगी और अन्तर्वस्तु का कुल भार 6 किलोग्राम से अधिक नही होगा। (4) कास्कों, ड्रमों या केनों में।				

विषैले (टाक्सिक) पदार्थ का नाम	पैकिंग (नियम 607 भी देखिये)	चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 608, 609 और 622.1 भी देखिये)	सभी गाड़ियों से वहन की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 614, 615, 616 और 617 भी देखिए)	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 618 भी देखिए)	असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम (619, 620, 621, 623 और 624 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
जस्ता फोसफाईड	(1) वायुरोधी टिनों में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किए गए हों। (3) ड्रमों में। (4) कास्कों में। जाने की दशा में खतरनाक है।	सभी पैकेजों पर मोटे अक्षरों में निम्नलिखित लेबल लगाया जाना चाहिए- ''जस्ता फोसफाईड शुष्क न रखे इस पैकेज की सामग्री नमी के संपर्क में आने पर तुरन्त ज्वलनशील गैस पैदा कर सकती है।''			(1) परिवहन के लिए प्रयोग में लाए-जाने वाले यान सुवातित होने चाहिए और उनमें वर्षा का जल नहीं पहुंचना चाहिए। (2) पेकेजों का बचाव जलरोधी सीट लगाकर किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट VI/I
नियम 613.7

परिशिष्ट VI/I

(एथाईल द्रव रिसने की दशा में बरती जाने वाली पूर्वावधानियां)
(टेट्राएथाईल सीसा)

एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) गैसौलीन में मिलाने के लिए एक झटकारोधी मिश्रण है। शरीर में प्रवेश करने की दशा में यह खतरनाक है। यह शरीर में त्वचा के माध्यम से या श्वास के साथ वाष्प के जाने से प्रवेश कर सकता है। इसे रंग डाल कर (जो कि प्राय: पीला, लाल या नीला होता है) गहरा रंगीन बना दिया जाता है जिससे कि रिसने का आसानी से पता लगा सके। इसके अतिरिक्त एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) में एक सुभिन्न और मीठी सी गन्ध होती है। यदि एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) की गन्ध श्वास के जरिए प्रवेश करती प्रतीत हो तो उन सभी व्यक्तियों को, जो रिसने को रोकने के लिए नही लगाए गए है, ऐसे स्थान से हट जाना चाहिए जहाँ वह गन्ध सूंघी नही जा सकती है।

2. रिसने की दशा में तुरन्त उपयोग के लिए रक्षात्मक उपस्कर के दो सेट, जिनमें निम्नलिखित वस्तुंए होगी, तुरन्त उपलब्ध होने चाहिए-

(i) रबड़ के ग्लोब,

(ii) रबड़ के बूट,

(iii) द्रव का ऐप्रेन या आयलस्किन सूट,

(iv) उपयुक्त प्रकार के श्वसनयंत्र जो कि या तो 500 सी सी सक्रियति चारकोल से युक्त कनस्तर के प्रकार का होगा अथवा स्वतंत्र शुद्ध वायु से युक्त वायु लाइन श्वसनयंत्र होगा।

एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) के रिसने की रोकथाम के लिए लगाए गए व्यक्ति को विहित प्रकार का रक्षा उपस्कर पहनना चाहिए।

3. यदि एथाईल द्रव (एथाईल सीसा) त्वचा के साथ सम्पर्क में आता है तो उससे प्रभावित भाग या भागों को तुरन्त किसी घोलक से, जैसे, मिट्टी का तेल से धोकर साफ कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद साबुन पानी से धोया जाना चाहिए।

4. एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) से अपदूषित वस्त्रों को तुरन्त उतार कर हटा दिया जाना चाहिए और पेट्रोल या अन्य साफ करने के घोल से निरन्तर धो कर साफ किया जाना चाहिए।

5. यदि द्रव वैगन के भीतर फैल गया हो तो वैगन के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक वायु आ जा सके। प्रेषक या प्रेषिती प्रतिनिधि द्वारा वैगन की सफाई की आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात उस प्रतिनिधि से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाना चाहिए कि वैगन संदूषण से मुक्त है और साधारण उपयोग के लिए ठीक है।

6. वह क्षेत्र जिसमें एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) जिसके अन्तर्गत ड्रम का बाहरी भाग भी है निम्नलिखित प्रकार से साफ किया जाना चाहिए।

(i) मिट्टी के तेल या किसी अन्य हलके तेल घोलक से और उनके पश्चात पानी से धोइए यदि सतह पर ऐसा करना संभव हो तो साबुन से भी अच्छी तरह धोया जाना चाहिए। साबुन का उतना झाग तैयार किया जाना चाहिए जितना किया जा सके और फर्श को बार-बार पानी से धोया जाना चाहिए।

(ii) यदि सामान्य ब्लीचिंग चूना प्राप्त होना संभव हो तो पतले गारे से (सूखा पाउडर कभी प्रयोग न करें) क्षेत्र को पूरी तरह उपचारित कर देना चाहिए। वैकल्पिक तौर पर 5 प्रतिशत किरोसन के साथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड को घोल कर उपयोग किया जा सकता है।

(iii) यदि अवशोषक सामग्री का सदूषण हो गया हो जैसे, लकड़ी का फर्श, निभार या अन्य पैकिंग सामग्री, तो ऐसी सामग्री को, ऊपर बताए अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात् हटा दिया जाना चाहिए और जला दिया जाना चाहिए।

7. जूते या चमड़े से मढ़ी हुई अन्य वस्तुएं, जो एथाईल द्रव (टेट्रा एथाईल सीसा) से संदूषित हो जाए, उपयोग में नही लाई जानी चाहिए और नष्ट कर दी जानी चाहिए।

परिशिष्ट VI/2
नियम 626.2

परिशिष्ट VI/2

क्रम सं. .....
स्टेशन .....
डिवीजन/जिला .....
रेल .....
तारीख .....

परेषितों पर तामील की जानी वाली सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय/महोदया

विषय .....से .....
तक ..... के लिए बीजक लोक मार्ग पत्र का संख्याक ..... तारीख.....

मैं आपको सूचित करता हूँ कि उपर्युक्त परेषण/पार्सल जिसके कि आप प्रेषिती हैं, गंतव्य स्टेशन पर अपरिदत्त पड़ा है। कृपया ध्यान दे कि यदि वह इस पत्र को प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके यदि छुड़ाया नही जाता है तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारा 84 के अधीन उसे आपको आगे और कोई सूचना दिए बिना ही, व्ययनित करने की व्यवस्था की जाएगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े डैमरेज, स्थान भाड़े, आदि के कारण रेल को देय रकम विक्रय आगमों से पूरी नही होती है तो मैं आपसे बकाया राशि चुकाने की अपेक्षा करूंगा। देय प्रभारों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

(1) भाड़ा □.....
(2) डेमरेज □.....
(3) उत्तरीय प्रभार □.....
(4) स्थान भाड़ा □..... प्रति 50 किलोग्राम प्रति दिन की दर से ..... तारीख ..... से प्रेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

अध्याय VII
रेडियोएक्टिव सामग्री

अध्याय VII

रेडियोएक्टिव सामग्री

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल

701. कुछ पदार्थो के बारे में ज्ञात है कि वे ऐसे कण छोड़ते हैं जो उर्जा के निर्मोचन के साथ साथ कभी कभी विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे उत्सर्जन को विकिरण कहा जाता है। जो सामग्री विकिरण का उत्सर्जन करती है उन्हें सामग्री कहा जाता है, प्रकृति में बहुत सी रेडियोएक्टिव सामग्री होती है। ऐसी सामग्री का कृत्रिम साधनो से उत्पादित करने की आवश्यकता इसलिए पैदा होती है क्योंकि इनके औषधि, उद्योग, कृषि और अनुसंधान में बहुत से उपयोग मिलते हैं ऐसी सामग्री को परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी :परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के सुसंगत उद्धरण और उक्त अधिनियम के अधीन जारी सुसंगत अधिसूचना परिशिष्ट VII/1 में दी गई है।

रेडियोएक्टिव सामग्रियों के वहन पर साधारण प्रतिबंध

702.1 वे रेडियोएक्टिव सामग्री जिन्हें रेल द्वारा ले जाये जाने की अनुमति है, सारणी VII में सूचीबद्ध है: ऐसी सामग्रीयों को रेल अधिनियम 1989 (1989 का सं. 24) के अधीन खतरनाक माल माना गया है और इनका परिवहन इस अध्याय में उल्लिखित शर्तो के पूरा करने और नियमों के अनुपालन पर ही रेल द्वारा किया जा सकता है।

रेडियोएक्टिव सामग्री को केवल नामित स्टेशनों से नामित स्टेशनों तक ही बुक किया जाना है।

702.2 रेडियो एक्टिव सामग्री को गाड़ी द्वारा केवल एक सीमित संख्या में रेलवे स्टेशन से/ तक बुक किए जाने की अनुमति दी गयी है। ऐसे स्टेशनों की सूची परिशिष्ट VII/2 में अंतर्विष्ट है।

रेडियोएक्टिव सामग्री का केवल प्राधिकृत व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा ही परिवहन किया जाना

702.3 रेडियोएक्टिव सामग्री का परिवहन केवल उन्ही व्यक्तियों /संस्थानों द्वारा किया जाएगा जो रेडियोएक्टिव सामग्री की उठाई धराई करने के लिए प्राधिकृत है। इसी प्रकार, प्रेषिती भी प्राधिकृत व्यक्ति अभिकरण होना चाहिए। रेडियोएक्टिव सामग्री का प्राधिकार अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड (ए ई आर बी) मुम्बई या अध्यक्ष, विकिरण संरक्षा प्रभाग (डी आर पी) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) मुम्बई द्वारा जारी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी संघटक यूनिटें रेल द्वारा परिवहन के लिए रेडियो एक्टिव सामग्री वाले पैकेजों को अग्रेषित करने के लिए प्राधिकृत है।

टिप्पणी : रेडियोएक्टिव सामग्री को सम्हालने के लिए प्राधिकार प्रयोगकर्ताओं को जारी किया जाता है। सम्लहाई पद के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन जारी विकिरण संरक्षा नियम 1971 में यथा परिभाषित परिवहन भी है कृपया परिशिष्ट VII/1 देंखें।

वहन करने से इन्कार करने का रेल प्रशासन का अधिकार

702.4 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकता है कि वह सारणी VII में विनिर्दिष्ट किसी विशेष रेडियोएक्टिव सामग्री का जन साधारण के लिए रेल द्वारा वहन नही करेगा।

रेल प्रशासन की शक्तियां

703. प्रवेश रोकने का अधिकार — जहाँ रेल प्रशासन को यह संदेह होता है कि रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त कोई पैकेज, जो रेल द्वारा वहन करने के लिए भेजा जा रहा है, इन नियमों के अनुरूप नही है तो प्रशासन उस पैकेज को वहन के लिए स्वीकार नही करेगा।

प्रेषक द्वारा प्रेषण की सूचना का दिया जाना

704.1 (क) प्रेषण की सूचना का अनिवार्य होना — रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किन्ही अपवादों के अधीन रहते हुए रेडियोएक्टिव सामग्री का कोई परेषण तब तक परेषण के लिए किसी रेल प्रशासन को नही भेजा जाएगा या रेल प्रशासन द्वारा वहन के लिए स्वीकार नही किया जाएगा, जब तक कि ऐसे परेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना उपनियम 704.2 में विहित रूप में नही दे दी जाती और जब तक कि उस स्टेशन का भार साधक अधिकारी जिससे परेषण को भेजा जाना प्रस्तावित है, लिखित रूप में यह सूचित नही कर देता कि परेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

704.1 (ख) परेषण को यह साबित करना है कि वह रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई के लिए प्राधिकृत है और पैकेज अनुमोदित डिजाइन का है— रेडियोएक्टिव परेषण रेल द्वारा वहन के लिए केवल परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) या विकिरण संरक्षा प्रभाग (डीआरपी) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) द्वारा रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही भेजा जाएगा। प्रेषक से इस आशय का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना आपेक्षित है कि वहन रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई के लिए ए ई आर बी या डी.आर.पी.बी.ए.आर.सी. द्वारा वास्तव में प्राधिकृत है जिस प्रोफार्मा में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया जाना है परिशिष्ट VII/3 (क) VII/3 (ख) के रूप में संलग्न है। दस्ताबेजी सबूत की एक फोटो कापी बुकिंग के समय परेषण के साथ प्राधिकृत रेल सेवक को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे अग्रेषण नोट के साथ बीजक की रिकार्ड प्रति के पीछे संलग्न करेगा। ऐसे दस्तावेजी सबूत की मूल प्रति सत्यापन के लिए, यदि आवश्यक हो, प्राधिकृत रेल कर्मचारीवृन्द द्वारा मंगवाई जा सकती है। टाइप बी पैकेज के संबंध में, प्रेषक द्वारा ए ई आर बी द्वारा जारी पैकेज डिजाइन के अनुमोदन के प्रमाणपत्र की एक प्रति, परेषण की बुकिंग के समय परिवहन कागजपत्रों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी - कोई व्यक्ति/संस्था जो रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई के लिए प्राधिकृत है, रेडियोएक्टिव सामग्री को बुक करने के लिए, भी प्राधिकृत है चूँकि रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई में सभी सक्रियांए शामिल है जिनके अंतर्गत नियम 702.3 के अधीन टिप्पणी में यथा उल्लिखित रेडियोएक्टिव सामग्री का परिवहन भी है।

704.2 नोटिस में दी जाने वाली विशिष्टियां—उपनियम के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संबोधित की जायेगी जिससे माल भेजा जाना प्रस्तावित है और ऐसी सूचना परेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम 48 घंटे पूर्व भेजी जाएगी सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा इससे कम अवधि निर्धारित की गई हो। नोटिस में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होना चाहिए।

(1) प्रेषक की रेडियोएक्टिव सामग्री का सही नाम, वर्णन और मात्रा

(2) प्रेषक का नाम और पता

(3) प्रेषिती का नाम, पता और यह घोषणा कि प्रेषिती रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई के लिए ए ई आर बी/डी आर पी, बी ए आर सी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है।

(4) यह घोषणा कि रेडियोएक्टिव सामग्री को रेड टैरिफ में अधिकथित नियमों अर्थात नियम 708 और 710 के अनुसार पैक और चिह्नांकित किया गया है।

(5) प्रेषक द्वारा यह घोषणा जिसमें परेषण के बारे में आवश्यक विशिष्टियां कथित हो जिसके अंतर्गत रेडियो ऐक्टिव सामग्री की पहचान, उसकी शक्ति, पैकेज के बाहर विकिरण स्तर तथा जहाँ सुसंगत हो, औसत सतह ही ऊष्मा स्राव भी दिया गया हो।

टिप्पणी : (1)सभी तरह से पूर्ण अग्रेषण पत्र, जो परेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से 48 घंटे पूर्व

दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझा जाएगा।

(2) जब रेलवे स्टेशन अथवा शेड का भारसाधक अधिकारी माल को स्वीकार करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को इस नियम के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारीवृन्द द्वारा प्रमाण पत्र अग्रेषण नोट आदि प्राप्त करना

705.1 सारणी VII में उल्लिखित रेडियोएक्टिव सामग्री के प्रत्येक परेषण के मामले में रेल कर्मचारीवृन्द के लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रेषक से एक अग्रेषण पत्र (इस टैरिफ के उपाबन्द क में यथाविहित) प्राप्त करें जो सभी तरह से पूर्ण हो। प्रेषक अग्रेषण नोट में नीचे लिखे अनुसार अतिरिक्त घोषणा भी करेगा।

"मै एतद्वारा वचन देता हूँ कि यदि पैकेज गंतव्य रेलवे स्टेशन पर पैकेज की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नहीं छुड़ा लिया गया तो मैं गंतव्य रेलवे स्टेशन पर सभी रेल प्रभारों का भुगतान करके पैकेज प्राप्त कर लूंगा या सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए मूल अग्रेषण स्टेशन तथा परिदान लेते समय सभी रेल प्रभारों का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध होते हुए पैकेज को मूल अग्रेषण स्टेशन भेजने के लिए पुन: बुक करने की व्यवस्था करूंगा।

705.2 रेल कर्मचारीवृन्द के प्रेषक के सम्यक् रूप से प्राधिकृत होने तथा उक्त नियम 704.1 (ख) में यथा उल्लिखित टाइप बी के पैकेज के डिजाइन के संबंध में अनुमोदन के लिए प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना चाहिए।

705.3 रेल कर्मचारीवृन्द को प्रेषक से परिवहन आपात कार्ड (ट्रेमकार्ड) प्राप्त करना चाहिए जिसमें आपात काल की स्थिति में की जाने वाली कारवाई संक्षिप्त रूप में सूचीबद्ध हो ट्रेमकार्ड में प्रेषक, प्रेषिती और अध्यक्ष, डी. आर. पी., बी. ए. आर.सी. मुम्बई के पते और टेलीफोन नम्बर भी दिये होगें ट्रेमकार्ड के प्रति मालगाड़ी के गार्ड और गन्तव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध कराई जायेगी। ट्रेमकार्ड का एक नमूना परिशिष्ट VII/4 में शामिल है।

705.4 रेडियोएक्टिव सामग्री का परेषण बुक करने के तत्काल बाद, अग्रेषक स्टेशन मास्टर द्वारा गंतव्य के स्टेशन को एक अग्रिम लिखित सूचना भेजी जानी चाहिए ताकि गन्तव्य स्टेशन रेडियोएक्टिव सामग्री का परेषण प्राप्त करने के लिए उचित इन्तजाम कर सके इस लिखित सूचना में प्रेषक और प्रेषिती के नाम और पते भी शामिल होने चाहिए। ऐसे अग्रिम नोटिस के प्राप्त होनें पर, गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रेषिती को परेषण के पहुँचने पर तत्काल उसका परिदान लेने के लिए तैयार रहने का अनुरोध करते हुए सूचित करने की कोशिश करना चाहिए।

706. बीजक या रवन्ना पर टिप्पणी : रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषणो के लिए जारी बीजकों या रवन्नों पर इस आशय का एक पृष्ठांकित होना चाहिए कि नियम 705 में उल्लिखित दस्तावेज प्रेषक से प्राप्त कर लिये हैं।

स्वीकार करने की बावत प्रतिषेध

707.1 (क) मिश्रित परेषणों का प्रतिषेध होना - रेडियोएक्टिव सामग्री अन्य माल के साथ परेषण के भाग के रूप में स्वीकार नही की जाएगी। अपितु वह एक पृथक अग्रेषण नोट के अधीन दी जाएगी एक अलग परेषण के रूप में बुक की जाएगी।

(ख) सामान के रूप में बुक करने और वहन करने का प्रतिषेध - रेडियोएक्टिव सामग्री को सामान के रूप में बुक नही किया जाएगा। उन्हें वैयक्तिक सामान के भाग के रूप से वहन करने की भी अनुमति नही होगी।

मंहगे मार्ग द्वारा बुक करने का प्रतिषेध

707.2 रेडियोएक्टिव सामग्री महंगे रास्ते से वहन करने के लिए स्वीकार नही की जाएगी सिवाय उसके कि जहां

(i) महंगा रास्ता एक आमान से दूसरे आमान में या यातावरण किये जाने से बचाने के लिए चुना गया हो, या

(ii) वहन के लिए सामान्य मार्ग में बाधा पहुंचती हो।

रेडियोएक्टिव सामग्री को यानान्तरित करने व पुन: पैक करने की अनुज्ञा नही है

707.3 रेडियोएक्टिव सामग्री, मार्ग में यानान्तरण या पुन: पैकिंग किए बिना गंतव्य स्थान तक सीधी बुक की जानी चाहिए। यह माल गाड़ियों द्वारा बुकिंग के लिए भी लागू होगा।

पार्सल के रूप में बुक किए जाने वाले पैकेज का अधिकतम भार

707.4 रेडियोएक्टिव सामग्री वाले पेकेजों को पार्सल के रूप में तभी बुक किया जाएगा जब इसका भार 50 किलोग्राम या उससे कम हो। 50 किलोग्राम से अधिक भार वाला कोई पैकेज पार्सल के रूप में बुक किए जाने के लिए स्वीकार नही किया जाएगा। गाड़ी के गार्ड को ब्रेकयान /ब्रेकयानों में लादे गए रेडियोएक्टिव सामग्री वाले पैकेजों का नोट रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्रेकयान/ब्रेकयानों में लादे गये ऐसे पैकेजों की अधिकतम संख्या किसी भी समय दो से अधिक नही है। जिन पार्सलों में रेडियोएक्टिव सामग्री हो उन्हें केवल विशेष पार्सल गाड़ियों द्वारा ही वहन किया जाएगा न कि यात्री / मिश्रित गाड़ियों द्वारा।

फुटकर के रूप में बुकिंग की बावत निषेध

707.5 रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेजों को मालगाड़ी द्वारा फुटकर परेषण के रूप में बुक नही किया जाता है। मालगाड़ी द्वारा बंकिंग के लिए प्रेषक द्वारा एक पूरे मालडिब्बा लदान की मांग की जानी चाहिए जो ब. ला. पर

60 क्विंटल और मीटर लाईन पर 45 क्विंटल के प्रभार के लिए न्यूनतम भार के अध्यधीन होगा। छो.ला. द्वारा रेडियोएक्टिव सामग्री की बुकिंग निषेध है।

भाड़ा प्रभार और स्वीकृति के दिन

708. जब कभी रेडियोएक्टिव सामग्री का वहन करने वाली गाड़ी की सरंक्षा के लिए गार्ड या उम्मी मालडिब्बों के रूप में खाली मालडिब्बे लगाना आवश्यक है वहां ऐसे मालडिब्बे, मालभाड़ा दर सूची में अधिसूचित दर पर प्रभारित किए जाएगें।

पैकिंग

709.1 रेडियोएक्टिव सामग्री उपयुक्त पैकेजों में सम्यकित रखे जाने पर परिवहन के लिए अग्रेषित की जाएगी। काटे हुए पैकेज विशेष का चित्र नीचे दिखाया गया है। प्रत्येक रेडियोएक्टिव सामग्री के लिए की जाने वाली पैकिंग की किस्म सारणी VII में दर्शायी गयी है। इन पैकेजों का सामान्य विवरण परिशिष्ट VII/5 में दिया गया है। सामान्य रूप से प्रयुक्त कुछ पैकेजों का नमूना परिशिष्ट VII/5 में दिया गया है

टिप्पणी - सारणी VII और परिशिष्ट VII/5 में उल्लिखित पैकेजों की सूची सर्वथापूर्ण नही है प्रेषक ऐसा पैकेज, जिसका विवरण सारणी VII या परिशिष्ट VII/5 में शामिल नही किया गया है, अग्रेषित कर सकता है, बशर्ते कि पैकेज अध्यक्ष, ए ई आर बी, मुम्बई या अध्यक्ष डी आर पी, बी ए आर सी, मुम्बई द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया हो।



709.2 कोई रेडियोएक्टिव सामग्री परिवहन के लिए तब तक प्रस्तुत नही की जाएगी या उनका परिवहन नही किया जाएगा जब तक कि सारणी VII में अधिकथित रीति से पैक न की गई हो जैसा कि नियम 704.1 (ख) में उल्लिखित है, प्रेषक का यह कर्तव्य है कि वह रेल द्वारा बुकिंग के लिए परेषण प्रस्तुत करते समय एक प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करें कि 'बी' प्रकार के पैकेजों के संबंध में, पैकेज डिजाइन ए ई आर बी द्वारा अनुमादित है अन्य पैकेजों के संबंध में प्रेषक को यह घोषणा करनी चाहिए कि यह ए ई आर बी द्वारा अनुमोदित पैकिंग के अनुसार पैक किया गया है।

रेडियोएक्टिव सामग्री प्राधिकृत रेल कर्मचारी द्वारा और विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर स्वीकार की जाएगी।

710. रेल द्वारा परिवहन किए जाने के लिए प्राशयित रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषण केवल

1. सम्यकंत प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा और

2. सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थानो पर, जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए गये हो, प्राप्त किए जाएगें।

परेषको द्वारा पैकेजों का चिन्हांकन और उन पर लेबल लगाना

711.1 चित्रयुक्त लेबल : रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेजों पर लगाए जाने वाले लेबलों, जो कि परमाणु उर्जा नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रेडियोएक्टिव सामग्री के परिवहन के लिए संरक्षा संहिता में मानकीकृत और विहित किए गए हैं रेल द्वारा इन सामग्री के वहन के लिए लागू होंगे। पैकेजों के बाहर विकिरण स्तरों के आधार पर लेबलों के नीचे दर्शाए गए अनुसार तीन प्रवर्ग है।

1. प्रवर्ग I सफेद रंग दर्शाता है कि पैकेज के बाहर विकिरण स्तर बहुत कम है, पैकेज का परिवहन सूचकांक शून्य है।

2. प्रवर्ग II पीला रंग दर्शाता है कि पैकेज के बाहर विकिरण स्तर कुछ ज्यादा है, पैकेज का परिवहन सूचकांक 1.0 से कम अथवा उसके बराबर है।

3. प्रवर्ग।।। पीला रंग दर्शाता है कि पैकेज से बाहर विकिरण स्तर प्रवर्ग पीले लेबलों वाले पैकेजों से अधिक है पैकेज का परिवहन सूचकांक 10.00 से कम अथवा उसके बराबर है।

10.00 से अधिक परिवहन सूचकांक वाला कोई भी पैकेज बुकिंग के लिए स्वीकार नही किया जाएगा ये लेबल चित्र 1,2,3, में दर्शाए गए हैं। यह प्रेषक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक पैकेज पर ऊपर दिये गये मानक लेबलों के अनुरूप उचित लेबल लगांए। लेबल में भरी जाने वाली अपेक्षित सूचना भी प्रेषक द्वारा भरी जाती है। सभी पैकेज सम्हलाई हेतु सुरक्षित है। लेबल प्रेषक और प्रेषिती की सुविधा के लिए लगाये जाते हैं।

711.2 लेबल साइडों पर लगाए जाने है। लेबल पैकेज के बाहरी भाग के आमने सामने की साइडों पर लगाए जाएंगे या यदि रेडियोंएक्टिव सामग्री का परिवहन माल आधान या टैंक में किया जा रहा है तो सभी चार साईडों के बाहरी भाग पर लगाए जाएगे।

चित्र 1

वर्ग। पैकेज के लिए सफेद लेबल



रेडियोएक्टिव सामग्री

711

चित्र 2

वर्ग II पैकेज के लिए पीला लेबल



रेडियोएक्टिव सामग्री

711

चित्र 3

वर्ग ।।। पैकेज के लिए पीला लेबल



711.3 लेबल पर सूचना : प्रत्येक लेबल निम्नलिखित सूचना सहित पूरा किया जाए।

(क) **अंतर्वस्तुएं** : निम्न विर्दिष्ट एक्ट्विता (एल.एस.ए.) सामग्री के लिए 'एलएसए-।' ''एलएसए-।।'' और ''एलएसए-।।।'' जैसा उचित हो, और अन्य रेडियोएक्टिव सामग्री के लिए, सारणी - VII में दिए गए रेडियोन्युक्लाइड के नाम, उसमें विहित प्रतीकों का प्रयोग करते हुए।

टिप्पणी : साधारणतया परिवहन की जाने वाली एलएसए सामग्री वे सामग्री हैं जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम, प्राकृतिक थोरियम, ट्रीशिएटिड हैवी वाटर आदि शामिल है।

(ख) **ऐक्टिवता** : परिवहन के दौरान रेडियाएक्टिव तत्वों की अधिकतम ऐक्टिवता बैक्रल्स (बीक्यु) या क्युरिज (सीआई) या उसके गुणज में अभिव्यक्त की जाएगी, बिखण्डय सामग्री के लिए ऐक्टिवता के स्थान पर द्रव्यमान सामग्री के लिए ग्राम (जी) या उसके गुणज का प्रयोग किया जाएगा।

(ग) टैंक और माल आधानों के लिए, लेबल पर अंतर्वस्तु और एक्टिवता प्रविष्टियों में टैंक या माल आधानों की समस्त अन्तर्वस्तु के लिए कुछ मिलाकर क्रमश: उपयुक्त क और ख में अपेक्षित सूचना होगी। चित्र 4 में दर्शाए गए प्लेकार्ड के टैंक की बाहरी सतह पर लगाया जाना चाहिए।

(घ) **परिवहन सूचकांक** : प्रेषक परिवहन के लिए अग्रेषित प्रत्येक पैकेज के संबंध में परिवहन सूचकांक उपदर्शित करेगा।

टिप्पणी : परिवहन सूचकांक टी आई पैकेज की बाहरी सतह से 1 मीटर पर एम आर ई एम / एच* में अधिकतम विकिरण स्तर में परिवहन सूचकांक प्रवर्ग।। और।।। पीले लेबल में उपदर्शित है प्रवर्ग 1 सफेद लेबल के परिवहन सूचकांक को शून्य माना जाना चाहिए।

(ड) **आपात अनुदेश** : प्रत्येक पैकेज की बाहरी सतह पर एक लेबल यह दर्शाते हुए लगाना चाहिए कि यदि परिवहन या भंडारण के दौरान पैकेज से छेड़छाड़ की जाती है या वहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो निम्नलिखित कार्रवाईयां की जानी चाहिए।

(i) पैकेज को एक प्लास्टिक शीट में लपेट दें उसे एक अलग स्थान पर रखदें और पैकेज के चारों तरफ लगभग 3 मी. की दूरी पर डोरी बांध दें।

(ii) प्रेषक का लेबल पर पता दिया गया है और अध्यक्ष डी आर पी, बी ए आर सी, चैम्बूर, मुम्बई - 400085 (टेलीफोन सं. 022-25511917) टेलीफोन द्वारा सूचित करें। (तार सेवा 1-1-2014 से बंद कर दी गई है।)

(iii) अध्यक्ष, डी आर पी, बी ए आर सी मुम्बई द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई करें।

टिप्पणी : कतिपय आपात कारवाईयो परिशिष्ट VII/4 में सूचित है।

रेलवे द्वारा चिन्हांकन

712. रेडियोएक्टिव सामग्री से युक्त प्रत्येक पैकेज को रेल चिह्नों से बाहर की तरफ समुचित रूप से चिन्हांकित किया जाएगा जिनमें भेजने वाले और गंतव्य स्टेशनों के कोड अक्षर, बीजक या रवन्ना संख्या तथा परेषण में पैकेजों की संख्या उपदर्शित की जाएगी।

रेल कर्मचारियों का उत्तरदायित्व

713.1 परेषण बुक करना :रेल द्वारा परिवहन के लिए किसी रेडियोंएक्टिव परेषण को लेते समय रेल कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए :-

1. पैकेज अच्छी हालत में दिखाई दे रहा है।

2. पैकेज के बाहरी भाग पर प्रेषक और प्रेषिती के पते और पैकेज का सकल भार स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।

3. परेषण के साथ प्रेषक द्वारा जारी इस आशय की एक घोषणा संलग्न है कि पैकेज परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड द्वारा विहित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया, चिन्हांकित किया गया, लेबल लगाया गया और परिवहन के लिए भेजा जा रहा है। और

4. परिवहन दस्तावेजों में वाहकों के लिए सूचना शामिल है जिसमें प्रेषक, वाहक द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाईयों, यदि कोई हो, के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा, विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क. पैकेज के लदान, भंड़ारण, परिवहन सम्हलाई और उतराई के लिए अनुपूरक परिचालन अपेक्षाएं

या ऐसा कथन कि ऐसी अपेक्षाएं आवश्यक नही हैं।

ख. वाहनों पर निर्बंधन और कोई आवश्यक मार्ग सम्बन्धी निर्देश और

ग. परेषण के लिए उपयुक्त आपतिक इंतजाम

5. रेडियोएक्टिव सामग्री बुकिंग स्टेशन, गंतव्य स्थान और परिवहन के दौरान अलग रखी जांएगी।

6. गंतव्य स्टेशन पर, अब रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषण को, पहुंचने के बाद तत्काल, परिदत्त कर दिया जाएगा।

'एम आर ई एम/एच : प्रति घंटा मिली रैम/रेस विकिरण डोज की इकाई है।

713.2 क्षतिग्रस्त पैकेज : यदि रेडियोंएक्टिव सामग्री युक्त पैकेज गंतव्य स्थान पर या अभिवहन भंडारण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हालत में मिलता है, तो प्राप्तकर्ता रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारीवृन्द :-

क. परेषण के कार्गो भंडारण क्षेत्र के अलग भाग में भंडारण करेंगे।

ख. पैकेज से 3 मीटर की दूरी के भीतर दखलंदाजी पर रोक लगाएंगे।

ग. भंडार गृह में व्यक्तियों को इधर उधर घूमने से रोकने के लिए एक प्लेकार्ड लगाएंगे।

घ. जो व्यक्ति पैकेजों की सम्हलाई करते हैं, उन्हे हाथ भलीभांति डिटर्जेंट से धोने का निर्देश देंगे।

ड. अध्यक्ष विकिरण, संरक्षा प्रभाग**, बी ए आर सी, मुम्बई 400085 को घटना तथा उस प्रेषक और प्रेषिती के नाम सूचित करें जो उनकी सलाह एवं सहायता चाहतें हैं।**

च. अध्यक्ष, डी आर पी, बी ए आर सी, मुम्बई द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार ऐसे उपाय करना और प्रेषिती को पार्सल का परिदान लेने की अनुमति दी जाए।

सम्हलाई और भंडारण

714.1 रेल कर्मचारियों द्वारा पैकेज की सम्हलाई : रेल कर्मचारियों द्वारा पैकेज की सम्हलाई पैकेज डिजाइन में शामिल की गई ऐसी सम्हलाई सुविधाओं का उचित प्रयोग करते हुए सावधानी पूर्वक की जाएगी।

714.2 पैकेजों का भंडारण - (क) अग्रेषण (यानांतरण) परिदान के लिए लम्बित रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेजों को रेडियोएक्टिव परेषणों के लिए चिन्हांकित छोटे से क्षेत्र में भंडारण गृह में भंडार किया जाएगा। यह क्षेत्र जहां तक संभव हो, अन्य खतरनांक माल और एक्सपोज न की गई बिना धुली फोटोग्राफिक फिल्में/एक्स रे फिल्मों या प्लेटों द्वारा घेरी गई जगह से दूर रखा जाएगा। पैकेजों की कुल संख्या, जो भंडारण क्षेत्र में रखी जानी है, वहन इतनी सीमित होनी चाहिए परिवहन सूचकांक का जोड़ 50.0 से अधिक नही होना चाहिए रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेजों और अन्य फोटो संवेदनशील फिल्मों युक्त पैकेजों के बीच पृथककरण क्षेत्र को अन्य कार्गो से भर देना चाहिए बशर्ते ऐसे कार्गो में खतरनाक माल शामिल न हो। 50.0 के परिवहन सूचकांक की सीमा से अधिक किसी प्राप्त पैकेज का, पहले लॉट से 6 मीटर दूर अलग से भंडारण किया जाना चाहिए।

(ख) **रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई करते समय सुरक्षित दूरी रखी जानी चाहिए** - रेडियोएक्टिव सामग्री यथा संभव शीघ्र लादी या उतारी जानी चाहिए। परिचालन से असंबद्ध व्यक्तिों को दूर रखा जाना चाहिए।

(ग) **सम्हलाई कार्यवाई अनावश्यक रूकावट के बिना तत्परतापूर्वक की जानी चाहिए** - रेडियोएक्टिव सामग्री की सम्हलाई शुरू होने के बाद, यह कार्यवाई पर्याप्त तत्परता और बिना किसी अनावश्यक रोक के चलाई जाएगी।

(घ) (।) रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेजों के फैंका/नीचे गिराया, लुडकाया या जमीन या फर्श पर घसीटा नहीं जाएगा और इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि वे किसी भी सख्त चीज से न टकरा जाएं।

(।।) भारी पैकेजों की सम्हलाई एक से अधिक व्यक्तियों की टीम द्वारा, पैकेजों पर दिए गए स्लिंग या सहारे का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पैकेज को सुरक्षित स्थान से पकड़ते हुए रेडियों करनी चाहिए।

(ड) **अप्राधिकृत व्यक्तियों का निषेध** - किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जहां रेडियोएक्टिव सामग्री का भंडारण किया गया है या सम्हलाई की गई है या ऐसे वाहनों या मालडिब्बों तक जिनमें उनका वहन किया जा रहा है, जाने की अनुमति नही होगी।

(च) रेडियोएक्टिव सामग्री से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा या बर्फ से संरक्षा में रखा जाएगा और न ही उन्हें सीलन वाली भूमि पर रखा जाएगा।

(छ) यदि यानांतरण आवश्यक हो जाता है या परिदान लंबित किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, तो रेडियोएक्टिव सामग्री को उतराई स्थल पर किसी भी असम्यक् लंबी अवधि के लिए रखे जाने की अनुज्ञा नही देनी चाहिए।

715 परिदान लेने में प्रेषिती की ओर से विलम्ब - यदि रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेज का परिदान प्रेषिती द्वारा परेषण की गंतव्य स्टेशन पर प्राप्ति के सात दिन के भीतर नही लिया जाता है तो गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रेषिती एवं प्रेषक को परेषण का तत्काल परिदान लेने के लिए एक नोटिस भेजना चाहिए। यदि ऐसा नोटिस जारी होने के बावजूद भी पैकेज वहीं पड़ा रहता है और प्रेषिती या प्रेषक द्वारा गंतव्य स्टेशन पर पैकेज की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परिदान नही लिया जाता है तो गंतव्य स्टेशन का स्टेशन मास्टर, संदत्त प्रभारों सहित भाड़ा देय रेलवे रसीद जारी करते हुए अग्रेषण स्टेशन के सटेशन मास्टर को ऐसा पैकेज वापस कर देगा बशर्ते पैकेज अक्षतिग्रस्त अवस्था में हो। ऐसी स्थिति में, गंतव्य स्टेशन का स्टेशन मास्टर अग्रेषण स्टेशन और प्रेषक को लिखित रूप में इस तथ्य की सूचना भी देगा कि सभी प्रभारों की वसूली और सभी औपचारिकताओं जैसे रेलवे रसीद के अभ्यर्पण आदि का अनुपालन करने पर प्रेषक द्वारा परिदान लेने के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री का परेषण अग्रेषण स्टेशन पर वापस भेज दिया गया है। अभिवहन की समाप्ति के बाद रेलवे हानि, विनाश नुकसान, क्षय और अपरिदान के लिए उत्तरदायी नही होगी।

ब्रेकयानों में रेडियोंएक्टिव सामग्री के परिवहन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां

716. जैसा कि उपरोक्त नियम 707.4 में उल्लिखित है, रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त 50 किलोग्राम, या उससे कम वजन वाले दो से अनधिक पैकेज यात्री गाड़ी के ब्रेकयान/ब्रेकयानों में लादने की अनुज्ञा हैं। पैकेज का लेबल परिवहन किए जा रहे पैकेज का परिवहन सूचकांक दिखाता है यह देखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि लेबल पर उल्लिखित परिवहन-सूचकांक 10.0 से कम है या बराबर है यदि वह 10.0 से अधिक होता है तो पैकेज को यात्री गाड़ी के ब्रेकयानों में नही लादा जाएगा, जिन ब्रेकयानों में रेडियोएक्टिव सामग्री लादी गई हो उनमें खतरनाक माल या एक्सपोज न की गई / बिना धुली फोटोग्राफिक फिल्मों / प्लेटों युक्त अन्य कोई पार्सल नही लादा जाना चाहिए। तथापि, अन्य पार्सल जिनमें खतरनाक माल या एक्सपोज न की गई/बिना धुली फोटोग्राफिक फिल्में/प्लेंटे न हो, निर्बाध रूप से लादे जा सकतें हैं।

717. सामान्य सेवा मालडिब्बे रेडियोएक्टिव सामग्री के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं एक अलग मालडिब्बे की अंतवस्तुओं का कुल परिवहन सूचकांक 50.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

विशेष गाड़ियो द्वारा रेडियोएक्टिव सामग्री का परिवहन

718.1 कुछ रेडियोएक्टिव सामग्री, जिनकी विशिष्टियां सारणी VII में शामिल है, विशेष गाड़ियों द्वारा ले जाई जा सकती है, ऐसे परेषणों के मामले में प्रेषक, परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार की संघटक यूनिट में से एक होगा।

2. इन सामग्रियों का परिवहन कुछ टन भार वाले विशेष कवचित आधानों में जिन्हे, कास्क कहा जाता है, किया जाता है।

3. ये कास्क समुचित क्षमता के बी डब्ल्यू एल मालडिब्बे में लादे जाएगें।

4. लदान के लिए प्रदाय से पहले इन बी डब्ल्यू एल मालडिब्बों की समुचित जांच की जाएगी और टी एक्स आर द्वारा सही घोषित किए जाएगें।

5. भार सहन करने वाले मालडिब्बें की निचली बीमें बिना किसी रिवेट की हुई जुडनरों के चपटी होनी चाहिए।

6. बी डब्ल्यू एल मालडिब्बें में कास्क का लदान प्रेषक द्वारा उसकी अपनी क्रेन से किया जाएगा। इसी प्रकार, परेषण की उतराई प्रेषिती द्वारा उसकी अपनी क्रेन से की जाएगी।

7. बी डब्ल्यू एल मालडिब्बा निम्नलिखित संरचना में विशेष गाड़ी के रूप में चलाए जाने चाहिए।

क) इंजन

ख) 4 डम्मी मालडिब्बा

ग) एस एल आर या जी एस या एफ सी एस

घ) बी डब्ल्यू एल मालडिब्बा

ड) ब्रेकयान

जब एक से अधिक बी डब्ल्यू एल मालडिब्बे किसी एक विशेष गाड़ी में कर्षित किए जाने हैं तो रेलवे द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी।

8. विशेष गाड़ी का रेखाचित्र परिशिष्ट VII/6 में दर्शाया गया है।

9. विशेष गाड़ी रास्ते में किसी भी गेज-भंग के या भार को बढ़ाए बिना गंतव्य स्टेशन तक चलाई जानी चाहिए।

10. विशेष गाड़ी का मार्ग रक्षण प्रेषक के कार्मिकों द्वारा किया जाएगा जो एस एल आर /जी एस/ एफ सी एस में यात्रा करेगें।

11. मार्गरक्षी में प्रेषक द्वारा नामित तकनीकी कार्मिक और सुरक्षा कार्मिक होगें।

12. विशेष गाड़ी के संचलन पर नियंत्रक कार्यालय द्वारा निगरानी रखी जाएगी।

मालडिब्बों पर लेबल लगाना

719. जहां कोई मालडिब्बा रेडियोएक्टिव परेषण के परिवहन के लिए लगाया जाता है, वहां मालडिब्बें के दोनो पार्श्व बाहरी तरफों पर एक प्लेकार्ड चित्र 4 में उपदर्शित मॉडल के अनुरूप होगा।

चित्र 4

वेहिकिल प्लाकार्ड



(लेबल की न्यूनतम बाहरी विमाएं : 250 mm. x 250 mm.)

अभिवहन में विलंब, पैकेज की चोरी या हानि के कारण गंतव्य पर परेषणों का प्राप्त न होना

720. ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेज बीजक या रवन्ने में दर्शाई गई बुंकिंग की तारीख से उचित समय के भीतर गन्तव्य पर नही पहुंचता है, उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर जिसे ऐसा पैकेज बुक किया जाता है, सुचना के अन्य् साधन जैसे कि दुरभाष्/ई-मेल/फैक्स द्वारा परेषण का ब्यौरा बुकिंग स्टेशन के

स्टेशन मास्टर से संबंधित जंक्शनों और मंडल रेल प्रबंधक–तथा रेलवे पुलिस के अधीक्षक जिसकी अधिकारिकता बुकिंग, यानान्तरण और गंतव्य स्टेशन स्थापित है, को रिपोर्ट करेगा और अध्यक्ष, विकिरण सुरक्षा प्रभाग, बी ए आर सी, मुम्बई को भी सूचित करेगा। रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त पैकेज कि हानि या चोरी, पता लगाने पर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी तथा यदि संबंधित कागजात में पते उपलब्ध हो तो संबंधित विभागीय अधिकारी, अग्रेषण स्टेशन और प्रेषक तथा प्रेषिती और अध्यक्ष, विकिरण सुरक्षा प्रभाग, बी ए आर सी, मुम्बई - 400085 को रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

पहुंचने की सूचना

721.1प्रेषण के पहुंचने पर प्रेषिती को सूचना : गंतव्य स्टेशन का स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषण के पहुंचने की सूचना उसके स्टेशन पर प्राप्त सभी परेषणों के लिए विहित प्रारूप उपाबन्ध 'ख' में प्रेषिती को जारी कर दी गई है और उतराई की तारीख को उसे हटाया नही गया है।

721.2 डैमरेज शुल्क और विलम्ब शुल्क वसूल करने का रेलवे का अधिकार पहुंचने की सूचना जारी न किए जाने से प्रभावित नही होगा : यदि अनुज्ञात किए गए मुक्त समय के भीतर माल का परिदान नही लिया जाता है तो पहुंचने की सूचना न मिलने या विलम्ब से मिलने से प्रेषिती डैमरेज शुल्क और विलम्ब शुल्क के संदाय से छूट पाने का हकदार नही होगा।

अदावाकृत/असंबद्ध पैकेज

722. चाहे क्षतिग्रस्त अवस्था में हो या न हो, अदावाकृत/असंबद्ध पैकेजो की नीलामी नही की जाएगी और इसका निपटान अध्यक्ष, विकिरण संरक्षाप्रभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई 400085 की सिफारिश के अनुसार ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त परेषण का एक सुरक्षित स्थान में भंडारण किया गया है, स्टेशन मास्टर परेषण की ''भाड़ा देय'' रेलवे रसीद जारी करके और 'संदत्त' प्रभारों को जोड़ते हुए रेलवे स्टेशन, दादर द्वारा सेवित बोर्ड आफ रेडिएशन एंड आइसोटाप टेक्नालौंजी (मैसर्स बी आर आई टी) बी एन पी मार्ग, देवनार्, मुम्बई 400094 को बुक करेगा। रेलवे रसीद बी आर आई टी को डाक द्वारा भेजनी चाहिए। तत्पश्चात् परेषण दो वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स बी आर आई टी के सुरक्षित अधिकार में रखे जाएंगे और तब इनका रेलवे से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके निपटान किया जा सकेगा। बी आर आई टी इस प्रयोजन के लिए मध्य रेलवे के साथ एक सामान्य क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करेगा।

शंटिंग

723. शंटिंग करने के दौरान अपनाई जाने वाली पूर्वावधानियां : रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बों की शंटिंग सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग संक्रियाओं के दौरान :-

1. रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बों को इंजन से कम से कम एक ऐसा डिब्बा लगाकर अलग रखा जाता है जिसमें ज्वलनशील प्रकृति का खतरनाक माल अथवा वस्तुएं न हों।

2. सभी संचलनों की गति आठ किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नही है।

3. रफ, हैम्प, फलाई या अलग रखकर शंटिंग तो नही की जाती।

3. रफ, हैम्प, फलाई या अलग रखकर शंटिंग तो नही की जाती।

क्रमबंधन

724. क्रमबंधन के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां :-

1. रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बों की अधिकतम संख्या जो किसी एक समय में गाड़ी के साथ लगाए या कर्षित किए जा सकते हैं, मिश्रित या पार्सल गाड़ी के संबंध में दो होगी और मालगाड़ी द्वारा ढोये जाने के संबंध में वैगनों की संख्या के बारे में कोई सीमा नहीं है।

2. रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बे या वैगन, जैसा भी व्यावहार्य हो गाड़ी के इंजन से यथा संभव दूरी रखी जानी चाहिए और उन सवारी डिब्बों/वैगनों के साथ - साथ ग्रुप बनाकर रखे जाने चाहिए जिनका इस प्रकार ग्रुप बनाना अनुमेय हो।

3. रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बे कम से कम एक ऐसा डिब्बा लगाकर जिसमें रेडियो ऐक्टिव सामग्री न हो निम्नलिखित से अलग रखे जाएंगे

क) रेल इंजन

ख) यात्री डिब्बे या ब्रेकयान

ग) कोई अन्य डिब्बे जिनमें ज्वलनशील प्रकृति की अन्य खतरनाक माल या वस्तुएं हो।

4. रेडियोएक्टिव सामग्री युक्त डिब्बों को साथ के डिब्बों से तथा एक दूसरे से सटा हुआ जोड़ा जाएगा।

मालभाड़े का पूर्व संदाय

725. रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अपवाद के अध्यधीन रखते हुए, रेडियोएक्टिव सामग्री के सभी परेषणों का भाड़ा पूर्वसंदत्त होगा।

726. आपात स्थितियों का प्रबंध और दुर्घटनाओं की रिपोर्ट - जब कभी रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषण को प्रभावित करने वाली कोई दुर्घटना होती है तो उस समय परेषण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारी, निकटतम पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी, प्रेषक, जिसका पता पैकेज पर अंकित हो तथा अध्यक्ष, विकिरण सुरक्षा प्रभाग, बी ए आर सी मुम्बई - 400085 को सूचना दी जानी चहिए। तथापि रेलवे को रेल पथ साफ करवा देना चाहिए और अध्यक्ष, डी आर पी, बी ए आर सी द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञों के पहुचंने तक दुर्घटना में अंर्तग्रस्त पैकेजों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर रेल यातायात पुन: शुरू करवा देना चाहिए। रेल पथ साफ करने के लिए पैकेजों की सम्हलाई के समय रेल कार्मिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वापाय के रूप में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि पैकेज पहले पालीथीन सीट में लपेटा गया है और रेल पथ से लगभग 3 मीटर दूर किसी स्थान पर ले जाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान, पैकेज को शरीर से छूते हुए न पकड़े ओर यह संक्रिया यथासंभव शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। संबंधित कर्मचारिवृन्द को अपने हाथ साबुन तथा डिटर्जेट से धो लेने चाहिए।

टिप्पणी - कुछ एक आपात कार्रवाईयां परिशिष्ट VII/4 में सूचीबद्ध है।

727. व्यावृत्ति - इस अध्याय की कोई भी बात परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और उसके अधीन जारी किये गये नियमों/अधिसूचना/आदेशों, जहां भी वे लागू हों, के प्रवर्तन को कम करने वाली नही समझी जाएगी।

रेडियोएक्टिव सामग्री

सारणी VII

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
एटिमनी 124 (एसबी 124)	2	74	2.4	90.6	2.7	102	6	222	35	1295	184	6808	-	जैसे कि स्तंभ 2 में दिया गया है	फुटकर के रूप में बुकिंग निषेध है	पैकेज भार ≤ 50 किलो केवल 2 पेकेज/ पार्सल वेन	
आरसेनिक-76 (एएस76)	8.3	308	10.8	399	31.6	1200	64.3	2400	725	26000	10सी	377 जीबी क्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
बेरियम-133 (बीए-133)	16	617	34	1200	305	11000	1.6सी	60000	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
बेरियम-140 (बीए-140)	1.6	60	2.5	91	7.8	289	28.3	1000	482	17000	15सी	572 जीबी क्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
केडमियम-115 एम(सीडी-115एम	1.5	56	1.7	64	2.4	90.2	2.8	103	16.8	623	33.4	1.2 जीबी क्यू	-	-	-वही-	-वही-	-

रेडियोएक्टिव सामग्री

सारणी VII

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए / टी पी 2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
केसियम -134 (सी एस 134)	2.5	92	3.1	114	4.0	148	11.4	422	77.5	2800	825	30 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
केसियम -137 (सी एस 137)	6.2	229	7.8	288	10.6	392	34	1200	283	10000	2.8 सी	103 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
केल्सियम-45 (सीए-45)	100	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
कार्बन -14 (सी 14)	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
सेरियम -141 (सीई 141	50	1800	220	8100	9 सी	333 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
क्लोरीन -36 (सीएल 36)	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
क्रोमियम -51 (सी आर 51)	111	4000	355	13100	1.3सी	49.2 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
कोबाल्ट -57 (सी ओ 57)	22	822	24.3	900	49	1800	74.4	2700	739	27000	4.2 सी	155 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
कोबाल्ट -58 (सी ओ 58)	3.6	135	4	147	8	297	12.2	450	121	4000	684	25 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
कोबाल्ट -60@ (सी ओ 60)	1.5	55	1.75	64	2	74	3.54	128	19.2	710	60	2200	-	-	-वही-	-वही-	-
कापर- 64 (सीयू 64)	18	666	24.5	900	35.5	1300	163	12000	1.4 सी	51 जीबीक्यू	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
यूरोपियम- 152 एम (ईयू 152 एम)	3.4	128	38.9	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
गाडोलीनियम-	50	1800	219	8100	9सी	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-

153 (जीडी 153)						जीबीक्यू										

<u>रेडियोएक्टिव सामग्री</u>

सारणी V॥

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
गोल्ड 198 (एयू 198)	8.7	322	11	416	33	1221	67	2482	756	28000	11 सी	394 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
हैफनियम-181 (एचएफ 181)	8.7	322	11	416	33	1221	67	2482	756	28000	11 सी	394 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
होलमीयम - 166 (एच ओ 166)	50	1800	219	8100	9 सी	353 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
हाईड्रोजन - 3 (एच - 3)	1	37	100	3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
इंडियम-113एम (आईएन 113 एम)	25	900	50	1800	458	1700	2.4 सी	91000	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
आयोडीन- 125 (आई 125)	29	1000	687	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
आयोडीन- 131 (आई 131)	9.1	333	11.8	436	16	592	59	2300	455	16000	8.6 सी	318 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
इरीडियम-192@ (आईआर 192)	4	168	5.2	118	7	259	26	962	200	7400	4 सी	1.4 टीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
आयरन- 55 (एफ ई - 55)	150	5500	164	6000	169	6200	174	6400	652	24000	703	26000	-	-	-वही-	-वही-	-

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
आयरन-59 (एफ ई - 59)	3.3	122	3.8	140	4.4	162	8.2	303	44	1600	180	6600	-	-	-वही-	-वही-	-
लेनथानम- 140 (एलए 140)	1.5	55	1.6	59	2.5	91	3.4	127	15.9	590	28.7	1100	-	-	-वही-	-वही-	-
लेड 210 (पी बी 210)	29	1000	687	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
ल्यूटेटियम- 177 (एल यू 177)	1.8	65	893	33 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
मैंगनीज- 54 (एम एन 54)	4.3	157	4.29	159	7.2	267	12.7	470	77.1	2800	291	11000	-	-	-वही-	-वही-	-
मैंगनीज- 56 (एम एन 56)	2.2	81	2.5	92	2.9	107	5.21	192	28.6	1058	110	4070	-	-	-वही-	-वही-	-
पारा -197 (एच जी 197)	9	336	384	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
पारा- 203 (एच क्यू 203)	16	590	100	3.7	750	18 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
नेपट्यूनियम- 237 (एनपी निकेल 237)	333	12000	1 सी	37 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
निकिल- 63 (एनआई 63)	5	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
ओसमियम - 191 (ओ एस 191)	50	1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-

<u>रेडियोएक्टिव सामग्री</u>

सारणी VII

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
पेल्लाडियम 103 (पीडी 103	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
फासफोरस- 32@ (पी 32)	100	3700	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
पोलोनियम 210 (पी ओ 210)	10	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
पोटेशियम 42 (के 42)	13	490	15.3	562	16.7	618	28	1036	147	5439	480	17760			-वही-	-वही-	-
प्रासीओडिमियम 142 (पी आर 142)	100	3700	91	3370	155	5735	185	6845	1 सी	37 जीबीक्यू	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
प्रोमोथियम- 147 (पी एम 147)	100	3700	1 सी	37 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रेडियम- 226 (आर ए 226)	2.4	88.8	2.7	99.9	3	111	5	185	26	962	85	3 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
रेहनियम- 186 (आर ई 186)	400	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रोडियम 105 (आर एच 105)	200	7 जीबीक्यू	893	33000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रोडियम- 106 (आर एच 106)	25	925	32	1200	95	3510	193	7130	2 सी	74 जीबीक्यू	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रूबीडियम- 86 (आर बी 86)	5	182	4.5	169	7.7	287	9.2	343	60	2230	138	5110	-	-	-वही-	-वही-	-
समारियम- 153	200	7400	877	32000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-

(एस एम 153)																

<u>रेडियोएक्टिव सामग्री</u>

सारणी VII

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/ टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
स्केडियम- 46 (एस सी 46)	1.8	68	1.8	67	3	111	5.3	195	30	1100	104	3800	-	-	-वही-	-वही-	-
पेल्लाडियम 103 (पीडी 103	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
फासफोरस- 32@ (पी 32)	100	3700	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
पोलोनियम 210 (पी ओ 210)	10	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
पोटेशियम 42 (के 42)	13	490	15.3	562	16.7	618	28	1036	147	5439	480	17760			-वही-	-वही-	-
प्रासीओडिमियम 142 (पी आर 142)	100	3700	91	3370	155	5735	185	6845	1 सी	37 जीबीक्यू	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
प्रोमोथियम- 147 (पी एम 147)	100	3700	1 सी	37 जीबीक्यू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रेडियम- 226 (आर ए 226)	2.4	88.8	2.7	99.9	3	111	5	185	26	962	85	3 जीबीक्यू	-	-	-वही-	-वही-	-
रेहनियम- 186 (आर ई 186)	400	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-

रोडियम 105 (आर एच 105)	200	7 जीबीक्यू	893	33000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-

रेडियोएक्टिव सामग्री

सारणी V॥

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/ टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
रोडियम- 106 (आर एच 106)	25	925	32	1200	95	3510	193	7130	2 सी	74 जीबीक्यू	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
रूबीडियम- 86 (आर बी 86)	5	182	4.5	169	7.7	287	9.2	343	60	2230	138	5110	-	-	-वही-	-वही-	-
समारियम-153 (एस एम 153)	200	7400	877	32000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-
स्केडियम- 46 (एस सी 46)	1.8	68	1.8	67	3	111	5.3	195	30	1100	104	3800	-	-	-वही-	-वही-	-
सलेनीयम-75 (एस.ई.75)	10	370	9.8	361	15	555	21	776	107	4,000	233	8,000	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
चाँदी-110 एम (ए.जी 110 एम)	1.4	52	1.3	47	2.2	80	2.6	96	17	625	37	1000	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
सोडियम -22 (एन.ए.22)	2.9	106	2.6	96	4.4	164	5.3	196	34	1000	74	2000	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
स्टोंनशीयम-85 (एस.आर.85)	100	3700	500	18.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
स्टोंनशीयम-89 (एस.आर.89)	100	3700	101	37000	169	6200	299	1100	2 सी	74000	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
स्टोंनशीयम-90 (एस.आर.90)	100	3700	1 सी	37 जीबी क्यू	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
सल्फर-35@ (एस.35)	100	3700	1	37	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....

<u>रेडियोएक्टिव सामग्री</u>

सारणी V॥

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिन्हांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/ टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
टेटालम-182 (टी.ए.182)	2.9	109	2.68	99	4.56	169	5.45	202	35.5	1300	81.2	3000	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
टरबीयम-160 (टी.बी.160)	4.5	100	5	185	7.76	287	9.26	343	60.4	2200	138	5100	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
थालीयम-204 (टी.एल.-204)	100	3700	1 सी	37	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
थियूलीयम-170 (टी.एम. 170)	200	7000	637	2300	13 सी	499 जीबी क्यू	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
टीन-113 (एस.एन 113)	200	7000	893	3300	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
टंगस्टन-185 (डल्यू 185)	100	3700	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
यटेरबीयम-169 (वाई.बी.169)	25	925	112	4100	5 सी	185 जीबी क्यू	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
जिंक 65 (जेड एन 65)	7.4	274	7.4	274	12	446	21	786	121	4000	418	15 जीबीक्यू	.....	.....	-वही-	-वही-	.....
जिरकोनीयम 95 (जेड आर-95)	4.9	180	5.3	197	11	398	16	604	162	6000	918	34 जीबीक्यू	.....	.....	-वही-	-वही-	.....

रेडियोएक्टिव सामग्री

सारणी VII

रेडियोएक्टिव -सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा*												चिह्नांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य और आंतरिक पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी में वहन के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण या वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	टीपी-1/टीपी-2		टीपी-1ए /टीपी-2ए	टीपी-बी टीपी-2बी	टीपी-2 सी		टीपी-2 डी		टीपी-2ई		आरटीपी-5 बी						
	एमसी आई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू					
1	2												3	4	5	6	7
थोरियम कम्पाउंड	औद्योगिक पैकेज (स्टील ड्रम)																
यूरेनियम कम्पाउंड	औद्योगिक पैकेज (स्टील ड्रम)																
ट्राईशिएटेड हैवी वाटर	औद्योगिक पैकेज (स्टील ड्रम) अथवा टैंक पात्र																
खर्च किया गया ईंधन	विशेष पैकेज (टाईप बी) (कृपया नियम 717 देखें)																

*रेडियोएक्टिव सामग्री की सक्रियता को मिलीक्यूरीज (एम सी आई) तथा मैगाबीक्यूरेलस (एम बी क्यू) में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि कतिपय मामलों में जहां स्वीकृत सक्रियता अधिक है, वहां परिमाण सी (क्यूरी) और जी बी क्यू (जीगाबेक्यूरल) और टी बी क्यू (टरबेक्यूरल) के रूप में दर्शाया गया है।

एक क्यूरी - 1000 मिलीक्युरी

एक जीगाबेक्यूरल - 1000 मैगाबे क्यूरल

एक टेराबेक्यूरल - 1000 जीगाबेक्यूरल

इस सारणी में सूचीबद्ध पैकेजों के विवरण परिशिष्ट VII/5 में दिए गए है।

@यह रेडियो एक्टिव सामग्री का परिवहन ऊपर सूचीबद्ध किये गये पैकेजों के अलावा पैकेजों में भी किया जा सकता है जैसा कि सारणी VII के अनुपूरक में उपबंध है।

रेडियोएक्टिव सामग्री

सारणी VII

रेडियोएक्टिव सामग्री का नाम (प्रतीक)	तथा अंतर्वस्तुओं का पैकिंग अधिकतम अनुज्ञात मात्रा																चिह्नांकन और लेबल लगाने के संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	मात्रा जिसे रखा जा सकता है बाह्य पैकेज में	मालगाड़ी से वहन के अतिरिक्त नियम	ब्रेकयान अथवा पार्सल गाड़ी संबंध में विशिष्ट या अतिरिक्त नियम	भरण और वहन के विशिष्ट या अतिरिक्त नियम
	आर टी पी-5 ए		टीपी-9 ए		टीपी-9 बी		टीपी-15@		टीपी-16		पेनेबिट कंटेनर *		जीसी-900 एल*+		जीसी-4000 ए*++						
	सी आई	जीबीक्यू	सीआई	जी बी क्यू	सीआई	जी बी क्यू	सीआई	टीबीक्यू	एमसीआई	एमबीक्यू	सी आई	पी बीक्यू	सी आई	टी बीक्यू	जीआई	टीबीक्यू					
1	2																3	4	5	6	7
																		जैसा कालम -2 में दिया है	फुटकर में बुकिंग वर्जित है केवल विशेष ट्रेन द्वारा अनुमती है	पैकेज वहन 50 कि.ग्रा. केवल दो पैकेज / पार्सल वान	
कोबाल्ट 60 (सी ओ 60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000	3	2000	74	6000	222					-
इरीडियम 192 (आई आर 192)	10	370	8	300	20	740	50	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
फॉसफोरस 32 (पी 32)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	370	-	-	-	-	-	-	-				-
सल्फर 35 (एस 35)	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1110	-	-	-	-	-	-	-	-वही-	-वही-	-वही-	-

@यह टाईप पैकेजों का सामान्य वर्णन है जिन्हे टीसीएच / ओपीएस कैमरा, टेलिट्रान एसयू 50 तथा टेलिट्रान एसयू 100 के रूप में अलग अलग प्रकार से वर्णित किया जाता है। ये टाइप बी आधान है नियम 704.1 (बी) के संदर्भ में

+ गामा चैम्बर 900 एल

++ गामा चैम्बर 4000 ए

* ये टाइप बी आधान है नियम 704.1 बी (के संदर्भ में)

परिशिष्ट VII/I
नियम 701 और 702.3

परिशिष्ट VII/I

परमाणु उर्जा अधिनियिम, 1962 के उद्धरण और उसके अधीन जारी की गई अनुवर्ती अधिसूचना रेडियोएक्टिव सामग्री की परिभाषा

परमाणु उर्जा अधिनियम 1962 (1962 का 33) की धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (i) :-

''रेडियोएक्टिव पदार्थ'' या ''रेडियोएक्टिव सामग्री'' से ऐसा पदार्थ या सामग्री अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विहित स्तरों से अधिक विकिरण स्वत: उत्सर्जित करती है

अधिसूचना संदर्भ : पृष्ठ 5825 दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 का भारत का राजपत्र :- मुम्बई 13 सितम्बर, 1971

का, आ.4083 - परमाणु उर्जा अधिनियम 1962 (1962 का 33) की धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (झ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह विहित करती है कि ऐसा कोई पदार्थ या सामग्री जो 0.1 माइक्रोक्यूरी से अन्यून तदनुरूपी दर पर स्वत: विकिरण उत्सर्जित करती है अथवा ऐसा पदार्थ या सामग्री जिसमें उत्सर्जन की दर प्रतिग्राम 0.002 माइक्रोक्यूरी से कम पैनोट के समान होती है, उसे रेडियोएक्टिव पदार्थ या रेडियोएक्टिव सामग्री समझा जाएगा सिवाय उसके जहां उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी अथवा बनाए गए किसी विनिमय, अधिसूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो,

(सं.एफ.6/2(4)/71 - पी -)

''विकिरण सुरक्षा नियम, 1972 से उद्धरण''

''सम्हलाई'' की परिभाषा:

अधिसूचना संदर्भ : तारीख 30 अक्तूबर, 1971 के भारत के राजपत्र का पृष्ठ सं. 4466 नियम 2 खंड छ:

''सम्हालना'' से अभिप्रेत है विनिर्मण, कटजा, भंडारण, उपयोग, विक्रय द्वारा अथवा अन्तरण निर्यात, आयात, परिवहन या निपटान,

परिशिष्ट VII/2

नियम 702.2

रेलवे स्टेशनों की सूची जहॉ रेडियोएक्टिव सामग्री बुक करना और प्रदाय करना अनुज्ञात है।

रेलवे स्टेशनों की सूची जहॉ रेडियोएक्टिव सामग्री बुक करना और प्रदाय करना अनुज्ञात है।			
ए	**बी**	भावनगर	चंडीगढ़
आबू रोड	बदामी	भीलवाड़ा	चन्द्रपुर
आदोनी	बागलकोट	भोपाल	चेंगलपट्टू
अचलपुर	बहलवारोड	भिवानी	छिंदवाड़ा
आगरा कैंट	बहराइच	भुवनेश्वर	चिंदबरम
अहमद नगर	बालाघाट	भुसावल	चित्रदुर्ग
अहमदाबाद	बलिया	भुज	चित्तोड़
अजमेर	बलरामपुर	बीदर	कोचीन हार्बर टर्मिनस
अकोला	बाँदा	बीजापुर	कोयमबटूर
आकोट	के.एस.आर.बेगंलुर	बीकानेर	कूचबिहार
आलमपुर	बंगारपेट	बिलासपुर	कुइडालोर
अलीगढ़	बाँकुडा	बीना	कुड्डापाह
इलाहाबाद जंक्शन	बाटवा	बिरूर	कटक
अल्वाय	बरौनी जंक्शन	बोब्बिली	**डी**
अमलनेर	बाराबंकी	बोधन	दादर
अम्बालाकैंट	बर्दमान	बोदिनायाक्कनूर	दहानू रोड
आम्बूर	बरेली जंक्शन	बोईसर	दाहौद
अमेठी	बरगढ़	बोलनगीर	दामोह
अमरावती	बाड़मेर	मुम्बई सेन्ट्रल	डांडेली
अमरेली	बरसी टाऊन	सी.एस.टी. मुम्बई	दरभंगा
अमृतसर	बसमत	बोंगाईगांव	दार्जिलिंग
अमरोहा	बस्ती	बोरीवली	डाथा रोड
आनंद जंक्शन	ब्यावर	बुलन्दशहर	दतिया
अनकापल्ली	बेलागाभी	बुरहानपुर	धौंड
अनंतपुर	बेल्लारी जंक्शन	बक्सर	देहरादून
अंक्लेश्वर	बेतुल	**सी**	दिल्ली
अंजार	ब्रहमपुर	कोजीकोड	देवरिया
अनूपगढ़	बेतिया	कण्णुर	देवास
आरकोणम	भद्राचलम रोड	चाईबासा	धनबाद
अरसीकेरे	भद्रावती	चालकुड़ी	धंधुका
आसानसोल	भागलपुर	चालीसगाँव	धारी
औरंगाबाद	भड़ौच	चामराजनगर	धर्मवरम
आजमगढ़	भटिंडा	चांदा	धारवाड़

रेलवे स्टेशनों की सूची जहाँ रेडियोएक्टिव सामग्री बुक करना और प्रदाय करना अनुज्ञात है।			
धेनकनाल	गोलाघाट	**ई**	कराड़
ढोलका	गोपालगंज	इगतपुरी	कारक्काल
धौंन	गोंडा जंक्शन	इन्दौर	करजत
धौंराजी	गोंडिया	इटारसी	करूर
धूले	गुत्ती	**जे**	कासरगोड
दीमापुर	गोरखपुर जंक्शन	जबलपुर	काशीपुर
दिण्डीगुल	गुब्बी	जयपुर	काठगोदाम
डीसा	गुडूर	जैसलमेर	कटिहार जंक्शन
दोइडबल्लापुर	गुल्बर्गा	जलगाँव	कटनी
दमदम टाउन	गुना	जलंधर सिटी	काटपाडि
दुर्ग	गुंतकल	जम्मू तवी	कावली
दुर्गापुर	गुंटूर	जामनगर	कायनकुलम
द्वारका	गुनुपुर	जामनेर	खेमगाँव
ई	गुरदासपुर	जनगाँव	खम्माम
एलूरू	गुड़गाँव	जनकपुर रोड	खंडवा
एन्नोर	गुवाहाटी	जसदन	कानपुर अहीर
एर्णाकुलम	ग्वालियर	जौनपुर जंक्शन	खड़गपुर
इरोड	**एच**	जेबूर	खुर्जा जंक्शन
एटा	हाजीपुर	जेपोर	किर्लोस्करवाडी
इटावा	हल्दिया	झांसी	किशनगंज
एफ	हमीरपुर रोड़	झारसुगुडा	कोडिनार
फैजाबाद	हरदोई	झुंझुनु	कोलार
फरीदकोट	हरिद्वार	जींद जंक्शन	कोल्हापुर
फतेहपुर	हरिहर	जोधपुर जंक्शन	कोंडापल्ली
फिरोजपुर कैंट	हासन	जोलारपेट्टै	कोपरगाँव
जी	हाथरस जंक्शन	जोरहाट	कोरेगाँव
गडवाल	हिम्मत नगर	जूनागढ़	कोटा जंक्शन
गण्पतिनगर	हिंगगोली	**के**	कोटद्वार
गंगाखेड़	हिन्दूपुर	काकिना.ड़ा टाउन	कोटापालेम
श्री गंगानगर	हिसार	कलोल	कोट्टयम
गया	होशांगाबाद	कल्याण	कोट्टरू
गाजियाबाद	होजपेट	कामारेड़ी	कृष्णनगर
गाजीपुर	होरगी	कांचीपुरम	कुंभकोणम
घोलवड़	हावड़ा	कानपुर सेन्ट्रल	कुर्डुवाडी
गिरीडिह	हुब्बाली जंक्शन	कन्याकुमारी	कुर्नुल टाउन
गोधरा	हैदराबाद	कपूरथला	कुर्सियांग

कुरूक्षेत्र	मुरादाबाद	नार्थ लखीमपुर	**आर**
एल	मोतिहारी	**ओ**	राधनपुर
लक्ष्मीकांतपुर	मोरबी	ओखा	रहिमतपुर
लालघाट	मुगलसराय	ओंगोल	राहूरी
लाठी	मुंगेर	**पी**	रायबरेली
लातुर	मुर्शिदाबाद	पाचोरा	रायचुर
लीडो	मुजफ्फरनगर	पाकौड़	रायगंज
लोणावला	मुजफ्फरपुर	पलानी	रायगढ़
लोंडा	मैसूर जंक्शन	पालनपुर	रायपुर जंक्शन
लखनऊ	**एन**	पालयनकोटै	रायपालैयम्
लुधियाना जंक्शन	नाडियाद	पालघाट	राजेवाडी
लुनावडा	नागपट्टिणम	पालीताणा	राजकोट
एम	नागरकोईल	पंढरपुर	राजमुंद्री
मचिलिपट्टनम	नागदा	पानीपत	राजगढ़
मडगाँव	नगीना	पणजी	राजनांदगाँव
मधीरा	नागपुर	पंतनगर	रामेश्वरम
चैन्नई सेन्ट्रल	नजीबाबाद	परमकुक्ड़ी	रामपुर
मदुरै जंक्शन	नंदलूर	परभनी जंक्शन	रंगिया
माही	नांदेड	पार्वतीपुर	रतलाम
महेन्द्रगढ़	नंदगाँव	पाटन	राऊरकेला
महुवा	नंदूरवार	पठानकोट	रायदुर्ग
मालदा टाउन	नंजनगुड	पटियाला	रेणिगुंटा
मालिया	नरसापट्टनम	पटना जंक्शन	राबर्टसगंज
मल्कापुर	नरसीमपुर	पेरम्बूर	रोहतक
मानामदुरै जंक्शन	नासिक रोड	पेटलाढ	**एस**
मंदसोर	नागाँव	पीलीभीत	सागर
मनमाड	नौपाडा	पीठापुरम	सहारनपुर
मंगलौर	नवसारी	पोल्लाची जंक्शन	सेलम जंक्शन
मर्मागाओं	नवादा	पुडुच्चेरी	समस्तीपुर
मथुरा जंक्शन	नेल्लोर	पोरबंदर	सम्बलपुर
मेयर	नई दिल्ली	पुणे	सांगली
महबूबनगर	न्यू जलपाईगुडी	पुरी	सासाराम
मेरठ कैंट	नैहाटी जंक्शन	पुर्णिया	सतारा
मेट्टूर	नीलांबर रोड	पुरूलिया	सतना
मिराज	निंबाल	**क्यू**	सवाई माधोपुर
मिर्जापुर	निजामाबाद	कोल्लम	सियालदाह

सिकंदराबाद	सुलूर रोड	त्रिसुर	विजयानगरम
शाहबाद	सूरत	तिरूवतन्तपुरम सेन्ट्रल	वृद्धाचलम
शहदोल	सूरतगढ़	तूतीकोरिन	व्यारा
शाहजहांपुर	सुरेन्द्र नगर	**यू**	**डब्ल्यू**
शाहजापुर	सुरपुरा	उदगमंडलम	बडेगांव
शक्तिगढ़	**टी**	उदगिर	वालटेयर
सेगांव	ताडपत्री	उज्जैन जंक्शन	वारंगल
शिमला	तालाप	उदयपुर सिटी	वाडी
शिमोगा	तांदूर	उन्नाव	वर्धा जंक्शन
शिवनी	तरीकरे	**वी**	वालाजाह रोड
भोरूवदपुर	तरूर	वडोदरा	**वाई**
सिबसागर	टाटा नगर	वलसाड	यादगिरि
सीकर	तेनकाशी	वापी	यवतमाल
सिल्चर	थाणे	वाराणसी जंक्शन	येरगुंटला
सिलघाट जंक्शन	तिण्डिवनम	वेल्लूर कैंट	येवला
सिलीगुड़ी	तिनसुकिया	वेंकटगिरी	
सिरपुर कागज नगर	तिरूच्चिरापल्ली जंक्शन	वेरावल	
सीतापुर	तिरूनेलवलि	विदिशा	
सिवान	तिरूपति	विजयवाडा	
शोलापुर	तिरूपुर	वीरमगांव	
श्रीकाकुलम	तिरूवण्णामले	विरार	
श्रीरंगम	टीटाबार	विरूदुनगर	
सुल्तानपुर	टिटिलागढ़	विशाखापट्टनम-टाउन	

<u>रिशिष्ट VII/3 (ए)</u>
(नियम 704.1) (बी)

प्रमाण पत्र सं. ----------
तारीख ----------

पासपोर्ट आकार
का फोटोग्राफ
यहाँ चिपकाए

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
विकिरण संरक्षण प्रभाग
मुम्बई -400085

औद्योगिक रेडियोग्राफी
स्थल प्रभारी प्रमाणपत्र

औद्योगिक रेडियोग्राफी स्थल प्रभारी प्रमाणपत्र

सं. ..... 001 ..... तारीख .....
प्रमाणित किया जाता है कि
नाम .....
जन्म की तारीख .....
शैक्षणिक अर्हताएं .....
पिता का नाम .....
.....

वर्तमान पता .....
.....
.....
.....

स्थायी पता .....
.....
.....
.....
.....

नियोजक का पता .....
.....
.....
.....

स्थल प्रभारी के हस्ताक्षर.....

नियोजक का पता .....
.....
.....
.....

नियोजक का पता .....
.....
.....
.....

नियोजक का पता ....
.....
.....
.....

यह प्रमाणपत्र .....
तक नवीकृत किया जाता है।
संदर्भ : डीआरपी/एसएस .....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

अनुमोदित स्थल पर औद्योगिक विकिरण संक्रियाएं करने के लिए विकिरण संरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और ये अनुमोदित औद्योगिक विकिरण स्थल पर संरक्षा-स्थल-प्रभारी के रूप में काम करने के लिए अर्हित है।

यह प्रमाणपत्र .....

तक नवीकृत किया जाता है।

संदर्भ : डीआरपी/एसएस.....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

यह प्रमाणपत्र ..... से .....
तक विधिमान्य है। संलग्न शर्तो के अधीन .....
को जारी किया गया।

यह प्रमाणपत्र .....

तक नवीकृत किया जाता है।

संदर्भ : डीआरपी/एसएस ----------

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

जारीकर्ता प्राधिकारी
विकिरण संरक्षा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
ट्राम्बे, मुम्बई-400085.

निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी

घटना की तारीख	स्थल का पता और नियोजक का नाम	कैमरे और आधार पेंसिल की क्रम सं.	अन्वेषण टिप्पणी	हस्ताक्षर (तारीख सहित)

शर्तें

1. इस प्रमाणपत्र के धारक को यह स्मरण कराया जाता है कि इस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पूर्व नवीकृत न करवायें जाने पर यह प्रमाणपत्र अविधिमान्य हो जाएगा। धारक सभी विकिरण संक्रियाएं हाथ में तब तक नही ले सकता जब तक कि जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इसे पुन: विधिमान्य न कर दिया जाए।

2. इस प्रमाणपत्र का धारक, जारीकर्ता प्राधिकारी या उक्त प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए मांगे जाने पर यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर यह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

3. इस प्रमाणपत्र के धारक को इसके चोरी हो जाने/गुम हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी, चोरी हो जाने/गुम हो जाने से संबंधित पुलिस प्रमाणपत्र भी जारीकर्ता प्रधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. इस प्रमाणपत्र का धारक अपने नियोजक के बदले जाने और/ या अपने पते में परिवर्तन की सूचना जारीकर्ता प्राधिकारी को देगा।

5. उस प्रमाणपत्र का धारक विकिरण संक्रियाएं करते समय अनुबंधित संरक्षा पूर्वावधानियों का पूर्णत: पालन करेगा।

टिप्पणी : इन शर्तो को भंग करने पर यह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

लाइब्रेरी और इन्फरमेशन सर्विस
बी.ए.आर.सी, ट्रांबे, मुम्बई- 400085 (इंडिया) द्वारा प्रकाशित।

<u>परिशिष्ट VII/3 (बी)</u>
(नियम 704.1) (बी)

प्रमाण पत्र सं. _____/179/-

तारीख ----------

पासपोर्ट आकार
का फोटोग्राफ
यहाँ चिपकाए

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
विकिरण संरक्षण प्रभाग
मुम्बई -400085

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

औद्योगिक रेडियोग्राफर के प्रमाणपत्र

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
विकिरण संरक्षण प्रभाग
मुम्बई -400085
औद्योगिक रेडियोग्राफर प्रमाणपत्र

सं. ..... तारीख .....

प्रमाणित किया जाता है कि

नाम .....

जन्म की तारीख .....

शैक्षणिक अर्हताएं .....

पिता का नाम .....
.....

वर्तमान पता .....
.....
.....
.....

स्थायी पता .....
.....
.....
.....
.....

नियोजक का पता .....
.....
.....
.....

नियोजक का पता ....
.....
.....
.....

नियोजक का पता ....
.....
.....
.....

नियोजक का पता ....
.....
.....
.....

यह प्रमाणपत्र .....
तक नवीकृत किया जाता है।

संदर्भ : डीआरपी/एसएस .....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

यह प्रमाणपत्र .....
तक नवीकृत किया जाता है।
संदर्भ : डीआरपी/एसएस .....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

प्राधिकृत उपयोग कर्ता के अधीन अनुमोदित स्थल पर औद्योगिक विकिरण संक्रियाएं करने के लिए विकिरण संरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

यह प्रमाणपत्र .....
तक नवीकृत किया जाता है।
संदर्भ : डीआरपी/एसएस .....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

यह प्रमाणपत्र ..... से .....
तक विधिमान्य है। संलग्न शर्तो के अधीन .....
को जारी किया गया।

यह प्रमाणपत्र .....
तक नवीकृत किया जाता है।
संदर्भ : डीआरपी/एसएस .....

बीएआरसी, मुम्बई
(जारीकर्ता प्राधिकारी)

जारीकर्ता प्राधिकारी

अध्यक्ष
विकिरण संरक्षा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
ट्राम्बे, मुम्बई - 400085

निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी

घटना की तारीख	स्थल का पता और नियोजक का नाम	कैमरे और आधार पेंसिल की क्रम सं.	अन्वेषण टिप्पणी	हस्ताक्षर (तारीख सहित)

यह प्रमाणपत्र 12 जुलाई 1980 के भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 (I), पैरा 150-509 में प्रकाशितऔद्योगिक रेडियोग्राफी (विकिरण निगरानी) प्रक्रिया अनुसूची 'क' उपबंधो के अनुसार जारी किया गया है।

प्रमाणित रेडियोग्राफर के कार्य स्थल पर

कर्तव्य और कृत्य

1. कार्य स्थल पर विकिरण से संबंधित काम संरक्षात्मक ढंग से करने में स्थल प्रभारी की सहायता करना। स्थल प्रभारी की अनुमति से कार्य प्रारंभ करना और स्थल प्रभारी के सामान्य पर्यवेक्षण में विकिरण से संबंधित कार्य करना।

2. विकिरण क्षेत्र में काम करते समय छाती के समीप कमीज पर फिल्म बैज हमेशा लगाए रखना।

3. उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत मात्रा का दिन प्रतिदिन नियमित रूप से रिकार्ड रखना।

4. अपने ऊपर विकिरण से संदिग्ध अति प्रभाव की स्थिति में या स्रोत/कैमरा को हैंडल करते समय नुकसान पहुंचने की किसी घटना या विकिरण स्रोत से संबंधित कोई अन्य भयप्रद स्थिति की स्थल प्रभारी/प्रबंधक को सूचना देना

5. फिल्म बैज के आकस्मिक अनावरण अथवा फिल्म बैज का किसी प्रकार से दुरूपयोग होने पर स्थल प्रभारी को तत्काल सूचित करना।

6. यह सुनिश्चित करना कि अनावरण शुरू करने से पहले विकिरण सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी सामग्री जैसे विकिरण सर्वेक्षण मीटर, मैनीपुलेटर रॉड, विकिरण चेतावनी सूचना बोर्ड आदि उपलब्ध है।

7. यह सुनिश्चित करना कि विकिरण कैमरा / स्रोत प्रयोग कर लिये जाने के बाद भंडारण कक्ष में विधिवत रूप से वापिस लाए गये हैं और भंडारण कक्ष में सुरक्षात्मक ढंग से रख दिये गये है।

8. दिन भर का काम समाप्त करने के बाद लॉग बुक में संगत प्रविष्टियां करना।

9. विकिरण स्रोतों को प्रयोग में लाते समय उसके नाम डी आर पी द्वारा जारी किया गया रेडियोग्राफर प्रमाणपत्र साथ रखना।

10. कार्यस्थल पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और कार्य स्थल पर विकिरण स्रोतो के सुरक्षात्मक ढंग से उपयोग में लाने के संबंध में आरएसओ स्थल प्रभारी द्वारा जारी किसी विशिष्ट अनुदेश का ईमानदारी से पालन करना और स्थल प्रभारी से पूर्व अनुमति लिये बिना स्थल को छोड़कर नही जाना।

11. संस्था छोड़ने की घटना डी आर पी को सूचित करना।

शर्त

1. इस प्रमाणपत्र के धारक को यह स्मरण कराया जाता है कि इस प्रमाणपत्र की समाप्ति से पूर्व नवीकृत न करवायें जाने पर यह प्रमाणपत्र अविधिमान्य हो जाएगा, धारक सभी विकिरण संक्रियाएं हाथ में तब तक नही ले सकता जब तक कि जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इसे पुन: विधिमान्य न कर दिया जाए।

2. इस प्रमाणपत्र का धारक, जारीकर्ता प्राधिकारी या उक्त प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए मांगे जाने पर, यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर यह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

3. इस प्रमाणपत्र के धारक को इसके चोरी हो जाने/गुम हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी, चोरी हो जाने/गुम हो जाने से संबंधित पुलिस प्रमाणपत्र भी जारीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. इस प्रमाणपत्र का धारक नियोजक के बदले जाने और/ या अपने पते में परिवर्तन की सूचना जारी कर्ता प्राधिकारी को देगा।

5. उस प्रमाणपत्र का धारक विकिरण संक्रियाएं करते समय अनुबंधित संरक्षा पूर्वावधानियों का पूर्णत: पालन करेगा।

टिप्पणी : इन शर्तो को भंग करने पर यह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत किया जा सकता है। यदि पाया जाए तो किसी भी डाक बॉक्स में डाल दिया जाए।

<u>परिशिष्ट VII/4</u>

नियम 705.3, 710.3 और 726

असामान्य/आपात स्थितियां

असामान्य स्थितियां कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। यहां कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया जाता है।

(क) सम्हलाई और भंडारण के दौरान पैकेज क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

(ख) वाहक के परिसर में आग लगने अथवा इमारत गिरने के कारण भी क्षति हो सकती है।

(ग) पैकेज गलत गंतव्य तक पहुंच सकते है।

(घ) पैकेज क्षतिग्रस्त अवस्था में और/अथवा विकृत लेबलों के साथ पहुच सकते हैं।

(ड़) पैकेज भंडारण शेड में लम्बी अवधि के लिए अनदेखा पड़ा रह सकता है।

(च) प्रेषिती पैकेज का परिदान प्राप्त न करे।

सहायता के लिए सूचना

आपात स्थिति में निम्नलिखित को सूचित करें।
आपातकालीन सम्प्रेषण केन्द्र
डी ए ई अणुशक्ति भवन, मुम्बई
दूरभाष : 022-22023978/22830441/22972505
मोबाइल न. 09969201364
टैलीफैक्स : 022-22830441
ई-मेल :
[यह केन्द्र 24X7 खुला रहता है]

अदावाकृत/असंबद्ध पैकेज

ऐसा पैकेज जिसे प्रेषिती द्वारा निकाला नही गया है बेचा, नीलाम और अन्यथा निपटाया नही जाएगा, पैकेज सुरक्षित अभिरक्षा में सम्यकत: भंडारित रखा जाना चाहिए और यह मामला आगे कार्रवाई के लिए विचारार्थ, प्रधान, आर पी एस डी, बी ए आर सी, मुम्बई -500085 के पास भेजा जाना चाहिए। कृपया नियम 722 देखे।

क्षतिग्रस्त पैकेज

यदि पैकेज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यह समझें कि रेडियो एक्टिव संदूषण हो गया होगा। निम्नलिखित पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए :-

- आतंकित न हो
- घायलों को बचायें, यदि कोई हो, तथा आग की रोकथाम करें।
- पैकेज को न छुएं
- चारों ओर 3 मी. की दूरी तक डोरी बांधकर पैकेज को अलग कर दें।
- प्रेषक, प्रेषिती तथा प्रधान, डी आर पी, बी आर ए सी, मुम्बई को सूचित करें।
- जिन व्यक्तियों ने पैकेज सम्हालनें का कार्य किया हो, उन्हें अनुदेश दें कि वे स्थान छोड़ने से पहले अपने हाथ भलीभांति धो ले,
- पैकेज को ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करें जहां उसे प्रधान, डी आर पी, बी ए आर सी, मुम्बई से अनुदेश प्राप्त होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके।

नियम 705.3

(परिशिष्ट VII/4 जारी है)

नमूना

ट्रेमकार्ड

कार्गो	कोबाल्ट 60 कैप्सूल स्रोत
खतरे की प्रकृति	रेडियोएक्टिव सामग्री सम्भावित बाह्य प्रभावना।
आपात कार्रवाई	(1) पैकेज को देखकर निरीक्षण करें, यदि वह सही स्थिति में है तो उसी अथवा किसी अन्य वाहन में उसकी आगे की यात्रा सुनिश्चित करें। (2) आग लगने के मामले में, आग को दूर से बुझायें। (3) यदि पैकेज क्षतिग्रस्त दिखाई देता है तो पैकेज के चारों ओर तीन मीटर की दूरी तक डोरी बांध दें। (4) ऐसे व्यक्ति जो विकिरण से प्रभावित हुए हों, उनके नाम तथा पते ले लें और उनका विवरण प्रधान, डी आर पी, बी ए आर सी, मुम्बई - 400085 के पास भिजवा दें।
सलाह और सहायता के लिए टेलीफोन	सलाह और सहायता के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें - (क) प्रेषक (पता) टेलीफोन ---------- टेलेक्स ---------- टेलीग्राम ---------- या/और वरिष्ठ प्रबंधक या टेक्नीकल सेल्स ऑपरेशन्स, बार्ड आफ रेडियशन एंड आइसोटोप टेक्नालिजी, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार मुम्बई- 400085 टेलीफोन : 5551676 टेलेक्स : 001172212 बी आर आई टी आई एन टेलीग्राम : बी आर आई टी, ए टी ओ एम (ख) प्रधान, डिवीजन आफ रेडियो लॉजिकल प्रोटेक्शन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुम्बई - 400085 टेलीफोन : 5511917 5514910 एक्सटेंशन 2217 टेलेक्स : 011 71017 बी ए आर सी आई एन टेलीग्राम : डीआरपी बीएआरसी चेम्बूर मुम्बई (ग) अध्यक्ष, न्युक्लियर मेटीरियल ट्रांसपोर्ट एमरजेंसी मेंनेजमेंट कमेटी, आई जी (सिक्योरिटी) डीएई, अणुशक्ति भवन, सी एम एस मार्ग मुम्बई 400039 टेलीफोन : 202 3978 टेलीग्राम : एटीओएमईआरजी मुम्बई - 400039

ये करे और ये न करें।

निम्नलिखित ये करे और ये न करें, सम्हलाई और भंडारण के लिए सुरक्षित प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करते हैं।

- पैकेज को सावधानी पूर्वक सम्हाले।
- सम्हलाई के विशेष अनुदेशों के अनुसार यदि आवश्यक हो सम्हलाई की उपयुक्त यांत्रिक सुविधाओ का, जैसे गाड़ियां, ट्राली, क्रेन और फोर्क लिफ्ट, प्रयोग करें।
- सीमित पैकेजों का चिट्टा लगाया जाए ताकि एक चिट्टे में सभी पैकेजों का परिवहन सूचकांक 50 से ज्यादा न हो। (एक पैकेज का परिवहन सूचकांक कतिपय पैकेजों के लेबलों पर लिखा होता)
- पैकेजों का बिना बिलम्ब प्रेषण करें।
- खोये जाने अथवा उठाईगिरी मामले में वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- पैकेजों को अन्य खतरनाक माल जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थो और बिना धुली हुई फोटो अथवा एक्स-रे फिल्मों के साथ न तो लादें और न ही उनके साथ चट्टा लगाएं।
- पैकेजों को ऐसे क्षेत्रों में इकट्ठा न करें जो प्राय अथवा जनता के अधिभोग में रहते हैं।
- पैकेजों के समीप न तो बैठें और न ही इकट्ठे हों।
- यदि भंडारण क्षेत्र में इकट्ठे किए गए परिवहन सूचकांकों की संख्या 50.0 से अधिक हो जाती है तो पैकेजों को एक चट्टे से ज्यादा में रखा जाए ताकि (क) किसी भी चट्टे में परिवहन सूचकांक का 50.0 से ज्यादा न होने पाये और (ख) चट्टे एक दूसरे से कम से कम 6 मीटर की दूरी पर अलग-अलग लगाये जाएं।

परिशिष्ट VII/5
नियम 709.1

पैकेज की प्रत्येक किस्म की विशिष्टियां

I. रेडियोएक्टिव सामग्री जिन्हे सामग्री VII में सूचीबद्ध किया गया है, ऐसे पैकेज में रखी जाएगी जो नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से किसी एक वर्गीकरण का हो / प्रत्येक प्रकार के पैकेज की अन्तर्वस्तु की सीमा परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई है। पैकेज की किस्म का चुनाव परिवहन किए जाने वाली वास्तविक अन्तर्वस्तुओं द्वारा अवर्धारित किया जाएगा, उपनियम 707.4 के उपबंधो के अध्यधीन, निम्नलिखित किसी भी प्रकार के पैकेज को पार्सल विशेष गाड़ी में परिवहन के लिए पार्सल के रूप में बुक किया जा सकता है। [स. गु. प. स. 1]

II. कुछ पैकेजों से संबंधित विशिष्टियां नीचे दी गई है:- इन पैकेजो का रेखाचित्र इस परिशिष्ट के अंत में दिया गया है

1. पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -1
पैकेज टाइप	-	-	किस्म ए
बाह्य आयाम	-	-	12 X 12 X 17 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	कुछ नही
भार	-	-	0.5 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	बेलनाकार टिन, आधान जिसके अंदर थर्मोकोल पाइप खंड हो।
बाह्य आधान	-	-	2 मि.मी. मोटा कार्ड बोर्ड का डिब्बा।
2. पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -1 ए
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	12 X 12 X 17 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	4 मि. मी. अथवा 7 मि. मी. लीड
भार	-	-	1 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर टिन के बेलनाकार आधान के अंदर थर्मोकोल लगा हो।
बाह्य आधान	-	-	2 मि.मी. मोटा कार्ड बोर्ड का डिब्बा
3. पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -1 बी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	12 X 12 X 17 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	4 मि. मी. अथवा 7 मि. मी. लीड
भार	-	-	2 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान में चारों ओर थर्मोकोल लगा सीसे का आधान।
बाह्य आधान	-	-	2 मि.मी. मोटे कार्ड बोर्ड का डिब्बा।

परिशिष्ट VII/5(जारी)

4 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 20 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	कुछ नहीं
भार	-	-	1 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	बेलनाकार टिन का आधान जिसके अंदर थर्मोकोल के टुकडें हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा
5 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2 ए
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 20 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	4 मि. मी. अथवा 7 मि. मी. लीड
भार	-	-	2 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान के सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर थर्मोकोल पाइप खण्ड हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा
6 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2 बी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 20 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	4 मि. मी. अथवा 7 मि. मी. लीड
भार	-	-	3 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान के सीसे का बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर थर्मोकोल पाइप खण्ड हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा
7 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2 सी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 21 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	13 मि. मी. लीड
भार	-	-	4 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान के सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर थर्मोकोल पाइप खण्ड हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा

परिशिष्ट VII/5(जारी)

8 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2 डी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 20 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	20 मि. मी. लीड
भार	-	-	6 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान में सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर थर्मोकोल पाइप खण्ड हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा
9 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -2 ई
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	21 x 21 x 20 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	30 मि. मी. लीड
भार	-	-	10 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के बेलनाकार आधान में सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान जिसके चारों ओर थर्मोकोल पाइप खण्ड हो।
बाह्य आधान	-	-	12 मि.मी. मोटी डील लकड़ी का डिब्बा
10 पैकेज की पहचान	-	-	स्टील ड्रम
पैकेज टाइप	-	-	औद्योगिक पैकेज
बाह्य आयाम	-	-	नाममात्र रेंज 65 225 लीटर .
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	कुछ नही
भार	-	-	परिवर्तनीय
सन्निर्माण की सामग्री	-	-	ड्रम के ढाँचे और शीर्ष भाग के लिए बाहर निम्न कार्बन, खुले भट्टीतल वाला, बिजली अथवा अन्य उपयुक्त इस्पात का बना हो और वह पैकिंग की क्षमता से संबंधित पर्याप्त गेज का हो, ढांचे के जोड़ो की झलाई की जाए, कोर के जोड़ो की झलाई की जाए, अथवा इन्हे दो बार जोड़ा जाए, ड्रम बंद करने फ्लेंज सही जगह पर
	-	-	झलाई की जाए अथवा अन्य उपयुक्त तरीकों से
	-	-	सुरक्षित किये जाए।
आंतरिक आधान			मृद इस्पात
बाह्य आधान			उपयुक्त जैसा

परिशिष्ट VII/5(जारी)

11 पैकेज की पहचान	-	-	आर टी पी -5 ए
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	26 x 26 x 38 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	50 से. मी. लीड
भार	-	-	35 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का बेलनाकार आधान
बाह्य आधान	-	-	25 मि.मी. मोटा टीक लकड़ी का डिब्बा
12 पैकेज की पहचान	-	-	आर टी पी -5 बी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	33 x 33 x 36 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	50 मि. मी. सी सी
भार	-	-	45 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का बेलनाकार आधान
			38 मि.मी. मोटा डील लकड़ी का डिब्बा
बाह्य आधान	-	-	55 मि.मी. लीड + 35 मि. मी. एल एल
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है			ढलाई
13 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी -9 ए
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	40 x 36 x 55 से. मी.
भार	-	-	55 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	गोल आकार वाला सीसे का आधान।
बाह्य आधान	-	-	25 मि.मी. मोटी टीक लकड़ी का डिब्बा
14 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी - 9 बी
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	50 x 50 x 55 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	81 मि. मी. लीड + 6 मि. मी. मृद इस्पात
भार	-	-	65 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	गोल आकार वाला सीसे का आधान।
बाह्य आधान	-	-	25 मि.मी. मोटी टीक लकड़ी का डिब्बा

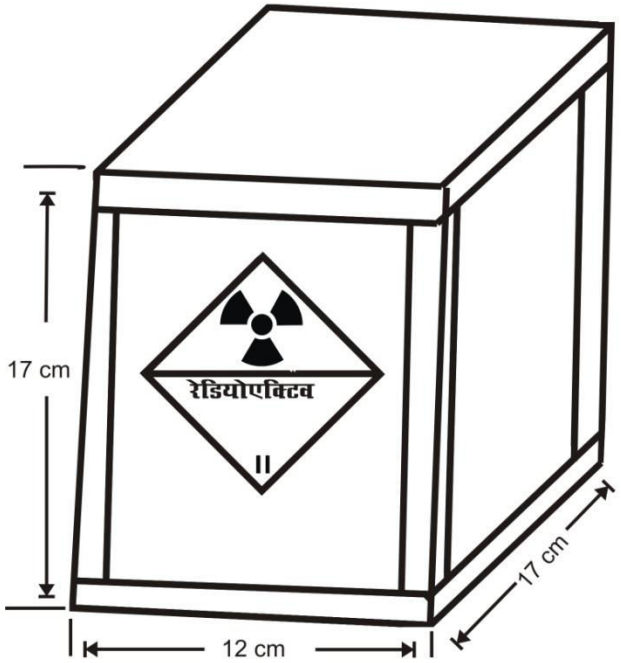
परिशिष्ट VII/5(जारी)

15 पैकेज की पहचान	-	-	टी पी - 16
पैकेज टाइप	-	-	टाइप ए
बाह्य आयाम	-	-	37 x 37 x 38 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	5 मि. मी. लीड
भार	-	-	9 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	टिन के आधान में सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान, जिसके चारों ओर शुष्क बर्फ रखी हो।
बाह्य आधान	-	-	2 मि.मी. मोटे कार्डबोर्ड का डिब्बा
16 पैकेज की पहचान	-	-	पैनबिट आधान
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयाम	-	-	124 x 124 x 130 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	250 मि. मी. या उससे अधिक लीड
भार	-	-	5500 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का बेलनाकार आधान
बाह्य आधान	-	-	लकड़ी का क्रेट
17 पैकेज की पहचान	-	-	गामा चेम्बर् चेम्बर - 900ऐल्
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयाम	-	-	130 x 120 x 170 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	228 मि. मी. या उससे अधिक लीड
भार	-	-	3000 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का ऐसा बेलनाकार आधान
बाह्य आधान	-	-	लकड़ी का क्रेट
18 पैकेज की पहचान	-	-	गामा चेम्बर 4000 ए
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयाम	-	-	140 x 130 x 153 से. मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	255 मि. मी. या उससे अधिक लीड
भार	-	-	5360 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री			
आंतरिक आधान	-	-	सीसे का बेलनाकार आधान
बाह्य आधान	-	-	लकड़ी का क्रेट
19. पैकेज की पहचान	-	-	तकनीकी/ ओपीएस कैमरा
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयान	-	-	ऊँचाई-24 सें.मी.
			चौड़ाई-12 सें.मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	क्षीण यूरेनियम
भार	-	-	20.4 कि.ग्रा.
सन्निर्माण की सामग्री	-	-	
आंतरिक आधान	-	-	क्षीण यूरेनियम
बाह्य आधान	-	-	मृद इस्पात

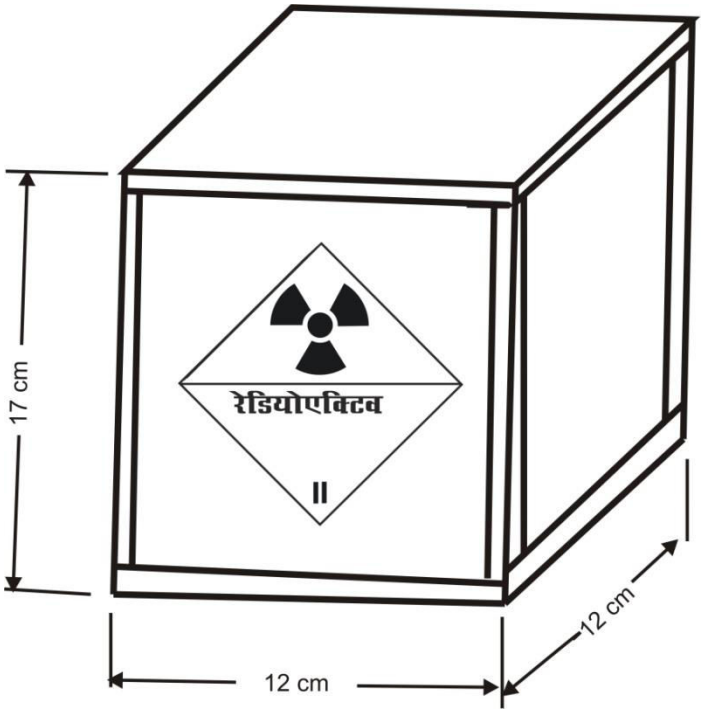
परिशिष्ट VII/5(जारी)

20.पैकेज की पहचान	-	-	टेलिट्रान एसयू 100
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयान	-	-	150 मि.मी.115 मि.मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	क्षीण यूरेनियम
भार	-	-	15 किलोग्राम
सन्निर्माण की सामग्री	-	-	
आंतरिक आधान	-	-	क्षीण यूरेनियम
बाह्य आयान	-	-	स्टेनलेस स्टील
21.पैकेज की पहचान	-	-	टेलिट्रान एसयू 50
पैकेज टाइप	-	-	टाइप बी
बाह्य आयान	-	-	150 मि.मी.100 मि.मी.
कितने विकिरण परिरक्षण की व्यवस्था की गई है	-	-	क्षीण यूरेनियम
भार	-	-	12 कि.ग्रा.
सन्निर्माण की सामग्री	-	-	
आंतरिक आधान	-	-	क्षीण यूरेनियम
बाह्य आधान	-	-	स्टेनलेस स्टील

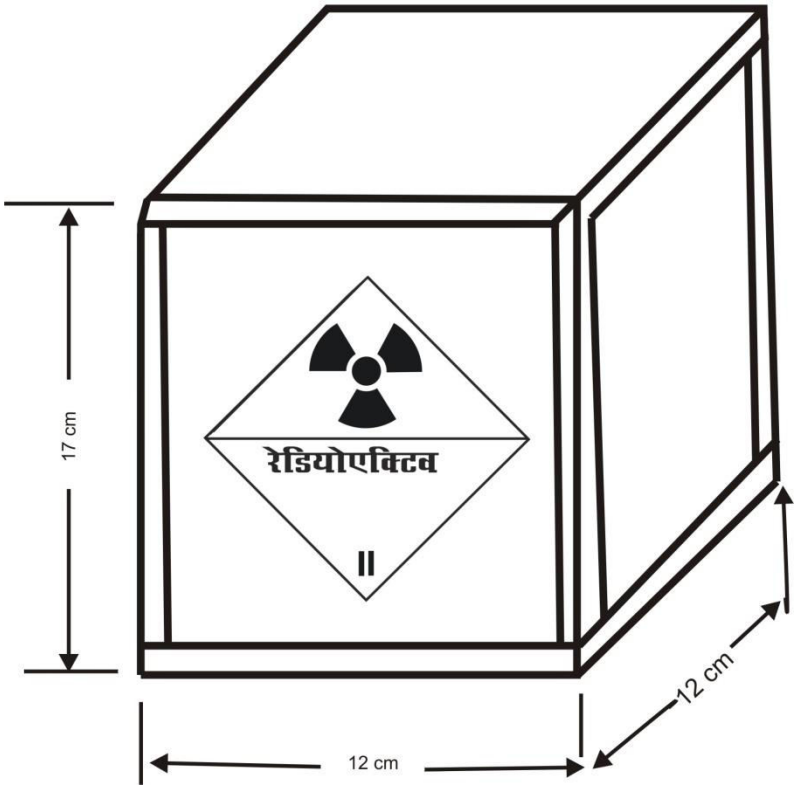
III रेडियोएक्टीव सामग्री के परिवहन के लिए भारत में आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले कतिपय विशिष्ट पैकेजों का विवरण ऊपर दिया गया है प्रेषक ऐसा पैकेज (जिसमें रेडियोएक्टिव सामग्री हो) भी बुक कर सकता है जो ऊपर बताये गये विवरण से भिन्न हो, ऐसा पैकेज रेलवे स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा तब स्वीकृत किया जा सकेगा जब प्रेषक अध्यक्ष, एईआरबी, मुंबई अथवा अध्यक्ष, डीआरपी, बी ए आर सी, मुंबई द्वारा जारी परेक्षण के परिवहन के लिए अनुज्ञा -पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।



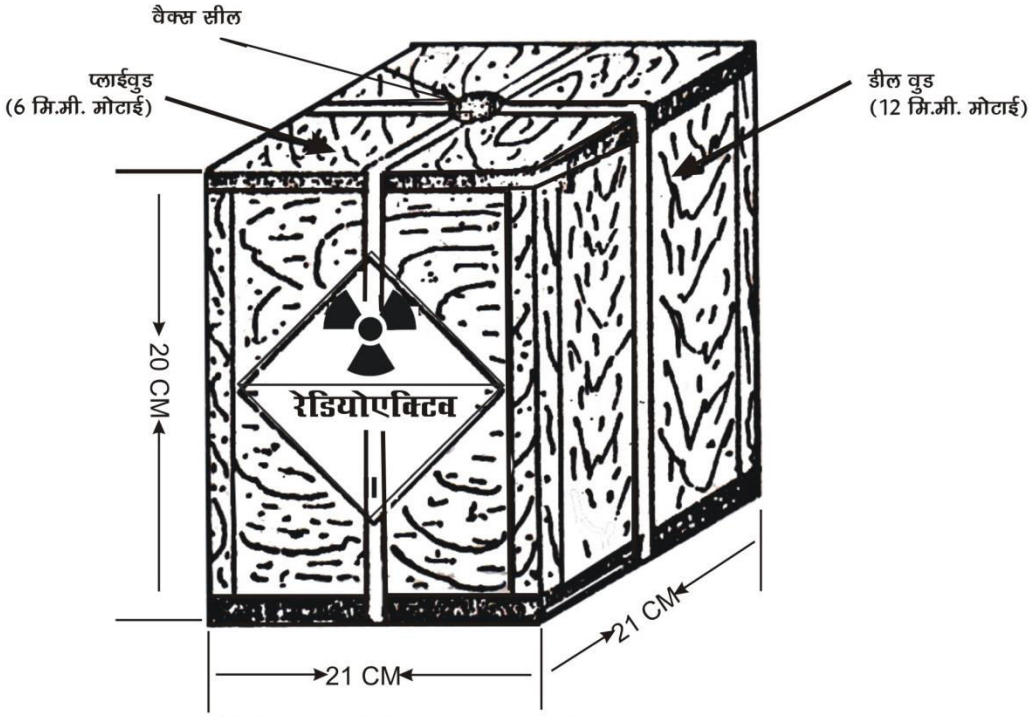
पैकिंग कोड टीपी-1 वजन 0.5 किलोग्राम



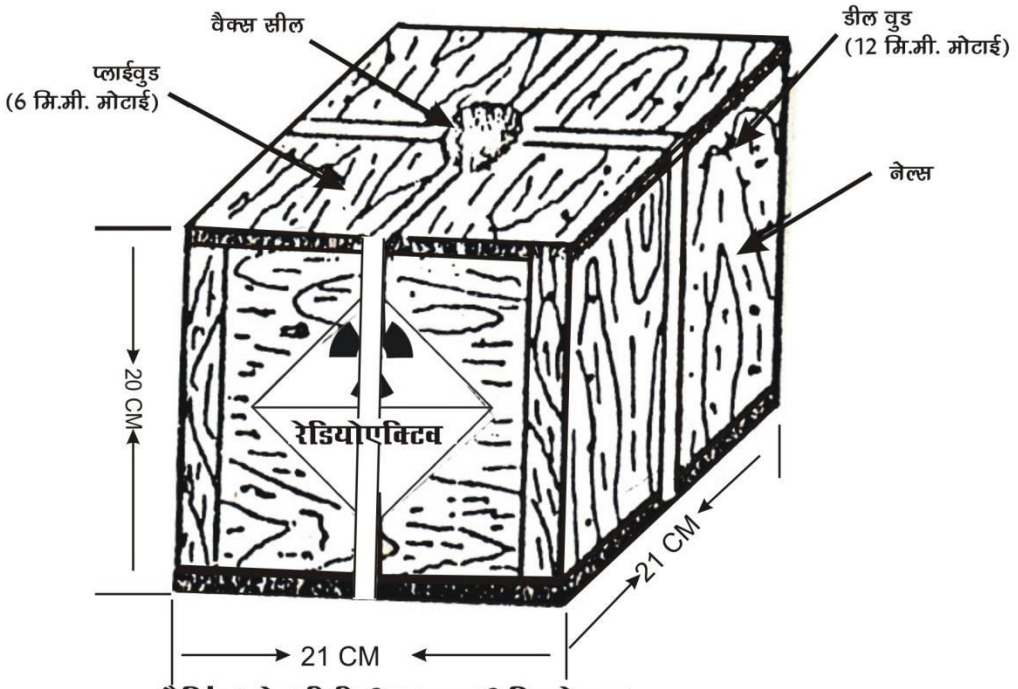
पैकिंग कोड टीपी-1ए वजन 1 किलोग्राम



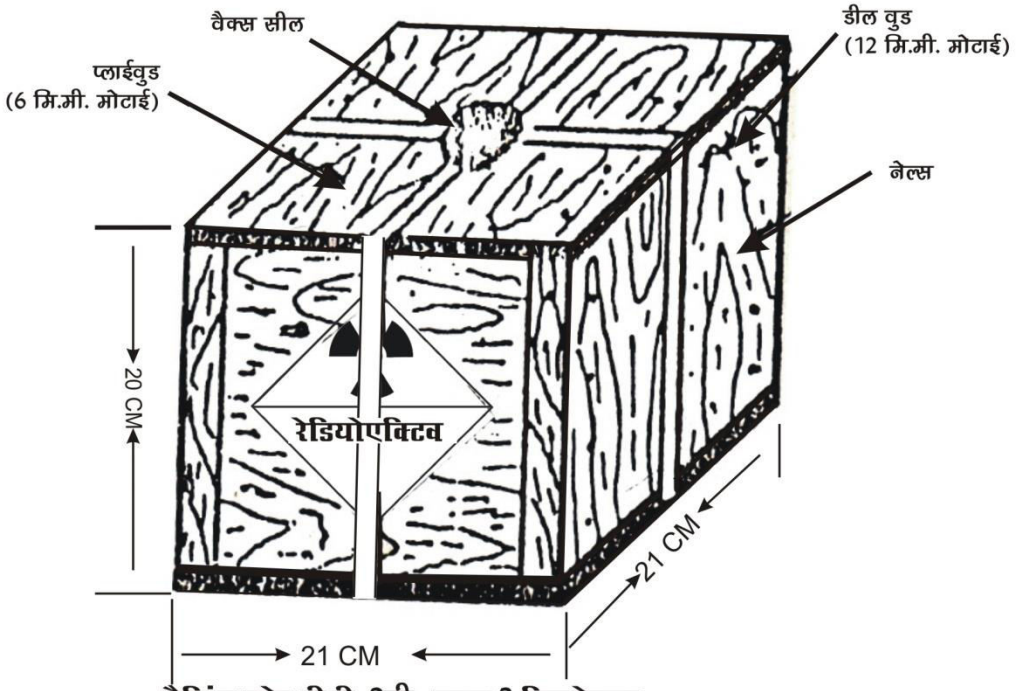
पैकिंग कोड टीपी-1बी वजन 2 किलोग्राम



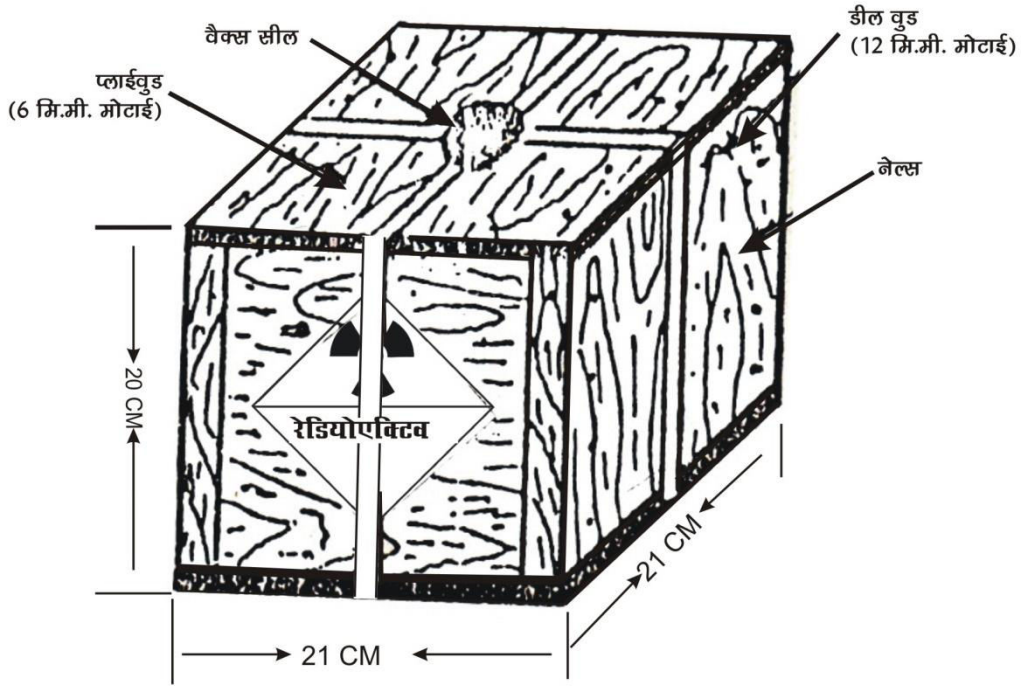
पैकिंग कोड टीपी-2 वजन 1 किलोग्राम



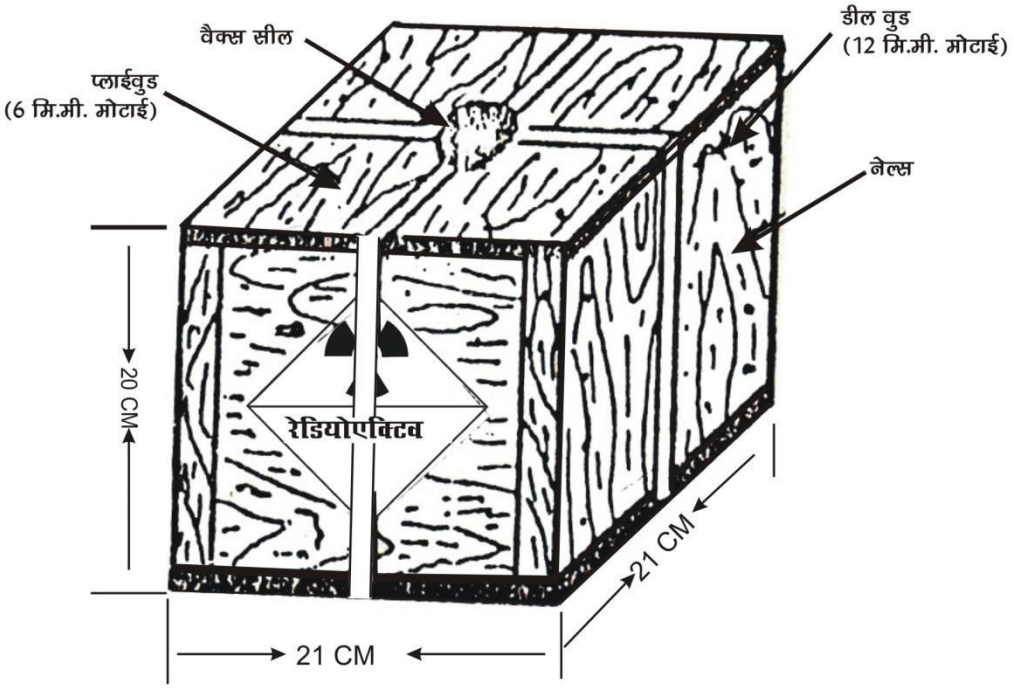
पैकिंग कोड टीपी-2ए वजन 2 किलोग्राम



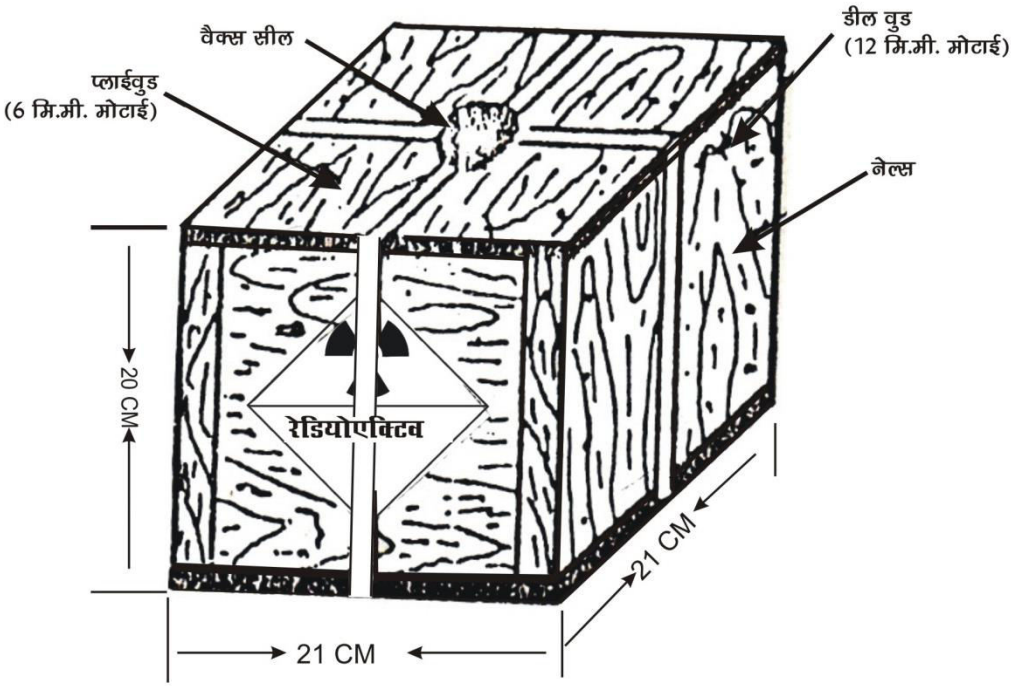
पैकिंग कोड टीपी-2बी वजन 3 किलोग्राम



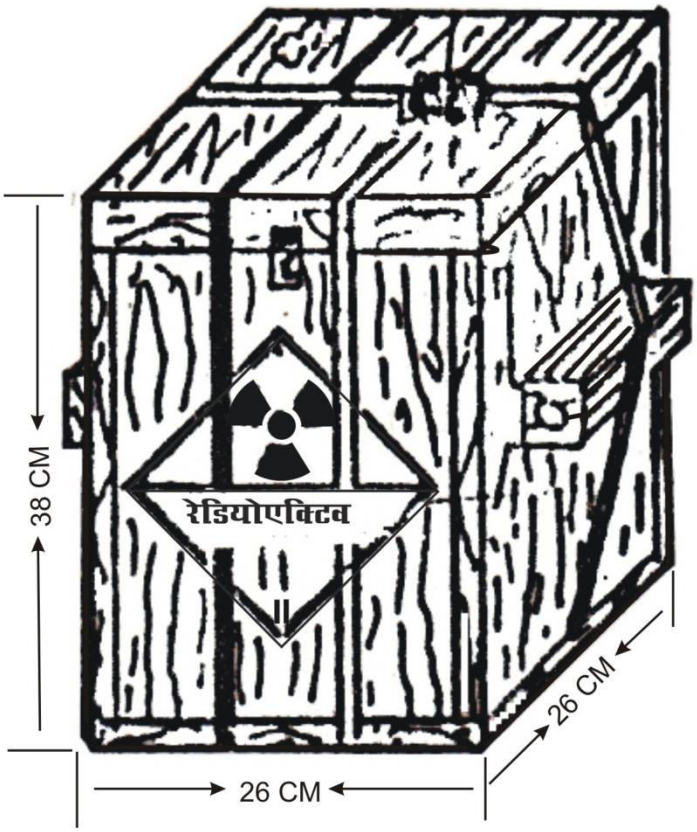
पैकिंग कोड टीपी-2सी वजन 4 किलोग्राम



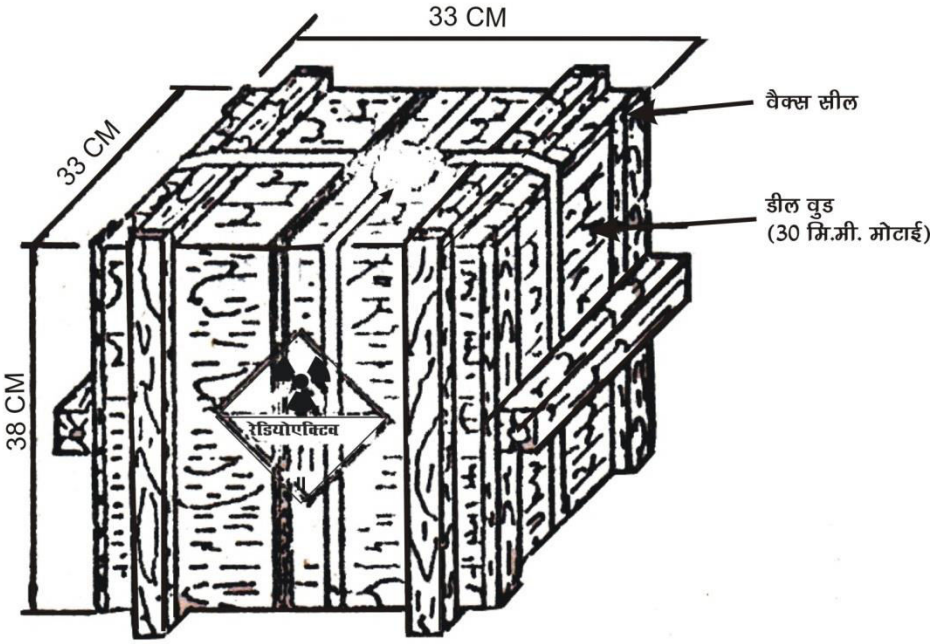
पैकिंग कोड टीपी-2डी वजन 6 किलोग्राम



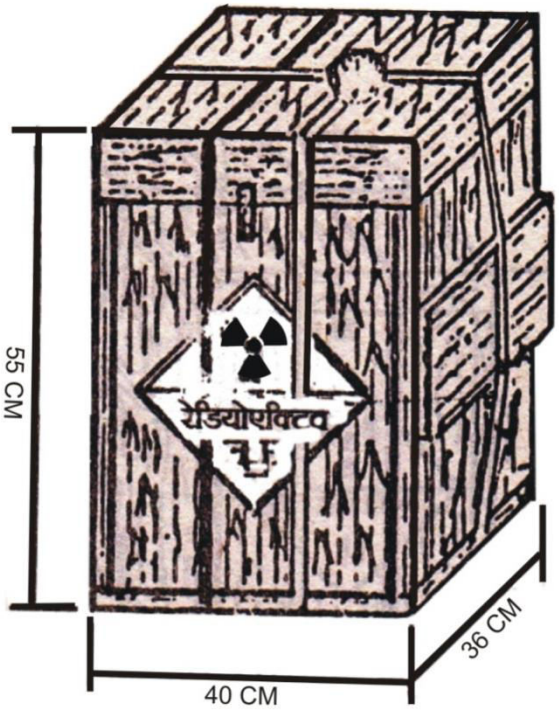
पैकिंग कोड टीपी-2ई वजन 10 किलोग्राम



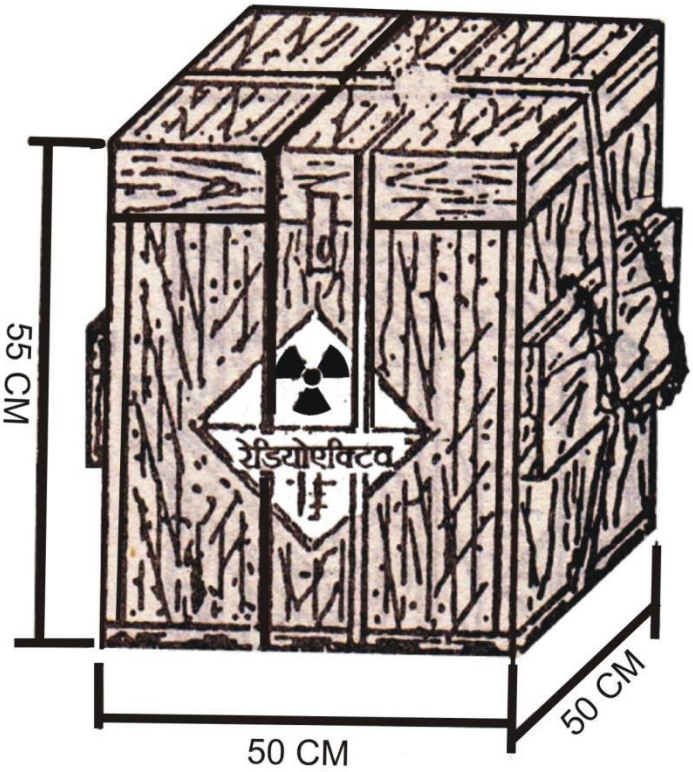
पैकिंग कोड आरटीपी-5ए वजन 35 किलोग्राम



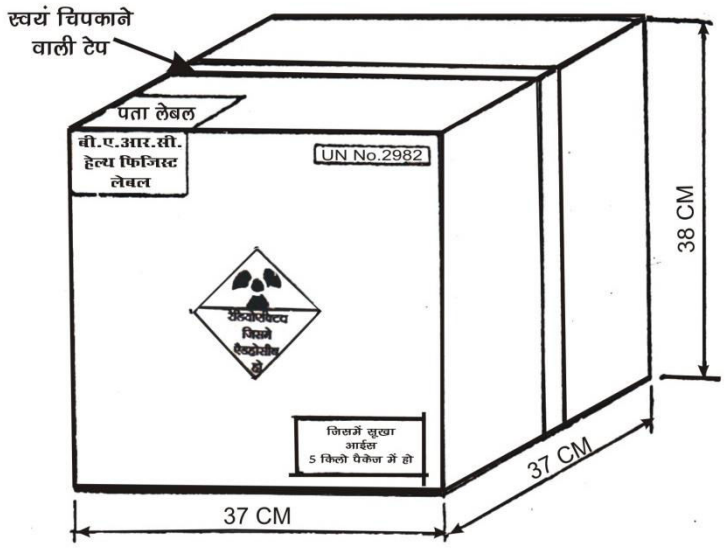
पैकिंग कोड आरटीपी-5बी वजन 45 किलोग्राम



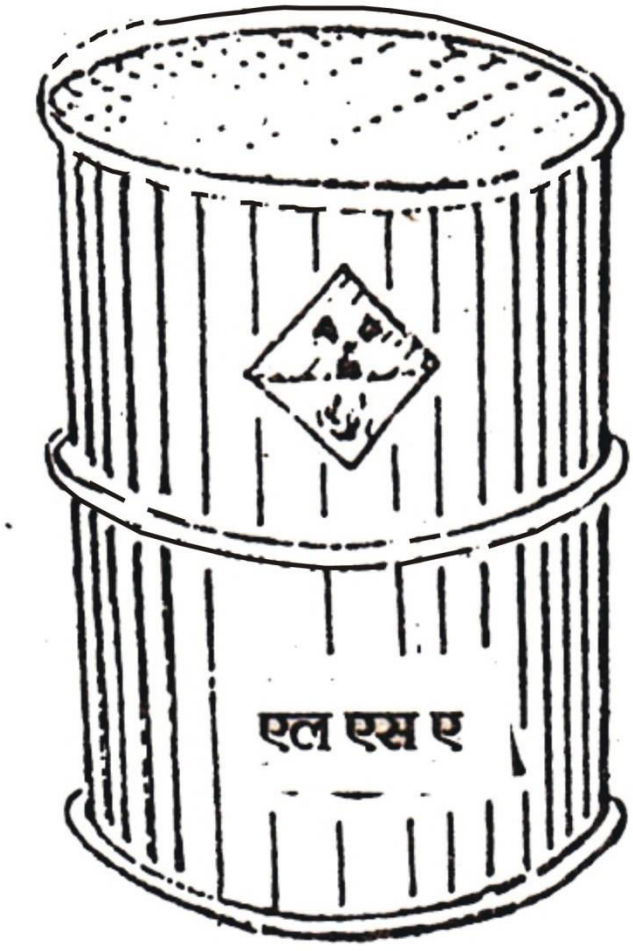
पैकिंग कोड टीपी-9ए वजन 55 किलोग्राम



पैकिंग कोड टीपी-9 बी वजन 65 किलोग्राम

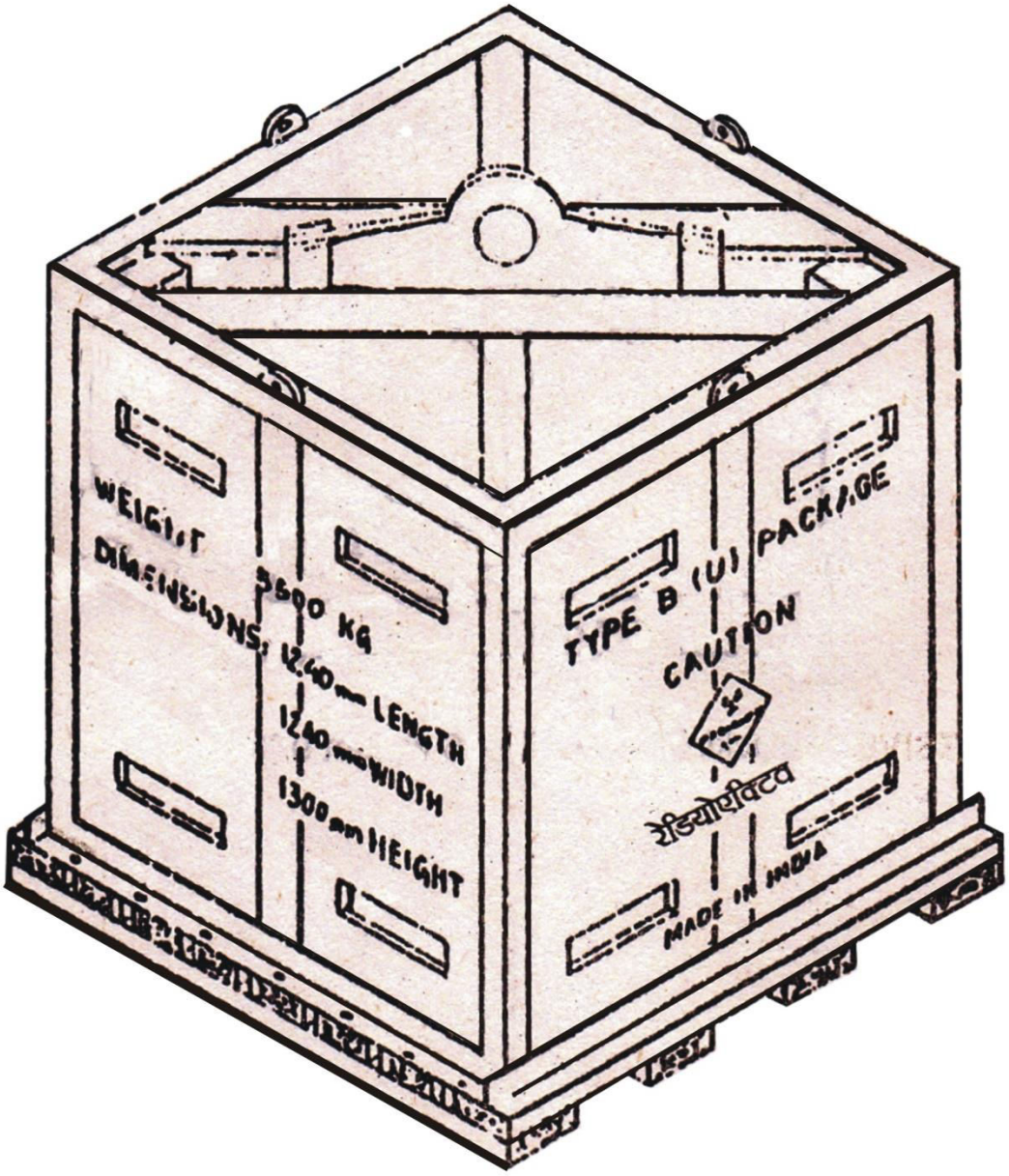


पैकिंग कोड टीपी-16 वजन 9 किलोग्राम

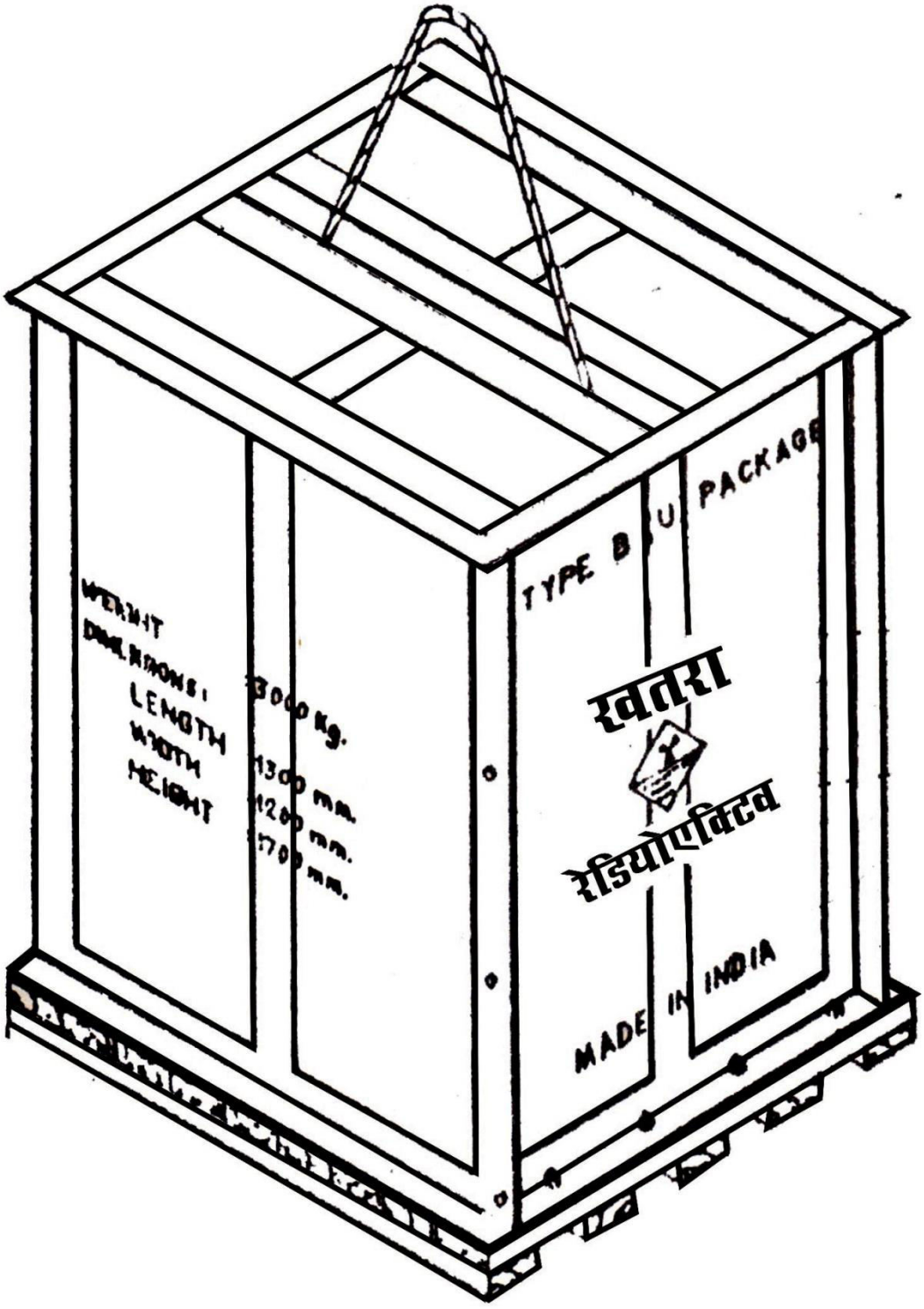


औद्योगिक पैकेज (स्टील ड्रम)

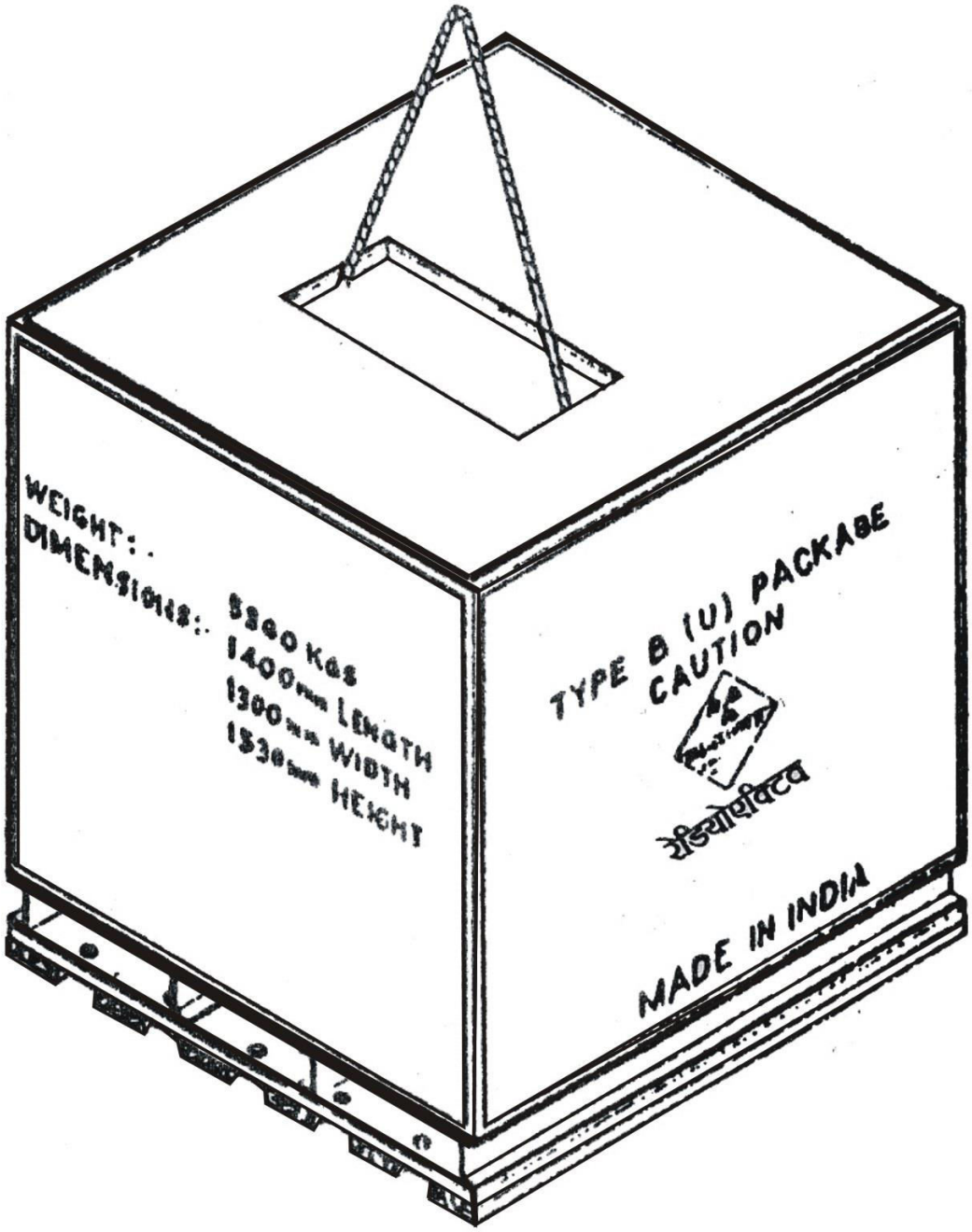
पेनबिट सोर्स कंटेनर के लिए यातायात क्रेट

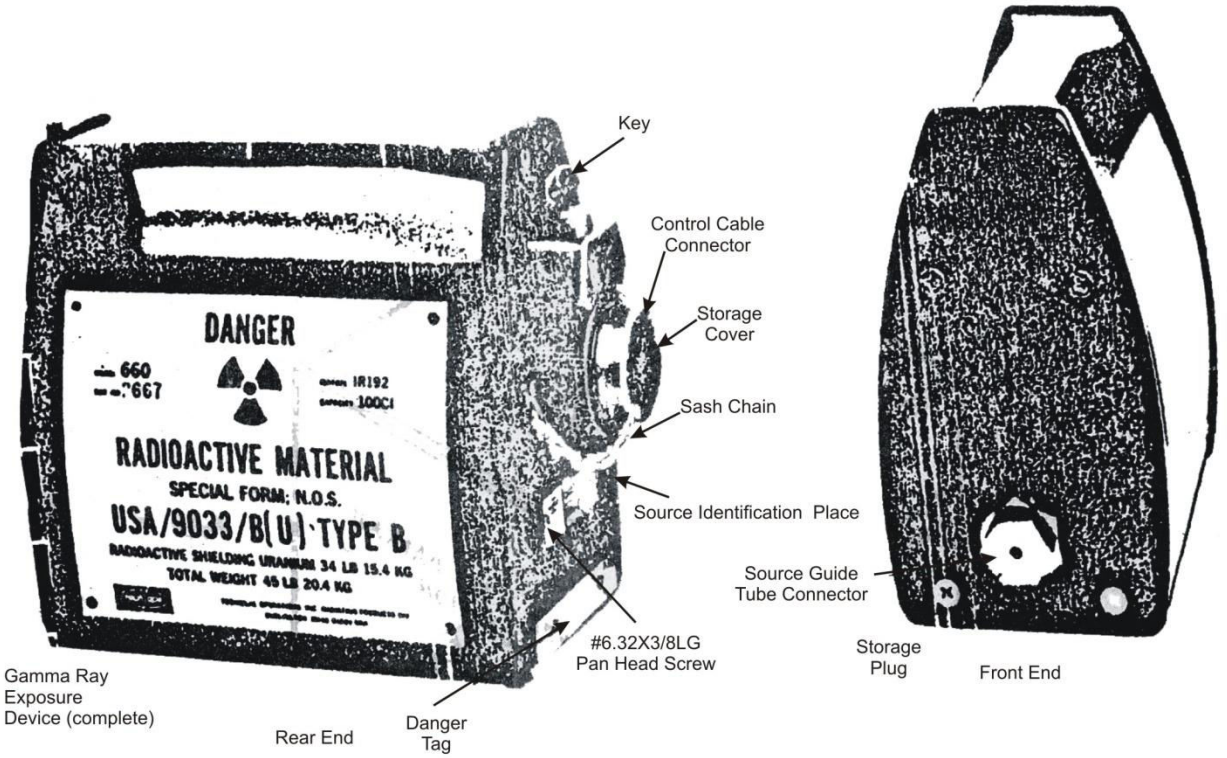


गामा चैम्बर 900L यूनिट के लिए यातायात क्रेट



गामा चैम्बर 4000A यूनिट के लिए यातायात क्रेट



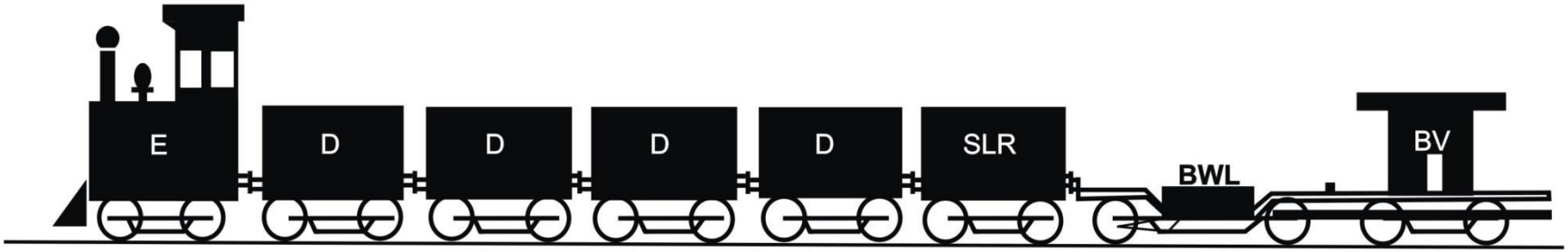


टेक ऊप्स केमरा टाइप बी पैकेज



टेलिट्रान केमरा (सीएसयू 50/एसयू 100)

विशेष गाड़ी के लिए प्रस्तावित रचना



D	डमी वेगन
BV	ब्रेक वेगन
BWL	वेगन की उपयुक्त क्षमता
E	इंजन

<u>परिशिष्ट VII/7</u>
नियम 721.1

क्रमसंख्यांकः.....

स्टेशनः.....

मंडलः.....

रेलवेः.....

दिनांकः.....

वाणिज्यिक विभाग

रेडियोएक्टिव सामग्री के परेषण के आने की अग्रिम सूचना

सेवा में,

प्रिय महोदय/महोदया

.....

.....तारीख.....की रेलवे रसीद सं.....

के अंतर्गत आपको.....स्टेशन से.....द्वारा.....अग्रेषित किया गया है।

2. आप कृपया परेक्षण के आने पर रेलवे रसीद प्रस्तुत करके परिदान लेने की व्यवस्था करें।

3. कृपया नोट करें कि यदि इस संसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आपके द्वारा पैकेज नहीं उठाया जाता है जो पैकेज प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा और उसके बाद आपको उपर्युक्त पैकेज के अपरिदान के किसी भी प्रकार का खर्च अदा करने के लिये रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं है।

4. बीजक में उल्लिखित देय/संदत्त भाड़ा ▯.....पै..... है।

भवदीय,

माल बाबू/स्टेशन मास्टर

अध्याय VIII

तेजाब तथा अन्य संक्षारक

अध्याय VIII

तेजाब तथा अन्य संक्षारक
रेल अधिनियम 1989 (1989का24) के अधीन खतरनाक माल

801.सारणी VIII में विनिर्दिष्ट तेजाब और अन्य संक्षारक रेल अधिनियम 1989(1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल समझे जाएंगे।

तेजाब और अन्य संक्षारक के वहन के बारे में साधारण निर्बन्धन

802.1 तेजाबों और अन्य संक्षारकों का केवल अधिकथित नियमों के अधीन ग्रहण किया जाना - रेल प्रशासन केवल सारणी VIII में विनिर्दिष्ट तेजाबों और अन्य संक्षारकों को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

802.2 वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित कर सकते हैं कि वह सारणी VIII में विनिर्दिष्ट तेजाब या अन्य संक्षारकों को जनसाधारण, के लिये रेल से वहन नहीं करेगा और ऐसी सूचना जारी किए जाने के पश्चात् कोई भी ऐसा तेजाब या अन्य संक्षारक उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सैक्शन या सैक्शनों पर, जिनकी बावत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

803.3 रेलों का निर्बन्धन- (1) दक्षिण पूर्व रेलवे के निम्नलिखित सैक्शनों पर तेजाब और अन्य संक्षारकों का वहन केवल विशेष व्यवस्था के अधीन किया जा सकेगा-

(क) रूपसा-तलबन्द

(ख) बांकुड़ा - दामोदर नदी

(2) मुम्बई पतन न्यास रेल- पूरे वैगन भार के रूप में तेजाब और अन्य संक्षारकों के संबन्ध में कारवाई केवल विशेष व्यवस्था के अधीन की जाएगी।

(3) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि.- तेजाब और अन्य संक्षारक केवल स्वामी की जोखिम पर ग्रहण किया जाता है।

(4) पूर्व रेल- तेजाब और अन्य संक्षारक, पूर्व रेल के छोटी लाईन सैक्शन जिनमें लाईट रेल भी सम्मिलित है, पर वहन नहीं किये जाएंगे।

परेषण की सूचना देने का प्रेषक का कर्तव्य

803.1 परेषण सूचना का अनिवार्य होना- रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए तेजाबों और अन्य संक्षारकों का कोई भी प्रेषण तब तक प्रेषण के लिये किसी रेल को नहीं भेजा जाएगा या रेल से वहन के लिये तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक की -

(क) ऐसे प्रेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना नियम 803.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती, और

(ख) जब तक की उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिससे प्रेषण को भेजा जाना है लिखित में यह सूचित नहीं कर देता कि प्रेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

803.2 सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां- नियम 803.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को संबोधित होगी जिससे माल भेजे जाने वाला है और ऐसी सूचना प्रेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व भेजी जाएगी सिवाय जब तक संबन्धित रेल प्रशासन द्वारा लघुतर अवधि विहित की गई हो। सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण होगा, अर्थात-

(1) परेषण के तेजाबों और अन्य संक्षारकों का सही नाम, विवरण और मात्रा.

(2) प्रेषक का नाम और पता,

(3) परेषती का नाम और पता,

(4) यह घोषणा कि तेजाब और अन्य संक्षारकों को रैड टैरिफ में अधिकथित नियमों, अर्थात नियम 807 और 808 के अनुसार पैक और चिन्हाकिंत् गया है।

टिप्पणी- (1) हर दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र, जो परेषण को बुकिंग के लिये प्रस्तुत करने की तारीख से 48 घंटे पूर्व दिया गया हो, इस नियम के अधीन समुचित् सूचना समझी जाएगी।

(2) जब रेल स्टेशन या शैड का भार साधक अधिकारी माल को ग्रहण करने की स्थिति में हो तब वह यह बात नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित करेगा और ऐसी सूचना प्रेषक को इस नियम के अधीन समूचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रमाणपत्र, अग्रेषण पत्र आदि अभिप्राप्त करना

804. सारणी VIII में उल्लिखित तेजाबों और अन्य संक्षारकों के प्रत्येक परेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृन्द पर प्रेषक से सभी दृष्टि से पूर्ण एक अग्रेषण पत्र विशेष रूप से विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपाबन्ध क देखिए) अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

ग्रहण करने के बारे में प्रतिषेध

805.1 मिश्रित परेषणों का प्रतिषेध्- तेजाबों और अन्य संक्षारकों को अन्य माल से साथ परेषण के भाग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। किन्तु वह एक पृथक अग्रेषण पत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा पृथक परेषण के रूप में बुक किए जाने चाहिए और ऐसे तेजाब और अन्य संक्षारक, जो साथ-साथ नहीं लादे जा सकते, पृथक-पृथक परेषण पात्रों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने चाहिए और पृथक परेषणों के रूप में बुक किए जाने चाहिए।

805.2 ऐसे थोक परेषणों का सामान्यता ग्रहण नहीं किया जाना जिनके वहन में आमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण करना पड़े-थोक रूप में ऐसे तेजाबों और अन्य संक्षारकों को रेल से वहन के लिए केवल विशेष व्यवस्था के अधीन ग्रहण किया जाएगा जिनके वहन में आमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण करना पडे।

तेजाबों और अन्य संक्षारकों का प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा तथा विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ग्रहण किया जाना

806. रेल के वहन के लिए आशयित तेजाब और अन्य संक्षारकों से परेषण केवल-

(i) सम्यक रूप से प्राधिकृत रेल सेवक द्वारा, और

(ii) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ऐसे समय पर तथा रेल परिसर के भीतर ऐसे स्थान या स्थानों पर जो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए जाएं, ग्रहण किए जाएंगे।

पैकिंग

807.1 तेजाबों और अन्य संक्षारकों का केवल तब वहन किया जाना जब व विहित रीति में पैक किए गए हों— कोई भी तेजाब और कोई अन्य संक्षारक तब तक वहन के लिए नहीं सौपें जाएंगे या उनका वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सारणी VIII के स्तम्भ 2 में अधिकथित रीति से पैक नहीं किए गए हों।

807.2 तेजाबों और अन्य संक्षारकों के लिए पात्र— (1) तेजाबों और अन्य संक्षारकों को रखने के लिए प्रयोग के में लाए जाने वाले सब पात्र भलीभांति बने हुए होने चाहिए और रेल अभिवहन के दौरान होने वाली टूट-फूट को बर्दाशत करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होने चाहिए और उन्हें मजबूती के साथ बंद किया जाना चाहिए जिससे कि अन्तर्वस्तु या वाष्प को बाहर निकलने से रोका जा सके,

(2) सारणी VIII के स्तम्भ 2 में जैसा उपबंधित् है उसके सिवाय, कास्क, केस और क्रेट लकड़ी के ड्रम लोहे का इस्पात के और जार दृढ़ भाण्ड या मिट्टी के होंगे।

(3) केसों को कसकर जोड़ा जाएगा और कास्कों पर भलिभांति डाट लगाई जाएगी।

(4) जारों को मजबूती के साथ टोंटी बन्द किया जाएगा।

(5) डाट लगी बोतलों को चिकनी मिट्टी से बन्द किया जाएगा और ऊपर से बांधा जाएगा।

(6) द्रव से भरे हुए पात्रों को ऊपर तक नहीं भरना चाहिए प्रत्येक पात्र में विभिन्न तापक्रम के अधीन द्रव के प्रसार के लिए व्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त वायु स्थान छोड़ा जाना चाहिए।

807.3 तेजाबों और संक्षारकों से युक्त कारबाय-(1) सारणी VIII के स्तम्भ 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय

(क) तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त कारबाय लोहे या लकड़ी के या बुने हुए क्रेटों में मजबूती से पैक किए जान चाहिए।

(ख) कारबाय और क्रेट के बीच में 2.5 सेन्टीमीटर न्यूनतम मोटाई की भूसे की पैकिंग होनी चाहिए।

(ग) कारबाय क्रेट में भूसे की पैकिंग, जब क्रेट रेल प्रशासन को सौपा जाए पर्याप्त रूप से नम होनी चाहिए जिससे कि आग को रोका जा सके।

(2) सब कारबायों को ऊपर तक भर कर बंद किया जाना चाहिए तथा उनमें ठीक प्रकार से फिट डाट की व्यवस्था की जानी चाहिए जो चिकनी मिट्टी से भली भांति बंद की जानी चाहिए।

(3) कारबायों की गर्दन खुली रहेगी।

807.4 भीतरी पैकिंग— सारणी VIII के स्तम्भ 2 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय क्रेटों या केसों की पैकिंग में कोई ठोस वस्तु या कठोर पदार्थ नहीं रहेगा।

परेषकों द्वारा पैकेजों का चिन्हनांकन और उन पर लेबल लगाना

808.1 चिन्हनांकन तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त प्रत्येक पैकेज के बाहर सुद्रशय् अक्षरों में ब्रांडिग करके, स्टाम्प लगाकर, एम्बोस करके या पेन्ट करके या मजबूती के साथ जोड़ा हुआ लेबल लगाकर-

(1) तेजाब या अन्य संक्षारक का नाम,

(2) "संक्षारक" शब्द

(3) मात्रा, और

(4) परेषक और परेषती के नाम और पते अँकित किए जाएँगें।

808.2 चित्रयुक्त लेबल— तेजाब या अन्य संक्षारक पदार्थ से युक्त प्रत्येक पैकेज पर नियम -808.1 में विनिर्दिष्ट चिन्हनांकन के अतिरिक्त, नीचे दिखाए गए रूप में एक चित्रयुक्त लेबल लगाया जाएगा जिसमें पैकेज की अन्तर्वस्तु के कारण हो सकने वाली जोखिम को दर्शाया जाएगा।



टिप्पणः- (1) पृष्ठभूमि.....सफेद

प्रतीक और अक्षर.....काले

(2) न्यूनतम वीमांएः 10 सें.मी. x 10 सें.मी. पैकेज के आकार के अनुसार बड़े लेबलों का प्रयोग किया जा सकता है।

(3) लेबल को 45*के कोण पर (हीरे के आकार में) जैसा ऊपर दिखाया गया है लगाया जाएगा।

(4) लेबल को दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग पाठ के लिये जैसा ऊपर दिखाया गया है किया जाना चाहिए।

803.3 संकेत लेबल— तब के सिवाय जब भीतरी पैकेज का शीर्ष ऊपर से साफ दिखाई पढ़ता हो या सबसे बाहरी पैकिंग ऐसी हो जिसमें कि शीर्ष साफ दिखाई पड़े, अर्थात जब सबसे बाहरी पैकिंग ऐसी हो जिससे की शीर्ष साफ दिखाई पड़े अर्थात जब सबसे बाहरी पैकेज का शीर्ष कोणाकार हो, तब तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त प्रत्येक पैकेज पर उसके शीर्ष पर निम्नलिखित संकेत लेबल लगाया जाएगा।

"यह भाग ऊपर की ओर रखें"

रेल द्वारा चिन्हनांकन

809.1 तेजाब औऱ अन्य संक्षारकों में युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे रेल चिन्हों से समुचित रूप से चिन्हानांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक और गंतव्य स्टेशन के संकेताक्षर, बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा परेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो।

809.2 तेजाबों और अन्य संक्षारकों के प्रेषण को वैगन भार प्रेषण के रूप में ऐसे गंतव्य स्थान के लिए वहन के लिए सौंपा जाता है जिसमें आमान परिवर्तन के कारण यानान्तरण नहीं किया जाना है, तब परेषणों के पैकेजों में से केवल दस प्रतिशत पर ही रेल चिन्ह अंकित करना आवश्यक होगा।

रेल कर्मचारिवृन्द का उत्तरदायित्व

810. तेजाबों और अन्य संक्षारकों के परेषणों को ग्रहण करते समय रेल कर्मचारिवृन्द को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

(क) किसी एक पैकेज में तेजाब और अन्य संक्षारकों का घोषित भार, जैसा कि पैकेज पर चिन्हनाकनों से अभिनिश्चित किया गया है, सारणी VIII के स्तम्भ 2 से अधिक नहीं है, और

(ख) सबसे बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है।

उठाई- धराई का कार्य केवल परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाना

811.1 जब तक रेल प्रशासन द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाए तब तक वैगन भार के रूप में तेजाबों और अन्य संक्षारकों को लदाई और उतराई का कार्य परेषकों और परेषितियों दावारा किया जाएगा।

811.2 जब यातायात को फुटकर के रूप में बुक किया जाता है तथा मार्ग में उठाई-धराई के सभी मामलों में संबंधित रेल प्रशासन लदाई और उतराई करेगा।

परन्तु टैंक वैगनों के रूप में यातायात का यानान्तरण परेषकों और परेषितियों द्वारा किया जाएगा।

भण्डारण

812. (क) प्रत्येक स्टेशन के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह तेजाब तथा अन्य संक्षारकों के ऐसे प्रत्येक पैकेज को, जिनका रेल से परेषण प्रस्थापित है या जो यानान्तरण के लिए या प्रेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, ऐसे शेड में भण्डारित किया गए जो सुवातित और धेरा हुआ है या खुला शेड है, अर्थात, ऐसा शेड है जिसके ऊपर मौसम से बचाव के लिए छत है किन्तु जो चारों ओर दिवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहां भी ऐसी भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेजों को ढकी रही हुई लोह वैगन में भंडारित किया जा सकता है यदि ऐसा संभव नहीं हो तो किसी खुले स्थान में त्रिपाल या अन्य उपर्युक्त सामग्री से पूरी तरह ढक कर रखा जा सकता है।

(ग) तेजाबों और अन्य संक्षारकों का भण्डारण करते समय नियम 813 में अधिकथित सब पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

तेजाबों और अन्य संक्षारकों को उठाई-धराई और भण्डारण करते समय अनुपालन की जाने वाली पूर्वावधानियां

813.1 लदाई और उतराई का समय— तेजाब और अन्य संक्षारकों की लदाई, उतराई तथा उठाई - धराई से संबन्धित सक्रियांए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जानी चाहिए। परन्तु सैक्शन के यानों से भेजें गए परेषणों की उठाई-धराई किसी भी समय की जा सकती है किन्तु यह तब जब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सब सम्यक् पूर्वावधानियां जिसमें पर्याप्त की व्यवस्था भी सम्मिलित बरती जाएं।

813.2 पैकेजों की उठाई-धराई— (1) तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेजों जमीन अथावा फर्श पर फैकें, गिराए या घसीटे नहीं जाएंगे तथा इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि वे किसी कठोर वस्तु से न टकराएं।

(2) जब भारी ड्रमों या कास्कों की लदाई और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के फैल्ट कुशन, मोटी जूट का चटाईयों फैल्ट, बुरादे से भरे हुए थैले या वैसे ही अन्य बचाव के साधन ड्रमों या कास्कों को क्षति से तथा रिसने से बचाने के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

(3) जब भी साध्य हो, तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेजों का वहन या प्रवहण ट्रालियों या हथठेलों से किया जाना चाहिए।

813.3 खतरनाक पदार्थों के साथ भण्डारण और उठाई-धराई— तेजाबों और अन्य संक्षारकों के भण्डारण या उठाई - धराई विस्फोटकों, अन्य खतरनाक मालों या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं या ऐसे खाली पात्रों, जिनमें पैट्रोलियम या अन्य ज्वलनशीन द्रव रखे गए हो, के साथ या उनके निकट नहीं की जाएगी।

813.4 खाद्य पदार्थों के साथ भण्डारण और उठाई-धराई का प्रतिषेध- तेजाब और अन्य संक्षारकों का भण्डारण या उठाई - धराई खाद्य पदार्थों या खाध्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ या निकट नहीं की जाएगी।

813.5 धूप,वर्षा और बर्फ से बचाव- तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा या बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें सीली हुई भूमि पर रखा जाएगा। और जब भी अपेक्षित हो उनका बचाब त्रिपोलों या अन्य उपर्युक्त सामग्री से किया जाएगा।

813.6 उस स्थान, वाहन या वैगन को पूरी सफाई जिसमें तेजाब या अन्य संक्षारक रखें गए हैं या उनकी उठाई - धराई की गई है - ऐसे किसी स्थान या वैगन का फर्श जिस पर तेजाब या अन्य संक्षारकों का भण्डारण किया गया हो या वह वैगन या ट्राली या हथठेला जिसमें उनका वहन किया गया हो, उसमें से माल हटाए जाने के पश्चात्, बुहारा जाना चाहिए और पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए।

तेजाब और अन्य संक्षारकों का सब गाड़ियों से वहन

814. नियम 819 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैगनों में तेजाब और अन्य संक्षारकों का वहन यात्री गाड़ी सहित सब गाड़ियों में किया जा सकता है।

तेजाब और अन्य संक्षारकों की लदाई के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले वैगनों का प्रकार

815.1 तेजाब और अन्य संक्षारकों का वहन ढकें हुये लोह वैगनों में या टैंक वैगनों में किया जाएगा।

815.2 जिन तेजाबों और अन्य संक्षारकों का वहन टैंक वैगनों में किया जा सकता है वे सारणी VIII के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट रूप में उपदर्शित है।

टिप्पण - छोर पर खुलने वाले डिब्बें या वैगन प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।

टैंक वैगनों में वहन

816.1 टैंक वैगनों का अनुमोदित डिजाईन का होना— तेजाब और अन्य संक्षारकों के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टैंक वैगन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के होंगे।

816.2 टैंक वैगनों की लदाई के दौरान अनुपालन की जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां— (1) तेजाबों और अन्य संक्षारकों के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टैंक वैगन अच्छी दशा में और न रिसने वाले होंगे।
(2) टैंक वैगनों को भरते समय टैंक की क्षमता का कम से कम पांच प्रतिशत वायु स्थान छोड़ दिया जाएगा।
(3) सभी प्रवेश और निर्गम द्वारा मजबूतों के साथ बंद किए जाएंगे (जहाँ अपेक्षित हो वहां सुराखों (वैन्ट) की व्यवस्था की जाएगी)।

816.3 खाली टैंक वैगन- सब खाली टैंक वैगन वायुरोधी स्थिति में मजबूती के साथ बंद किए जाएंगे (जहां अपेक्षित हो वहां सुराखों (वैन्ट) को व्यवस्था की जाएगी।

लदाई या उठाई-धराई की जाने वाली मात्राएं

817.(क) एक समय में तेजाब और अन्य संक्षारकों की कितनी मात्रा लादी जाएगी। और
(ख) तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त वैगनों की उस संख्या के बारे में जिनकी लदाई या उतराई रेल स्टेशन पर किसी एक समय में की जा सकती है , कोई निर्बन्धन नहीं है।

तेजाब और अन्य संक्षारकों का सामान्य माल के साथ वैगनों में वहन

818. नियम 820,821 और 822 में अंतर्विष्ट लदाई संबंधी निर्बधंनों के अधीन रहते हुए, तेजाबों और अन्य संक्षारकों का वहन एक ही वैगन में सामान्य माल के साथ किया जा सकता है, परंतु यह तब जब

(क) वैगन में ज्वलनशील प्रकृति की कोई वस्तुए या मूल्यवान प्रकृति के ऐसे अन्य माल नहीं है जिन्हें तेजाब, आदि के रसने की दशा में क्षति हो सकती है, जैसे, मिल कपड़ा, कागज़ के माल, रेशा फाइबर बोर्ड के केस और

(ख) तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेज, वैगन में अन्य माल से सर्वथा पृथक रखे जाते हैं।

ब्रेकयान में तेजाबों और अन्य संक्षारकों के वहन का प्रतिषेध

819. तेजाबों औऱ संक्षारकों का वहन गाडिंयों के ब्रेकयान में नहीं किया जाएगा।

तेजाब और अन्य संक्षारक जिन्हें पृथक रखा जाना चाहिए

820. वे तेजाब और अन्य संक्षारक, जिसका वहन एक ही डिब्बे में साथ साथ नहीं किया जाना चाहिए, सारणी VIII के स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित है और तेजाबों और अन्य संक्षारकों का भण्डारण या उठाई-धराई एक साथ नहीं की जानी चाहिए।

तेजाबों और अन्य संक्षारकों के साथ खाद्य पदार्थों के वहन का प्रतिषेध

3

821. तेजाबों औऱ अन्य संक्षारकों का वहन एक ही डिब्बे में किन्ही विस्फोटकों या अन्य खतरनाक मालों या ऐसे खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाएगा जिनमें पट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों।

तेजाब और अन्य संक्षारकों के साथ खाद्य पदार्थों के वहन का प्रतिषेध

822. तेजाबों और अन्य संक्षारकों का वहन एक ही डिब्बे में खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ नहीं किया जाएगा।

वैगनों में भराई

823.1 पैकेजों का जमाकर लादा जाना— तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त पैकेजों को जमाकर लादा जाना चाहिए जिससे कि वे अभिवहन के दौरान हट न सकें।

823.2 विभिन्न प्रकार के तेजाबों और अन्य संक्षारकों का पृथक-पृथक रखा जाना— विभिन्न प्रकार के तेजाबों और अन्य संक्षारकों को, जब उन्हें एक ही वैगन में लादा जाए, एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखा जाएगा जितनी साध्य हो।

823.3 ड्रम-तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त ड्रम, जहां तक संभव हो, अंतिम छोर पर लादे जाएंगे।

823.4 बोतलों, जार और कारबाय (1) बोतलों, जारों और काबायों को अन्य माल के ऊपर नहीं लादे जाने चाहिए। और न अन्य माल बोतलों, जारों, और कारबायों के ऊपर लादे जाना चाहिए।

(2) तेजाबों और अन्य संक्षारकों के सिवाय कोई अन्य वाणिज्यिक सामग्री उसी वैगन में शीशे कारबायों के साथ नहीं लादी जानी चाहिए।

823.5 खाली पात्र- ऐसे खाली पात्र जिनमें तेजाब और अन्य संक्षारक रखे गए हो, बंगो के साथ इस प्रकार से लादे जाने चाहिए कि उनमें से किसी अवशिष्ट द्रव का बाहर निकलना संभव न हो।

वैगनों पर लेबल लगाना और उन्हें सीलबंद तथा तालाबन्द करना

824.1 वैगनों पर खतरनाक का लेबल लगाना— खतरनाक का एक लेबल जैसा नीचे दिखाया गया है, ऐसे प्रत्येक वैगन के दोनों ओर लगाया जाना चाहिए जिसमें तेजाब और अन्य संक्षारकों को प्रेषण के लिए या परिदत्त करने के लिए जमा किया गया है या जब वे अभिवहन में है।



टिप्पणः (1) पृष्ठ भूमि सफेद
प्रतीक और अक्षर काले
(2) विमाएं 0.3 मी. अर्थ व्यास
(3) लेबल को दो समान अर्थवृतों में बाटां जाना चाहिए जिनमें से ऊपर के भाग का प्रयोग लूज़ शंटिग न करे शब्दों तथा प्रतीक के लिए और नीचे के भाग का प्रयोग शेष पाठ के लिए जैसा ऊपर दिखाया गया है, किया जाना चाहिए।

यानान्तरण के अधीन सड़क यानों या सड़क यान गाड़ियों के सिवाय, जिन पर लेबल वैगनों या डिब्बे के दोनों और चिपकाए जा सकते हैं, लेबल दरवाजें पर इस प्रकार से चिपकाए जाने चाहिए जिससे कि जब दरवाजे खोले जाए, लेबल स्वतः नष्ट हो जाएं। इन लेबलों को तब भी चिपकाया जाना चाहिए जब तेजाबों और अन्य संक्षारकों का वहन सामान्य माल के साथ किया जाता है भले ही तेजाब और अन्य संक्षारकों की वैगनों में लादी गई मात्रा कितनी भी क्यों न हो।

824.2 प्राइवेट लेबल- रेल लेबलों के अतिरिक्त यदि प्रेषक कोई ऐसा लेबल चिपकाता है जिसमें परेषण की अंतर्वस्तु और उसके संबंध में होने वाले परिसंकट का उल्लेख है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लेबल वैगन के दरवाजे पर चिपकाए जाने चाहिए।

शंटिंग संबंधी पूर्वानधानियों का अनुपालन

825. तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त वैगनों की शंटिंग सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग की संक्रियाओं के दौरान -
(क) सभी संचालनों की गति 8 किलेमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं रहती है, और
(ख) रफ हैम्प, फ्लाई या लूज़ शंटिंग नहीं की जाती।

मार्शलिंग

826.1 मार्शलिंग के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां -(1) एक समय में तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त कितने वैगन किसी एक गाड़ी के साथ लगाए जा सकते हैं या वहन किए जा सकते हैं इस बारे में कोई निर्बन्धन नहीं है।

(2) तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त वैगनों तथा निम्नलिखित से युक्त डिब्बों के बीच उतने ऐसे डिब्बे लगाए जाएगें जिनमें विस्फोटक, अन्य खतरनाक माल या ज्वलन शील प्रकृति की वस्तुएं नहीं हैः-

(क) विस्फोटक और पैट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव वर्ग 'क 'की दशा में, कम से कम तीन डिब्बे।

(ख) संपीडित द्रवीकृत या विलयित गैसों की दशा में कम से कम दो डिब्बे; और

(ग) पैट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव ' ख ' ज्वलनशील ठोस और आक्सीकारक पदार्थों की दशा में, कम से कम एक डिब्बा;

(3) तेजाबों और अन्य संक्षारकों से युक्त वैगनों को बराबर के अन्य डिब्बों से तथा एक दूसरे से क्लोज़ कपल् किया जाएगा।

826.2 कतिपय सैक्शनों पर छूट- पूर्वोत्तर सीमांत रेल के दार्जिलिंग - हिमालय सैक्शन पर तेजाब और अन्य संक्षारकों से युक्त वैगनों का क्लोज कपल करना आवश्यक नहीं है।

826.3 रक्षा वैगन या डमी वैगन- जब भी ऐसे वैगन जिनमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं नहीं है, अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो तब खाली वैगनों का प्रयोग, रक्षा वैगनों या डमी वैगनों के रूप में, जैसा अपेक्षित है, तेजाबों और अन्य संक्षारक से युक्त वैगनों को विस्फोटकों, संपीडित द्रवीकृत या विलयित गैसों, पैट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रवों, ज्वलनशील ठोसों और आक्सीकारक पदार्थों से युक्त डिब्बों से अलग करने के लिए किया जाएगा।

पहुंच की सूचना

827.1 परेषण के पहुंचनें की प्रेषिती को सूचना- गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेजाबों और अन्य संक्षारकों के परेषणों के पहुंचने की सूचना प्रेषिती को विहित प्ररूप में (प्ररूप के लिए उपबंध "ख" देखिए) उन सब परेषणों की बाबत दी जाती है जो उसके स्टेशन पर ग्रहण किए जाते हैं तथा उतराई की तारीख को हटाए नहीं जाते हैं।

827.2 पहुंच की सूचना जारी न करने से स्थान भाड़ा और डैमेरेज वसूल करने के रेल के अधिकार का प्रभावित न होना- यदि माल का परिदान अनुज्ञात छूट समय के भीतर नहीं लिया जाता तो पहुंच की सूचना प्राप्त न होन या देर से प्राप्त होने से प्रेषिती स्थान् भाड़ा और डैमरेज प्रभारों से छुट का हकदार नहीं होगा।

परिदान या अन्यथा व्ययन

828.1 परिदान- तेजाबों और अन्य संक्षारकों के परेषणों को प्रेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपो से जहां के लिए उनका वहन किया गया है, जैसे ही ये परिदान के लिए उपलब्ध हो, हटाया जाएगा।

828.2 परिदान तुरन्त न लेने की दशा में व्ययन- (1) यदि परेषणों को हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात् भी परेषण रखे रहते है तो रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 84 में जैसा विहित है, प्रेषिती पर तुरन्त एक सूचना तामील की जाएगी।

(2) सूचना विहित प्ररूप में होगी और जो परिशिष्ट VIII/I में दिया गया है।
(3) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो परेषण अदावाकृत रहते हैं उन्हें भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और 84 के उपबंधो के अनुसार विक्रय कर दिया जाएगा।

प्रभार के लिए भार् और ग्रहण करने के दिन

829. वैगन भार के रूप में यातायात का सब दिनों ग्रहण किया जाना- "वैगन भार के रूप में यातायात भारतीय रेल सम्मेलन मालभाड़ा दर सुची में यथाविहित प्रभारित किए जाने वाले न्युनतम भार के अधीन रहते हुए सब दिन ग्रहण् किया जाएगा।"

भाड़े का पूर्व संदाय

830. रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अपवादों के अधीन रहते हए, तेजाबों और अन्य संक्षारकों के सब परेषणों का भाड़ा पूर्व संदत्त होगा। सिवाय उन वस्तुओं के जिनके संबंध में माल भाड़ा या कोचिंग टैरिफ में प्रेषक को भाड़े पर विहित भाडें या अधिभार के संदाय के आधार पर बुक करने का विकल्प किया गया हो।

डिब्बो कि मरम्मत

831. ऐसे डिब्बे के, जिसमें तेजाब या अन्य संक्षारकों का वहन किया जा रहा है, किसी भाग में कोई मरम्म्त या परिवर्तन प्रारंभ करने से पूर्व ऐसे सब तेजाब और अन्य संक्षारकों को हटाने के लिए सब सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

832.(1) तेजाबों और अन्य संक्षारकों के किसी परेषण के संबंध में जब भी कोई दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति या संपत्ति को गंभीर नुकसान होता है या ऐसी कोई घटना घटती है जिसमें प्रायः ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो तत्समय परेषण का भारसाधक व्यक्ति तुरन्त निम्नलिखित को सूचित करेगा-

(क) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को दूरभाष/ ई-मेल/फैक्स द्वारा एवं 24 घंटे के भीतर घटना का ब्यौरा देते हुए निम्नलिखित पते पर पत्र द्वारा सूचित करें।
(ख) विस्फोटक नियंत्रक को जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है,
(ग) निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को, और

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/
Chief Controller of Explosives,
A-Block, CGO Complex,
5th Floor, Seminary Hills,
Nagpur-440006 (Maharastra)
Tel. No. 071-22510248
E-mail explosives@explosives.gov.in

(घ) सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को।

(2) मुख्य नियंत्रक का उसके प्रतिनिधि के आने तक अथवा मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि से अनुदेश प्राप्त होने तक कि वह और कोई अन्वेषण की जांच नहीं करना चाहता सारे मलवे तब तक नहीं छुआ जाएगा जब तक

कि उसका हटाया जाना घायल व्यक्तियों के बचाने और दुर्घटना में मरे किसी व्यक्ति के शरीर के निकालने अथवा सीधी संचार व्यवस्था के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक न हो।

व्यावृति

833. इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित के प्रवर्तन को न्युन करने वाली नहें समझी जाएगी : -

(क) आयुध अधिनियम, 1959 (1954 के 59)
(ख) आयुध नियम, 1962 या
(ग) विष अधिनियम, 1919 (1919 के 12) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, जहां भी वे लागू हैं।

<u>तेजाब और अन्य संक्षारक</u>

सारणी VIII

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
ऐसेटिक क्लोराइड तेजाब एसेटिक (जिसमें अन्तर्गत ग्लेशियल एसेटिक तेजाब भी है।	(1)बोतलों में जो कैसों में पार्टिशन लगाकर या बुरादे में पैक की गई हो। (2) 10 लीटर के जारों में जो केसों में बुझे हुए चूने में पैक किए गए हों। (3) ड्रमों में। (1)दृढंभांडो या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भली भेंति सुरक्षित हो और केसों में सीधी रखी जाए। (2)इन केसों की भीतरी पैकिंग भूसा, भूसी या बुरादे के साथ मिश्रित कोयले, लकड़ी की राख या खड़िया या बालू की होनी चाहिए। (3) कार्क की डाट वाले कारबायों में कारबायों को टोकरीनुररमा ढक्कनों से सुरक्षित किया जाएगा। कारबायों को धातु के बने हुए पात्रों में भी पैक किया जा सकता है जिन्हें हैम्पर तथा कारबाय के बीच 1.27 सेंटीमीटर की मोटाई में भूसा या लकड़ी की छीलन लगाकर पैक किया जाएगा।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
तेजाब एसेटिक (जिसमें अन्तर्गत ग्लेशियल एसेटिक तेजाब भी है।(जारी)	(4) लकड़ी के बैरलो में जिनमें से प्रत्येक में 200.कि.ग्राम से अधिक मात्रा नहीं होगी। बैरल इस प्रकार से निर्मित होंगे और सुरक्षित रखे जाएगे जिससे कि अभिवहन के दौरान व त्रुटिपूर्ण, रिसने वाले या असुरक्षित न हो जाएं। (5) ग्लेशियल एसेटिक तेजाब को क्रेटों में कार्क की डाट लगे हुए दमगानों (डैमोंगानों) में भी पैक किया जा सकता है डाट एल्यूमीनियम की चूड़ीदार कैस लगाकर जमाई जा सकती है। (6) एसेटिक तेजाब या ग्लेशियल ऐसेटिक तेजाब एल्यूमीनियम की चूड़ीदार कैपों के बिना भी दमगानों(डैमोगानों) ओर शोशे के और कायोबायों का मुह डांट लगाकर और प्लास्टर आफ पैरिस से सील बन्द करके मजबूती के साथ बन्द किया जाना चाहिए।शीशे के कारबायों या दमगानों को क्रेटों में पैक किया जा सकता है परन्तु यह तब जब वह लेबल बास की टोकरियों में पैक किए जाएं और तब बांस की टोकरी और लकड़ी के क्रेटों के चारों और भूसे की मोटी परत लगाकर क्रेट बंद किए जाएंगे।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
तेजाब एसेटिक (जिसमें अन्तर्गत ग्लेशियल एसेटिक तेजाब भी है।(जारी)	(7) ग्लेशियल एसेटिक तेजाब (90 प्रतिशत की शक्ति से कम नहीं) का वहन एल्युमीनियम के पात्रों में, जिनकी ऊंचाई 35 से.मी.और व्यास 30 सेंटीमीटर हो और क्षमता 20 लीटर हो, किया जा सकता है। पात्र के निकाय और सिरों की मोटाई लगभग 2.54 मि.मी.होनी चाहिए और जोड़ दबे हुए होने चाहिएं तथा शोल्डर करके सील बन्द किये जाने चाहिए। (8) ग्लेशियल एसेटिक तेजाब (90% की शक्ति से कम नहीं)का वाहन मजबूती के साथ बंद किये एल्युमीनियम के ड्रमों में भी किया जा सकता है।इन ड्रमों को रोलिंग पट्टियां (हूप) लगाकर मजबूत किया जाना चाहिए। प्रत्येक ड्रम में तेजाब की मात्रा 200 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी। (9) लकड़ी के बेरलों या एल्युमीनियम के ड्रमों में परेषणों के सिवाय, किसी एक पैकेज का सकल भार व.ला.तथा मी.ला.की दशा में 200 कि.ग्रा. तथा छो.ला.की दशा में 100 कि.ग्रा.।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
तेजाब, एसेटिक (जिसके अन्तर्गत ग्लेशियल एसेटिक तेजाब भी है) -समाप्त	(10) प्रत्येक पात्र में उसकी क्षमता के 10 प्रतिशत से अन्यून वायु स्थान छोड़ा जाएगा। (11) एसेटिक तेजाब (जिसके अन्तर्गत ग्लेशियल एसेटिक तेजाब भी है) 30 लीटर क्षमता वाले ड्रमों में भी पैक किया जा सकता है। इन ड्रमों में से प्रत्येक जी.एफ.5740 ग्रेड के हाई डन्सिटी पोलीथिलीन के बने होने चाहिए और निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपाल होना चाहिए अर्थात- (क) यदि किसी ड्रमों में कोई अपवर्णन का चिन्ह प्रकट होता है तो उसे प्रयोग से तुरंत हटा लिया जाना चाहिए और (ख) एक ही रेल कंटेनर में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी।				
एसिटिक एन हाइड्राइड	1. कांच या प्लास्टिक की बोतलों में जिन्हें बाक्स पर पैक किया गया हो। 2. कांच के कारबायों में जिन्हें क्रेट या हैम्पर में पैक किया गया हो। 3. कांच के कारबायों में जिन्हें बाक्स, ड्रम या हैम्पर में पैक किया गया हो। 4. कैनों में जिन्हें बाक्स में पैक किया हो। 5. धातु के ड्रमों में।				
क्लोरोसल्फोनिक तेजाब	1. अनुमोदित इस्पात के ड्रमों में पैक किया जा सकता है।प्रत्येक ड्रम का सकल भार 600 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।ड्रमों में 5 प्रतिशत वायु स्थान छोड़ा जाना चाहिए। क्लोरोसल्फोरिक तेजाब के वहन के लिए इस्पात के ड्रमों के ब्योरेः- (i)ड्रम अच्छी क्वालिटी की नम्र इस्पात की चादरों के बने होने चाहिए। (ii) सभी ड्रमों की झलाई (सोल्डरिंग) या रिबट की जानी चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
क्लोरोसल्फोनिक तेजाब-जारी	(iii) धातु की मोटाई 12 बिरमिंघम गेज (निकास के लिए 2.52 मिलीमीटर) और 10 बिरमिंघम गंज छोरों के लिए 3.18 मिली मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। (iv) सिरे ड्रम के मुख्य भाग में 2.54 सेंटीमीटर से 3.81 सेंटीमीटर तक फंसे हुए होने चाहिए और झलाई किए गए इस्पात के हूप लगाकर उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। हूप या तो ड्रम के निकाय में मजबूती के साथ जोड़े जाने चाहिए और छोरों को ढ़कने के लिए उनके ऊपर हुए शीर्ष होने चाहिए अथवा उन्हें ड्रम के निकाय के साथ झलाई करके जोड़ा जाना चाहिए। (v) प्रत्येक ड्रम के निकाय में 2 ठोस रोलिंग हूप फंसाए जाने चाहिए। (vi)प्रत्येक ड्रम में एक भलीभांति फिट किए गए चूड़ीदार इस्पात के प्लग और इस्पात के उभार(बांस) की व्यवस्था रहनी चाहिए।उभार(बांस) ड्रम के साथ झलाई करके लगाया जाएगा।जब प्लग की चूडियां कसी जाएं तब वह रोलिंग हूपों या चिंबों के बाहर नहीं निकलना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
क्लोरोसल्फोनिक तेजाब -समाप्त	(vii)प्रत्येक ड्रम की परीक्षा 1.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के आंतरिक दबाव के अंतर्गत की जानी चाहिए और यह साबित होना चाहिए। कि वह वायु रोधी है। तथा यह परीक्षण जब तक किया जाना चाहिए जब तक ड्रम के अवक्षयण का कोई संकेत मिले तथा 6 महीने में अनाधिक के अन्तराल पर भी किया जाना चाहिए। (viii)प्रत्येक ड्रम का बाहरी भाग पेंट किया जाना चाहिए या वार्निश किया जाना चाहिए और पेंट तथा वार्निश उतनी बार पुनः किया जाना चाहिए जितनी बार ड्रम को जंग लगने से बचाने के लिए आवश्यक हो। (2) नाइट्रिक तेजाब और हाइड्रोक्लोरिक तेजाब के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए। (क) ठोस के रूप में-				
क्रोमिक तेजाब	(1) उपर्युक्त प्रकार के शीशे के या मिट्टी के पात्रों में जो भलीभांति बंद किए गए हों। पात्रों को लकड़ी के केसों में उपयुक्त बचाव सामग्री लगाकर पैक किया जाना चाहिए। बचाव सामग्री में कीजिंग गर, खड़िया या कच्चे छाल उतारे हुए कीट श्राश्म तथा खड़िया भलीभांति तैयार किया गया मिश्रण हो सकेगा, जिसमें खड़िया 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक तथा 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक छाल उतारा गया कीटश्राश्म होगा। (2) धातु के ड्रमों में (जैसे इस्पात के ड्रम)जिनमें से प्रत्येक में भीतर की ओर सीसे या अन्य उपयुक्त सामग्री की परत या कोटिंग होनी चाहिए और ड्रम मजबूती के साथ बंद होना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
क्रोमिक तेजाब (जारी)	(3) भारी गेज के इस्पात के ड्रमों में जो मजबूती के साथ बंद किए गए हो। **(ख) द्रव रूप में...** (1) उपयुक्त प्रकार के शीशे या मिट्टी के पात्रों में जो भलीभांति बंद किए हो। प्रत्येक पात्र 10 लीटर से अधिक मात्रा नहीं चाहिए। लकड़ी के केसों में जिसमें प्रभावशील अवशोषक और बचाव के लिए पैकिंग सामग्री लगाई जाएगी। प्रत्येक केस में 50 लीटर से अधिक पैक नहीं किया जाएगा। अवशोषक तथा बचाव पैकिंग सामग्री के अन्तर्गत कीजिल गर, खड़िया या बुरादे तथा खड़िया का अच्छा मिश्रण इस तरह से होना चाहिए कि मिश्रण में कम से कम 0.31 किलोग्राम से कम खड़िया न हो और प्रति 0.45 क्रोमिक तेजाब मिश्रण में 0.22 किलोग्राम से अधिक बुरादा न हो अथवा कच्चे छाल उतारें हुए कीटाभ्राश्म तथा खड़िया का भलीभांति तैयार किया गया मिश्रण होना चाहिए जिसमें खडिया 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक और छाल उतारा गया कीट भ्राश्म भार के अनुसार 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होना चाहिए अथवा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अन्य पदार्थ होना चाहिए। **(2)** यदि प्रत्येक पात्र में मात्रा 10 लिटर से अधिक है किंतु 50 लिटर से अधिक नहीं है तो शीशे या मिट्टी के पात्र को पृथक-पृथक-				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
क्रोमिक तेजाब-समाप्त	**(i)** बुने हुए झाबों में, बुने हुए ढ़क्कनों सहित पैक किया जाना जाहिए,अथावा **(ii)** मजबूत लोहे के झाबों मे, लोहे के ढ़क्कनों सहित कम से कम 1.27 सेन्टीमीटर पैकिंग सामग्री लगाकर पैक किया जाना चाहिए और पूरे को एक केस, क्रेट या झाबे में रखा जाना चाहिए अथवा **(iii)** लकड़ी के केसों में पैक किया जाना चाहिए। पात्रों को बचावदार पैकिंग सामग्री में पैक करके लकड़ी के कैसों में पैक किया जाना चाहिए। बचाव पैकिंग सामग्री उपरोक्त मद (ख) (1) मैं विनिर्दिष्ट सामग्री होगी उन्हें अच्छी तरह से दबाया जाएगा और पैकिंग को नुकसान से बचाने के लिए चारों और से बांधा जाएगा। पात्र के किसी भाग और केस के भीतर के किसी भाग के बीच ऐसी पैकिंग की मोटाई 3.81 सेन्टीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।				
फोर्मिक तेजाब	(1)कैसों में पैक किये गए जारों या बोतलों में या कास्कों या काबायों में। (2)प्रत्येक पैकेज का सकल भार 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।				
हाइड्रोब्रोमिक तेजाब हाइड्रोब्रोमिक तेजाब तनुक्रत	(1)कैसों में पैक किये गए कारबायो या बोतलों में (2)सल्फयूरिक तेजाब और नाइट्रिक तेजाब के साथ एक ही कैस में पैक नहीं किया जाना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
हाईड्रोक्लोरिक तेजाब (म्यूरिएटिक तेजाब या साल्ट स्प्रिट	(1)दृढ़भाड़ो या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित हो और कैसों में सीधी केसों में सीधी रखी जाऐं। (2)अधिक से अधिक 50 लीटर की क्षमता वाले शीशे या मिट्टी के कारबायों में जो लोहे या लकड़ी क्रेटों में मजबूती के साथ पैक किये गए हों। निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन भी किया जाएगा- (i)सब पात्रों को ऊपर तक भरा जाना चाहिए और प्रत्येक पात्र में भलीभांति फिट होने वाली डाट की व्यवस्था की जानी चाहिए जो निम्नलिखित सामग्री से भली भांति ढ़की होनी चाहिएः- (क)प्लास्टिक नम मिट्टी, ऊपर से जलरोधी सामग्री लगाकर ताकि मिट्टी नम् रही जाए। (ख)अच्छी क्वालिटी का प्लास्टर आफ पैरिस, (ग)काऊलीन(चीनी मिट्टी)और सोडियम का सिलिकेट, (घ) बालु और गंधक का वजन के अनुसार समान मात्रा में तैयार किया गया, सम्मिश्रण। (ii)बोतलों से भिन्न प्रत्येक कन्टेनर में उसकी अक्षमता का कम से कम दस प्रतिशत वायु स्थान छोड़ा जाएगा। (iii)जब बोतलों का प्रयोग किया जाए तब उन्हें केवल तीन चोथाई तक भरा जाना चाहिए। (iv)केसों की भीतरी पैकिंग राख, जो कंकड़ियों से मुक्त हो या खडिया या सूखी मिट्टी की हों◌ंगी कैसो की भीतरी पैकिंग भूसे या रद्दी की, जो पेकिंग के लिए सस्ते हों, जैसे , घास या काष्ठ-छीलन की भी हो सकती है।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।		

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
हाईड्रोक्लोरिक तेजाब (म्यूरिएटिक तेजाब या साल्ट स्प्रिट (समाप्त) हाईड्रोफल्युओरिक तेजाब (फ्ल्यूओरिक तेजाब)	(v) सल्फ्यूरिक तेजाब और नाइट्रिक तेजाब एक ही कैस में पैक नहीं किए जाने चाहिए। (vi) किसी एक पैकेज का सफल भार 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। (1) सीसे लीड (या) गटापारचा की बोतलों में जो सीधी रखी जाएगी केस 1.9 सेंटीमीटर मोटाई के गत्ते के बने होने चाहिए और उनमें उठाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। केसों की भीतरी पैकिंग भूसे, या बुरादे के साथ मिश्रित कोयला, राख या खड़िया की होनी चाहिए। (2) सल्फ्यूरिक तेजाब और नाइट्रिक तेजाब के साथ एक ही केस में पैक नहीं किया जाना चाहिए।□ (3) किसी एक पैकेज का सकल भार 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
नाइट्रिक तेजाब (एक्वा फोरटिस)	(1) दृढ़भाड़ों या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित हो और केसों में सीधी रखी जाएं प्रत्यक जार या बोतल के चारों ओर खडिया, कीजलगर या अन्य अवशोषक तथा अदहनशील सामग्री लगाई जानी चाहिए। केसो में बुरादा, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए किन्तु मजबूत कागज का एक टुकडा ढक्कन के नीचे रखा जा सकता है जिससे की वह पैकिंग सामग्री को निकलने से रोक सके।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
नाइट्रिक तेजाब (एक्वा फोरटिस) नाइट्रिक तेजाब (फ्ल्यूओरिक तेजाब) - समाप्त परक्लोरिक तेजाब तनुकृत (आनुपातिक भार 1.12 से अधिक नहीं होना चाहिए) फासफोरिक तेजाब	(2)नाइट्रिक तेजाबरोधी विशेष इस्पात ड्रमों में। (3)शीशे के कारबायों में जो खड़िया, कीजलगर या अन्य अवशोषक तथा अदहनशील सामग्री लगाकर लोहे या लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। केसों में बुरादा, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिएं। (iii)जब बोतलों का प्रयोग किया जाए तभ उन्हें केवल तीन-चौथाई तक भरा जाना चाहिए। (iv)सल्फ्यूरिक तेजाब, हाईड्रोक्लोरिक तेजाब, ज्वलनशील द्रव या अन्य रसायन जो नाईट्रिक तेजाब के साथ संपर्क में आने से आग पकड़ सकती है, या विस्फोट कर सकता है एक ही केस में पैक नहीं होना चाहिए। (v)किसी एक पैकेज का सकलभार 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। केसों में पैक की गई बोतलों में। (1)कारबायों में। (2) 20 लीटर की क्षमता वाले जारों में जो बांस की टोकरिया में या क्रेटों में पैक किए हों। (3) कास्कों में। (4) कैसों में पैक की गई बोतलों में।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
परक्लोरिक तेजाब तनुकृत (आनुपातिक भार 1.12 से अधिक नहीं होना चाहिए) फासफोरिक तेजाब (समाप्त)	(5) फोसफोरिक तेजाब (95) 30 लीटर की क्षमता वाले ड्रमों में भी पैक किया जा सकता है। ऐसा ड्रम जी एफ-5740 ग्रेड की हाईडेन्सिटी पोलीथीन का बना होगा तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात- (क) यदि किसी ड्रम में अपवर्णन का कोई चिन्ह प्रकट होता है तो उसे प्रयोग से तुरन्त हटा लेना चाहिए, और (ख) एक ही रेल कंटेनर में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी				
प्रोपोनिक तेजाब	शीशे की बोतलों में या अनुमोदित प्लास्टिक सामग्री में, लोहे के ड्रमों में या कारबायों में।				
सल्फ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल)	(1)दृढ़भांडों या शीशे की डाट लगी बोतलों में जो केसों में सीधी रखी जाएंगी।केसों की भीतरी पैकिंग कंकड़ रहित राख या खड़िया या बालू या भूसी या भूसी की राख या सूखी मिट्टी की होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक तेजाब की दशा में, जो 1.250या उसके क्रम आनुपातिक भार वाले सल्फ्यूरिक तेजाब की मात्रा के दुगने जल के साथ तनुकृत किया गया हो, भीतरी पैकिंग भूसे या रद्दी वस्तु में, जो पैकिंग के लिए सस्ती हो, जैसे घास, काष्ठ छीलन आदि, होगी। एक कैस का भार 125 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता है।		

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सल्फ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल) स्लफ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल)जारी-	(2)अधिक से अधिक 50 लीटर क्षमता वाले शीशे या मिट्टी के कारबायों में जो लोहे या लकड़ी के क्रेटों में, भूसे या रद्दी वस्तु में, जो पैकिंग के लिए सस्ती हो, जैसे घास, काष्ठ छीलन आदि, लगाकर सुरक्षित रूप से पैक किए गए हों। सल्फ्यूरिक तेजाब वहन मिट्टी के जारों या कारबायों में, जिनकी क्षमता 50 लीटर से कम न हो, वैगन में लगाए गए लकड़ी के रैकों में, भूसा लगाकर मजबूती के साथ पैक किया जा सकेगा। एक केस का भार 125 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। (3)आवात सील बंद सीसे (लैड) के बनी हुई टंकियों (सिस्टनों) में जिनका भार 25 किलोग्राम वर्ग मीटर हो और जो 2.5 सेंटीमीटर मोटे बोर्ड के बने लकड़ी के केसों में बंद किये गए हों तथा 1.27 सेंटीमीटर की लोहे की पट्टियों से बांधे गए हों। केस की साइडै इस प्रकार से निर्मित होंगी कि पट्टियां दो साईड़ों में पड़ी स्थिति में और दो साइड़ों में खड़ी स्थिति में लगाई गई हों। किसी एक केस में तेजाब का शुद्ध भार 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। (4)सल्फ्यूरिक तेजाब को कार्क या लकड़ी के डाट बंद वाले जारों या कारबायों में नहीं रखा जाना चाहिए। (5)सान्दीकृत सल्फ्यूरिक तेजाब, अर्थात 15 सेंटीग्रेट पर 1.75 के अन्यून आनुपातिक भार वाला अनुमोदित इस्पात के ड्रमों में पैक किया जा सकता है। प्रत्येक ड्रम का सकल भार 600 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सल्फ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल) -जारी	ड्रम में पांच प्रतिशत वायु-स्थान छोड़ा जाना चाहिए। सल्फ्यूरिक तेजाब के वहन के लिये धातु के ड्रमों के बारे में विनिर्देश (i)ड्रम अच्छी क्वालिटी के नम्र चादरों के बने होने चाहिए। (ii)सभी ड्रमों की झलाई या रिवट की जानी चाहिए। (iii)धातु की मोटाई 12 बिरमिघम गेज निकाय के लिये 2.52 किलोमीटर और 10 बिरमिघम गेज छोरों के लिये 3.18 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। (iv)सिरे ड्रम के निकाय में 2.5 सेंटीमीटर से 3.8 सेंटीमीटर तक फसे हुए होने चाहिए और झलाई के किए गए इस्पात के हूप लगाकर उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। हूप या तो ड्रम के मुख्य मार्ग में मजबूती के साथ जोड़े जाने चाहिए और छोरों को ढ़कने के लिये उनके ऊपरे निकले हुए शीर्ष होनें चाहिए अथवा उन्हें ड्रम के निकाय के साथ झलाई करके जोड़ा जाना चाहिए। (v)प्रत्येक ड्रम के निकाय में 2 ठोस रोलिंग हूप फसाए जाने चाहिए। (vi)प्रत्येक ड्रम में एक भली भांति फिट किए गए चूड़ीदार इस्पात के प्लग और इस्पात के उभार (बांस)की व्यवस्था रहनी चाहिए।उभार(बांस) को ड्रम के साथ झलाई करके लगाया जाएगा। जब प्लग की चूड़ियां कसी जाएं तब वह रोलिंग हूंपों या चिम्बों के बाहर नहीं निकलना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सल्फ्यूरिक तेजाब (विटरोल का तेल) -समाप्त-	(vii)प्रत्येक ड्रम की परीक्षी 1.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेन्टीमीटर के आन्तरिक दबाव के अन्तर्गत की जाना चाहिए और यह साबित होना चाहिए कि वह वायुरोधी है तथा यह परीक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक ड्रम के अवक्षयण का कोई संकेत मिले तथा 6 मास से अनधिक के अन्तराल पर भी किया जाना चाहिए। (6)नाईट्रिक तेजाब और हाईड्रोक्लोरिक तेजाब के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए। (7)सल्फ्यूरिक तेजाब (98प्रतिशत) को 30 लीटर क्षमता वाले ड्रमों में भी पैक किया जा सकता है। प्रत्येक ड्रम जीएफ 5740 ग्रेड के हाई डॅसिटी पोलीथीलीन का बना होगा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा,अर्थात- (क)यदि कोई ड्रम में अपवर्णन का कोई चिन्ह प्रकट होता है तो उसे प्रयोग से तुरन्त हटा लिया जाना चाहिए और (ख)एक ही रेल कंटेनर में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी।				
तेजाब अवमल सल्फ्यूरिक तेजाब तनुकृत जिसमें आयतन का कम से कम 60 प्रतिशत जल हो। सल्फयूरस तेजाब (मिश्रण)	-यथोक्त- (1)कारबायों या जारों में (2)बोतलों में जो केसों या माबों (हैंपरों)में पैक की जाए। (1)कारबायों में (जिनके बंगों में प्रभावशील सुराख हों)। (2)20 लीटर क्षमता वाले जारों में जो या तो टोकरों से ढके हों या क्रेटों में पैक हो। (3)कास्कों में। (4)बोतलों में जो कैसों में पैक की गई हैं।		टैंक वैगनों में वहन किया जा सकता हैं		

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
अमोनियम बाई फ्लोराईड ठोस	(1)कास्कों में जो भीतर की ओर मोम या डामर से पोते गए हों तथा जिनमें कागज़ की परत लगी है। (2)टीन की परत लगे हुए कैसों में परत शोल्डर करके आवात सील बंद होनी चाहिए। (3)एक ही केस में तेजाब के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।				शीशे और शीशे के बर्तनों के साथ नहीं लादा जाना चाहिए।
अमोनियम फ्लोराईड द्रव	(1)सीसे या गटापारचा के पात्रों में जो कीजलगर या वैसे ही पदार्थ के केसों में पैक किए गए हों। (2)एक ही केस में तेजाबों के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।				-यथोक्त-
अमोनियम सल्फोसाइनाईड	(1)कास्कों में। (2)जारों में जो केसों में पैक किए गए हों। (3)एक ही कैस में तेजाब के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।				तेजाबों के साथ नहीं, लादा जाना चाहिए।
बैटरी चार्ज करने का मिश्रण (तेजाब)	(1) कारबायों या जारों में। (2) बोतलों में जो कैसों या झाबों (हम्परों) में पैक की गई हों।				
बैटरी चार्ज करने का घोल (अत्कली)पोटाश तथा लीथिया का घोल	(1)दृढ़भांडों में या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भली भांति सुरक्षित रखी गई हों और केसों में सीधी रखी जाएं। इस केसों की भीतरी पैकिंग भूसे, भूसी या बुरादे के साथ कोयला, राख, खड़िया या बालू मिलाकर की जाएगी। (2)ड्रमों मे।				
बैन्जील क्लोराइड	शीशे की बोतलों या जारों में जो केसों या झाबों (हेंपरों) में उपयुक्त गद्देदार सामग्री लगाकर या इस्पात के ड्रमों में पैक की गई हो।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
ब्रोमीन कैल्शियम बाई सलफाईट घोल (चूने के घोल का बाई सलफाईट) जो सल्फर डाईऑक्साईड गैस के साथ संतृप्त किया गया हो।	(1)दृढ़भाण्डों में जिनमें कार्क या लकड़ी की डाट नहीं होगी, अथवा शीशे की डाट नगी हुई बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित रखी गई हों और केसों में सीधी रखी जाएं। किसी भी जार या बोतल में 4 किलोग्राम से अधिक ब्रोमीन नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक जार या बोतल में 25 प्रतिशत वायुस्थान छोड़ा जाना चाहिए। केस की भीतरी पैकिंग कीजलगर कीट भ्राश्म की होनी चाहिए। (2)सीसे की परत वाले इस्पात के ड्रमों में जो विनिर्देश संख्याक आई सी सी-5 एच के अनुरूप हो परंतु यह तब जब प्रत्येक ड्रम में कम से कम 10 प्रतिशत वायु-स्थान छोड़ा जाए। (3)किसी एक पैकेज का सकल भार बड़ी लाईन और मी.ली.पर 200 किलोग्राम और छो.ला.पर 100 किलोग्रम से अधिक नहीं होना चाहिए। (1)कास्कों या कारबायों में। (2)शीशे की बोतलों में जो केसों या झाबों (हेम्परों)में पैक की गई हो।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825, और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
कास्टिक पोटाश तरल	अधिक से अधिक 200 लीटर की क्षमता वाले लोहे या इस्पात के मजबूत ड्रमों में भलीभांती बंद किए गए हों जिस्से की रिसना रोका जा सके।	कास्टिक पोटाश तरल से युक्त टैंक बैगनों पर कास्टिक पोटाश शब्द बडे-बडे अक्षरों में पेंट किए जाने चाहिए।	टैंक वहनों में वहन किया जा सकता है। भरे हुए या खाली टैंक वैगंनों के सब प्रवेश और निर्गम स्थान मजबूती के साथ जलरोधी स्थिति में बंद किए जाने चाहिएं।		
कास्टिक सोडा तरल	अधिक से अधिक 200 लीटर की क्षमता वाले लोहे या इस्पात के मजबूत ड्रमों में जो भलीभांति बंद किए गए हो जिसमें कि रिसना रोका जा सके।	कास्टिक सोडा तरल से युक्त टैंक वैगनों पर कास्टिक सोडा शब्द बड़े -बड़े अक्षरों में पैंट किए जाने चाहिएं।	-यथोक्त-		
*रसायनिक अग्निशामकों के लिए चार्ज और रीफिल	(1)बोतलों या बाल्वों में जिनमें से प्रत्येक में, कार्बन टेट्राक्लोराईड के साथ या उसके बिना, तेजाब की 100 ग्राम से अधिक मात्रा नहीं होगी तथा सोडियम बाईकारबोनेट का चार्ज होगा, टिनों या कार्ड बोर्ड के कार्टूनों में, केसों में। (2)आवात सीलबंद बोतलों में या बाल्बों में जिनमें से प्रत्येक में 100 ग्राम से अधिक तेजाब नहीं होगा, खड़िया से ऊपर तक भरे हुए टिनों में तथा मजबूत लकड़ी के केसों में बुरादा या भूसा लगाकर पैक किए गए जाएंगे। (3)किसी एक पैकेज का सकल भार 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।				

*इस टैरिफ में अधिकथित नियम और शर्तें, शामकों के लिए अम्लहीन रसायन के चार्ज और रीफिल को लागू नहीं होंगी।

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सफाई और धुलाई घोल, तेजाब	(1)कारबायों या कास्कों में। (2)अधिक से अधिक 30लीटर क्षमता वाली बोतलों में जो केसों या झाबों (हम्परों) में पैक की गई हो। (3)अधिक से अधिक 0.5 किलोग्राम पदार्थ से युक्त बोतलों में जो केसों मे पैक की गई हों। (4)जारों में केसों या क्रेटों में पैक किए गए हों।				
सफाई और धुलाई घोल, अल्कलीन।	(1)कास्कों या ड्रमों में। (2)बोतलों या टिनों में जो केसों में पैक की गई हो। (3)जारों में जो क्रेटों में पैक किए गए हों या टोकरियों में पैक किए गए हों। (4)अधिक से अधिक 20 लीटर क्षमता वाले दमीजानों में जो टोकरियों में रख कर लोहे के क्रेटों में भूसा लगाकर भलीभांति पैक किए गए हों। दमीजानों के शीर्ष टोकरीनुमा ढक्कन लगाकर सुरक्षित रखे जाने चाहिए। (5)तेजाबों के साथ पैक नहीं किया जाना चाहिए।				
बायलरों में पपड़ी पड़ने की रोकथाम के लिए मिश्रण द्रव (जिसमें आत्सानिक नहीं हों)	(1) कास्कों या ड्रमों में। (2) केसों में पैक किए गए टिनों में। (3) केवल ऐसे पात्रों में ग्रहण किया जाएगा, जिनमें प्रभावशील सुराख हों सिवाय तब के जब उसे किण्वन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तथा अग्रेषण टिप्पण में ऐसा पृष्ठांकन कर दिया गया हो। (4) जस्ते की परत चढ़े हुए या गैल्वनीकृत पात्र ऐसे यातायात के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाने चाहिएं।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
डेकेसोलाइट सभी प्रकार के विद्युत सेल जिनमें तेजाब या अल्कलीन द्रव या जैली हो। फेरिक क्लोराईड, ठोस (लोहे का परक्लोराईड, ठोस) फेरिक क्लोराईड मिश्रण (लोहे के मिश्रण परक्लोराईड द्रव) ग्रेनोडाइन ग्रेनोड्रा हाईड्रोजीन हाईड्रेट	शीशे की बोतलों या जारों या कारबायों में जो लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। सब पैकेजों को सुरक्षित रूप से भलीभांति बंद किया जाएगा सिवाय उसके कि उनमें छोटे सुराख रखे जाएगी जो इस प्रकार से निर्मित होंगे जिससे की क्षारक द्रव को मुक्त रूप से निकलने से रोका जा सके। टर्मिनलों और जोड़ने वाली छड़ों को इस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा ताकि शार्ट सर्किट होने से रोका जा सके। (1)कास्कों या ड्रमों में। (2)केसों में पैक की गई बोतलों में। (3)30 लीटर से अनधिक क्षमता वाले जारों में। (1)दृढ़भांडो शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में भलीभांति सुरक्षित की गई हो ओर केसों में सीधी रखी जाए। कैसों की भीतरी पैकिंग भूसे, भूसी या बुरादे के साथ मिश्रित कोयले, राख, खड़िया या बालू की होगी। (2)प्रत्येक पैकेज का सकल भार ब.ला.और मी.ला.पर 200 किलोग्राम से और छो.ला. पर 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। शीशे की बोतलों या जारों या कारबायों में जो लकड़ी के केसों में पैक किए गए हों। (i)उपयुक्त बनावट की प्रभावशील ढंग से बंद की गई शीशे या पोलीथीन की बोतलों में जो उपयुक्त बचाब सामग्री लगाकर लकड़ी के केसों में पैक की गई हों।शीशे या पोलीथीन की प्रत्येक बोतल में 5 पिंट से अधिक पदार्थ नहीं होगा प्रत्येक केस में 25 लिटर से अधिक पैक नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पात्र में कम से कम पाँच प्रतिशत वायु-स्थान छोड़ा जाएगा।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
हाईड्रोजीन हाईड्रेट - समाप्त	(ii)उपयुक्त बनावट के शीशे या डाट लगे शीशे के पात्रों में या पोलीथीन की डाट लगे पोलीथीन के पात्रों में जो प्रभावशील ढंग से बंद किए गए हो और लकड़ी के केसों में उपयुक्त बचाव सामग्री लगाकर एक में 50लीटर से अधिक पैक नहीं किया गया हो। प्रत्येक पात्र में कम से कम पांच प्रतिशत वायु-स्थान जो नाईट्रोजन से भरा जाना चाहिए, खाली छोड़ा जाएगा। (iii)प्रभावशील ढंग से बंद किए गए एल्यूमीनियम के ड्रमों में (कम से कम99.5% एल्युमीनियम से युक्त)अथवा उपयुक्त स्टेनलैस स्टील के ड्रमों में। ड्रमों का परीक्षण 50 पोंड प्रति वर्ग इंच के हाईड्रोलिक दबाव से किया जाना चाहिए। एक ड्रम में 200 लीटर पदार्थ से अधिक पैक नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ड्रम में कम से कम पांच प्रतिशत वायु-स्थान, जो नाईट्रोजन से भरा जाना चाहिए खाली छोड़ा जाएगा।				
पेंट और वार्निश हटाने वाले पदार्थ (संक्षारक अज्वलनशील)	(1)कास्कों या ड्रमों में। (2)टिनों मे जो केसों या झाबों (हम्परों)में पैक किए गए हों। (3)अधिक से अधिक 30 लीटर की क्षमता वाले जारों या कारबायों में।				
फासफोरस पेंटाक्लोराइड फासफोरस ट्राईक्लोराईड फासफोरस आक्सीक्लोराइड	(1)दृढ़भांडों या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित रखी गई हों और केसों में सीधी रखी गई हों। केसों की भीतरी पैकिंग कीजलगर या अन्य निष्क्रीय पदार्थ की होगी। (2)किसी एक पैकेज का सकल भार ब.ला.और मी.ला. पर 200 किलोग्राम तथा छो.ला. पर 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।				

तेजाब और अन्य संक्षारक का नाम	पैकिंग (नियम 807 भी देखिए)	चिन्हांकन और लेबल लगाने की बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 808, 809 और 824.1भी देखिए)	सभी गाड़ियों से वहन का बाबत असाधारण या अतिरिक्त नियम (नियम 814,815,816,817 और 818 भी देखिए	यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान से वहन की बाबत असाधारण नियम (नियम 819 भी देखिए)	असाधारण और अतिरिक्त भराई औ वहन नियम (820,821,822,823,825,और 826 भी देखिए)
1	2	3	4	5	6
सोडियम जेनथनेट	(1) डाट बंद या सील बंद बोतलों में जो भूसे या बुरादे में पैक की गई हों तथा लकड़ी के केसों में सुरक्षित रखी गई हों। (2) आवात टिनों में जो लकड़ी के बाहरी केसों में पैक किए गए हों। (3) ड्रमों में।				
शोल्डर करने के लिए तरल	(1) कारबायों में। (2) कास्कों, ड्रमों या केनों में। (3) जारों या बोतलों में जो केसों में पैक की गई हों।				
स्टेनिक क्लोराइड (टीनट्रेट्राक्लोराइड)	(1) ड्रमों में। (2) जारों या बोतलों में जो केसों में पैक की गई हों।				
सल्फर क्लोराईड (गंधक क्लोराईड)	(1) दृढ़भांडों या शीशे की डाट लगी हुई बोतलों में जो भलीभांति सुरक्षित की गई हों और केसों में सीधी रखी गई हों। केसों की भीतरी पैकिंग भूसे, भूसी या बुरादे के साथ मिश्रित कोयला, राख, खड़िया या बालू की होगी। (2) प्रत्येक पैकेज का सकल भार ब.ला.और मी.ला. पर 200 कि.ग्रा.और छो.ला. पर 100 कि.ग्रा.से अधिक नहीं होगा।				
सिंटान एन बी सिंटान एन सी सिंटान पी सी	3.मि.मी.मोटाई की पोलीथीन की बोतलों मे और बोतलों की बाहरी पैकिंग कार्डबोर्डों के कार्टूनों में की जाएगी।				
जस्ते का क्लोराइड या जस्ते का म्यूरिएट (ठोस) तेजाब	(1) कास्कों या ड्रमों या टीनों में जो केसों में पैक किए जाएंगे। (2 जारों या बोतलों में जो केसों में पैक किये जाएंगे। जस्ते या क्लोराइड या जस्ते का म्यूरीएट (घोल) (1) बोतलों में या जारों में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) कारबायों में।				
न्युट्रल	(1) बोतलों में या जारों में जो केसों में पैक किए गए हों। (2) कारबायों में। (3) कास्कों या ड्रमों में।				

<u>परिशिष्ट VIII/I</u>
(नियम 828.2)

<u>परिशिष्ट VIII/I</u>

क्रम सं.
स्टेशन
डिवीजन
रेल
तारीख

प्रेषिती पर तामील की जाने वाली सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

विषय.....से.....

तक के लिए बीजक लोक मार्ग पत्र का संख्यांक.....तारीख.....

मैं आपको सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित परेषण/पार्सल जिसके कि आप प्रेषिती हैं, गंतव्य स्टेशन पर अपरिदत्त पड़ा है। कृप्या ध्यान दें कि यदि वह इस पत्र को प्राप्त करने की तारीख से सात दिन, नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सब देय प्रभारों का संदाय करके यदि छुड़ाया नहीं जाता है तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 83 और धारी 84 के अधीन उसे आपको आगे और कोई सूचना दिए बिना ही, व्ययन करने कर दी व्यवस्था की जाएगी।

विक्रय की दशा में, यदि भाड़े डैमरेज, स्थान भाड़े आदि मद्धे रेल को देय रकम विक्रय आगमों मे पूरी नहीं होती है तो मैं आपसे बकाया राशि चुकाने की अपेक्षा करूंगा। देय प्रभारों के ब्यौरें निम्नलिखित हैः-

(1) भाड़ा.....रुपए,
(2) डैमरेज..... रुपए,
(3) उत्तरीय प्रभार..... रुपए,
(4) स्थान भाड़ा..... रुपए प्रति 50 किलोग्राम प्रति दिन की दर से तारीख.....के प्रेषण को हटाने की तारीख तक।

भवदीय,

खतरनाक माल के लिए अग्रेषण नोट/ FORWARDING NOTE FOR DANGEROUS GOODS

आकार 21.59 से.मी.X 34.29 से.मी. कागज का रंगः गुलाबी/ Size 21.59 cms X 34.29 cms. Colour of Paper : Pink

(रेल अधिनियम, 1989 का 24) की धारा 64 के अधीन सभी रेलों पर प्रयोग के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित)

(Approved by Central Government for use on all Railway under Section 64 of the Railway Act, 1989, (24 of 1989)

वाणिज्य/एफ-5/परिशोधित 64
Com/F-5/Rev.64
वाणिज्य /628 एफ
Com.628 F

सेवा में/ To

स्टेशन मास्टर/ The Station Master…… स्टेशन/ Station…….. रेलवे/ Railway……..

रुपया अधोलिखित परेषण प्राप्त करें और नीचे यथा प्रेषित..... रेलवे के ..... स्टेशन को माल और /अथवा मिश्रित गाड़ी*/सवारी और/ अथवा मिश्रित गाड़ी* द्वरा भेजें।

Please receive the under mentioned Consignment and forward by Goods and/ or Mixed train*/Caching and/ or Mixed train* to…… Station on the …… Railway as consigned below:-

जिसके द्वारा प्रेषित किया गया By whom consigned		जिस को प्रेषित किया गया To whom consigned		स्टेशन को Station To	पैकेजो की सं और विवरण No. and description of packages	पण्य Commodity	निजी मार्क Private Marks	भेजने वाले प्रत्येक पैकेज का अलग-अलग भार Senders' weight (Separately of reach package)				माल भाड़ा संदत्त/संदाय Freight Paid/To pay
								वास्तविक/Substance		कुल/ Gross		
नाम Name	पता Address	नाम Name	पता Address					क्विंन्टल / Quintals	किलोग्राम /Kilograms	क्विंन्टल /Quintals	किलोग्राम /Kilograms	

1. मैं एतद्वरा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस बात की स्वयं सतुष्टि कर ली है कि मेरे द्वारा प्रेषित माल का विवरण मार्का और वजन अथवा मात्रा इस अग्रेषण नोट में सही-सही दर्ज की गयी है और भा.रे. सम्मेलन लाल दर सूची में निर्धारित किये गये नियमों के अनुसार परेषण को पैक कर दिया गया है और मार्का लगा दिया गया है।

   I do hereby certify that I have satisfied my self that the description, marks and weight or quantity of goods by me have been correctly entered in this Forwarding Note and that the consignment has been packed and marked in accordance with the Rules laid down in the I.R.C.A. Red Tariff.

2. मैं इसके अतिरिक्त यह घोषणा करता हूँ कि मैं रेल की सम्पति अथवा अन्य व्यक्तियों की समप्ति करें जो परिवहन के लिए रेलवे को अथवा अन्यता सुपुर्द की गयी हो अथवा सुपुर्द की जानेवाली है, किन्हीं उन परिणामों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ जो कि उक्त परेषण द्वारा की जाये और सभी जोखिम और जिम्मेदारी चाहे वह रेल के लिए हो, उनके कर्मचारियों अथवा एजेंटो अथवा अन्यों के लिए है, एकमात्र और पूर्णतया मुझ पर रहेगी।

   I further declare that I accept responsibility for any consequences to the property of the Railway, or to the property of other persons, entrusted or to be entrusted to the Railway for conveyance, or otherwise which may be caused by the said consignment, and that all rick and responsibility whether to the Railway, to their servants or agents or to others remains solely and entirely with me.

3. मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त परेषण का मूल्य..... रु. है और मैं प्रशासन द्वारा यथोपेक्षित बढे हुए जोखिम के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार करने का वचन देता हूँ/ वचन नहीं देता हूँ।

   I declare that the value of the said consignment is Rs…… and I engage*/ do not engage* to pay the percentage charge on excess value for increased risk as required by the Administration.

*4. मेरे अनुरोध पर..... के रास्ते (महंगे रास्ते) भेजा जाए।

   To be forwarded via…….. (a dearer route) at my request.

*5. सबसे सस्ता मार्ग बंद होने/ अंशतः बंद होने इसके बाद के सबसे खुले मार्ग..... के रास्ते का प्रभार लिया जाय।

   The cheapest route being closed*/partially closed*, to be charged via……. the next cheapest open route.

@6. अतिरिक्त घोषणा के लिए स्थान/ Space for additional declaration). $

   उपर्युक्त के बावजूद में माल बुक करने तथा मंहगे मार्ग का भाड़ा अदा करने के लिए सहमत हूँ, यदि रेल प्रशासन को रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 71 के अधीन ऐसा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

   Notwithstanding the above, I agree to book the goods and pay freight by dearer route if the railway administration is authorized by the Central Government to do so under Section 71 of the Railway Act, 1989

प्रेषक अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर/ Signature of sender or his agent……

दिनांक/ Date……पता/ Address……..

$ मैं एततद्वारा वचन देता हूँ कि यदि पैकेज गंतव्य रेलवे स्टेशन पर पैकेज की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नहीं छुडा लिया गया तो मैं गंतव्य रेलवे स्टेशन पर सभी रेल प्रभारों का भुगतान करके पैकेज प्राप्त कर लूगां या सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए मूल अग्रेषण स्टेशन तथा परिदान लेते समय सभी रेल प्रभारों का भूगतान करने के लिए वचनबद्ध होते हुए पैकेज को मूल अग्रेषण स्टेशन भेजने के लिए पुनः बुक करने की भी व्यस्था करूंगा।

$ I hereby undertake that if the package is not collected within 30 days of receipt of the package at the destination railway station. I shall collect the package at the destination Station on payment of all Railway dues or I shall arrange for the package to be re-booked to the original forwarding station observing all necessary formalities and undertaking to pay all Railway dues at the time of taking delivery.

अनुबंध-क (समाप्त)

Annexure- A (concld.)

(निम्नलिखित फार्म केवल रेल कर्मचारियों द्वारा भरा जाय)

(The form below to be filled in by the Railway staff only)

Forwarding Note No. ……

अग्रेषण नोट संख्या

दिनांक को / Dated ……

दिनांक को / Dated ……

दिनांक को / Dated ……

दिनांक को / Dated ……

Accepted by ……..... द्वारा स्वीकार किया गया

Weighed by …….. द्वारा तोला गया

Loaded by ..... द्वारा लादा गया

Invoiced by …….. द्वारा बीजक बनाया गया

To be carried via …….. के रास्ते से ले जाया जाये

To be charged via …… के रास्ते का प्रभार लगाया जाये

दिनांक को / Dated ……..

पैकेजों की सं. और विवरण No. and Description of packages	पण्य Commodity	रेल मार्को Railway Marks	वास्तविक वजन Actual weight		प्रभारित वजन Weight Charged		प्रभार के लिए वर्गीकरण Classification for charge	प्रति क्विंटल दर Rate per Quintal	दत्त Paid	देय To pay	रसीद संख्या Receipt No.	बीजक Invoice		माल डिब्बों का ब्यौरा Particulars of wagons			
			क्विंटल Quintals	कि. ग्रा. Kilograms	क्विंटल Quintals	कि. ग्रा. Kilograms		□	□	□		संख्या No.	तारीख Date	सं. और किस्म No. & Type	वास्तविक रेलवे Owning Railway	वहन क्षमता C.C.	दर्ज का क्षेत्रफल Floor area

टिप्पणी.- प्रेषक अथव उसके एजेंट का ध्यान रेलवे द्वारा खतरनाक माल के परिवहन के लिए लागू उन प्रमुख निबंधनी एवं शर्तो की और दिलाया जाता है जिन्हें भा.रे.स. लाल दर सूची से बताया गया है।

Note.- The attention of the sender or his agent is invited to the principal terms and conditions applying to the carriage of dangerous goods by Railway which are set torth in I.R.C.A. Red Tariff.

जब तक कि प्रेषक किसी प्रेषण का मूल्य घोषित नहीं करता है और रेल (वित्तीय दायित्व तथा प्रतिशत प्रभार के निर्धारण की सीमा) नियम, 1990 द्वारा यथा प्रेक्षित अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिक्षत प्रभार का संदाय नहीं करता है, प्रेषण की हानि, विनय, नुक्सानी, अतिरिक्त तथा सुपुर्दुगी न करने के लिए रेल प्रशासन के वित्तीय दायित्व की रकम की अधिकतम सीमा 50 रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी।

Unless the consignor declares the value of any consignment and pays percentage charge on excess value as required by Railway (Extent of Monetary Liability and Prescription of percentage charge) Rules, 1990 the maximum limit of amount of monetary liability of Railway Administration of loss, destruction damage, deterioration and non-delivery or the consignment shall not exceed Rs. 50 per kg.

*जहाँ लागू न हो, काट दें/Strike out where inapplicable.

@ यही वह अतिरिक्त घोषणा लिखे जिसकी भा.रे.स. लाल दर सूची में निर्धारित नियमों द्वारा अपेक्षा की जाये/ Here enter additional declaration which may be required by the Rules laid down in the I.R.C.A. Red Tariff.

उपर्युक्त इंदराजों में किये गये परिवर्तनों पर प्रेषक अथवा उसकें एजेंट द्वारा हस्ताक्षर (आद्यक्षर नहीं) किये जाने चाहिए।

Additions or alteration made in the above entries must be signed (not initialed) by the sender or his agent.

उपाबन्ध "ख"

क्रम सं.:
स्टेशन:
डिविजन:
रेल:
तारीख:

वाणिज्य विभाग

प्रेषणों के पहुंचनें की सूचना

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय/महोदया,

*.....

.....स्टेशन से.....द्वारा रेल रसीद सं.....तारीख .....

के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है ..... तारीख को यहाँ पहुंच गया है।

2. कृपया रेल रसीद प्रस्तुत करके उक्त* परेषण की सुपुर्दगी तुरंत लेने की व्यवस्था करें।

3. बीजक में वर्णित भाड़ा ..... रुपए ..... पैसे .....†संदत्त किया जाना है /संदत्त है।

भवदीय,

.....

माल बाबू/स्टेशन मास्टर

.....स्टेशन

---

*माल का विवरण दीजिए

†जो लागू ना हो उसे काट दें।